दशम माला,

14 August 1991
1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिंदी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 14 अगस्त, 1991 / 23 श्रावण, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
58	नीचे से पंक्ति 3	संख्या "3052" के स्थान पर "3054" पढ़िये।
59	नीचे से पंक्ति 10	"(क)" के स्थान पर "(क) से (ग)" पढ़िये।
63	4	"श्री रमेश चेन्नीला" के स्थान पर "श्री रमेश चेन्नीतला" पढ़िये।
67	17	"श्री के॰ राममूर्ति टिण्डिवणम" के स्थान पर "श्री के॰राममूर्ति टिंडिवनाम" पढ़िये।
120	13	संख्या "140" के स्थान पर "3140" पढ़िये।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 3 पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 26 बुधवार, 14 अगस्त, 1991/23 श्रावण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	3—187
तारांकित प्रश्न संख्या : 427 से 446	3—24
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3009 से 3047, 3049 से 3156, 3158 से 3203, 3205 और 3207 से 3217	24—187
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	188—200, 226
(एक) नई दिल्ली में श्री माधवराव सिंधिया के निवास के बाहर हुई हिंसक घटना श्री एस० बी० चव्हाण	188—194
(बी) छोटे और सीमान्त किसानों को उर्वरक मूल्य वृद्धि से छूट देने के बारे में कार्यप्रणाली श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	226
सभा पटल पर रखे गए पत्र	195—198
सभा का कार्य	199—200
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 331 के 7-8-1991 को लोकसभा में दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	201—202
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक पुर:स्थापित	202

पृष्ठ

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1991 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत 203—213

और

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री गिरधारी लाल भार्गव 205—210

श्री सिताराम केसरी 210—211

श्री सैयद शाहबुद्दीन 204

श्री पीयूष तीरकी 207—208

श्री राम निहोर राय 208

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री 208

श्री सूरज मंडल 209

खंडवार विचार 210

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री सिताराम केसरी 211

देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में प्रस्ताव 214—240

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 214—219

श्रीमती बिमू कुमारी देवी 219—221

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु 221—225

श्री बूटा सिंह 214, 228, 237

श्री श्याम लाल कमल 238—240

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य ने पूछा था।

लोक सभा

बुधवार, 14 अगस्त, 1991/23 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बतूर) : महोदय हम विशेषाधिकार के मामले को उठाना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

(इस समय श्री सी० के० कुप्पुस्वामी आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर बैठ गये ।)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान-निकोबार) : आज सुबह लगभग 9.30 बजे श्री माधवराव सिंधिया के घर पर कातिलाना हमला हुआ। **(व्यवधान)**

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : गृह मंत्री महोदय को सदन में आकर एक वक्तव्य देना चाहिए। **(व्यवधान)**

विपक्ष के नेता को आकर श्री माधवराव सिंधिया से माफी मांगनी चाहिये। **(व्यवधान)** आज सुबह 9.30 बजे भारतीय जनता पार्टी के एक सौ पचास से अधिक कार्यकर्त्ता श्री माधवराव सिंधिया के घर गये तथा श्री माधवराव सिंधिया पर आक्रमण करने की कोशिश की। उन्होंने पत्थर फैंके। उन्होंने वहाँ स्थित सभी वाहनों को नष्ट कर दिया। उन्होंने कई संत्री लोगों पर हमला किया तथा बहुत से लोग घायल हो गये। श्री माधवराव सिंधिया के निजी सुरक्षा कर्मी, जिनमें एक श्री बलवीरसिंह गंभीर रूप से घायल हो गये। कुछ अन्य व्यक्ति तथा दर्शक भी घायल हो गये। यह सहन नहीं किया जा सकता। **(व्यवधान)** हम मांग करते है कि विपक्ष के नेता को सदन में बुलाया जाये। श्री लाल कृष्ण आडवाणी को श्री माधवराव सिंधिया से माफी माँगनी चाहिये। गृह मंत्री महोदय को इस पर एक वक्तव्य देना चाहिए। **(व्यवधान)** सरकार को उन लोगों को गिरफ़तार करना चाहिये जो इसके लिये जिम्मेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी दोषी व्यक्तियों जो सुबह वहाँ पर मौजुद थे के विरूद कार्यवाही करनी चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री मनोरंजन भक्त : हम इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : जब तक विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी माफी नहीं माँगते, हम यहाँ पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होने देंगे। गृह मंत्री महोदय को यहां आकर एक वक्तव्य देना चाहिए। यह हमारा मूल अधिकार है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : देश का खुफिया विभाग क्या कर रहा है ? सरकार कहाँ है ? आप अनचाहे तत्वों को समर्थन देते हैं और वे उसके लिए बदला लेते हैं। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : देश में क्या हो रहा है ? **(व्यवधान)**

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : श्री आडवाणी को आकर माफी माँगनी चाहिये । **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस सदन को निष्क्रिय बना दिया गया है । **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस सदन को निष्क्रिय बना दिया गया है । फिर कुछ व्यवस्था की गई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता । इसे वापिस ले लिया है । कल इसका उद्देश्य पूरा हो गया । मुझे अभी बताया गया कि मंत्री महोदय श्री माधवराव सिंधिया के सुरक्षा कर्मी को मंत्री महोदय के घर में पीटा गया । . . . **(व्यवधान)** वे श्री सिंधिया के घर में घुस गये . . . . **(व्यवधान)** यह क्या हो रहा है ? सरकार को हमें यह अवश्य ही बताना चाहिये कि सुरक्षा क्या चीज़ है ? क्या भविष्य में हम उन्हें केवल प्रसन्न करने के लिए तथा उनकी अनुमति से ही इस सभा में बोलेंगे ? सदस्य क्या करें क्या इसका निक्षेप वे करेंगे ?. . . **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मेरी यह माँग है कि प्रधान मंत्री एक वक्तव्य दें । **(व्यवधान)**

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : श्री लालकृष्ण आडवाणी को सभा में बुलाना चाहिये । श्री आडवाणी को तुरंत ही सदन में बुलाया जाना चाहिये । **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नांडीज़ (मुजफ़्फरपुर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह इसका उत्तर दें **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : श्री जैनुल अबेदिन को धमकी दी गई है क्योंकि उन्होंने 15 अगस्त, 1947 को धार्मिक स्थलों, और ऐतिहासिक स्थानों की यथास्थिति बनाये रखने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव रखा था । उन्हें धमकी दी गई । और सरकार को उनकी सुरक्षा प्रदान करनी पड़ी । इसी प्रकार की शक्तियां काम कर रही है क्योंकि श्री माधवराव सिंधिया ने ऐसी गतिविधियों को राष्ट्र-विरोधी, देश-विरोधी बताया इसीलिये उन पर आक्रमण किया गया । क्या यह सहन किया जा सकता है ?- सभा के नेता, जो कल उपाध्यक्ष के चुनाव को समर्थन देने के लिए उतावले थे को हमें बताना चाहिये कि यह कैसे हुआ । क्या हम सदन के भीतर, संसद की मर्यादा के अन्दर रह कर जो हम कहना चाहते है, कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, सरकार को पहले कार्यवाही करनी चाहिये । अगर सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, तो फिर कोई सभा-समिति होनी चाहिये । हम ऐसी परपीड़ित करने वाली शक्तियों को जारी रहने की अनुमति नहीं दे सकते । वे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस पार्टी या उस पार्टी को समर्थन दे सकते है **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, सदस्यों की बोलने की स्वतंत्रता ही कहाँ रही ? **(व्यवधान)** । यह उनका अधिकार है ।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई, दक्षिण) : सरकार को इस मामले में तथ्यों के साथ अवश्य ही आगे आना चाहिये । हम प्रधान मंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि वे सदन में एक वक्तव्य दें । **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सभा को स्थगित करना पड़ेगा । यह इस तरह से कार्य नहीं कर सकती **(व्यवधान)** ।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : महोदय, सभा को प्रकाशित किया जाना चाहिये । श्री आडवाणी को बुलाया जाना चाहिये । गृह मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देना चाहिये । जब तक ऐसा होता रहेगा सभा की कार्यवाही नहीं चलेगी । जब तक श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को बुलाया नहीं जाता और गृह मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिये नहीं कहा जाता, कोई काम हो नहीं सकता . . . (व्यवधान) यह सभा के केवल एक सदस्य पर ही आक्रमण नहीं है । यह सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रहार है । आपको अपनी व्यवस्था देनी होगी । लेकिन हमारे विचार बहुत स्पस्ट हैं और जब तक श्री लालकृष्ण आडवाणी माफी नहीं माँगते हम सभा की कार्यवाही चलने नहीं देंगे ।

(इस समय श्री सी० के० कुप्पुस्वामी अपने स्थान पर वापिस चले गये ।)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, उग्रवादी कश्मीर में या पंजाब में सक्रिय है चाहे उनका मजहब कोई भी हो, देश को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं . . . (व्यवधान) ।

[हिंदी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि कल ही आपने हाउस में रूलिंग दी है कि मेंबर्स की पूरी सिक्यूरिटी और सेफ़्टी होनी चाहिए, होम मिनिस्टर भी यहां बैठे हैं, उन्होंने भी कल आश्वासन दिया था कि मेंबर्स को पूरी सुरक्षा दी जाएगी और यह तो मिनिस्टर का मामला है । अध्यक्ष महोदय, आप हमारे कस्टोडियन हैं, गार्जियन हैं, प्रधान मंत्री भी यहां बैठे हैं, प्रश्न-काल में यह मामला उठाया गया है तो सरकार कम से कम यह तो बतलाए कि मामला क्या है । (व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाणा) : अध्यक्ष महोदय, पासवान जी कह रहे हैं, कल होम मिनिस्टर ने यह बयान जरूर दिया था कि सभी संसद-सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, मगर मुंह में राम लेकर बगल में छुरी लेकर लोग इस तरह का काम करेंगे तो किस तरह से लोगों को सुरक्षा दी जा सकेगी । ये लोग मुंह में राम और हाथ में छुरी लेकर चलते हैं, विश्वासघात करते हैं । (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय,सरकार क्या कर रही है ? यदि बीजेपी किसी को मारना चाहेगी तो क्या सरकार उसको मारने देगी । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं इस सभा को 12 बजे मध्यान्ह पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित कर रहा हूँ तथा मैं विभिन्न दलों के नेताओं गृह मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री को इस विषय पर चर्चा हेतु अपने कक्ष में आने के लिए निवेदन करूंगा ।

11.12 म० पू०

तत्पश्चात् लोक सभा 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों का सेवा-काल बढ़ाना/पुन: नौकरी पर रखना

[अनुवाद]

427* डॉ० असीम बाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यमान आदेशों के अनुसार सरकारी उपक्रम के अध्यक्ष और प्रबंध-निदेशक को मंत्रीमण्डल की अनुमति लिये बिना उपक्रम के किसी भी कर्मचारी का सेवा-काल उसकी सेवा-निवृति से आगे बढ़ाने या उसे पुन: नौकरी पर रखने का अधिकार है बशर्ते कि उसकी पेंशन तथा ग्रेच्युटी का पेंशन-समतुल्य मिला कर 2500 रुपये से अधिक न बैठता हो;

(ख) क्या सेवा-काल बढ़ाने/पुन: नौकरी पर रखने के मामलों को काफी समय पूर्व सरकार की स्वीकृति के लिये भेजना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो कर्मचारी के सेवा-काल को बढ़ाने या उसे पुन: नौकरी पर रखने से पहले सरकार को कम से कम कितने समय पूर्व सूचित करना आवश्यक है और ऐसा करने के लिये किन औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है; और

(घ) क्या सेवा-निवृति के बाद व्यक्तियों का सेवा-काल बढ़ाने या उन्हें पुन: नौकरी पर रखने के लिये ऐसी दशा में भी विचार किया जा सकता है जब कि उसी उपक्रम में अन्य सक्षम व्यक्ति उपलब्ध हों ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन को अधिवर्षिता की उम्र के बाद उन मामलों में सेवा-काल में वृध्दि की स्वीकृति/पुनर्नियोजन का अधिकार दिया गया है, जिनमें वेतन (पेंशन एवं पेंशन संबंधी लाभ सहित) 2500/- रुपये प्रतिमाह (संशोधन-पूर्व) से अधिक न हो ।

(ख) और (ग) मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुति की अपेक्षा वाले प्रस्तावों को सामान्यत: दो माह पूर्व, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजना पड़ता है ।

(घ) सेवा-काल में वृध्दि की स्वीकृति/पुनर्नियोजन उपक्रम के हित में होना चाहिए तथा ऐसे मामलों पर निर्णय करते समय किसी उपयुक्त उत्तराधिकारी की उपलब्धता सहित अन्य सभी सम्बध्द पहलूओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

चीनी विकास निधि से दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज में वृध्दि

428* **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी विकास निधि से दिए जाने वाले ऋण पर लिये जाने वाले ब्याज में वृध्दि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृध्दि की गई है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चीनी उद्योग के विकास के लिए चीनी फैक्ट्रीयों से वसूल किये जाने वाले उपकर से इस निधि की स्थापना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ब्याज में जल्दी-जल्दी वृध्दि किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगई) : (क) जी, हां ।

(ख) संबध्द क्षेत्रों में ब्याज की दरों के वर्तमान ढांचे तथा अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए चीनी विकास निधि द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर 6 प्रतिशत की वार्षिक रिआयती ब्याज दर में 24-4-1991 से 3 प्रतिशत की वृध्दि कर दी गई थी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) चीनी विकास निधि द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर 6 प्रतिशत की ब्याज दर 1985 में निर्धारित की गई थी तथा उक्त संशोधन पांच से अधिक वर्षों के बाद किया गया हैं ।

अलीगढ़-एटा राजमार्ग पर उद्योगों की स्थापना

[हिन्दी]

*429 डा० लाल बहादुर रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अलीगढ़-एटा राजमार्ग पर सिकन्दराराऊ के निकट पड़ी सैकड़ों एकड़ बंजर भूमि पर उद्योगों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां; तो क्या सरकार का विचार उद्योगपतियों को यह भूमि बिना मूल्य आवंटित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) इस समय केन्द्र सरकार के पास अलीगढ़-एटा राजमार्ग पर किसी उद्योग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । किसी विशिष्ट जिले/क्षेत्र का औद्योगीकरण करना मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है । केन्द्र सरकार लाइसेंस के मामले में प्राथमिकता, रियायती वित्त, आदि जैसे प्रोत्साहन देकर पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने में उनके प्रयासों में सहायता करती है ।

नयी विकास केन्द्र योजना के तहत उत्तर प्रदेश को आठ विकास केन्द्र आवंटित किए गए हैं जिनमें से गोरखपुर, जौनपुर, शाहजहांपुर, पौढ़ी गढ़वाल, झांसी, मुरादाबाद, इटावा और बुलंद शहर जिलों में एक-एक विकास केन्द्र स्थापित किया जायेगा । इन विकास केन्द्रों को बिजली, पानी, दूरसंचार और बैंकिंग जैसी पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कम्प्यूटर प्रोसेसिंग भाषा के रूप में संस्कृत

[अनुवाद]

*430. श्री सत्यदेव सिंह
प्रो० प्रेम धूमल } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमरीका में कम्प्यूटर वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 1985 में किए गए इन दावों के बाद कि कम्प्यूटर प्रोसेसिंग के लिए संस्कृत एक नियम-निष्ठ भाषा है और यह भाषा संकेताक्षरों की दृष्टि से कम्प्यूटर प्रोसेसिंग के लिए अत्यन्त उपयुक्त है, इस संबंध में सुनियोजित प्रयास करने के लिए सातवीं योजना अवधि के दौरान किए गए अध्ययनों और तैयार किए गए दृष्टिकोण पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में संस्कृत संस्थाओं का चयन करने, सुविधाएं देने, परियोजनाएं बनाने और इस निमित्त धन का आवंटन करने हेतु कौन सी विभिन्न योजनाएं हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में विदेशों में चल रही परियोजनाओं के लिए दिये जा रहे धन से यह राशि कम है अथवा अधिक ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) संस्कृत के संसाधन और विशेष रूप से पाणिनि के व्याकरण की अभिकलनीय प्रस्तुति तथा मशीनी अनुवाद के लिए पुणे स्थित उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) नामक इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अंतर्गत आने वाली एक स्वायत्त संस्था, में एक अन्वेषणात्मक परियोजना शुरू की गयी है । भाषा संबंधी कार्यकलापों

को उत्कृष्ट और सक्षम रूप से चलाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टी डी आई एल) कार्यक्रम के माध्यम से भाषा संस्थानों तथा कम्प्यूटर में निपुणता प्राप्त संगठनों को एक मंच पर ला रहा है । संस्कृत में सूचना संसाधन से संबंधित परियोजनाओं के लिए भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक पांच संस्थानों को चुना गया है । इन संस्थानों के नाम नीचे दिए गए है :—

(i) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

(ii) संस्कृत अनुसंधान अकादमी, मेलकोट ।

(iii) श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली ।

(iv) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति ।

(v) गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ।

भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टी डी आई एल) के समूचे कार्यक्रम के लिए कुल 17 करोड़ रुपये के बजट की योजना बनाई गई है ।

(ग) विश्वविद्यालयों में अनेक भारतीय विद्या विभाग, अनुसंधान संस्थान तथा विदेशी संगठन इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं । ऐसी परियोजनाओं को कुल मिलाकर कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, इसकी जानकारी नहीं है और इसलिए विदेशों में उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि के साथ कोई तुलना करना सम्भव नहीं है ।

राज्यों के लिए धन का आबंटन करने के मानदण्ड

*431. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग विभिन्न राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा और विकास के लिए धन का आबंटन करते समय किन "योजना" मानदण्डों को ध्यान में रखता है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र के लिए योजना और धन के आबंटन के मामले में इन मानदण्डों का पालन किया जा रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार क्या सुधारात्मक उपाय कर रही है या करने जा रही है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जिन मुख्य "योजना" मानदण्डों को ध्यान में रखा जाता है वे इस प्रकार हैं :—

(i) जनसंख्या का आकार,

(ii) प्रति व्यक्ति आय,

(iii) विशेष विकास समस्याएं इत्यादि । पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत पर्वतीय क्षेत्र उप-योजना का विशेष केन्द्रीय सहायता 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण की सामान्य प्रवृत्ति की तुलना में 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण के रूप में आवंटित की जाती है ।

(ख) और (ग) जी, हां । गढ़वाल क्षेत्र को राज्य योजना से निधियों के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है ।

नई औद्योगिक और व्यापार नीति का इलेक्ट्रानिक उद्योग पर प्रभाव

*432. श्री दत्तात्रेय बंडारू
श्री वीरेन्द्र सिंह } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आशा है कि औद्योगिक और व्यापार नीतियों में अपेक्षित परिवर्तनों का इलेक्ट्रानिक उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) औद्योगिक और व्यापार नीतियों में हाल ही में घोषित परिवर्तनों का समग्र राष्ट्रीय लक्ष्यों के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग पर भी काफी प्रभाव पड़ने की संभावना है । इन परिवर्तनों से भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में कार्य करने तथा विश्वस्तरीय स्पर्धा में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो गया । निम्नलिखित उपायों से उद्योग को सहायता मिलने की संभावना है :—

(1) समूचे इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को स्थापना-स्थल संबंधी सीमाओं से छूट देना, जो कि अन्य उद्योगों के मामलों में लागू होती हैं ।

(2) मनोरंजन इलेक्ट्रॉनिकी और सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी के उप-क्षेत्रों को छोड़कर, पूंजी-निवेश के स्तर के बारे में विचार किए बगैर, समूचे इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर देना ।

(3) प्रौद्योगिकी-अन्तरण, विपणन संबंधी विशेषज्ञता, आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकों और विदेशी व्यापारिक कम्पनियों के माध्यम से निर्यात के संवर्धन की नई संभावनाओं सहित 51% तक सीधी विदेशी साम्या-पूंजी (इक्विटी) की अनुमति प्रदान करना ।

(4) एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों के मामले में परिसम्पत्तियों की प्रारंभिक सीमा को समाप्त करने के लिए एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम में संशोधन करना ।

(5) नई परियोजनाओं के मामले में चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पी एम पी) की पद्धति को लागू नहीं किया जाएगा; लेकिन जिन वर्तमान परियोजनाओं में यह कार्यक्रम है, उनके मामले में यह पद्धति जारी रहेगी ।

(6) आयात प्रतिपूर्ति मशीनरी (एक्सिम स्क्रिप) द्वारा निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्राप्त करना ।

(7) आयकर अधिनियम में 80 एच एच ई नामक एक नई धारा जोड़कर सॉफ्टवेयर के निर्यातकर्ताओं को धारा 80 एच एच सी के अन्तर्गत छूट देना ।

(8) निर्यात संवर्धन क्षेत्र (ई० पी० जेड) योजना के अन्तर्गत घरेलू टैरिफ क्षेत्र में जिन वस्तुओं की बिक्री पर छूट दी गई है, उनपर लगने वाले उत्पादन शुल्क में कमी करना ।,

किन्तु, चूंकि इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में सामान्यतः आयात अधिक होता है और इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तेजी से परिवर्तित होती है अतः इस उद्योग में यदि प्रचालन संबंधी कोई समस्या पैदा होती है तो उद्योग के लाभप्रद विकास के लिए उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा

[हिन्दी]

*433. श्री लाईमन मरान्डी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डिन्डीगुल में फल प्रसंस्करण एकक की स्थापना

[अनुवाद]

*434. श्री सी० श्रीनिवासन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय के अभ्यावेदनों पर विचार किया है कि तमिलनाडु में डिन्डीगुल में, जहां अंगूर, केले आदि जैसे फल भारी मात्रा में होते हैं, एक फल प्रसंस्करण एकक स्थापित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को, डिन्डीगुल में फल प्रसंस्करण एकक स्थापित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उचित दर की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

[हिन्दी]

*435. श्री हरिकेवल प्रसाद
डा० सुधीर राय } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दर की दुकानों के माध्यम से करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहरी क्षेत्रों की तरह ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी उचित दर की दुकानें खोलने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो ये दुकानें कब तक खोल दी जाएँगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

केन्द्रीय सरकार द्वारा छः प्रमुख आवश्यक वस्तुएँ अर्थात गेहूँ, चावल, मिट्टी का तेल, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल तथा साफ्ट कोक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सप्लाई की जाती हैं, जो आगे उपभोक्ताओं में उनके वितरण का प्रबंध करती हैं । राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन स्वयं अपनी ओर से स्थानीय पसन्द को ध्यान में रखते हुए आम खपत की अतिरिक्त मदों को इस प्रणाली में शामिल करने को स्वतंत्र हैं ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने तथा सुप्रवाही बनाने का कार्य एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । केंद्रीय सरकार: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अन्य बातों के साथ-साथ यह सलाह देती रही है कि वे उन क्षेत्रों में जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्र नहीं है अथवा कम हैं, ऐसे बिक्री केन्द्र खोलें तथा दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में जब भी संभव हो मोबाइल वैनों का इस्तेमाल करें, आदि ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विदेशी पूंजी-निवेश

[अनुवाद]

*436. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को 51 प्रतिशत साधारण शेयर (इक्विटी) लेने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का पता लगा लिया गया है जिनमें विदेशी निवेश की अनुमति दिए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में पूंजी निवेश की अनुमति देने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रमों में उत्पादन में गिरावट आना

[हिन्दी]

*437. **प्रो० राजा सिंह रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी उपक्रमों में निरन्तर घाटा होने, उत्पादन में गिरावट आने और श्रमिक असंतोष होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इन समस्याओं की जांच के लिये सरकार द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(घ) नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत इन उपक्रमों को लाभकर बनाने और उनका उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने किन उपायों पर विचार किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) वर्ष 1981-82 के बाद से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कुल मिलाकर लाभ अर्जित कर रहे हैं तथा उनके उत्पादन-मूल्य में बढ़ोतरी हुई है । सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आमतौर पर कोई श्रमिक असंतोष नहीं है ।

(ख) तथा (ग) सुधार हेतु वित्तीय, उत्पादन-निष्पादन तथा श्रमिक मुद्दों का निरंतर परिवीक्षण किया जाता है । संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा उद्यम विशेष की आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई की जाती है । इस संबंध में किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपायों में वित्तीय, प्रबंधकीय एवं संगठनात्मक पुनर्गठन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कर्जा संरक्षण, आधुनिकीकरण आदि हैं । सरकारी उद्यमों को अधिकाधिक स्वायत्तता प्रदान करने एवं तदनुरूप दायित्व सौंपने के लिए तथा एक समझौते के आधार पर उनके कार्य-निष्पादन का विस्तृत मूल्यांकन करने के लिए, समझौता ज्ञापन की एक पद्धति लागू की जा रही है ताकि बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए उचित समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके ।

(घ) नई औद्योगिक नीति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड या इस उद्देश्य से गठित ऐसे ही अन्य उच्च स्तरीय संस्थाओं को सौंप दिया जाएगा जिन्हें पुन: आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाना संभव नहीं, ताकि उनके पुनर्नवीकरण/पुनर्स्थापन के संबंध में योजनाएं बनाई जा सके । पुनर्स्थापन संबंधी ऐसे उपायों से प्रभावित होने वाले श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र का गठन किया जाएगा । पारस्परिक बंधपत्रों, वित्तीय संस्थाओं, आम जनता तथा श्रमिकों के जरिए सरकारी उद्यमों की शेयरधारिता में जनता की व्यापक भागीदारी पर भी विचार किया जा रहा है ।

असम के स्वायत्त जिला परिषद् क्षेत्रों के लिए पर्वतीय उप-योजना

[अनुवाद]

*438. डा० जयन्त रंगपी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के स्वायत्त जिला परिषद् क्षेत्रों के लिए कोई पृथक पर्वतीय उपयोजना बनाई गई है जिसे जिला परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किए बिना ही अंतिम रूप दे दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त उप-योजना को स्वायत्त जिला परिषदों के कार्यकारी प्रमुखों से परामर्श करने के बाद ही अंतिम रूप देने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह पहले से ही किया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सड़कों का निर्माण

*439. श्री बलराज पासी
श्री महेश कुमार कनोडिया } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और 1991 में जून तक "विशेष समस्या वाले क्षेत्रों में सड़क निर्माण योजना" के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में सड़कों के निर्माण पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) उक्त राज्यों में किन-किन सड़कों तथा पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) "विशेष समस्या वाले क्षेत्रों में सड़क निर्माण योजना" के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण पर खर्च की गई राशि, जैसा कि राज्य सरकारों ने सूचित किया है, निम्नलिखित हैं :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश	राजस्थान
1988-89	1443.00	305.04	614.50
1989-90	780.00	166.33	529.86
1990-91	1030.00	86.55	166.17
1991-92 (जून, 1991 तक)	असूचित	15.47	29.17

(ख) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उन पुलों और सड़कों के नाम जहां कार्य प्रगति पर हैं, निम्नलिखित हैं :—

जिला	सड़क/पुल का नाम
उत्तर प्रदेश	
1. इटावा	1. फूफ-चौरेला सड़क
	2. लखना-सन्दौस सड़क
	3. औरंगा-जालौन सड़क पर शेरगढ़ घाट पर यमुना नदी पर पुल
	4. लाखंड-सन्दौस सड़क पर सहसोनघाट पर चम्बल नदी पर पुल

विवरण—जारी

जिला		सड़क/पुल का नाम
	5.	लखना-सन्दौस सड़क पर वेसोतीघाट पर यमुना नदी पर पुल
	6.	लखना-सन्दौस सड़क पर सन्दौस में क्वारी नदी पर पुल
	7.	बावली-परनघाट सड़क
	8.	कौंच-महेशपुर सड़क
	9.	पालीघाट सम्पर्क सड़क
	10.	जैपुरा बासवाड़ा-बराइस सड़क
	11.	बद्पुरा-अश्वघाट सड़क
	12.	गोहानी सम्पर्क सड़क
2. जालौन	1.	इटौरा-बबीना सड़क
	2.	सिकंदरपुर-स-भगवानपुरा सड़क
	3.	महानिवाबाद-नहर पटरी
	4.	लाहारकलां-लोहाई विबारा सड़क
	5.	सिरसाकलां-लाहारकलां सड़क
	6.	ऊंचागांव से ब्योना सड़क
	7.	बहादुरपुर-पतरोही सड़क
	8.	मवियानगांव-बीतामन
	9.	सरेठी-हुगी सड़क
	10.	कालपी-मदारीपुर से साहाल खुरहुमना सड़क
	11.	मरगोल-नैनापुर-मुस्तकिल सड़क
	12.	फरैचा-मदारी से मकरन्दपुर सिहोरिनस डांडपुर सड़क
	13.	कवौरा-एकोना सड़क
	14.	कस्मारा से आत्रघटी महेला सड़क
3. आगरा	1.	बाह-शिकोहाबाद सड़क पर नारंगीघाट पर यमुना नदी पर पुल
	2.	यमुना नदी तक शाहपुर से पारना
	3.	मनसुखपुरा से रेहाघाट सड़क
	4.	फतेहाबाद-फिरोजाबाद सड़क पर गंदे नाले पर पुल
	5.	आगरा-फतेहाबाद-मुरैना सड़क पर पिनाहाट घाट पर चम्बल नदी पर पुल
4. फर्रुखाबाद	1.	फर्रुखाबाद से नखासाचौकी कालडी धर्मपुर सड़क
	2.	मान दरवाजा शोमशाबाद वाया बेलसारा सड़क
	3.	श्रृंगीराम इब्राहिमपुर सड़क

विवरण—जारी

जिला	सड़क/पुल का नाम
	4. जसोदा कुसुम खोर सड़क
	5. नदेमे-इन्दरगढ़ सड़क
	6. सी० एस० बी० से सकटपुर हसनपुर सड़क
	7. सकरावा पालन अड्डा, किशनी बिहुना सड़क तक
	8. सी० एस० बी० से बेहटा रामपुर गरीडा विष्णुगढ़ सड़क
	9. अमृतपुर-फाबरपुर-सागरपुर करणपुर सड़क
	10. करमपुर से अल्लाहगंज सड़क
	11. जसमाई दराया से सिरोवली सड़क
	12. उमरदा-खैर नागकनास पटरी
	13. ठठियारो सुरसी वाया भानीरिया सड़क
	14. गुरशहर गंज से सुजानसरगंज से तेलीग्राम सड़क
	15. तिरवा झाठ वाया मकनुपुरता रोड से झाटना वाया मकनपुरतो सड़क से झाटना खैर नगर
	16. अमृतपुर से फकरपुर उधारी सागरपुर घाट-नगरियापुर सड़क पर सोता नाला पर पुल
5. बदायूं	1. उझाट से केरी कलां सड़क वाया कटारा बांस केशव नगला रामसी व रगाला सड़क
	2. पिशोलीर संगरपुर उघानी सड़क
	3. उसेहाट से कादर चौक वाया गलहीया झादना पट्टी जिखरी जकापुर सड़क
	4. हुसैनपुर-सहसवान सड़क
	5. दिल्ली बाजिरगंज सड़क वाया पुसगवा सड़क
	6. उझाट से करोरी घाट वाया कमला नगला
	7. जुनेमई से भाई हुसैनपुर पुकस्ता मार्ग वाया कवारी थापा वैश्य नगला सेकरा सड़क
	8. उझैतीया करणपुर सड़क वाया सावेराचानी सड़क
	9. बारामती-खेड़ा से सतागार नगर सड़क
	10. उसेहाट के निकट सोती नदी पर पुल
	11. खेचा कादर चौक सड़क पर पलिया नाला पर खुर्रीसोर नदी पर पुल
6. झांसी	1. रक्षा तंकाविया बेडोरा सड़क
	2. बंडाघाट रामनगर घाट सड़क
	3. सरूथारटो पनढोसी सड़क
	4. एरिच से काकेरवाई वाया देवरी सड़क

विवरण—जारी

जिला		सड़क/पुल का नाम
	5.	गठोरा लहचूरा वाया मोती कटरा सड़क
	6.	तोहागढ़ आईशा सड़क
	7.	रक्षा अम्बा सड़क
	8.	डोमागोला टकोली गवारा सड़क
	9.	अम्बाबुई ऐसाघर सड़क
	10.	अम्बाबुई से गेबरा वाया सिनेहरा सड़क
	11.	ऐसागढ़ से माबईगिर्द सड़क
	12.	राष्ट्रीय राजमार्ग से ठाकुरपुरा सुकवन वाया लेहार ठाकुरपुरा सिमेरिया सड़क
	13.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 से हीरापुर, बुधपुरा वाया खारी सवाश्राली सड़क
	14.	रानीपुर से निवाड़ी सड़क
	15.	अम्बाबुई ऐसागढ़ सड़क पर पुल तथा पहुंच मार्गों का निर्माण
	16.	लुहाचुरा भण्डारा सड़क
	17.	घुरारा वाया बीरा घोरा
	18.	भिटोरी-अमनपुर सड़क
	19.	घाटकोटरा-भानपुरा वाया खोकोरा
7. बांदा	1.	मनकीकपुर-काहिलपुरा सड़क
	2.	बांदा-हमीरपुर-अशोक सड़क उजरेचटिया मारोल सड़क
	3.	मोहनपुरवा गोयारा-मुगली सड़क
	4.	झांसी-मीरापुरा सड़क से मैना-अरबाई गुरच सड़क
	5.	खसेजा-मोहित गोखरल परैदा गजना धित्तौरा सिंढोली खेड़ा
	6.	बांदा दिशान्दा सड़क से देपतरा खेरिया कुशा
8. मैनपुरी	1.	कोराबली अलूपपुर लेहरा अनुखेड़ा सड़क
	2.	औंछा दुल्लाहरपुर वाया बाल्बपुर शहदपुर सड़क
	3.	चिब्रामन किस्मी वाया रामनगर
	4.	मैनपुरी कुस्मसारा वाया एण्टीनगंज
	5.	नबीगंज-जसमाल-भडहई
	6.	कुसमारा रामनगर सड़क
9. फिरोजाबाद	1.	जसरामा से आइमई प्रतापपुर हथबाल कोटला
	2.	मलखानपुर से नसीरपुरा सड़क
	3.	कठोसीमई मादोखेड़ा सड़क

विवरण—जारी

जिला		सड़क/पुल का नाम
10. कानपुर देहात	1.	राजपुर-महासेढ़ी सोजा रामपुर देहुरई सड़क
	2.	कानपुर इटावा सड़क से सकोटी गोहानी
	3.	उमरपुर से खेजामक सड़क
	4.	माल से बिचौरा सड़क
11. ललितपुर	1.	जखौरा से मेहावाड़ा मरौरा कचौरा-खिसलवास चमस्वा सड़क
	2.	देवगढ़-रामपुर-वोडजारी-भारा-पीपारहा-मासोह-मोवारी-देवारस रोड
12. एटा	1.	घातिगरा-सोरूफ-वाया आखोरातीपुर सड़क
	2.	अल्लराव-कुरावाटी सड़क
	3.	जट्ठरा-कुरौली सड़क से सरोठ
	4.	सरोठ आगाहाट घतिगरा सड़क का बकाया हिस्सा
	5.	धुमरी रूपधानी धतुंगरा सड़क का बकाया हिस्सा
	6.	रूपधानी-खाटपुर तारागांव सड़क
	7.	सकिट मालवान शहर
	8.	धर्मपुरा-नगलाबौर सड़क
मध्य प्रदेश		
1. ग्वालियर	1.	रंगावन जिगनिया नकारटाल सुझार सड़क
	2.	डांडा खिरक टिगारा सड़क
	3.	गिजोरा देवगढ़ सड़क
2. भिंड जिला	1.	भरोली अमायन सड़क
	2.	खजूरी डबोह सड़क
	3.	सियोंधा पंडरी लेहानगुर सन्दोल सड़क
3. शिवपुरी	1.	गोवर्धन उमरी रोड
	2.	बैराड़ धोरिया वाया जरिया गाजीगढ़ सड़क
4. दमोह जिला	1.	राजपुरा सिलापुरी बाजना सड़क
	2.	चौराया शाहगढ़ सड़क
	3.	केरबाना बम्बोरी सड़क
5. मुरैना	1.	बरगावान पालपुर सड़क
	2.	निरार पहाड़गढ़ सड़क
6. छतरपुर	1.	किशनगढ़ पालकुआं सड़क

विवरण—जारी

जिला	सड़क/पुल का नाम
राजस्थान	
1. धौलपुर	1. बसई डांग से नगर
	2. सरमथुरा से सोना का गुर्जा
	3. सेवारपली से सोना का गुर्जा
	4. गजपुरा से बसई डांग
	5. चन्देलीपुरा से सरमथुरा
	6. बसई डांग से बड़पुरा
	7. नगर से सेहरोन
	8. सेहरोन से मेरोली
	9. मचकुण्ड से मेरोली
	10. धोलपुर से मामरौली
	11. मामरौली से मेसाना
	12. मेसाना से कुठियाना
	13. राजाखेड़ा से सोमना
	14. राजाखेड़ा से सिलवट
	15. कुठियाना से चिलपुरा
	16. मच्छाव से बसईकेर
	17. बिझोली से अघुरवपुरानी
	18. चिलपुरा से बसईकेर
2. सवाई माधोपुर	1. चन्देलीपुरा से औंध
	2. मांडराइल से औंध
	3. चम्बल नदी पर पुल
	4. करणपुर से रोनघाई
	5. रोनघाई से मांडराइल
	6. औंध से मोमपुरा
	7. चन्देलीपुरा से सरमथुरा
	8. कैलादेवी से करणपुर
	9. लांगड़ा से कैलादेवी
	10. चन्देलीपुरा से तीन पोखर
	11. ताला-सिलोट
	12. कटरी से गढोली
	13. लांगड़ा से रोनघाई वाया कालाखोर्ट
	14. बालेर से उटगीर
	15. उटगीर से करणपुर

कम्प्यूटरों के उत्पादन में कमी

*440. श्रीमती आसवराजेश्वरी
श्रीमती वसुन्धरा राजे } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 में लघु, अति लघु और व्यक्तिगत कम्प्यूटरों (पर्सनल कम्प्यूटर्स) के उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठा रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं । मिनी कम्प्यूटरों/माइक्रो कम्प्यूटरों तथा वैयक्तिक कम्प्यूटरों का उत्पादन वर्ष 1989-90 में 90,900 से बढ़कर वर्ष 1990-91 में 95,750 हो गया है ।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठता ।

केंद्रीय भंडार और सुपर बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के अलग-अलग भाव

[हिन्दी]

*441. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय भंडार, दिल्ली प्रशासन की चलती-फिरती दुकानों तथा सुपर बाजार के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं के भावों में कोई अंतर रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक ही कम्पनी की कुछ वस्तुएं इन तीनों एजेंसियों द्वारा अलग-अलग भावों पर बेची जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा दिल्ली प्रशासन की चलती-फिरती दुकानों की कुछ वस्तुएं कम मूल्यों पर बेचने के लिए कुछ राज-सहायता दी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) जी, हां । अलग-अलग अभिकरणों द्वारा अमल में लाई जाने वाली व्यापार पद्धतियों के कारण सुपर बाजार, केंद्रीय भंडार, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और दिल्ली सहकारी थोक भंडार लि० द्वारा बेची जाने वाली एक ही कम्पनी की कुछ मदों की दरों में कभी-कभी कुछ अंतर होता है । मूल्यों में अंतर समय-समय पर संबंधित कम्पनी अथवा उनके अधिकृत वितरकों/स्टाकधारियों से समय-समय पर की गई खरीद की तारीख पर निर्भर करता है । किसी कम्पनी द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की बाजार दरों में बार-बार परिवर्तन की वजह से इन संस्थाओं को माल खरीदे जाने की तारीख को प्रचलित मूल्य और साथ ही ऊपरी खर्चों में घटबढ़ के आधार पर मूल्य नियत करना पड़ता है । उपर्युक्त कारणों से किसी कम्पनी की कुछ मदों की बिक्री दरों में सामान्य-सा अंतर होता है ।

(घ) जी, नहीं ।

मेसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी में मजूरी में संशोधन

[अनुवाद]

*442. श्री ढाराधन राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के अंतर्गत कार्य कर रही मेसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी के रिफ्रैक्टरी तथा सेरेमिक ग्रुप के कर्मकारों के बारे में मजूरी संबंधी समझौता पिछली बार किस तारीख को किया गया था;

(ख) क्या कर्मकारों ने मजूरी में संशोधन आदि के बारे में संयुक्त रूप से और अलग-अलग मांग पत्र प्रस्तुत किए थे;

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले को कब तक तय किए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तथा (घ) लगातार हानियों और वित्तीय व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए कंपनी घाटा उठाने वाले इन रिफ्रैक्टरी तथा सेरेमिक एककों का मजदूरी संशोधन तब तक करने की स्थिति में नहीं है जब तक कि इनकी वित्तीय स्थिति में सुधार न हो जाए ।

विवरण

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की सहायिका मेसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के रिफ्रैक्टरी एककों के संबंध में पिछले मजदूरी समझौते की तारीखें :—

(1)	रानीगंज समूह के कारखाने	—	24-10-1979
(2)	गुलफरबाड़ी कारखाने	—	24-10-1979
(3)	निवाड़ कारखाने	—	11-9-1979
(4)	जबलपुर कारखाने	—	22-9-1979
(5)	सेलम कारखाने	—	
	(क) दिहाड़ी के कामगार	—	19-10-1990
	(ख) मासिक वेतन वाले कर्मचारी	—	16-4-1991

राशन डिपुओं को खाद्यान्नों की सप्लाई

[हिन्दी]

*443. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास इस समय खाद्यान्न का कुल कितना भंडार है;

(ख) क्या बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार का प्रस्ताव राशन के डिपुओं को अधिक मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास पहली जुलाई, 1991 को स्थिति के अनुसार 19.8 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक था ।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों को खाद्यान्नों के आवंटन उनसे प्राप्त हुई आवश्यकताओं पर विधिवत् विचार करने के बाद प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए संयुक्त उपक्रम

[अनुवाद]

*444. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य में लगी एवं शत प्रतिशत निर्यात करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय किये गए हैं;

(ख) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने हेतु संयुक्त उपक्रम की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य में लगी एवं शत-प्रतिशत निर्यात करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इकाइयों को दिये जा रहे कुछ लाभ इस प्रकार हैं :—

(1) पूंजीगत वस्तुओं (बड़ी मशीनरी) संघटकों, कच्चे माल, कल-पुर्जों, उपभोज्य वस्तुओं, कार्यालय उपस्करों और सामग्री रखने वाले उपस्करों के आयात पर आयात-शुल्क की छूट दी गई है ।

(2) देश में निर्मित मशीनरी संघटक और कच्चे माल पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की छूट दी गई है ।

(3) 5% तक (या ऐसा प्रतिशत जो सरकार द्वारा नियत किया जाए) अस्वीकृत माल, आयातित निवेशों पर आयात-शुल्क की तथा स्वदेशी निवेशों और अस्वीकृत माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अदायगी कर घरेलू सीमा-शुल्क क्षेत्र में बेचा जा सकता है ।

(4) शत-प्रतिशत निर्यात करने वाली इकाई घरेलू बाजार में अपने उत्पादन का 25% भाग बेच सकती है बशर्ते कि उसके पास लाइसेंस हो और उसने आयात-शुल्क की अदायगी कर दी हो ।

(5) घरेलू सीमा-शुल्क क्षेत्र में इकाइयों द्वारा शत-प्रतिशत निर्यात करने वाली इकाई को सप्लाई किए गए माल पर केन्द्रीय बिक्री कर अदा करने पर छूट दी गई है ।

(6) शत-प्रतिशत निर्यात करने वाली इकाई के तैयार उत्पाद पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट दी गई है।

(7) शत-प्रतिशत निर्यात करने वाली इकाई को कच्चे माल, विद्युत, विदेशी मुद्रा अदायगी की स्वीकृति, बड़ी मशीनरी के आयात आदि से संबंधित मामलों में प्राथमिकता मिलेगी।

(8) वाणिज्य मंत्रालय ने दिनांक 24-1-91 के आदेश संख्या 3/157/90-ई० पी० सी० के द्वारा शत-प्रतिशत निर्यात करने वाली इकाइयों को तीसरी पार्टी को निर्यात करने की अनुमति दी है।

(ख) और (ग) दिनांक 10-8-91 की स्थिति के अनुसार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने हेतु संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने के लिए 10 प्रस्ताव लंबित पड़े हैं। इनमें से सात प्रस्ताव गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से "संबंधित सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति" के विचाराधीन हैं। शेष तीन प्रस्ताव अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं। अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके इन्हें शीघ्र स्वीकृति देने संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा आवश्यक वस्तुओं का आबंटन

*445. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारतीय खाद्य निगम और अन्य एजेंसियों द्वारा विभिन्न राज्यों को चीनी, खाद्यान्न, खाद्य तेलों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के किए गए आबंटनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : विवरण-I तथा विवरण-II संलग्न हैं।

विवरण I

वर्ष 1991 में (अगस्त, 1991 तक) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए गए गेहूं, चावल, खाद्य तेलों, मिट्टी के तेल, चीनी का राज्यवार आबंटन

(आंकड़े हजार मी० टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं	चावल	चीनी	खाद्य तेल	मिट्टी का तेल
	आबंटन	आबंटन	आबंटन	आबंटन	आबंटन
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	260.00	1578.00	202.25	3.85	382.35
अरूणाचल प्रदेश	7.20	75.40	2.51	0.10	6.22
असम	225.00	297.40	76.94	0.55	162.99
बिहार	378.00	71.00	267.67	2.50	309.40
गोवा	31.00	35.00	4.00	1.20	17.46
गुजरात	685.00	203.00	129.55	7.20	514.45

विवरण I—क्रमागत

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं	चावल	चीनी	खाद्य तेल	मिट्टी का तेल
	आबंटन	आबंटन	आबंटन	आबंटन	आबंटन
1	2	3	4	5	6
हरियाणा	160.00	25.00	51.09	1.30	99.43
हिमाचल प्रदेश	88.00	52.65	16.15	2.25	23.34
जम्मू तथा कश्मीर	160.00	293.50	23.07	1.30	42.55
कर्नाटक	340.00	389.00	142.15	4.26	290.47
केरल	225.00	1160.00	95.62	3.46	173.04
मध्य प्रदेश	350.00	185.00	200.25	4.50	252.70
महाराष्ट्र	920.00	367.00	239.50	10.60	970.21
मणिपुर	24.00	59.00	5.55	0.40	13.54
मेघालय	20.00	82.50	5.30	0.60	9.92
मिजोरम	10.00	69.00	2.09	1.20	4.06
नागालैण्ड	52.25	94.00	3.41	1.80	6.78
उड़ीसा	231.00	195.00	99.14	2.92	101.69
पंजाब	110.00	12.50	63.56	1.40	209.95
राजस्थान	665.00	26.60	135.31	1.74	173.41
सिक्किम	4.80	37.00	1.32	0.40	4.67
तमिलनाडु	240.00	610.48	180.38	3.58	429.91
त्रिपुरा	20.00	115.80	8.01	0.40	13.79
उत्तर प्रदेश	560.90	225.00	423.41	4.00	597.97
पश्चिम बंगाल	760.00	539.00	207.10	6.60	487.96
अंडमान व निकोबार	6.30	13.50	1.98	0.60	2.33
चंडीगढ़	19.20	4.80	2.98	0.20	13.53
दादरा व नगर हवेली	1.60	4.50	0.41	0.18	1.87
दमन व दीव	1.20	4.15	0.31	0.27	1.96
दिल्ली	588.00	167.00	69.77	3.50	155.59
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.57	0.21	0.60
पांडिचेरी	6.00	17.00	3.20	0.40	9.49
योग :	7149.45	7008.78	2664.55	73.48	5483.62

विवरण II

वर्ष 1990 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए गए गेहूं, चावल, खाद्य तेलों, मिट्टी के तेल व चीनी का राज्यवार आबंटन

(आंकड़े हजार मी० टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं	चावल	चीनी	खाद्य तेल	मिट्टी का तेल
	आबंटन	आबंटन	आबंटन	आबंटन	आबंटन
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	280.00	1330.00	310.99	48.35	582.56
अरूणाचल प्रदेश	9.60	92.00	3.86	0.89	9.93
असम	200.00	430.50	118.30	2.50	246.03
बिहार	512.00	117.00	411.59	10.80	470.35
गोवा	46.50	48.90	6.15	7.35	26.96
गुजरात	725.00	330.00	199.21	30.45	777.65
हरियाणा	120.00	35.40	78.56	7.45	151.04
हिमाचल प्रदेश	120.00	78.00	24.84	9.30	36.42
जम्मू तथा कश्मीर	250.00	410.00	35.48	6.60	65.53
कर्नाटक	320.00	598.00	218.58	48.45	441.75
केरल	240.00	1575.00	61.56	41.50	263.39
मध्य प्रदेश	360.00	290.00	307.91	38.00	379.18
महाराष्ट्र	1165.00	569.50	368.27	133.50	1474.74
मणिपुर	36.00	84.00	8.54	2.53	20.53
मेघालय	26.40	114.90	8.14	2.10	15.10
मिजोरम	15.00	90.00	3.21	3.25	7.01
नागालैण्ड	76.75	113.25	5.24	3.60	9.98
उड़ीसा	295.00	267.50	152.45	24.60	157.44
पंजाब	60.00	17.70	97.73	4.50	317.22
राजस्थान	840.10	38.40	208.06	10.00	263.70
सिक्किम	6.10	54.00	2.03	1.35	7.54
तमिलनाडु	360.00	736.80	277.35	51.30	651.04
त्रिपुरा	30.00	169.20	12.31	2.30	21.12
उत्तर प्रदेश	600.00	386.00	651.05	16.55	907.89
पश्चिम बंगाल	1080.00	854.00	318.45	65.10	734.14
अंडमान व निकोबार	8.40	18.00	3.04	2.35	3.85
चंडीगढ़	21.60	4.80	4.58	0.74	20.78
दादरा व नगर हवेली	1.40	6.00	0.63	0.68	3.14
दमन व दीव	1.80	5.40	0.48	1.24	2.92
दिल्ली	840.00	240.00	102.84	18.15	236.93

विवरण II—समाप्त

1	2	3	4	5	6
लक्षद्वीप	0.10	5.50	0.87	0.35	0.87
पांडिचेरी	5.50	24.00	4.46	6.45	14.58
योग :	8652.25	9133.75	4006.77	652.28	8321.32

विवरण III

वर्ष 1989 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए गए गेहूं, चावल, खाद्य तेलों, मिट्टी के तेल व चीनी का राज्यवार आबंटन

(आंकड़े हजार मी० टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं	चावल	चीनी	खाद्य तेल	मिट्टी का तेल
	आबंटन	आबंटन	आबंटन	आबंटन	आबंटन
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	136.00	850.00	310.99	16.50	550.77
अरूणाचल प्रदेश	11.88	87.90	3.86	0.55	9.59
असम	191.50	420.00	118.30	1.40	235.49
बिहार	675.00	150.00	411.59	4.76	454.34
गोवा	24.64	47.10	6.15	4.30	25.55
गुजरात	750.00	350.00	199.21	24.15	729.89
हरियाणा	291.00	30.00	78.56	2.30	142.58
हिमाचल प्रदेश	131.00	78.00	24.84	6.65	35.52
जम्मू व कश्मीर	247.00	245.00	35.48	8.78	66.03
कर्नाटक	231.50	510.00	218.58	19.85	420.71
केरल	211.50	1270.00	147.04	31.80	251.25
मध्य प्रदेश	392.10	310.00	307.91	23.80	362.96
महाराष्ट्र	1219.50	675.00	368.27	100.90	1415.84
मणिपुर	27.20	78.00	8.54	2.53	20.11
मेघालय	25.40	116.00	8.14	1.66	15.57
मिजोरम	13.30	90.00	3.21	3.05	6.62
नागालैण्ड	58.20	88.00	5.24	4.21	9.91
उड़ीसा	257.00	312.50	152.45	6.06	150.31

विवरण III—समाप्त

1	2	3	4	6	5
पंजाब	61.75	15.00	97.73	2.45	300.45
राजस्थान	790.00	39.20	208.06	2.70	251.16
सिक्किम	5.85	54.00	2.03	1.06	7.07
तमिलनाडु	363.00	605.00	277.35	24.50	623.57
त्रिपुरा	30.30	151.63	12.31	1.24	20.84
उत्तर प्रदेश	715.50	405.00	651.05	5.60	881.07
पश्चिम बंगाल	995.50	810.00	318.45	64.70	698.56
अंडमान व निकोबार	9.80	19.50	3.04	1.55	3.82
चंडीगढ़	24.20	5.00	4.58	0.72	19.68
दादरा व नगर हवेली	1.22	6.00	0.63	0.47	2.94
दमन व दीव	1.87	5.45	0.48	0.80	2.81
दिल्ली	685.00	260.00	94.58	17.25	224.39
लक्षद्वीप	0.10	5.50	0.87	0.43	0.82
पांडिचेरी	3.02	25.00	3.59	5.05	13.97
योग :	8580.83	8113.78	4083.11	391.77	7954.18

आदिवासी लोगों को सप्लाई किए जाने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य

[हिंदी]

*446. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के आदिवासियों और निर्धन पिछड़े लोगों को सप्लाई किए जा रहे नमक और खाद्य तेल जैसे खाद्य-पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) सरकार द्वारा नमक पर मूल्य नियंत्रण लागू नहीं किया गया है । आयातित खाद्य तेल के मूल्यों में वृद्धि करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गुरू जल संयंत्र

3009. **श्री दाऊ दयाल जोशी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के क्या नाम है जहां गुरू जल संयंत्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का गुरू जल की मांग को देखते हुए अन्य स्थानों पर और संयंत्र लगाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां ऐसे संयंत्र लगाये जायेंगे और कब; और

(घ) इन संयंत्रों की स्थापना में कितना खर्च होगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भारी पानी संयंत्र निम्नलिखित स्थानों पर कार्य कर रहे हैं :—

(1) तमिलनाडु में तूतीकोरिन

(2) गुजरात में बड़ौदा

(3) गुजरात में हज़ीरा

(4) महाराष्ट्र में थाल

(5) उड़ीसा में तलचर

(6) राजस्थान में कोटा

(7) आंध्र प्रदेश में मानुगुरू

(8) पंजाब में नांगल ।

(ख) अतिरिक्त भारी पानी संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता बिजली संबंधी कार्यक्रम के आकार और उन वित्तीय साधनों पर, जो भविष्य की पंचवर्षीय योजनाओं में उपलब्ध कराए जाएंगे, निर्भर करेगी ।

(ग) आवश्यक अतिरिक्त भारी पानी संयंत्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों का पता तकनीकी पहलुओं के आधार पर पहले ही लगाया जा चुका है । चूंकि पंचवर्षीय योजना के आकार को अभी अंतिम रूप दिया जाना है इसलिए इन स्थलों में से किसी भी स्थल के बारे में अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है ।

(घ) अनुमानित लागत भारी पानी संयंत्र की प्रक्रिया और क्षमता पर निर्भर करेगी जो स्थापित किए जाएंगे ।

बिहार की पेय जल योजनाओं को स्वीकृति

3010. **श्री ललित उरांव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने कुछ पेय जल योजनायें केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक योजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जाएगी; और

(घ) उक्त योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) बिहार राज्य सरकार ने— (क) धनबाद के खनन क्षेत्र की लगभग 60,000 ग्रामीण जनसंख्या (1981 की जनगणना) को लाभ पहुँचाने के लिए निरसा तथा इसके आस-पास के गांवों, तथा (ख) उत्तरी बिहार के पेय जल में लौह की अधिकता की समस्या वाले 7 जिलों में पेय जल सप्लाई योजनाओं के लिए द्विपक्षीय सहायता हेतु दो प्रस्ताव भेजे हैं ।

(ग) दोनों परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत क्रमश: 7.279 करोड़ रुपये तथा 109.50 करोड़ रुपये है ।

(घ) राज्य सरकार से परियोजनाओं के तकनीकी अनुमोदन के लिए कुछेक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । परियोजनाओं को अनुमोदन हेतु योजना आयोग को भी भेजा गया है ।

आणविक प्रदूषण

3011. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य पर आणविक प्रदूषण के खतरनाक प्रभाव को देखते हुए सरकार का कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में परमाणु संयंत्रों की समय-समय पर कोई जाँच करायी जाती है;

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन परमाणु संयंत्रों की जाँच की गयी है उनके नाम क्या हैं और उनके दोषों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि परमाणु विद्युत संयंत्रों के प्रचालन के परिणामस्वरूप कोई प्रदूषण न हो अथवा जनसाधारण पर कोई हानिकर प्रभाव न पड़े, परमाणु विद्युत संयंत्रों के लिए स्थल के चयन से लेकर, उनका डिजायन तैयार करने और उनका निर्माण करने की अवस्था तक, तथा उनके प्रचालन के दौरान भी सभी आवश्यक कदम उठाए हैं । विकिरण की संरक्षा मानकों को अपनाने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर परमाणु विकिरण से पड़ सकने वाले हानिकर प्रभाव की संभावना खत्म हो जाती है । इन मानकों को वैज्ञानिक खोजों तथा अंतर्राष्ट्रीय विकिरण संरक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर आवधिक रूप से अद्यतन बनाया जाता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) स्वास्थ्य भौतिकी दलों द्वारा सुरक्षा के संबंध में लगातार निगरानी रखने तथा विकिरण को मॉनीटर करने के अतिरिक्त प्रत्येक परमाणु विद्युत संयंत्र का एक वर्ष में लगभग दो बार विनियमन की दृष्टि से निरीक्षण किया जाता है । परमाणु विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के संबंध में निरीक्षण दल द्वारा की गई टिप्पणियां और सिफारिशें संयंत्र के प्रबंधकों को उन्हें समय से कार्यान्वित करने की शर्त के साथ भेज दी जाती हैं ।

(घ) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

बीड़ी का उत्पादन

[अनुवाद]

3012. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार प्रतिवर्ष बीड़ी का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) प्रमुख तेंदु पत्ता उत्पादक राज्यों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार इनका वार्षिक उत्पादन कितना हुआ और

(ग) बीड़ी उद्योग में राज्य-वार कितने व्यक्ति हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार इस प्रकार की विस्तृत सूचना नहीं रखती है ।

विवाचन बोर्ड द्वारा दिए गए पंचाट

3013. **श्री रमेश चन्द तोमर**
श्री चेतन पी० एस० चौहान } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों के संबंध में विवाचन बोर्ड द्वारा दिए गए उन पंचाटों का ब्यौरा क्या है जो सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) ये कब से लम्बित पड़े हैं और उन्हें कार्यान्वित न किए जाने तथा लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इनके कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सरकार के पास लम्बित विवाचन बोर्ड द्वारा दिये गये पंचाटो के ब्यौरे

क्रम सं०	सी. ए. संदर्भ संख्या	विषय वस्तु	पंचाट की तारीख जिस तारीख से लंबित पड़ा है ।	कार्यान्वित न किये जाने तथा लंबित पड़े रहने के कारण
1	2	3	4	5
1	6/81	समयोपरि भत्ते के लिए 750/-रु० प्रति माह से 900/-रुपये तक ऊपरी वेतन सीमा बढ़ाया जाना	18-10-82	पहले 1987 में इस निर्णय को रद्द कर लिए जाने का निर्णय लिया गया था और इस संबंध में संसद के दोनों सदनों के सभा पटलों पर उपयुक्त विवरण प्रस्तत

विवरण—जारी

1	2	3	4	5
				कर दिये गये थे जिनमें उक्त निर्णय को रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया । तथापि चूंकि ऐसा कोई संकल्प नही लाया गया है जिसमें इस निर्णय को रद्द करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया हो अत: पहले प्रस्ताव की पुनरीक्षा करने का ही निर्णय किया गया । यह मामला समीक्षाधीन है ।
2.	80 का 9(क)	डाक विभाग तथा दूर-संचार विभाग में प्रचालन स्टाफ के कार्य के घण्टे तथा समयोपरि भत्ते आदि का भुगतान	21-2-83	पहले 1988 में इस पंचाट को रद्द करने का निर्णय लिया गया था और इस संबंध में संसद के दोनों सदनों के सभा पटलों पर उपयुक्त विवरण प्रस्तुत कर दिये गये थें । जिनमें उक्त निर्णय को रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया । तथापि चूंकि ऐसा कोई संकल्प प्रस्तावित नहीं किया गया जिसमें इस निर्णय को रद्द करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया हो अत: पहले प्रस्ताव की पुनरीक्षा करने का ही निर्णय किया गया । यह मामला समीक्षाधीन है ।
3.	1/86	अधिवर्षिता के समय अर्ध-वेतन छुट्टी का नगदीकरण	19-12-86	पहले 1987 में इस पंचाट को रद्द करने का निर्णय किया गया था और इस संबंध में संसद के दोनों सदनों के सभा पटलों पर उपयुक्त विवरण प्रस्तुत कर दिए गए थे जिनमें उक्त निर्णय को रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया । तथापि चूंकि ऐसा कोई संकल्प प्रस्तावित नही किया गया जिसमें इस निर्णय को रद्द करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया हो । अत: पहले प्रस्ताव की पुनरीक्षा करने का ही निर्णय किया गया । यह मामला समीक्षाधीन है ।
4.	3/86	सेवा काल के दौरान अर्जित छुट्टी का नगदीकरण	31-3-89	पंचाट पर विचार किया जा रहा है ।

विवरण—समाप्त

1	2	3	4	5
5.	1/88	केन्द्रीय सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए 30 रुपये प्रति माह के दर से वाहन भत्ते की मंजूरी ।	15-12-89	इस निर्णय को रद्द करने का फैसला किया गया है । विवरण 30/31 अगस्त, 1990 को सभा पटलों पर रख दिये गये हैं । इस निर्णय को रद्द करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संसद में एक संकल्प प्रस्तुत किया जाना है
6.	3/87	ए०एस०सी०यू० यूनिटों/ डिपुओं के चतुर्थ श्रेणी के अर्ध कुशल कर्मचारियों के कुछ वर्गों के लिए विशेष वेतन का भुगतान ।	26-10-90	विचाराधीन है ।
7	1/90	डाक विभाग में रोकड़ियों के काम करनेवाले उप-डाकपालों को विशेष वेतन की मंजूरी ।	7-3-91	विचाराधीन है ।
8.	2/90	सी०डब्ल्यू०ई०(पी), पोर्ट ब्लेयर के कर्मचारियों की 1967 से 1978 तक की सेवा को नियमित करना जिन्होंने टास्क फोर्स कर्मचारियों के रूप में सेवा की है ।	14-3-91	विचाराधीन है ।
9.	2/89	औद्योगिक कर्मचारियों के लिए छुट्टी हकदारी का उदारीकरण	26-4-91	विचाराधीन है ।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० का नवीकरण

3014. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड के दुर्गापुर यूनिट का नवीकरण करने हेतु सरकार द्वारा नियुक्त की गई परामर्शदात्री फर्म से प्राप्त प्रस्तावों को इस बीच स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1988 में परामर्शदाताओं ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन के चालू एककों (नामरूप-III को छोड़कर) के पुनरूद्धार) पुनर्वास की सिफारिश की थी । दुर्गापुर एकक के लिए अन्तर्ग्रस्त लागत 171.30 करोड़ रु० थी, जिसे फरवरी, 1990 में संशोधित करके 213.51 करोड़ बनाया गया । चूंकि इसमें अति बृहत निवेश अन्तर्ग्रस्त था, इसलिए कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया ।

नासिक में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र

3015. **डा० वसंत पवार** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नासिक में आकाशवाणी और दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह आकाशवाणी और दूरदर्शन रिले केन्द्र कब तक स्थापित हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) नासिक में एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर पहले ही कार्य कर रहा है । वर्ष 1991-92 के दौरान नासिक में एक स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थापित करने की भी योजना है ।

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन

3016. **श्री अमल दत्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन क्या है:

(ख) उक्त बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन और सदस्य कौन हैं और किस प्रक्रिया से और किसके द्वारा उनका चयन हुआ है:

(ग) परमाणु ऊर्जा आयोग या सरकार के प्रभावों से बोर्ड की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है; और

(घ) बोर्ड के अधीन/अनन्य नियंत्रण में कौनसा ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से इसका कार्य किया जाता है साथ ही तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भारत सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के निबंधन में अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए कुछ नियामक और सुरक्षा संबंधी कार्यों को करने के लिए की गई है । इस बोर्ड में पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य हैं । बोर्ड के एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा एक पूर्णकालिक सदस्य-सचिव हैं । अध्यक्ष और सदस्य-सचिव को मिलाकर सदस्यों की कुल संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए । परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रति उत्तरदायी है । बोर्ड का गठन, शक्तियां और कार्य सरकार ने 15 नवम्बर, 1983 को अधिसूचित किए थे ।

(ख) इस समय बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य निम्नलिखित है :

1. श्री एस० डी० सोमन	अध्यक्ष
2. डा० आर० डी० लेले, चिकित्सा निदेशक, जसलोक अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, बम्बई.	सदस्य
3. डा० एस० एस० रामास्वामी, सेवानिवृत्त महानिदेशक, कारखाना परामर्श सेवा एवं श्रम संस्थान, बम्बई.	सदस्य
4. डा० ए० गोपालकृष्णन, निदेशक, केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर.	सदस्य
5. श्री एम० एस० आर० शर्मा, अध्यक्ष, काम कर रहे संयंत्रों संबंधी सुरक्षा समीक्षा समिति, बम्बई.	पदेन सदस्य

परमाणु ऊर्जा आयोग नामों की सूची में से बोर्ड के अध्यक्ष के लिए सिफारिश करता है । इसके बाद आयोग की सिफारिश पर सरकार विचार करती है और अंत में मंत्रिमंडल की नियुक्तियों संबंधी समिति इसे अनुमोदित करती है । बोर्ड के सदस्यों के संबंध में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष सरकार के अनुमोदन के लिए सिफारिश करते हैं । उनकी नियुक्ति इस क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता और उनकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा के आधार पर की जाती है ।

(ग) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड परमाणु ऊर्जा आयोग को रिपोर्ट करता है तथा परमाणु ऊर्जा विभाग से स्वतंत्र है । इसके सदस्य सुरक्षा से सम्बद्ध विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं । उनमें से तीन सदस्य परमाणु ऊर्जा आयोग के कार्यकलापों से नहीं जुड़े हुए हैं । इससे बोर्ड का स्वतंत्र रूप से कार्य करना सुनिश्चित होता है ।

(घ) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के स्टाफ में 40 वैज्ञानिक/अभियंता हैं । इसका अपना प्रशासनिक ढाँचा है । यह अपने कार्य विभिन्न सलाहकार समितियों के माध्यम से करता है जिसके लिए शैक्षिक संस्थानों और परामर्शदाताओं से भी विशेषज्ञता प्राप्त की जाती है ।

बिहार में बन्द पड़े उद्योग

[हिन्दी]

3017. **श्री राम टहल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान बन्द किये गये बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ख) उपर्युक्त उद्योगों में वित्तीय संस्थाओं और गैर-सरकारी व्यक्तियों ने कितनी पूँजी निवेश की थी; और

(ग) इन उद्योगों को खुलवाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकत्र किये जाते हैं । नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 1988 के अंत तक बिहार में गैर-लघु क्षेत्र में 33 रुग्ण एकक और लघु क्षेत्र में 15,670 रुग्ण एकक थे । 31 दिसंबर, 1988 की स्थिति के अनुसार उन पर बकाया राशि क्रमशः 88.02 करोड़ और 87.31 करोड़ रुपये थी । सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों की पुनर्स्थापना के लिए कई प्रयास किये हैं जो संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

रुग्ण औद्योगिक एककों की पुनर्स्थापना के लिए भारत सरकार के प्रयास

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात "रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985" बनाया है । इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है ।

(2) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें ।

(3) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जीव्य-क्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गये है । बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज बनाते हैं ।

(4) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्य-क्षम रुग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही, राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे ।

(5) लघु क्षेत्र में रुग्णता कम करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करने के विचार से भारत सरकार ने एक "सीमांत धन योजना" शुरू की है । इस उदारीकृत योजना के अंतर्गत पुनःस्थापना हेतु रुग्ण लघु एककों को उपलब्ध प्रति एकक सहायता की अधिकतम राशि को 20,000/- रु० से बढ़ाकर 50,000/- रु० कर दिया गया है ।

(6) कमजोर एककों के लिए एक उत्पाद कर राहत योजना की भी घोषणा की गई है । यह योजना किसी भी ऐसे एकक के लिए लागू होगी जिसमें किन्हीं पांच लेखा वर्षों में उनका अधिकतम निवल मूल्य संचित हानियों के कारण 50% अथवा इससे अधिक कम हो गया हो । उक्त एकक की पुनर्स्थापना, आधुनिकीकरण अथवा दिशान्तरण पैकेज वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत होना चाहिए । मात्र एकक ब्याज मुक्त ऋण का पात्र होगा जिसके लिए 3 वर्ष की राहत अवधि मिलेगी और इसे 7 वर्षों के भीतर वापस करना होगा जो योजना के अनुमोदन के बाद 3 वर्षों के लिए वास्तविक उत्पाद भुगतान का 50% होगा । 'उत्पाद ऋण' के रूप में दी जाने वाली कुल राशि पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण/दिशान्तरण की कुल लागत से 25% से अधिक नहीं होगी ।

(7) अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अप्रैल, 1990 में एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है । इस बैंक की चुकता पूंजी 250 करोड़ रु० है ।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जीव्य-क्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के लिए परस्पर स्वीकार्य पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए प्राथमिक उधारदाता संस्थानों एवं प्रवर्तकों के सहायतार्थ विभिन्न राज्यों में पुनर्स्थापना संबंधी बैठकों का आयोजन कर रहा है । वर्ष 1990-91 के दौरान, 14 केन्द्रों में 23 बैठकें आयोजित की गई और 250 से अधिक एककों के मामलों पर विचार किया गया । इन बैठकों में प्राथमिक उधारदाता संस्थानों एवं उधार लेने वालों की प्रतिक्रियाएं उत्साहजनक रही हैं ।

जीव्य-क्षम रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा एक पृथक पुनर्स्थापना पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है।

पश्चिम बंगाल में बन्द मिलों को पुनः खोलना

[अनुवाद]

3018. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने बन्द पड़े उन कुछ उद्योगों, जिनमें बहुत अधिक पूंजी निवेश किया गया है, को खोलने से संबंधित मामलों की पुनरीक्षा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या इन मिलों को खोलने के संबंध में अनिवासी भारतीयों से भी कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और धनराशि की कमी और उचित प्रबन्धन के कारण बन्द पड़े उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनः खोलने/पुनर्स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार से समय-समय पर अनुरोध करती रही है।

(ख) राज्य में रुग्ण एककों को फिर से खोलने हेतु अनिवासी भारतीयों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) बैंकरों की प्रथाओं तथा रीतियों के अनुसार और राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू सांविधिक उपबंधों के अनुकरण में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण एककों के नाम और ब्यौरे बताना संभव नहीं है। किंतु, रुग्ण एककों के पुनर्जीवन तथा पुनर्स्थापना के लिए भारत सरकार की एक समान नीति रही है। पुनर्जीवन के संबंध में किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

रुग्ण औद्योगिक एककों की पुनर्स्थापना के लिए भारत सरकार के प्रयास

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात "रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985" बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

(3) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जीव्य-क्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गये हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्य-क्षम रुग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे ।

(5) लघु क्षेत्र में रुग्णता कम करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करने के विचार से भारत सरकार ने एक "सीमांत धन योजना" शुरू की है । इस उदारीकृत योजना के अंतर्गत पुनःस्थापना हेतु रुग्ण लघु एककों को उपलब्ध प्रति एकक सहायता की अधिकतम राशि को 20,000/- रु० से बढ़ाकर 50,000/- रु० कर दिया गया है ।

(6) कमजोर एककों के लिए एक उत्पाद कर राहत योजना की भी घोषणा की गई है । यह योजना किसी भी ऐसे एकक के लिए लागू होगी जिसमें किन्हीं पांच लेखा वर्षों में उनका अधिकतम निवल मूल्य संचित हानियों के कारण 50% अथवा इससे अधिक कम हो गया हो । उक्त एकक की पुनर्स्थापना, आधुनिकीकरण अथवा दिशान्तरण पैकेज वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत होना चाहिए । मात्र एकक ब्याज मुक्त ऋण का पात्र होगा जिसके लिए 3 वर्ष की राहत अवधि मिलेगी और इसे 7 वर्षों के भीतर वापस करना होगा जो योजना के अनुमोदन के बाद 3 वर्षों के लिए वास्तविक उत्पाद भुगतान का 50% होगा । "उत्पाद ऋण" के रूप में दी जाने वाली कुल राशि पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण/दिशान्तरण की कुल लागत से 25% से अधिक नहीं होगी ।

(7) अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अप्रैल, 1990 में एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है । इस बैंक की चुकता पूंजी 250 करोड़ रु० है ।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जीव्य-क्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के लिए परस्पर स्वीकार्य पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए प्राथमिक उधारदाता संस्थानों एवं प्रवर्तकों के सहायतार्थ विभिन्न राज्यों में पुनर्स्थापना संबंधी बैठकों का आयोजन कर रहा है । वर्ष 1990-91 के दौरान, 14 केन्द्रों में 23 बैठकें आयोजित की गई और 250 से अधिक एककों के मामलों पर विचार किया गया । इन बैठकों में प्राथमिक उधारदाता संस्थानों एवं उधार लेने वालों की प्रतिक्रियाएं उत्साहजनक रही हैं ।

जीव्य-क्षम रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा पुनर्स्थापना के लिए एक पृथक पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है ।

रुग्ण औद्योगिक एकक

[हिन्दी]

3019. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण औद्योगिक एककों के कारण सरकार को प्रतिवर्ष कितना घाटा होता है;

(ख) बन्द पड़े और रुग्ण एककों की समस्या से निपटने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन औद्योगिक एककों का प्रबन्ध पूंजीपतियों को सौंपने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) देश में बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकत्र किये जाते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर, 1988 के अंत तक (नवीनतम सूचना) रुग्ण औद्योगिक एककों पर कुल 5,528.30 करोड़ रु० की राशि का बैंक ऋण बकाया था।

(ख) भारत सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों को फिर से खोलने के लिए पहले से कई प्रयास किये हैं। जिन्हें संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) तथा (घ) रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं से निपटने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गयी है। एक मजबूत पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड सभी संभव विकल्पों पर विचार करता है। जिनमें ऐसे रुग्ण एककों का अन्य कंपनियों के साथ समामेलन/एकीकरण भी शामिल हैं।

विवरण

रुग्ण औद्योगिक एककों की पुनर्स्थापना के लिए भारत सरकार के प्रयास

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात "रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985" बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुदृढ़ मार्निटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

(3) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जीव्य-क्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गये हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्य-क्षम रुग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही, राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) लघु क्षेत्र में रुग्णता कम करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करने के विचार से भारत सरकार ने एक "सीमांत धन योजना" शुरू की है। इस उदारीकृत योजना के अंतर्गत पुनःस्थापना हेतु रुग्ण लघु एककों को उपलब्ध प्रति एकक सहायता की अधिकतम राशि को 20,000/- रु० से बढ़ाकर 50,000/- रु० कर दिया गया है।

(6) कमजोर एककों के लिए एक उत्पाद कर राहत योजना की भी घोषणा की गई है। यह योजना किसी भी ऐसे एकक के लिए लागू होगी जिसमें किन्हीं पांच लेखा वर्षों में उनका अधिकतम निवल मूल्य संचित हानियों के कारण 50% अथवा इससे अधिक कम हो गया हो। उक्त एकक की पुनर्स्थापना, आधुनिकीकरण अथवा दिशान्तरण पैकेज नामजद वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। पात्र एकक ब्याज मुक्त ऋण का पात्र होगा जिसके लिए 3 वर्ष की राहत अवधि मिलेगी और इसे 7 वर्षों के भीतर वापस करना होगा जो योजना के अनुमोदन के बाद 3 वर्षों के लिए वास्तविक उत्पाद भुगतान का 50% होगा।

"उत्पाद ऋण" के रूप में दी जाने वाली कुल राशि पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण/दिशान्तरण की कुल लागत से 25% से अधिक नहीं होगी।

(7) अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अप्रैल, 1990 में एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है। इस बैंक की चुकता पूंजी 250 करोड़ रु० है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जीव्य-क्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के लिए परस्पर स्वीकार्य पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए प्राथमिक उधारदाता संस्थानों एवं प्रवर्तकों के सहायतार्थ विभिन्न राज्यों में पुनर्स्थापना संबंधी बैठकों का आयोजन कर रहा है। वर्ष 1990-91 के दौरान, 14 केन्द्रों में 23 बैठकें आयोजित की गई और 250 से अधिक एककों के मामलों पर विचार किया गया। इन बैठकों में प्राथमिक उधारदाता संस्थानों एवं उधार लेने वालों की प्रतिक्रियाएं उत्साहजनक रही हैं।

जीव्य-क्षम रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा एक पृथक पुनर्स्थापना पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार

[अनुवाद]

3020. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) उनके "जीवन स्तर" में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये गये है अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) इन सभी परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना समय लगेगा ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) घरेलू उपभोक्ता व्यय संबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43 वें दौर के अंतिम परिणामों के आधार पर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1987-88 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए कई कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इनमें आय में वृद्धि तथा रोजगार सृजन के लिए कार्यक्रम शामिल हैं जैसाकि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) तथा जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०)। साथ ही साथ न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम० एन० पी०) क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, पोषाहार, ग्रामीण घरेलू खाना पकाने की ऊर्जा, ग्रामीण स्वच्छता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे संघटक शामिल है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह विहित किया गया था कि वास्तव में गरीबी का उन्मूलन कर दिया जायेगा अर्थात गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के प्रतिशत को वर्ष 2000 तक 5 प्रतिशत के स्तर तक ला दिया जायेगा। ऐसे लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उल्लेख नहीं किया गया था।

विवरण

राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत (1987-88)

क्रम सं०	राज्य	गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की सं० (लाखों में)
1.	आंध्र प्रदेश	30.30
2.	असम	7.86
3.	बिहार	51.90
4.	गुजरात	9.39
5.	हरियाणा	2.11
6.	हिमाचल प्रदेश	0.62
7.	जम्मू व कश्मीर	1.09
8.	कर्नाटक	18.53
9.	केरल	5.93
10.	मध्य प्रदेश	32.78
11.	महाराष्ट्र	29.06
12.	उड़ीसा	24.50
13.	पंजाब	1.62
14.	राजस्थान	13.90
15.	तमिलनाडु	28.02
16.	उत्तर प्रदेश	61.80
17.	पश्चिम बंगाल	25.83
18.	छोटे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	1.66
	अखिल भारत	346.88

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त अनुमान 1973-74 की कीमतों पर 49.09 रु० प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की गरीबी रेखा को आधार मानकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी आवश्यकता के अनुरूप तैयार किए जाते हैं।

2. वर्ष 1987-88 के लिए गरीबी की रेखा को अद्यतन बनाने के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन निजी खपत डिफ्लेटर का प्रयोग किया गया है।

3. ये परिकलन घरेलू उपभोक्ता व्यय संबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों के 43 वें दौर की प्रारूप रिपोर्ट पर आधारित है (रिपोर्ट नं० 372 उपभोक्ता व्यय, एन० एस० एस० ओ० जून, 1990 से संबंधित चौथे पंचवार्षिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट)।

टिप्पणी—जारी

4. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या का संबंध 1 मार्च, 1988 जनसंख्या की स्थिति के अनुसार है ।

5. राज्यवार गरीबी के अनुपातों का अनुमान उसी पद्धति का प्रयोग करते हुए लगाया गया है जैसाकि सातवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय लगाया गया था । तभी से गरीबी अनुमान की पद्धति के बारे में अनेक मामले उठाए गए है और इन मामलों पर एक विशेषज्ञ दल द्वारा विचार किया जा रहा है, इसके अध्यक्ष डा० डी० टी० लकड़वाला है ।

6. यहां पर जो अनुमान प्रस्तुत किए गए है उनमें विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए संशोधन किए जाने की संभावना है ।

टैनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का आधुनिकीकरण

3021. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद**
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'टैनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड' के आधुनिकीकरण के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस एकक के पास सशस्त्र सेना और रक्षा विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न किस्मों के विशेष बूट और उपकरणों की मांग को पूरा करने की क्षमता है;

(ग) क्या इस एकक के आधुनिकीकरण को स्वीकृति देने के उद्देश्य से योजना आयोग के पास कोई प्रस्ताव भेजा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सरकार के कहने पर, आई० डी० बी० आई० ने कम्पनी द्वारा तैयार की गई पुनरुद्धार योजना के आधार पर टैफ्को का जैव्यता अध्ययन किया है । आई० डी० बी० आई० द्वारा मई, 1991 में प्रस्तुत रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है ।

(ख) कारपोरेशन सुरक्षा सेवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के विशेष बूटों तथा जूतों की आपूर्ति करने हेतु पूर्णतः सुसज्जित है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र

3022. **श्री पी० सी० थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ऐरणाकुलम जिले के मुवेत्तुपुझा में लघु उद्योग योजना के अन्तर्गत में कार्यरत उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तरी बंगाल में उद्योग रहित जिले

3023. **श्री जितेन्द्र नाथ दास**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल के जिले उद्योग रहित जिलों की श्रेणी में आते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि इस क्षेत्र में कोई बड़ा और मध्यम उद्योग नहीं है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो पी. जे. कुरियन): (क) और (ख) 1979-80 की जिला उद्योग केन्द्र कार्य योजना के अनुसार जिन जिलों में कोई बड़ा अथवा मझौला उद्योग नहीं होता, उन्हें 'उद्योग रहित जिला' माना जाता है । उत्तरी बंगाल में कूच बिहार, जलपाई गुड़ी, मालदा और दार्जिलिंग को उद्योग रहित जिले माना गया है । वर्ष 1989 से 1991 (जून तक) के दौरान उत्तरी बंगाल में उद्योग रहित जिलों को तीन आशय पत्र और दो औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं ।

सक्षम इलेक्ट्रॉनिक उद्योग

3024. **श्री रामचन्द्र विरप्पा**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों/एककों के नाम क्या हैं जो निर्यात और घरेलू मांग भी पूरी करने में सक्षम हैं; और

(ख) इन उद्योगों/एककों को दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक, नियंत्रण यंत्रीकरण तथा औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक, कम्प्यूटर, संचार तथा प्रसारण उपस्कर, इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जे तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग निर्यात तथा घरेलू बाजार दोनों के लिये व्यवहार्य है। निर्यात के लिये चुनी गयी विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) आयात निर्यात नीति में इलेक्ट्रॉनिक के निर्यात के विकास के लिये विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए गए हैं । विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये सहायता भी प्रदान की जाती है । इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण निदेशालय के अंतर्गत प्रयोगशालाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है ।

विवरण

निर्यात की संभावना वाली इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं

(क) कम्प्यूटर, कम्प्यूटर उपान्त उपस्कर तथा संबद्ध वस्तुएं

- वैयक्तिक कम्प्यूटर्स (पी सी, पी सी/एक्स टी, पी सी/ए टी)
- मुद्रक
- फ्लॉपी डिस्क ड्राइव
- मॉनीटर
- कुंजीपटल
- मदर बोर्ड, मेमोरी मॉड्यूल्स

विवरण—जारी

(ख) संघटक पुर्जे तथा सामग्रियां

- कैपेसिटर
- रेज़िस्टर
- सेमी-कंडक्टर युक्तियां
- एकवर्णा पिक्चर ट्यूबें (स्क्रीन का आकार 36 सें० मी० तथा 51 सें० मी०)
- रंगीन टी वी पिक्चर ट्यूब
- विक्षेपक संघटक-पुर्जे (एकवर्णा तथा रंगीन टी वी के अनुप्रयोगों के लिये)
- टी वी ट्यूनर (समस्वरित्र)
- मुद्रित परिपथ बोर्ड
- चुम्बकीय टेप (श्रव्य/दृश्य)
- फ्लॉपी डिस्केट
- श्रव्य/दृश्य टेप हाउसिंग
- स्विचें
- श्रव्य टेप डेक मेकेनिज्म
- फेराइट
- स्थायी चुम्बक
- ट्रांसफॉर्मर
- टेलिस्कोपिक एरियल
- कॉपर फ्लैड लैमिनेट
- संकर सूक्ष्म परिपथ
- रजतित अभ्रक प्लेटें
- कनेक्टर्स

(ग) संचार तथा प्रसारण वस्तुएं

- एन्टीना
- उपग्रह संचार उपस्कर
- टेलीफोन उपकरण
- इलेक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज (ई पी ए बी एक्स) प्रणालियां
- (ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज)
- 2 एम बी प्राइमेट्री पी सी एम
- दुतरफा संचार उपस्कर
- टी वी प्रसारण उपस्कर

(घ) उपभोक्ता वस्तुएं

- एकवर्णा तथा रंगीन टी वी सेट
- श्रव्य प्रणालियां/श्रव्य कैसेट रिकार्डर
- सार्वजनिक संबोधन (पी ए) प्रणालियां
- रेडियो (एफ एम/ए एम) तथा इसके संयोजक
- घड़ियां/दीवार घड़ियां/इनके मॉड्यूल

विवरण—समाप्त

— पूर्व रिकॉर्डित श्रव्य/दृश्य कैसेट

(ङ) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा परामर्श सेवायें

(च) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

— अबाधित विद्युत आपूर्ति
— दुग्ध विश्लेषक
— दोलनदर्शी
— इलेक्ट्रोचिकित्सकीय उपस्कर
— कार्यालय उपस्कर

लघु और अतिलघु उद्योगों की समस्याएं

3025. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लघु और छोटे उद्योगों की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय समस्या से संकट पैदा हुआ है और अनेक लघु इकाइयां बन्द हो गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में उठाये गये कदमों का क्या ब्यौरा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के सामने प्रायः आने वाली समस्याओं में कच्चे माल और कार्यशील पूंजी की कमी, विशेषकर बड़े एककों से भुगतान मिलने में देरी, विपणन संबंधी समस्याएं, प्रबन्धकीय कमियां, प्रौद्योगिकी का पुराना होना, बार-बार बिजली की कटौती/टिपिंग, श्रमिकों संबंधी समस्याएं इत्यादि शामिल हैं । कुछ लघु औद्योगिक एकक यह शिकायत करते रहे हैं कि राज्य वित्त निगमों और बैंकों से पर्याप्त मात्रा में और समय पर ऋण न मिलने के कारण ऐसे एकक रुग्ण हुए हैं और अन्ततः इन्हें बन्द करना पड़ा है ।

(घ) रुग्ण एककों को पुनर्जीवित करने के लिए किए गए उपायों में से रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की परिभाषा के विशेष संदर्भ में लघु क्षेत्र में रुग्ण एककों की पुनर्स्थापना, जीव्यता मानदण्डों, प्रारम्भिक रुग्णता और सम्भावित जीव्यक्षम रुग्ण एककों के मामले में पुनर्स्थापना पैकेज के कार्यान्वयन हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से मिलने वाली राहत और रियायतों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिशा-निर्देश जारी करना शामिल है ।

भारत सरकार की सलाह पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रुग्ण लघु एककों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अन्तर-संस्थानात्मक समितियां गठित की हैं ।

भारत सरकार द्वारा 6-8-1991 को लघु, अत्यन्त छोटे और ग्राम्य उद्यमों को बढ़ावा देने और सुदृढ़ बनाने के लिए घोषित नीति संबंधी उपायों में निम्नलिखित उपायों से लघु औद्योगिक एककों के समक्ष आने वाली वित्तीय समस्याओं का समाधान होने का प्रस्ताव है :—

(1) इक्विटी सहायता (15 प्रतिशत तक) के लिए 10 लाख रु० तक की परियोजनाओं को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना को व्यापक बनाने का निर्णय भी किया गया है ।

सिंगल विंडो ऋण योजना को भी व्यापक बनाया गया है । इसमें अब 20 लाख रू० तक की परियोजनाएं भी शामिल होंगी जिनमें कार्यशील पूंजी मार्जिन 10 लाख रू० है । सिंगल विंडो स्कीम के अन्तर्गत मिश्रित ऋण जो केवल राज्य वित्त निगमों और दोहरे कार्य करने वाले राज्य लघु उद्योग विकास निगम के माध्यम से उपलब्ध है, अब वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से भी उपलब्ध होगा । इससे अनेक उद्यमियों को सुविधा होगी ।

(2) अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के ऋण की कमी लघु क्षेत्र के समक्ष आने वाली एक चिरस्थायी समस्या बनी हुई है । अब से विशिष्ट लक्ष्य समूहों को छोडकर रियायती और सुलभ ऋण पर अधिक जोर नहीं दिया जाएगा और इस क्षेत्र के जीव्यक्षम संचालन के लिए मानकीय आधार पर पर्याप्त ऋण की उपलब्धता और इसकी डिलीवरी की गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे । यह देखने के लिए एक विशेष मॉनीटरिंग एजेंसी बनाई जाएगी कि लघु क्षेत्र की वास्तविक ऋण आवश्यकताएं पूर्णतः पूरी हों ।

(3) पूंजी बाजार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने और आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय किया गया है कि लघु उद्योग में अन्य औद्योगिक उपक्रमों द्वारा इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी जाए बशर्ते कि यह कुल अंशधारिता के 24% से अधिक न हो । इससे आनुषंगीकरण और उपसंविदा को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

(4) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के माध्यम से फैक्टर सेवाओं की व्यवस्था करके लघु उद्योगों के भुगतानों में होने वाली देरी की समस्या का समाधान करने की दिशा में एक शुरूआत की गई है । ऐसी सेवाओं का नेटवर्क पूरे देश में स्थापित किया जाएगा और यह वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कार्य करेगा । लघु उद्योगों के बिलों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त विधेयक लाया जाएगा ।

उद्योगों के लिए उत्पादन केन्द्र

3026. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए उत्पादन केन्द्र स्थापित करने संबंधी योजना के अन्तर्गत इस योजना के लागू करने से अब तक क्या उपलब्धि हुई है :

(ख) अब तक कितने उत्पादन केन्द्र विकसित किए जा चुके हैं :

(ग) अब तक जिले-वार कितने औद्योगिक एकक स्थापित किए जा चुके हैं : और

(घ) क्या पुराने पूर्णिया जिले में, जिसे अब तीन भागों में विभाजित कर दिया गया है, में औद्योगिक एकक स्थापित किए गए हैं, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सारे देश में विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए जून, 1988 में एक योजना की घोषणा की । योजना के अधीन 70 विकास केन्द्रों का विकास करने का प्रस्ताव है जिनमें से 60 विकास केन्द्रों के स्थापना-स्थलों का पता लगा लिया गया है और घोषणा कर दी गई है । यह योजना आठवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित की जायेगी । बिहार के मामले में राज्य को 6 विकास केन्द्र आवंटित किये गये हैं, जिनमें से 5 विकास केन्द्रों के स्थापना स्थलों का पता लगा लिया गया है । चुने गये विकास केन्द्रों में से एक जिला पूर्णिया (पूर्णिया कस्बे) में है । बिहार सरकार ने चुने गये विकास केन्द्रों में से किसी भी विकास केन्द्र के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट नहीं भेजी है ।

शीतागार

3027. **श्री एच० डी० देवगौड़ा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : देश में इस समय शीतागारों की राज्य-वार संख्या कितनी है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : इस समय देश में 2795 शीतागार हैं । शीतागारों की राज्यवार संख्या नीचे दर्शायी गई है :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	शीतागारों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	55
असम	3
बिहार	222
गुजरात	135
हिमाचल प्रदेश	14
हरियाणा	148
जम्मू व कश्मिर	16
केरल	107
कर्नाटक	76
महाराष्ट्र	231
मध्य प्रदेश	111
उड़ीसा	47
पंजाब	292
राजस्थान	44
तमिलनाडु	83
त्रिपुरा	3
संघ शासित क्षेत्र	136
उत्तर प्रदेश	786
पश्चिम बंगाल	285
नागालैण्ड	1
योग :	2795

वर्ष 1990-91 के लिए राजस्थान का योजना परिव्यय

3028. **श्री शिव चरण माथुर** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार को वर्ष 1990-91 के लिए स्वीकृत किया गया योजना परिव्यय कितना है ;

(ख) 1990-91 की वार्षिक योजना में राज्य सरकार का अंशदान कितना है :

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई है :

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने इस योजना परिव्यय की व्यय नहीं की गई राशि को राजस्थान के वाणिज्यिक बैंकों में जमा करा दिया है: और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) राजस्थान की वार्षिक योजना 1990-91 के लिए स्वीकृत आबंटन 956 करोड़ रुपये था ।

(ख) आबंटन में राज्य का अंशदान 623.68 करोड़ रुपये था ।

(ग) राज्य सरकार से रिपोर्ट मिली है कि वार्षिक योजना 1990-91 पर 973.22 करोड़ रुपये व्यय किए गए ।

(घ) चूंकि व्यय योजना परिव्यय से अधिक है अत: अप्रयुक्त राशि को वाणिज्य बैंक में जमा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

वी० एस० एस० सी०, वलियामाला एकक, केरल का विस्तार

3029. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का त्रिवेंद्रम के नेदुमंगद में वलियामाला के अन्तरिक्ष केन्द्र एकक का विकास अथवा विस्तार करने का प्रस्ताव है :

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) वी० एस० एस० सी० वलियामाला एकक का निर्माण कार्य कब आरंभ किया गया था और इसके कब तक पूरा होने व काम शुरु करने की संभावना है :

(घ) क्या सरकार का केरल में और अधिक अंतरिक्ष परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है : और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) और (ख) वलियामाला में मुख्यत: प्रमोचक राकेटों के विकास से संबंधित सुविधाएं विद्यमान है और विविध प्रमोचक राकेट परियोजनाओं/कार्यक्रमों की जरुरतों को देखते हुए, आवश्यकतानुसार इनका विस्तार किया जाता है ।

(ग) वलियामाला में सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य, 1982 में भूमि अर्जन से आरंभ किया गया था । प्रनोचक राकेट संबंधी परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध सुविधाएं

आवश्यकतानुसार क्रमिक रूप में स्थापित की गई हैं । संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए० एस० एल० वी०) और ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल० वी०) के विकास से संबंधित क्रियाकलाप पहले से ही वलियामाला में 1983 से किए जा रहे हैं ।

(घ) और (ङ) इन्सैट श्रेणी के उपग्रहों को छोड़ने के लिए हाल ही में स्वीकृत प्रमुख प्रमोचक राकेट परियोजना, अर्थात् भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी० एस० एल० वी०) के विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वलियामाला में विद्यमान सुविधाओं का उपयुक्त संवर्धन/पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है ।

भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन

3030. **श्री इन्नान मोल्लाह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 और 9 अप्रैल, 1991 को नई दिल्ली में "भोपाल गैस रिसाव त्रासदी और इसके परिणाम" पर हुए दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में दिए गए वक्तव्य और पारित किए संकल्प की ओर दिलाया गया है :

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में मुख्य मांगें क्या रखी गई : और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत

3031. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध मंडल ने अपने "घ" और "ग" श्रेणी के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत का भुगतान कर दिया है :

(ख) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कर्मचारियों को भी अन्तरिम राहत का भुगतान कर दिया गया है : और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगाई) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम दोनों ने समूह "ग" और समूह "घ" के अपने कर्मचारियों को तदर्थ भुगतान कर दिया है । जब तक नये वेतन करार को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता है तब तक उन्हें औद्योगिक महंगाई भत्ते के पैटर्न पर अदायगी की जा रही है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय भंडारों द्वारा उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य वसूल किये जाने के संबंध में शिकायतें

3032. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार की शाखाओं द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली मशीनों से उपभोक्ताओं को बिल देते समय मदों के नाम नहीं दर्शाये जाते हैं और मूल्य वसूल करने में अनियमितता और कदाचार की गुंजाइश रहती है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन मशीनों को बदल कर, बेची गयी मदों के नाम तथा लगाये गये मूल्य को दर्शाने वाली मशीनें लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं : और

(ग) केन्द्रीय भंडारों से जारी किये जाने वाले मुद्रित बिलों पर अधिक मूल्य लगाये जाने के बारे में उपभोक्ताओं से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

उपभोक्ताओं को रसीदें जारी करने के लिए केन्द्रीय भण्डार के शाखा स्टोरों में उपलब्ध इलैक्ट्रोनिक कैश रजिस्टरेक्स मशीन, बेची गई मदों के नाम नहीं दर्शाती हैं । तथापि, यह बेची गई वस्तु की मात्रा, उसका यूनिट मूल्य, संबंधित मदों का कुल मूल्य, बेची गई मदों की संख्या, कुल योग, रसीद संख्या तथा बिक्री तारीख दर्शाती है । रसीद की एक प्रति स्टोर द्वारा भावी संदर्भ यदि कोई है, के लिए रखी जाती है । उपभोक्ताओं द्वारा, वसूली गई दरों का मौके पर सत्यापन करने के लिए, स्टोरों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सभी मदों की वर्तमान दरें प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करें ।

मदों के नाम दर्शाने वाली मशीनें लगाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं । फिर भी, इन मशीनों को केन्द्रीय भण्डार की सभी शाखाओं में लगाया जाना अपेक्षित विशिष्टियों की मशीनों की उपलब्धता तथा आवश्यक निधियों पर निर्भर करेगा ।

पिछले 12 मास में, अधिक मूल्य वसूल करने की 5 शिकायतें प्राप्त हुई थी । शिकायतों की जांच की गई थी तथा 3 मामलों में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है ।

मारुति कारों का निर्यात

3033. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड ने वर्ष 1990-91 में कितनी कारें निर्यात कीं : और

(ख) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा कारों के निर्यात से कुल कितनी निर्यात आय हुई और वर्ष 1990-91 के दौरान मारुति उद्योग लिमिटेड ने कुल कितने मूल्य का आयात किया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड ने 1990-91 में 4908 वाहनों का निर्यात किया जिसमें 3187 मारुति-800 कारें, 3 मारुति-1000 सी० सी० कारें, 216

ओमनी तथा 1502 जिप्सी शामिल हैं ।

(ख) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा वर्ष 1990-91 में अर्जित की गई कुल विदेशी मुद्रा 72.91 करोड़ रुपये के बराबर थी जिसमें से 40.66 करोड़ रुपये भारत में विदेशी मुद्रा से बेचे गए मारुति वाहनों से प्राप्त हुए । इसके विरुद्ध मारुति उद्योग लि० द्वारा इसी अवधि में आयात किए गए उपकरणों का कुल सी० आई० एफ० मूल्य 171.14 करोड़ रुपये था ।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार द्वारा निर्मित फिल्म थियेटर

3034. **श्री राम नाईक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार द्वारा महाराष्ट्र स्थित पुणे में निर्मित फिल्म थियेटर पिछले छह महीनों से उपयोग में ही लाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और थियेटर का उद्घाटन करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के लिये पुणे में बनाया जा रहा फिल्म थियेटर अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है । भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय द्वारा अभी इसका कब्जा लिया जाना है । पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के माध्यम से आयात तथा प्राप्त किये जाने वाला प्रोजेक्टर अभी पहुंचा नहीं है । वातानुकूलन संयंत्र, सीटों की व्यवस्था आदि से संबंधित कार्य अंतिम चरण में है । इस मामले पर संबंधित अधिकारियों द्वारा निरंतर ध्यान दिया जा रहा है ।

समाचार-पत्रों के पंजीकरण की व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण

3035. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समाचार-पत्रों के पंजीकरण की व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी हां ।

(ख) कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के तीन क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं । इन कार्यालयों को जो काम सौंपे गए हैं उनमें पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदनों पर कार्यवाही करना भी एक है ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

कीटनाशकों की कमी

3036. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कीटनाशकों की कमी रही है :

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और स्वदेशी उत्पादन बढ़ाकर कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं:

(ग) इससे कृषक कहां तक प्रभावित होते हैं: और

(घ) क्या कीटनाशकों की कमी को पूरा करने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ और पेट्रो-रसायन एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) सरकार कीटनाशकों के उत्पादन और उपलब्धता को निरन्तर मानीटर कर रही है और कीटनाशकों के बढ़े हुए उत्पादन के लिए अतिरिक्त लाइसेंस देने, कच्चे माल की बेहतर उपलब्धता, आदि जैसे कदम उठा रही है। कीटनाशकों की यथासमय और पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग राज्यों/संघशासित प्रशासनों के साथ बैठकें आयोजित करता है। किसी कीटनाशक की न्यून सप्लाई की स्थिति में समस्या को दूर करने के लिए संबंधित निर्माताओं को उन मदों की संबंधित राज्यों को सप्लाई सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है।

(घ) देश में पेट्रो-रसायन एककों की स्थापना करना एक सतत प्रक्रिया है और ऐसे प्रस्तावों की तकनीकी आर्थिक आधार पर अनुशंसा की जाती है।

संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य

3037. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परम्परा के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के 50% से अधिक सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी होने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान संघ लोक सेवा आयोग निकाय में 50% से अधिक सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का पुरानी परम्परा जारी रखने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) संविधान के अनुच्छेद 316(1) के परन्तुक के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के लगभग आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपनी संबंधित नियुक्तियों की तारीख को भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर कम से कम 10 वर्ष कार्य किया हो।

(ख) जी, हां।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति करते समय संविधान के इस उपबंध को ध्यान में रखा जाएगा।

राज्यों में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

3038. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों ने राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति संबंधी आरक्षण समाप्त कर दिया है: और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) विभिन्न राज्य सरकारों के अन्तर्गत सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की नीति के ब्यौरे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श/सहमति के बिना स्वयं ही निर्धारित की जाती है । अत: केन्द्रीय सरकार न तो इस संबंध में कोई सूचना एकत्र करती है और न ही इस मामले में उसकी कोई भूमिका है ।

कीटनाशक उत्पादकों द्वारा आय

3039. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 25 प्रमुख कीटनाशक उत्पादकों ने मूल्य और मात्रा सहित वर्षवार और कम्पनीवार कुल कितने प्रतिशत अवयवों का आयात किया;

(ख) गत तीन वर्षों में इन कम्पनियों ने कुल कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया;

(ग) क्या आयात की मात्रा निरन्तर बढ़ रही है और यदि हां, तो क्या सरकार का इस आयात को रोकने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और आत्मनिर्भरता के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इन कंपनियों का संगत विदेशी मुद्रा अर्जन कितना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) मंत्रालय के पास आंकड़ें/जानकारी उपलब्ध नहीं है । ऐसा समझा जाता है कि इनको एकत्र/संकलित करने में लगने वाला समय और प्रयास प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

केरल में भूतल जल संसाधनों का उपयोग करने हेतु केन्द्रीय सहायता

3040. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल प्रयोजनार्थ भूतल जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए केरल जैसे राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई केन्द्रीय सहायता को राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा सतही जल स्रोतों पर आधारित तथा भूगत जल संसाधनों के उपयोग पर आधारित पेयजल की सप्लाई योजनाओं के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है । त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 हेतु केरल के लिए 11.91 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है । केरल राज्य कुल भूगत जल संसाधनों के 9.4 प्रतिशत का उपयोग कर रहा है । ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भूगत जल के उपयोग के लिए अलग से सहायता नहीं दी जाती है ।

वैज्ञानिक तौर से जल स्रोतों का पता लगाने हेतु उप-मिशन के तहत सैटलाइट इमेजिरिज के इस्तेमाल, जियोफिजिकल तथा जियोहाइड्रोलौजिकल सर्वेक्षणों के जरिए जल स्रोतों का पता लगाने हेतु राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है । केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने केरल के पालघाट जिले के 148 समस्या वाले गांवों के लिए जल स्रोतों का पता लगाया है ।

जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राज्यों को सामान्यत: भूगत जल निकास हेतु ड्रिलिंग मशीनों तथा सर्वेक्षण करने के उपकरणों को खरीदने के लिए भूजल संगठन को मजबूत बनाने हेतु 50:50 के अंशदान के आधार पर

केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है न कि केवल पेयजल सप्लाई के लिए । वर्ष 1990-91 में इस योजना के अन्तर्गत केरल को 22.50 लाख रुपये की धनराशि दी गई थी ।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की सहायता के अन्तर्गत राज्यों को रिग उपलब्ध कराए जाते हैं । भूजल संसाधनों का उपयोग करने के लिए केरल को तीन रिग दिए गए थे ।

भूमि सुधारों को लागू करने के लिए प्रारूप

[हिन्दी]

3041. **श्री राम अदन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि सुधारों को लागू करने के लिए किये जाने वाले उपायों के संबंध में राज्य सरकारों को एक प्रारूप भेजा है :

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रारूप की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं : और

(ग) राज्य-सरकारों, विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) भूमि सुधारों की कार्य-सूचि के बारे में राज्यों को जून, 1989 में एक नोट परिचालित किया गया था ।

(ख) उक्त नोट की प्रमुख विशेषताएं ये हैं :—

(1) प्रत्येक ग्रामीण गरीब के लिए मकान :

(2) मुकदमेंबाजी में फँसी अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का वितरण :

(3) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आबंटित की गई भूमि के कब्जे के बारे में जांच :

(4) वन-गांवों के निवासियों को स्थाई और पैतृक अधिकार देना :

(5) मौखिक और अनौपचारिक काश्तकारों और बटाईदारों को न्याय दिलाना :

(6) अधिकतम सीमा कानूनों का अपवंचन करने हेतु भूमि के किए गए बेनामी और फर्जी लेनदेनों का पता लगाना : और

(7) भूमि के भावी आबंटन में महिलाओं के लिए 40% आरक्षण करना ।

(ग) कुछ राज्यों ने सूचित किया है कि उन्होंने भूमि सुधार कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक उपाय किए हैं ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में अनेक उपाय किए हैं जो निम्नलिखित हैं :—

(1) उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों अथवा ग्रामीण कारीगर के वास भूमि अधिकारों का संरक्षण ।

(2) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि से संबंधित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए भूमि न्यायाधिकरण के गठन का प्रस्ताव तैयार करना ।

(3) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियो को आबंटित भूमि के कब्जे की सुपुर्दगी को सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चलाना ।

(4) कुछ वन-गांवों के किसानों को स्थायी पैतृक अधिकार दिए गए हैं ।

(5) अनौपचारिक काश्तकारों और बटाईदारों का पता लगाने और उन्हें रिकार्ड में लाने तथा भूमि के बेनामी और फर्जी लेनदेनों का पता लगाने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाया गया है ।

(6) यह सुनिश्चित करने के लिए जिलाधीशों को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में भूमि तथा आवास स्थलों के सभी आबंटनों में पति तथा पत्नी दोनों के नाम शामिल किए जाने चाहिए, और

(7) ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि वृक्ष पट्टा के आबंटन में महिला लाभार्थी कुल आबंटितियों की 40 प्रतिशत होनी चाहिए ।

उर्वरक उद्योग का विस्तार

[अनुवाद]

3042. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उद्योग में गत अनेक वर्षों से कोई विस्तार कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा में अब उठाये जाने वाले कदमों का क्या ब्यौरा है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी नहीं ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार द्वारा सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र में शिनाख्त की गयी परियोजनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(1) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०, के विजयपुर संयंत्र का विस्तार ।

(2) इफको के आंवला संयंत्र का विस्तार ।

(3) नाइट्रोफोस्फेट एकक की स्थापना द्वारा कृभको के हजीरा संयंत्र का विस्तार ।

(4) मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० के संयंत्र का पुनरूद्धार/विस्तार ।

(5) अमोनिया/नाइट्रोफोस्फेट संयंत्र की स्थापना द्वारा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि० के थल संयंत्र का विस्तार ।

(6) फेक्ट के कोचीन-2 संयंत्र का आधुनिकीकरण और विस्तार ।

(7) फेक्ट द्वारा उद्योगमंडल में तीन पुराने अमोनिया संयंत्रों के प्रतिस्थापन में आधुनिक 900 टन प्रति दिन अमोनिया संयंत्र की स्थापना करना ।

(8) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के गोरखपुर संयंत्र को उन्नत करना ।

(9) 40 मेगावाट केपटिव पावर संयंत्र सहित फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के रामागुंडम संयंत्र का चरण-I पुनर्वास ।

(10) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के तालचर संयंत्र का चरण-I पुनर्वास ।

(11) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा सिन्दरी स्थित संयंत्र का आधुनिकीकरण तथा नए केपटिव पावर संयंत्र की स्थापना ।

अम्बेडकर के जन्म दिवस को सरकारी छुट्टी घोषित करना

[हिन्दी]

3043. **श्री कालका दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से कई संगठनों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिवस "14 अप्रैल" को सरकारी छुट्टी घोषित किए जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) डा० बी० आर० अम्बेडकर के जन्म दिवस पर छुट्टी किए जाने की मांग के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । नीति के तौर पर महात्मा गांधी के अतिरिक्त किसी भी अन्य राष्ट्रीय नेता के जन्म दिवस को नियमित छुट्टी के रूप में नहीं मनाया जा रहा है । इस बात को ध्यान में रखते हुए मांग को स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया है ।

मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशुओं के लिए पेयजल

3044. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशुओं के लिए पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विशेष धनराशि का प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या सरकार का रेगिस्तान में उन स्थानों पर नलकूप लगाने का विचार है, जहां सतह पर पानी उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इन क्षेत्रों में नलकूप लगाने के लिए धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया है;

(घ) क्या सरकार का राज्य सरकार को शीघ्रातिशीघ्र धनराशि उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशुओं के लिए पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई विशेष धनराशि का प्रावधान नहीं है । तथापि, मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशुओं के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराना एक अनुमेय गतिविधि है और इसे एक वर्ष के लिए अनुमोदित आवंटन में से पूरा किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत मरूस्थली जिलों (मरूभूमि विकास कार्यक्रम) में मनुष्यों और पशुओं के लिए स्वच्छ पेयजल हेतु विशेष प्रावधान है ।

(ख) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड मरूभूमि विकास कार्यक्रम जिलों में यहां की जल सप्लाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल खोजी नलकूपों का निर्माण कर रहा है । केन्द्रीय भू-जल बोर्ड भी राजस्थान में गांवों में जल सप्लाई के लिए वैज्ञानिक तरीकों से जल स्रोतों का पता लगाने में राष्ट्रीय पेयजल मिशन की सहायता कर रहा है और इसने बाड़मेर, चुरू और नागौर जिलों में समस्याग्रस्त गांवों को शामिल कर लिया है । मरूस्थली क्षेत्रों में त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत भी पेयजल हेतु नलकूप लगाये जा सकते हैं ।

(ग) मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नलकूप लगाने को एक अनुमेय गतिविधि घोषित करने हेतु राजस्थान सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं ।

(घ) तथा (ङ) राजस्थान सरकार को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मरूस्थली क्षेत्रों में विकास की निति समन्वित वाटरशेड योजनाओं पर आधारित होनी चाहिए जिसका उद्देश्य वर्षा के पानी का संरक्षण करने का होना चाहिए ताकि सीमित भू-जल संसाधनों के अनिश्चित आरक्षित भण्डार के दोहन के मुकाबले भू-जल की सम्पूर्ति की जा सके और इसका उद्देश्य ऐसी गतिविधियां चलाने का भी होना चाहिए जिनसे सूखा को रोकने, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने और मरूस्थलीकरण को रोकने में सहायता मिलती हो । इसके अतिरिक्त, पेयजल की आवश्यकता को बड़े पैमाने पर वित्तपोषित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम की मार्फत शुष्क क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए पूरा किया जा सकता है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1991-92 के लिए राजस्थान को त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य कार्यक्रम हेतु 27.91 करोड़ रुपये और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के लिए 13.92 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है । राजस्थान राज्य को एक अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत भू-जल संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए भी सहायता दी जा रही है और 1989-90 से 1990-91 के दौरान 67 लाख रूपये उपलब्ध कराये गये हैं ।

फासफोरिक एसिड का आयात

[अनुवाद]

3045. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा**
श्री वी० कृष्णा राव } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान फासफोरिक एसिड का कुल कितना आयात किया गया;

(ख) क्या उर्वरकों के आयात की तुलना में फासफोरिक एसिड का आयात महंगा सौदा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में इसका आयात बन्द करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान कुल 9.59 लाख टन फासफोरिक एसिड (P_2O_5) का आयात किया गया था ।

(ख) और (ग) भारत तैयार उर्वरकों के रूप में डी ए पी तथा फासफोरिक एसिड एवं अमोनिया दोनों का आयात कर रहा है जो स्वदेशी रूप से डी ए पी के उत्पादन के लिए मध्यवर्ती है । जहां तक विदेशी मुद्रा के बर्हिगमन का संबंध है, स्थिति अक्सर काफी अनिश्चित होती है और स्थिति समय-समय पर बदलती है जो अन्य बातों के साथ-साथ विश्व बाजार की घटनाओं पर निर्भर करती है । किसी भी विकल्प के लिए सम्बद्ध लाभ अधिक से अधिक सीमान्तरीय ही होता है । स्वदेशी उद्योग की आवश्यकता, देश में विद्यमान उर्वरक की भण्डार स्थिति, आवश्यकता की मात्रा तथा इसका समय, पत्तनों पर संचालन क्षमता तथा प्रणाली के अन्य संभार-तंत्र का आयात मिक्स के चयन पर प्रभाव पड़ता है ।

उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय

[हिन्दी]

3046. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी;

(ख) अगस्त, 1990 को देश के विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज) : (क) 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार राज्यवार प्रति व्यक्ति आय के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) तथा (ग) वर्ष 1989-90 में राज्यों की प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक ब्यौरा विवरण I में दिया गया है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कई अन्य राज्यों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है।

(घ) आधार संरचनात्मक विकास के स्तरों, उद्यमशीलता, व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग के विकास में अंतर होने जैसे बहुत से कारणों की वजह से राज्य-दर-राज्य प्रति व्यक्ति आय भिन्न-भिन्न होती है।

(ङ) राज्य की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विकास योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं में आधार संरचना, उद्योग, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य इत्यादि के विकास के लिए तथा सीधे रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए निवेश/परिव्यय शामिल हैं।

विवरण I

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(रूपयों में) 1989-90 (क्यू)
1.	आंध्र प्रदेश	3364
2.	अरूणाचल प्रदेश	4176
3.	असम	3178
4	बिहार	2122
5.	गोवा	6939
6.	गुजरात	5404
7.	हरियाणा	6265
8.	हिमाचल प्रदेश	4005
9.	जम्मु व कश्मीर*	उपलब्ध नहीं
10.	कर्नाटक	4075
11.	केरल	3389
12.	मध्य प्रदेश*	2878
13.	महाराष्ट्र	6184

विवरण—समाप्त

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(रुपयों में) 1989-90 (क्यू)
14.	मणिपुर	3502
15.	मेघालय	3251
16.	मिजोरम	उपलब्ध नहीं
17.	नागालैंड	उपलब्ध नहीं
18.	उड़ीसा	3066
19.	पंजाब	7081
20.	राजस्थान	3595
21.	सिक्किम	4396
22.	तमिलनाडु	3894
23.	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं
24.	उत्तर प्रदेश	3072
25.	पश्चिम बंगाल	3963
26.	दिल्ली	उपलब्ध नहीं
27.	पांडिचेरी	5637
	अखिल भारत	**4252**

क्यू : तुरंत अनुमान

स्रोत : राज्य अनुमानों के लिए संबंधित राज्यों के आर्थिक तथा सांख्यिकीय निदेशालय तथा अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति एन एन पी के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ।

* पुरानी (1970-71) श्रृंखला पर आधारित ।

महाराष्ट्र में जलापूर्ति योजना के लिए विश्व बैंक का ऋण

[अनुवाद]

3047. **प्रो० राम कापसे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक महाराष्ट्र के थाने जिले सहित 10 जिलों में 651 समस्या ग्रस्त गांवों की जलापूर्ति योजना को आंशिक रूप से धन देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना से जिले-वार कितने गांव लाभान्वित होंगे ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) तथा (ख) जी हां । महाराष्ट्र ग्रामीण जल सप्लाई एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना के लिये कुल 140.7 मिलियन अमेरीकी डॉलर का परिव्यय रखा गया है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से प्राप्त 109.9 मिलियन अमेरीकी डॉलर की सहायता शामिल होगी । ग्रामीण जल सप्लाई घटक के तहत 1100 गांवों की अनुमानत : 6,55,000 जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल की सुविधायें मुहैया कर दिये जाने की प्रत्याशा है ।

(ग) ग्रामीण जल सप्लाई घटक के तहत परियोजना के पहले चरण में 10 जिलों में 225 गांवों को शामिल करने वाली पाइपों द्वारा जल सप्लाई की 75 बड़ी क्षेत्रीय योजनाओं तथा 45 गांवों को शामिल करने वाली 170 अलग-अलग ग्राम जल सप्लाई योजनाओं का कार्य शुरू किया जायेगा, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

पहले चरण में जल सप्लाई के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले गांवों की संख्या.

जिला	पाइपों द्वारा जल सप्लाई की बड़ी योजनाएं	अलग-अलग ग्राम जल सप्लाई की योजनाएं
अहमदनगर	4	9
औरंगाबाद	12	1
बीड	34	10
बुलधाना	24	1
लातूर	20	11
पुणे	31	6
सांगली	22	1
सातारा	12	6
ठाणे	65	शून्य
चन्द्रपुर	1	शून्य
योग	225	45

दूसरे चरण में उपरोक्त 10 जिलों में 57 क्षेत्रीय योजनाओं (1 कस्बे सहित) तथा 130 अलग-अलग ग्राम जल सप्लाई की योजनाओं को शामिल किया जायेगा।

औषध उत्पादकों का लाभ

3049. **श्री जे॰ चोक्का राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादित औषधों को उनके मूल्य और लाभ निर्धारण के लिए विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन औषधों के क्या नाम हैं जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में शामिल किया गया है और उसके लिए कितना लाभ लेने की स्वीकृति की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में विनिर्मित मूल्य नियंत्रित औषधें वर्गीकृत की गई हैं और समय-समय पर संशोधित डीपीसीओ, 1987 की अनुसूची I और अनुसूची II में शामिल की गयी हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

प्रपुंज औषधों पर लाभ-सीमा की डीपीसीओ, 1987 के खण्ड 3(2) के अनुसार अनुमति दी जाती है।

मैसर्स इनसिल्को, अमरोहा से गैस रिसाव

3050. **श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मैसर्स इनसिल्को को मद्रास और हैदराबाद में रसायन उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कंपनी द्वारा किस प्रकार के रसायनों का निर्माण किया गया जा रहा है;

(ग) क्या मैसर्स इनसिल्को, अमरोहा, मुरादाबाद में गैस रिसाव की अक्सर होने वाली घटनाओं की जानकारी सरकार के पास है; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार

[हिन्दी]

3051. **श्री अवतार सिंह भड़ाना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये गये विभिन्न उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) तथा (ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कुशल, अर्द्धकुशल तथा अकुशल (तकनीकी एवं गैर-तकनीकी) कामगारों/कर्मचारियों की नियुक्ति राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से करने की सलाह दी गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिजली पैदा करने की नई प्रक्रिया

3052 **श्री तेज नारायण सिंह**
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
श्री राम टहल चौधरी } : **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर ने कोयले की उतनी ही मात्रा से 50% अधिक बिजली पैदा करने की एक नयी प्रक्रिया विकसित की है जोकि शीघ्र ही वाणिज्यिक स्तर पर उपयोग के लिए होगी;

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत विश्व में ऐसा पहला देश है जिसने इस तकनीक को विकसित किया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) जी, नहीं। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने कोयले से 50% क्षमता तक बिजली का उत्पादन करने के वास्ते कोई नई प्रक्रिया विकसित नहीं की है, यद्यपि रूस तथा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के सहयोग से कुछ वर्षों तक चुम्बकीय द्रवगतिकी प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है। अभी तक विश्व में कोई भी देश चुम्बकीय द्रवगतिकी प्रक्रिया या अन्य किसी प्रक्रिया के द्वारा कोयले से 50% क्षमता तक बिजली का उत्पादन करने में सफलता हासिल नहीं कर पाया है।

पेट्रो-रसायन के उपोत्पाद संबंधी उद्योग

[अनुवाद]

3053 **श्री नुरूल इस्लाम** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन उद्योगों का पता लगा लिया है जो असम में बोंगाई गांव पेट्रो-रसायन परिसर के उपोत्पाद पर आधारित हो सकते हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार ने गोपालपाड़ा और धुबरी जिलों में ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए भी कदम उठाये हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) मे० बी आर पी एल के पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स से उत्पादों का उपयोग करने वाले अनेक उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें निम्न शामिल हैं :—

1. बीबीपीएल द्वारा सप्लाई किए जाने वाले प्रतिवर्ष 65000 मीट्रिक टन भारी ऐरोमिटिक एक्सट्रेक्ट का उपयोग करके पेट्रो नेफ़थालीन के विनिर्माण के लिए मे० डालमिया इंडस्ट्रीज लि० द्वारा स्थापित किया जाने वाला एक डाऊन स्ट्रीम उद्योग। उक्त उद्योग को बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो केमिकल्स लि० के पीछे डीआईसी में एक स्थल पर स्थापित किया जाना है।

2. बीआरपीएल द्वारा सप्लाई किए जाने वाले डिएमटी पर आधारित प्रतिवर्ष 15,000 टन पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न का निर्माण करने के लिए संयुक्त क्षेत्र की परियोजना (पराग बोसिमी) मंगलडोई में स्थापित की जा रही है।

3. यार्न/कपड़े के निर्माण हेतु असम में 3 पीएसएफ कताई एककों और एक कताई एवं कम्पोजिट मिल को बीआरपीएल द्वारा पॉलिस्टर स्टेपल फायबर सप्लाई किया जा रहा है। उपर्युक्त मिलें रंगिया, जागी रोड, बिजनी और टिह में स्थित हैं।

4. बोइटामारी में एक और कताई एकक जो पहले गोलपाड़ा जिले में था लेकिन बोंगाईगांव नामक नया जिला बना दिए जाने के बाद अब बोंगाईगांव में है स्थापित किया जा रहा है और यह भी बीआरपीएल फाइबर का प्रयोग करेगा।

चीनी की आपूर्ति के लिए अलग राशन कार्ड

3052 **श्री ताराचन्द खन्डेलवाल** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार का विचार उन लोगों को अलग राशन कार्ड जारी करने का है जो उचित दर की दुकानों से केवल चीनी खरीदते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उचित दर की दुकानों पर घटिया दर्जे के चावल और गेहूं उपलब्ध होने के कारण आम आदमी इन दुकानों से ये मदें खरीदने के इच्छुक नहीं होते; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उचित औसत गुणता का चावल और गेहूं जारी करता है जो उचित दर की दुकानों के जरिए इन वस्तुओं के आगे वितरण करने की व्यवस्था करते हैं । उचित दर की दुकानों के जरिए जनता द्वारा सामान्यतया चावल और गेहूं की 140 लाख मी० टन की बड़ी मात्रा प्रतिवर्ष उठाई जाती है । तथापि, केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे निगरानी को और कड़ा बनाएँ, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी उपभोक्ताओं को उपयुक्त गुणता का चावल और गेहूं मिले ।

राजकोट और अहमदाबाद का अन्य केन्द्रों से माइक्रोवेव सम्पर्क

[हिन्दी]

3055. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने राजकोट और अहमदाबाद दूरदर्शन रिले केन्द्रों को देश के अन्य रिले केन्द्रों के साथ माइक्रोवेव से जोड़ने के संबंध में कोई प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) गुजरात सरकार से ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनमें क्षेत्रीय सेवा कार्यक्रम रिले करने के लिये राजकोट के दूरदर्शन अंतरिक्ष खण्ड में सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर इनसैट-II के कार्यकाल अर्थात् 1993-95 में पूरा करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब इस सेवा को इससे पहले ही शुरू करने की व्यवस्था कर ली गई है ।

खगड़िया, बिहार में कुछ उद्योगों की स्थापना

3056. **श्री रामशरण यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की खगड़िया, बिहार में कुछ उद्योगों की स्थापना करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । तथापि नई औद्योगिक नीति के अनुसार, सुरक्षा तथा सामरिक महत्व की संस्थाओं इत्यादि से संबंधित उद्योगों की एक छोटी सूची के अलावा सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसीकरण समाप्त कर दिया गया है । इस नीति में यह उल्लेख है कि विशेषरूप से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग के छितराव को बढ़ावा देने और शहरों में भीड़ भाड़ कम करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन तथा मूल संरचनात्मक विकास में निवेश की डिजाइन का प्रयोग किया जायेगा ।

महाराष्ट्र को आबंटित मुख्य मदों की मात्रा

[अनुवाद]

3057. **श्री अण्णा जोशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान महाराष्ट्र को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मुख्य मदों की कितनी-कितनी मात्रा का आबंटन किया गया;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान वास्तविक रूप से प्रत्येक मद की कितनी-कितनी मात्रा जारी की गई;

(ग) वर्ष 1990-91 क दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा वास्तविक रूप से कितनी मात्रा उठाई गई;

(घ) क्या न उठाई गई शेष मात्रा, यदि कोई हो, वर्ष 1991-92 के लिए उपलब्ध है और

(ड) महाराष्ट्र को वर्ष 1991-92 के लिए कितनी मात्रा आबंटित की गई ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण करने हेतु 1990-91 में महाराष्ट्र सरकार को आबंटित और उसके द्वारा उठाई गई चावल, गेहूँ, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी के तेल की मात्रा निम्नवत है :—

(हजार मी० टन में)

वस्तु	आबंटित (1990-91)	उठाई गई मात्रा (1990-91)
चावल	559	543
गेहूँ	1200	1131
लेवी चीनी	368	*
आयातित खाद्य तेल	120	107
मिट्टी का तेल	1481	1494

* लेवी चीनी की आमतौर पर लगभग शत-प्रतिशत मात्रा उठा ली जाती है ।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटनों को न उठाई गई मात्रा माह के अंत में व्यपगत हो जाती है । तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अनुरोध पर गुणावगुण के आधार पर न उठाए गए

कोटे का पुनर्वेधीकरण किया जा सकता है अथवा उसकी वैधता की अवधि बढ़ाई जा सकती है । तथापि, मिट्टी के तेल के मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

(ङ) 1991-92 के पहले पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त, 1991) में महाराष्ट्र को उपर्युक्त मदों को आबंटित मात्रा निम्नवत है :—

(हजार मी० टन में)

वस्तु	आबंटित (1991-92)
चावल	232
गेहूँ	585
लेवी चीनी	150
आयातित खाद्य तेल	0.6
मिट्टी का तेल	587

तिरूअनन्तपुरम दूरदर्शन केन्द्र से मलयालम भाषा के कार्यक्रम

3058. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूअनन्तपुरम दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित होने वाले मलयालम कार्यक्रम केरल के सभी जिलों में दिखायी देते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो ये कार्यक्रम किन-किन जिलों में नहीं दिखायी देते हैं; और

(ग) इन जिलों में मलयालम कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरजा व्यास) : (क) और (ख) जी, नहीं । ये कार्यक्रम, कन्नूर, वायनाड तथा कसारगोड जिलों के किसी भी भाग में उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) कोझीकोड में मौजूदा अल्पशक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति (10 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है । इस परियोजना के चालू हो जाने से वायनाड और कन्नूर जिलों के कुछ भागों में तिरूअनन्तपुरम दूरदर्शन के मलयालम कार्यक्रम देखे जा सकेंगे । तथापि, इससे कसारगोड जिले को, कोझीकोड से दूर होने के कारण लाभ नहीं होगा । राज्य के कवर न हुए भागों में प्रादेशिक सेवा का और कवरेज इस प्रयोजिन के लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

सेमीकंडक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड में आग लगना

3059. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेमी कंडक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड, मोहाली में लगी आग से आई० सी० बनाने की सुविधा पूरी तरह नष्ट हो गई थी;

(ख) क्या इस आग लगने के कारणों का पता लगा लिया गया है; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई हो, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लि० (एस सी एल) साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पंजाब में फरवरी, 1989 में लगी आग के कारण एल एस आई/वी एल एस आई चिपों के विनिर्माण और साथ ही प्रक्रिया अनुसंधान तथा विकास की सुविधाएं, नष्ट हो गई है; कम्प्यूटर साधित डिजाइन और माड्यूलों तथा उप-प्रणालियों की सुविधाओं का अंश सुरक्षित है ।

(ख) और (ग) आग लगने के कारणों तथा संबंधित मामलों की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की गई थी । समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि आग लगने के कारणों के बारे में किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के किसी समूह को विशिष्ट रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है और यह कि आग लगने की एक दुर्घटना ही माना जा सकता है ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाएं

3060. **श्री के० प्रधानी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे समुद्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से चार्टर्ड नौकाओं की संख्या कितनी है;

(ग) इन नौकाओं से पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(घ) नई नौकाएं खरीदने की अनुमति के लिए सरकार के पास लंबित पड़े आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(ङ) ये आवेदन कब से लंबित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) भारतीय समुद्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की संख्या 209 है ।

(ख) 9.8.91 की स्थिति के अनुसार भारतीय समुद्र में काम कर रहे किराए पर लिए गए विदेशी मात्स्यिकी जलयानों की संख्या 39 है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किराए पर लिए गए विदेशी मात्स्यिकी जलयानों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	*अमरीकी डालर लाखों में*
1988	8.05
1989	16.54
1990	28.57

(घ) और (ङ) मंत्रालय में इस समय समुद्री मात्स्यिकी जलयानों के अधिग्रहण के लिए 7 आवेदन-

पत्र लंबित पड़े हैं । इनकी विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है और आवेदन-पत्रों में कुछ सूचना की कमी के कारण इन्हें मंजूरी नहीं दी जा सकी ।

हिन्दुस्थान न्यूजप्रिंट लिमिटेड

3061. **श्री रमेश चेन्नीला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वैल्लूर स्थित हिन्दुस्थान न्यूजप्रिंट लिमिटेड से छोड़े गए बहि:स्राव को शुद्ध करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं: और

(ख) क्या सरकार का केरल में वैल्लूर स्थित हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड से छोड़े गए बहि:स्राव से होने वाले प्रदूषण को दूर करने हेतु आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड के बहि:स्राव को, प्रदूषण भार के आधार पर तीन प्रवाहों में विसंयोजित और एकत्रित किया जाता है । प्रदूषित बहि:स्राव को छोड़े जाने से पूर्व प्राथमिक और माध्यमिक उपचार प्रणालियों में साफ किया जाता है । स्वच्छीकृत बहि:स्राव केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों के अनुरूप होता है ।

(ख) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित तथा उपलब्ध आधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर बहि:स्राव उपचार प्रणाली को अपनाया है ।

वैदिक संस्कृत ग्रंथों के प्रोसेसिंग के लिए मानक आन्तरिक कोड

3062. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदिक संस्कृत ग्रंथों की प्रोसेसिंग के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कोई मानक आन्तरिक कोड है;

(ख) एन० सी० एस० टी० कोड, सी० डी० ए० सी० कोड, डी० ओ० ई० कोड और सी० एम० सी० कोड में से किस कोड को मानक कोड के रूप में स्वीकार किया गया है और इन कोडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जी० आई० एस० टी० कोड को मानक कोड के रूप में लिया जा सकता है और क्या यह वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त सभी गुणों की प्रोसेसिंग कर सकता है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या विदेशों में भी संस्कृत शोधार्थियों द्वारा ऐसा ही कोड प्रयोग में लाया जा रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) ने सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारतीय लिपि कोड के भारतीय मानक (इस्की) का मसौदा तैयार किया है । यह मानक एक समिति द्वारा तैयार किया गया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र, उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डेक), सी एम सी आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

(ग) जी, हां । जैसाकि भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों में बताया गया है, ग्राफिक्स तथा बुद्धि पर

आधारित लिपि प्रौद्योगिकी कार्ड वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले अक्षरों (उच्चारण-चिन्ह सहित) का संसाधन कर सकता है ।

(घ) जी. नहीं ।

नारियल जटा श्रमिक कल्याण निधि योजना के लिए सहायता

3063. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नारियल जटा श्रमिक कल्याण निधि के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए कोई अभ्यावदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना को लागू करने के लिए कोई सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) तथा (ख) दिसम्बर, 1990 में, कॅयर बोर्ड ने सरकार से अनुरोध किया था कि उन्हें केरल नारियल जटा श्रमिक कल्याण निधि में 25 लाख रू० की राशि का योगदान करने की अनुमति दी जाये ।

(ग) तथा (घ) योजना आयोग से परामर्श करके इस मामले की जाँच की जा रही है ।

महाराष्ट्र में खोई पर आधारित न्यूजप्रिन्ट एकक

3064. **श्री धर्मन्ना मोन्डय्या सादुल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीमगांव, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र में खोई पर आधारित न्यूजप्रिन्ट उद्योग की स्थापना करने के संबंध में क्या प्रगति हुई;

(ख) एकक स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं जबकि सभी प्रारंभिक आवश्यकताएं पहले ही पूरी कर ली गई है; और

(ग) एकक कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) खोई से अखबारी कागज़ बनाने के लिए जिला शोलापुर (महाराष्ट्र) के नीमगांव नामक स्थान पर एक नये उपक्रम की स्थापना करने के वास्ते 31.8.1990 को एक आशय पत्र मेसर्स वेस्टर्न महाराष्ट्र डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि० (डब्ल्यू० एम० डी० सी०) के नाम जारी किया गया था । डब्ल्यू० एम० डी० सी० ने मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र्स लि०, बम्बई के साथ मिलकर यह परियोजना संयुक्त क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव किया था । बाद में मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० ने इस परियोजना में साझेदारी करने से इंकार कर दिया । रिपोर्ट मिली है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मैसर्स ओरिएंट पेपर इंडस्ट्रीज़, कलकत्ता से एक तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट पेश करने को कहा है । एकक के स्थापित होने के संभावित समय का अनुभाग डब्ल्यू० एम० डी० सी० द्वारा उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने बाद ही लगाया जा सकता है ।

उत्तर प्रदेश में रूग्ण औद्योगिक एककों को अर्थक्षम बनाना

[हिन्दी]

3065. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने रूग्ण औद्योगिक एककों को अर्थक्षम बनाया गया और बरेली जिले में पुनर्जीवित एककों की संख्या कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों से प्राप्त अर्ध-वार्षिकी विवरणियों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित किए गए रूग्ण लघु उद्योग क्षेत्र तथा गैर लघु उद्योग क्षेत्र के रूग्ण/एककों की संख्या इस प्रकार है :—

रूग्ण लघु उद्योग	—	40
रूग्ण गैर-लघु उद्योग	—	01
कमजोर गैर-लघु उद्योग	—	01
		42

पुनर्जीवित किए गए किसी भी रूग्ण/कमजोर गैर-लघु उद्योग का जिला बरेली से संबंध नहीं है । केन्द्र सरकार द्वारा पुनर्जीवित किए गए लघु उद्योग एककों के संबंध में जिलावार सूचना नहीं रखी जाती है ।

पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर जांच आयोग का गठन

[अनुवाद]

3066. **श्री सुधीर गिरि** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा पेप्सी फूडस प्राईवेट लिमिटेड की इसके द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने के संबंध में बरती गई लापरवाहियों की जांच करने के लिए कोई जांच दल गठित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच दल ने कोई जांच की है;

(ग) यदि दल ने कोई निष्कर्ष निकाला है तो वह क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कम्पनी को निर्धारित शर्तों का अनुसरण के लिए बाध्य करने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) पेप्सी परियोजना का मौके पर जाकर अध्ययन करने और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकारियों का एक दल परियोजना के विभिन्न यूनिटों में भेजा गया था । इस दल ने इन यूनिटों का दौरा करने के बाद परियोजना की दिसम्बर, 1990 की स्थिति के आधार पर अब अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है ।

(ग) दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया है कि :-

(1) कंपनी ने पंजाब में आलू/खाद्यान्न प्रसंस्करण, मृदु पेय सांद्रण और फल तथा सब्जी प्रसंस्करण यूनिट स्थापित किए हैं।

(2) कंपनी ने टमाटर के पौधे उगाने के लिए पोलिथिन आवरणों के नीचे आरक्षित नर्सरी के विकास और "डीप चिसलिंग टैकनीक" अपनाकर अच्छी किस्म के अधिक पैदावार देने वाले वर्णसंकर टमाटरों को उगाने में किसानों को प्रोत्साहित करने के भी कदम उठाए हैं।

(3) ऊर्जा की बचत करने वाली अपविस्तारक प्रक्रिया के साथ सेब रस सांद्रण और नाशपाती रस सांद्रण और सांद्रण तैयार करने के लिए उपस्करों को आयात चालू नहीं किया गया है।

(4) मृदु पेय सांद्रण के बिक्री कारोबार में स्पष्ट रूप से कमी आई है।

(5) पेप्सी परियोजना के अधीन तीन यूनिटों, जिनके लिए आशय-पत्र विदेशी सहयोग की स्वीकृती दी गई थी, में तैयार किए गए अपने उत्पादों अर्थात फल एवं सब्जी उत्पादों, प्रसंस्कृत आलू/खाद्यान्न उत्पादों और मृदु पेय सांद्रण का कोई निर्यात नहीं किया गया है।

(घ) कम्पनी ने बताया है कि इसने अपना निर्यात-दायित्व पूरा कर लिया है और इसने मृदु पेय सांद्रण तैयार करने की निर्धारित सीमा से अधिक उत्पादन नहीं किया है। इसके उत्तर की जांच विधिकार्य विभाग के साथ परामर्श करके की जा रही है।

औद्योगिक मूल्य आयोग

3067. **श्री काशी राम राणा**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ उद्योगों द्वारा अनुचित लाभ कमाने को रोकने के लिए सरकार का कृषि मूल्य आयोग की तरह एक औद्योगिक मूल्य आयोग की स्थापना करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कैगा परमाणु परियोजना

3068. **श्री जी० देवराय नायक**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कैगा परमाणु परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार का कुछ और एककों को स्वीकृति देकर उक्त परियोजना की क्षमता में वृध्दि करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना के कारण प्रभावित हुए व्यक्तियों के उचित पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) दो यूनिटों वाली कैगा परमाणु विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है। स्थल संबंधी आधारभूत कार्य और मुख्य

संयंत्र से संबंधित सिविल निर्माण-कार्य किए जा रहे हैं । प्रमुख उपस्कर और संघटकों के निर्माण और सुपुर्दगी संबंधी कार्योंको क्रमिक रूप से पूरा किया जा रहा है ।

(ख) जून, 1991 तक इस परियोजना पर कुल 310 करोड़ रूपए के लगभग व्यय किए जा चुके हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) उसी स्थल पर चार और यूनिट (कैगा 3 से 6) लगाने का प्रस्ताव है जिनमें से प्रत्येक यूनिट की क्षमता 220 मेगावाट होगी । प्रस्तावित विस्तार कार्य के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्थल के बारे में पर्यावरण संबंधी अनुमति की प्रतीक्षा है ।

(ङ) कुल मिलाकर 133 परिवारों की भूमि प्रभावित हुई थी जिनमें से केवल 85 परिवारों को ही विस्थापित करना पड़ा था । न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भूमि के मुआवजें की और पुनर्वास संबंधी अनुदान की राशि कर्नाटक राज्य सरकार के पास जमा कर दी थी । न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 85 विस्थापित परिवारों को फिर से बसाने के लिए उस भूमि पर जो राज्य सरकार ने निर्धारित की है, सड़कें, गलियों में बिजली उपलब्ध कराने आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं का भी विकास कर रही है । न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उन परिवारों में से 132 व्यक्तियों को अपने यहाँ नौकरी दी है जिनकी भूमि प्रभावित हुई है ।

नृत्य कलाकारों के चयन संबंधी मानदंड

3069. **श्री के. राममूर्ति टिण्डिवणम :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर राष्ट्रीय नृत्य कार्यक्रम के प्रसारण हेतु नृत्य कलाकारों का चयन करने के संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) चुने गए उन कलाकारों की अलग-अलग संख्या क्या है जो सेवारत भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों अथवा सेवानिवृत अधिकारियों की पत्नियां हैं;

(ग) कितने कलाकारों के कार्यक्रमों को पुन: प्रसारण का सुअवसर दिया गया; और

(घ) क्या दूरदर्शन पर नृत्य कार्यक्रम देने के लिए इन कलाकारों की कोई आयु सीमा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) राष्ट्रीय नृत्य कार्यक्रम में नृत्य के उन कलाकारों को प्रस्तुत किया जाता है जो दूरदर्शन द्वारा गठित केन्द्रीय नृत्य परीक्षण बोर्ड से "क" या "सर्वोच्च" ग्रेड प्राप्त होते हैं ।

(ख) चूंकि यह चयन ग्रेड और नृत्य प्रस्तुतीकरण के स्तर के आधार पर किया जाता है अत: कलाकारों के रिश्ते की बात प्रासंगिक नहीं है ।

(ग) कलाकारों को कार्यक्रम अपेक्षा के अनुसार बारी-बारी से चुना जाता है । दूरदर्शन के अनुसार जुलाई, 1990 से जुलाई, 1991 के दौरान नृत्य के राष्ट्रीय कार्यक्रम में किसी भी कार्यक्रम को फिर से प्रसारित नहीं किया गया ।

(घ) यद्यपि कोई भी व्यक्ति 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद परीक्षा का पात्र हो जाता है फिर भी युवा प्रतिभाशाली बच्चों को भी अवसर दिया जाता है । दूरदर्शन पर कार्यक्रम देने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है ।

लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

3070. श्री प्रकाश वी. पाटिल
श्री यशवंतराव पाटिल
श्री गुरूदास कामत } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने प्रति वर्ष गत तीन वर्षों के दौरान लाभ अर्जित किया; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक ऐसे उपक्रम ने कितना लाभ वर्ष-वार अर्जित किया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) तथा (ख) विगत तीन वर्ष अर्थात 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90, केवल जिस अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है, के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम द्वारा अर्जित निवल लाभ की राशि तथा उनके नाम क्रमशः दिनांक 15-3-1990 तथा 27-2-1991 को सभा-पटल पर रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1988-89 तथा 1989-90 के खण्ड-1 की पृष्ठ संख्या 213 से 217 तथा विवरणी पृष्ठ संख्या 50 से 55 तक पर दिए गए हैं।

औरंगाबाद आकाशवाणी केन्द्र का विस्तार

3071. श्री मोरेश्वर सावे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औरंगाबाद आकाशवाणी केन्द्र का विस्तार करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार मराठवाड़ा क्षेत्र में विविध-भारती स्टेशन की स्थापना करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार परभणी आकाशवाणी केन्द्र की प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का कार्यान्वयन कब तक कर दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। बढ़ाई गई स्टुडियो सुविधाएं तकनीकी रूप से बनकर तैयार हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली मदें

3072. श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली सार्वजनिक उपभोग की मदों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गरीब उपभोक्ताओं को रियायती कपड़े, अर्थात साड़ियों और धोतियों की भी सप्लाई की जा रही है; और

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में राज्यवार कितना-कितना वित्तीय भार वहन करना पड़ता है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई करने के लिए प्रमुख आवश्यक वस्तुएं, जैसे गेहूं, चावल, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल तथा साफ्टकोक आबंटित करती है । राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इनके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केंद्रों के माध्यम से आम खपत की अतिरिक्त मदों को वितरित करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

(ख) राजसहायता-युक्त कपड़े, जैसे साड़ियां तथा धोतियां विभिन्न बिक्री केन्द्रों के जरिए उपभोक्ताओं में वितरित किए जाते हैं ।

(ग) गेहूं तथा चावल के वितरण के लिए राजसहायता पर वर्ष 1990-91 में लगभग 2142 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है ।

राजसहायता पर राज्यवार व्यय तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने पर राज्य सरकारों के अपने खर्च के बारे में आंकड़े इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं ।

उचित दर की दुकानों के आबंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता

[हिन्दी]

3073. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकानों का आबंटन करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के निर्देश देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दुकानों, मिट्टी के तेल के डिपुओं, कोयला डिपुओं आदि के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए कोटा नियत करने पर विचार करें । अनेक राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन लाइसेंस जारी करने के मामले में या तो ऐसे कोटे नियत कर रहे हैं अथवा इन समुदायों से संबंधित लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं ।

टेलिविजन पर वाणिज्यिक एजेंसियों को समय

[अनुवाद]

3074. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक एजेंसियों को टेलीविजन पर "प्राइम टाइम" का कितने प्रतिशत समय दिया जाता है; और

(ख) क्या सरकार का इस प्रतिशतता को कम करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) "प्राइम टाइम" की अवधारणा का तात्पर्य दर्शकों की सुविधा और कार्यक्रमों की लोकप्रियता से है । किसी एक स्लाट को अनन्य रूप से प्राइम स्लाट नहीं माना जा सकता । वर्तमान में, लगभग 2.5 प्रतिशत प्रसारण समय वाणिज्यिक विज्ञापनों को दिया जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

सिन्दरी उर्वरक फैक्टरी की उत्पादन क्षमता

[हिन्दी]

3075. **श्रीमती रीता वर्मा**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी उर्वरक फैक्टरी की निरन्तर गिरती स्थिति के कारण इसकी उत्पादन क्षमता में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो घटते हुए उत्पादन के कारण प्रति वर्ष कितना घाटा सहना पड़ता है; और

(ग) सरकार इस घाटे को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) गत दो वर्षों के दौरान सिन्दरी फर्टिलाइजर फैक्टरी की क्षमता उपयोगिता में पूर्ववर्ती दो वर्षों के उत्पादन की तुलना में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी गई है ।

(ख) गत चार वर्षों के दौरान उत्पादन में गिरावट के कारण हुई हानि सहित वार्षिक रूप से उठायी गई हानियां निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	(करोड़ रुपयों में)
1987-88	16.39
1988-89	23.69
1989-90	29.75
1990-91	41.14 (अनन्तिम)

(ग) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० द्वारा हानियों पर काबू पाने के लिए किए गए उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(1) सिंथेटिक गैस कम्प्रेसर में टर्बाइन तथा तीन निस्रावी रिवेक्सों का प्रतिस्थापन ।

(2) लगभग 19 करोड़ रु० की लागत पर संयंत्र का पुनरूद्धार ।

(3) 13.64 करोड़ रु० की लागत पर एयर सेपरेशन संयंत्र में मोलेकुलर सीव यूनिट के स्थापना की योजना ।

एफ सी आई ने 142.64 करोड़ रु० की लागत पर 2+19 मेगावाट केपटिव पावर संयंत्रों के स्थापना का प्रस्ताव भी भेजा है ।

मध्य प्रदेश में खाद्य प्रौद्योगिकी हेतु प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की शाखा

3076. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय**
कु. विमला वर्मा } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण एककों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तथा आवश्यक गुणवत्ता स्तर बनाये रखने के लिए मध्य प्रदेश में खाद्य प्रौद्योगिकी हेतु प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की एक शाखा की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) तथा (ख) जी नहीं । तथापि खाद्य प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न पहलुओं विषयक देश के केन्द्रीय भाग की आवश्यकता पूर्ति के लिए केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर पहले ही नागपुर में एक क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना कर चुका है ।

केरल में रूग्ण लघु उद्योग

[अनुवाद]

3077. **श्री ए. चार्ल्स**
श्री एम. रमन्ना राय } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पांच लाख रुपए से कम पूंजी निवेश वाले बहुत छोटे और लघु उद्योगों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन उद्योगों में कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है;

(ग) उनमें से कितने उद्योग रूग्ण हैं और कितने लाभ अर्जित कर रहे हैं;

(घ) कुछ उद्योगों की रूग्णता के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी.जे. कुरियन) : (क) 31-12-1990 को केरल में सीडो के कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले ऐसे एककों सहित जिनमें संयंत्र तथा मशीनों में निवेश की राशि 5 लाख रु० से कम है, पंजीकृत लघु औद्योगिक एककों की कुल अनुमानित संख्या 55,821 थी ।

(ख) केरल में उपर्युक्त लघु औद्योगिक एककों में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या अलग से उपलब्ध नहीं है ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर, 1988 को केरल में रूग्ण औद्योगिक एककों की संख्या 20,735 थी । बैंकों की मौजूदा आंकड़ा सूचना प्रणाली के अधीन लाभ कमाने वाले लघु औद्योगिक एककों की संख्या से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र नहीं किए जाते हैं ।

(घ) लघु क्षेत्र में रूग्णता के लिए प्राय: साथ-साथ होने वाले आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के कई कारण उत्तरदायी हैं । लघु क्षेत्र में रूग्णता के पता लगाए गए प्रमुख कारणों में से कुछ कारण ये हैं :—पर्याप्त कच्चे माल तथा कार्यशील पूंजी की कमी, प्राप्त हो सकने वाली राशि की खासतौर से बड़े एककों से विलंब से प्राप्ति, विपणन समस्याएं, प्रबन्ध संबंधी कमियां, प्रौद्योगिकी का पुराना हो जाना, बिजली की बार-बार कटौती/रूकावट, श्रमिक समस्याएं आदि ।

(ङ) रूग्ण एककों के पुनर्जीवन के लिए किए गए उपायों में लघु क्षेत्र में रूग्ण एककों के पुनर्वास के संबंध में सभी वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत शामिल हैं, जिनमें रूग्ण लघु औद्योगिक एककों की परिभाषा जीव्यता मानदंडों, प्रत्याशित रूग्णता तथा साथ ही संभावित रूप से जीव्यक्षम रूग्ण एककों के मामले में पुनर्वास पैकेजों के कार्यान्वयन हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाली राहत व रियायतों का भी विशेष उल्लेख है।

भारत सरकार की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रूग्ण लघु एककों के पुनर्जीवन हेतु एक पुनर्वास पैकेज बनाने के लिए सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में केरल सहित सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अन्तर-संस्थानिक समितियों का गठन किया है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक संभावित रूप से जीव्यक्षम रूग्ण लघु औद्योगिक एककों के लिए परस्पर स्वीकार्य पुनर्वास पैकेजों का निर्माण करने में ऋण देने वाली प्रमुख संस्थाओं और प्रवर्तकों की सहायता करने के लिए केरल सहित विभिन्न राज्यों में पुनर्वास बैठकों का आयोजन करता रहा है।

केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय रूग्ण लघु एककों के पुनर्जीवन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक सीमांत धन योजना भी चला रहा है जिसके अधीन प्रत्येक एकक को 50,000 रू० तक की सहायता दी जाती है, 1983-84 से लेकर अब तक इस योजना के तहत केरल राज्य को 25 लाख रू० मंजूर किए गए हैं।

सिविल सेवा परीक्षा की भर्ती योजना में संशोधन

3078. **श्री रामनरेश सिंह**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा (प्रिलिमिनेरी) परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर उनके चयन में विषयवार कोटा प्रणाली अपनाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रणाली में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मागरिट अल्वा): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

केरल में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की क्षमता बढ़ाना

3079. **श्री ई० अहमद**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तिरूअनन्तपुरम से दूरदर्शन प्रसारण करके केरल के कन्नूर और कासारगोड जिलों तक कार्यक्रम पहुंचाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का केरल स्थित मालपपुरम दूरदर्शन ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाये जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) कोझीकोड के अल्पशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर और दूरदर्शन केन्द्र, तिरूअनन्तपुरम के बीच माईक्रोवेव लिंक सुविधा विद्यमान है जिससे कोझीकोड ट्रांसमीटर द्वारा दूरदर्शन केन्द्र, तिरूअनन्तपुरम से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम रिले किए जाते हैं। वर्तमान में इस ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति (10 कि० वा०) ट्रांसमीटर लगाया जा रहा

है । इस परियोजना के चालू हो जाने पर, कन्नूर जिले के कुछ हिस्सों में दूरदर्शन केन्द्र, तिरूअनन्तपुरम से प्रसारित कार्यक्रम देखना संभव हो जायेगा । तथापि, इस व्यवस्था से बीच की दूरी के कारण कसारगोड जिले को लाभ नहीं होगा ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । तथापि, कोझीकोड में लगाये जा रहे उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर को चालू हो जाने से मालपपुरम जिले में दूरदर्शन सेवा में सुधार हो जाएगा ।

स्वरोजगार मूलक उत्पादनकारी प्रयास

[हिन्दी]

3080. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या प्रधान मंत्री 17 जुलाई, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 69 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में विद्यमान स्वरोजगार मूलक उत्पादनकारी प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे उत्पादनकारी प्रयासों को बनाये रखने के लिये जिला और विकास मण्डल स्तर पर एककों को वित्तीय संस्थानों द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण गरीबों के लिये चलाये जा रहे स्वरोजगार के मुख्य कार्यक्रम ये हैं :— समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०), ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (टाइसेम), और ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना (डवाकरा) ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पता लगाये गए ग्रामीण गरीबों की आय सृजन करने वाली योजनाओं द्वारा सहायता की जाती है जिनका वित्त पोषण सरकार द्वारा सबसिडी और संस्थागत ऋण के जरिये किया जाता है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1990-91 में 668.16 करोड़ रुपये की सबसिडी सहित 1190.02 करोड़ रुपये के ऋण से 28.97 लाख परिवारों को सहायता दी गई थी ।

ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (टाइसेम) के तहत 18-35 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक कुशलता का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वरोजगार के कार्य शुरू कर सकें । 1990-91 में 2.34 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है जिस पर 33.81 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं ।

ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना (डवाकरा) के तहत महिला समूहों को अन्य बातों के साथ-साथ आय सृजन की गतिविधियां शुरू करने के लिये आवर्ती निधि हेतु सहायता दी जाती है । 1990-91 में राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार महिलाओं के 6481 समूहों का गठन किया गया जिस पर 739.09 लाख रुपये खर्च हुए हैं ।

(ख) तथा (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऋण से सम्बद्ध कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं द्वारा लाभार्थियों को सीधे ऋण उपलब्ध कराया जाता है । 1990-91 के दौरान वित्तीय संस्थाओं ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1190.02 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक लागत व मूल्य ब्यूरो का प्रतिवेदन

[अनुवाद]

3081. **श्री कुड़िया मुण्डा**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मूल्यों, जिनमें वृद्धि हो चुकी है, में संशोधन करने के लिए सीमेंट, एल्यूमिनियम, वस्त्र तथा इस्पात की उत्पादन लागत पर औद्योगिक लागत व मूल्य ब्यूरो द्वारा एक नया प्रतिवेदन प्राप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन): (क) इस समय सरकार का औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से सीमेंट, एल्यूमिनियम, वस्त्र तथा इस्पात की निर्माता लागत के संबंध में कोई नई रिपोर्ट मांगने का विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सीमेंट, एल्यूमिनियम और वस्त्रों पर कानूनी मूल्य नियंत्रण नहीं है।

इस्पात सामग्री की मुख्य श्रेणियों के मूल्य संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने हाल ही में जनवरी 1991 में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अतः बी० आई० सी० पी० से कोई नई रिपोर्ट मांगने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकार सीमेंट उद्योग के साथ निरन्तर संपर्क बनाए हुए है और उचित मूल्यों पर सीमेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आधार-भूत सहायता प्रदान करती रही है। सरकार ने सीमेंट के उचित मूल्य का शीघ्र विश्लेषण करने के लिए औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से मई, 1990 में अनुरोध किया था। इसे सितम्बर, 1990 में अद्यतन किया गया था। इस समय सीमेंट की निर्माता लागत के बारे में नई रिपोर्ट मांगने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आवश्यक वस्तुओं का कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव

3082. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 1991 की जनगणना पर आधारित जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर चीनी, मिट्टी के तेल, चावल जैसी आवश्यक वस्तुओं का कोटा बढ़ाने पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसे विभिन्न राज्यों की आवश्यकता के अनुसार कब तक बढ़ाने का प्रस्ताव है?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) तथा (ख) खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आबंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग, केंद्रीय पूल में भंडार की स्थिति, मौसमजन्य कारणों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए माह दर माह आधार पर किया जाता है। आयातित खाद्य तेल का आबंटन केंद्रीय सरकार के पास भंडार उपलब्ध होने पर किया जाता है।

मिट्टी के तेल का आबंटन सामान्यतया पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के आबंटन में उपयुक्त वृध्दि करके किया जाता है । वृध्दि की मात्रा मिट्टी के तेल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता पर निर्भर करती है ।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का आबंटन 1-10-1986 को अनुमानित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के एक-समान मानदण्ड पर किया जाता है । तथापि, केंद्रीय सरकार ने असमी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लेवी चीनी के आबंटन में अगस्त, 1991 के महीने से दिसम्बर, 1991 तक 5% की तदर्थ वृध्दि करने का निर्णय किया है, जिसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं तथा इनका उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सम्पूर्ण माँग को पूरा करना नहीं होता ।

उपसचिव का वेतन निर्धारण

3083. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने हाल ही में दिनांक 1 जनवरी, 1986 से अवर सचिव से उप सचिव के पद पर प्रोन्नत हुए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों का वेतन निर्धारण करने संबंधी मानदण्डों में संशोधन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों का ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 1(23)- ई III (ए)/74, दिनांक 25-5-74 में उल्लिखित नियम ऐसे मामलों पर लागू होते हैं जहां वेतन का निर्धारण सरकार द्वारा जारी किए गए नवीनतम आदेशों के अनुरूप किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उपसचिव पद पर प्रोन्नत हुए अधिकारी नवीनतम आदेश से प्राप्य अन्य लाभ सहित उपसचिव पद के वेतनमान में आने वाली अगली वेतनवृध्दि की तारीख से अपने वेतन के निर्धारण का विकल्प दे सकते हैं; और

(ङ) सरकार का इस संबंध में आवश्यक आदेश कब तक जारी करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) :

(क) जी, हां ।

(ख) सरकार द्वारा दिनांक 6 मार्च, 1991 को जारी किए गए आदेश संलग्न विवरण I में दिए गए है ।

(ग) तथा (घ) जी, हां ।

(ङ) सरकार द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 1991 को जारी किए गए आदेश संलग्न विवरण II में दिए गए हैं ।

विवरण I

संख्या 5/3/89-स्था० (वेतन-I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च, 91

कार्यालय ज्ञापन

विषय : चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिश—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की अवर सचिव स्तर से उप सचिव स्तर पर पदोन्नति होने पर वेतन का निर्धारण ।

मुझे, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की अवर सचिव के पद से उप सचिव के पद पर पदोन्नति होने पर वेतन के निर्धारण के संबंध में चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 9.25 में दी गई सिफारिशों का हवाला देते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनर्विचार करने पर अब सरकार ने इसे स्वीकार करने का निर्णय किया है ।

2. तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 10 अप्रैल, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2/86-स्था० (वेतन-I) में आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति यह निर्णय लेते हैं कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की अवर सचिव के स्तर से उप सचिव के स्तर पर पदोन्नति के मामले में मूल वेतन में 250/- रु० प्रति माह की न्यूनतम वेतन-वृद्धि की मंजूरी दी जाए ।

3. ये आदेश 1-1-86 से प्रवृत्त होंगे ।

(श्रीमति रेवथी अय्यर)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग इत्यादि ।

विवरण II

संख्या 5/3/89-स्थापना (वेतन)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त, 91

कार्यालय ज्ञापन

विषय : चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिश—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की अवर सचिव स्तर से उप सचिव के स्तर पर पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण ।

इस विभाग के दिनांक 6-3-91 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों की अवर सचिव स्तर से उप सचिव के स्तर पर उनकी पदोन्नति पर वेतन के निर्धारण की पध्दति के बारे में कुछ संदेह व्यक्त किए गए हैं ।

2. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि 1-1-1986 से अवर सचिव से उप सचिव के पद पर पदोन्नत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों का वेतन निम्नलिखित सिध्दान्त का पालन करके निर्धारित किया जाए ।

इन अधिकारियों का वेतन नीचे निर्दिष्ट दो राशियों के उच्चतर स्तर पर निर्धारित किया जाएगा :—

(i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड के समय वेतनमान के न्यूनतम पर; तथा

(ii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में अधिकारी के वेतन के समतुल्य, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड के समय-वेतनमान में स्तर जमा 250 रुपये अथवा यदि ऐसा कोई स्तर न हो तो, आगामी उच्चतर स्तर पर ।

3. यह भी निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में स्थानापन्न रूप में कार्यरत अधिकारियों के मामले में, वेतन वृध्दि के परिणामस्वरूप अथवा अन्यथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड में उनके मूल वेतन में वृद्धि पर, चयन ग्रेड में अधिकारियों के स्थानापन्न वेतन को उपर्युक्त उपबंधों के अनुसार पुनः निर्धारित किया जाएगा, यदि ऐसा पुनः निर्धारण उनके लिए लाभकारी है ।

(टी० ओ० थामस)

अवर सचिव, भारत सरकार

वाराणसी, उत्तर प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना

3084. **श्री ज्ञानन्द रत्न मौर्य**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले वाराणसी में भारी उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) और (ख) 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में उद्योग स्थापित करने के लिए आशय-पत्र की मंजूरी हेतु 3 आवेदन पत्र सरकार के पास लंबित पड़े थे ।

(ग) और (घ) चूंकि ये प्रस्ताव गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए हैं, अतः इस उद्देश्य के लिए पंचवर्षीय योजना में किसी राशि के आबंटन का प्रश्न नहीं उठता ।

केरल की परियोजनायें/योजनायें

3085. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या केरल सरकार ने स्वीकृति हेतु कुछ केन्द्र प्रायोजित परियोजनायें/योजनायें योजना आयोग के पास भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो केरल सरकार द्वारा भेजी गई विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना आयोग द्वारा स्वीकृति की गई परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष परियोजनाओं/योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) तथा (ख) यह तथ्य है कि केरल सरकार ने आठवीं योजना में केन्द्र प्रायोजित स्कीमों में शामिल करने के लिए कुछ सांस्कृतिक स्कीमें भेजी है। स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) तथा (घ) केरल सरकार को सूचित कर दिया गया है कि उनके द्वारा योजना आयोग को भेजी गई स्कीमें कुल मिलाकर राज्य क्षेत्रक से संबंधित है।

विवरण

(लाख रु० में)

स्कीम का नाम (1)	स्कीम का संक्षिप्त विवरण (2)	प्रस्तावित परिव्यय (3)
1. प्राचीन कलाकृतियों का पंजीकरण	केन्द्रीय "प्राचीन कलाकृति तथा कला निधि अधिनियम-1972" के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत फर्नीचर के मद इस अधिनियम के तहत तथा उसके प्रलेखन को शामिल किया जाना।	25.00
2. प्रलेखन	स्थान पर ही ऐतिहासिक रूप से बहुमूल्य प्राचीन हस्तलिपियों की माइक्रो फिल्म बनाना।	50.00
3. चित्रकलाओं का प्रलेखन तथा संरक्षण	भित्ति चित्रों के साथ 78 स्मारकों का पता लगाया गया। केवल तीन को सांस्कृतिक विभाग द्वारा संरक्षित किया जाता है। असंरक्षित चित्रकलाओं के संरक्षण तथा प्रलेखन के लिए।	30.00
4. केरल के लिए संरक्षण केन्द्र की स्थापना	कलाकृतियों, कलावस्तुओं के लिए राज्य स्तर पर एक संरक्षण प्रयोगशाला/संग्रहालयों, पुरालेखों, निजीमंदिरों इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र।	50.00
5. बच्चों की बहुरंगी चित्रयुक्त विश्वकोष का मुद्रण-5 खंड प्रत्येक 9 लाख रु० की दर से।		45.00
6. ग्रामीण शैक्षणिक विकास कार्यक्रम	पुस्तकें, टी० वी०, वी० सी० आर०, प्रोजेक्टर वाहन	5.35
7. चिल्ड्रन पैलेस	के० एस० एफ० डी० सी० के संयुक्त प्रयास से संग्रहालय, पुस्तकालय, मिनी चिल्ड्रन पार्क, सिनेमाहाल सहित राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक एकता लाने के लिए एक केन्द्र।	32.00
8. विश्वकोष प्रकाशनों (केरल) की राज्य संस्थान समिति	सामान्य विश्वकोष (20 खंड-8 खंड पहले ही प्रकाशित)	25.00

विवरण—जारी

(1)	(2)	(3)
	विश्व साहित्य का विश्वकोष (10 खंड सभी प्रादेशिक तथा लगभग 83 विश्व भाषाएं तथा 28,000 लेख परिकल्पित) -वही- लोक साहित्य (5 खंड) -वही- सामाजिक विज्ञान (5 खंड) -वही- जीवन विज्ञान (5 खंड) -वही- भौतिक विज्ञान (5 खंड) संस्थान में 55 स्थायी सम्पादकीय स्टाफ तथा 5 प्रशासनिक स्टाफ है। प्रत्येक खंड की लगभग 3000 प्रतियां अधिकांशत: उन लोगों को जो स्कूल अध्यापक हैं बेची जा रही हैं। वार्षिक व्यय 35 लाख रु० है।	
9. वर्ष 1990-95 के दौरान राज्य भाषा संस्थान के कार्य कलापों का विकास	विश्वविद्यालय स्तर के प्रकाशनों (150 लाख रु०) में अंग्रेजी से मलयालम को अपनाने गोष्ठियों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों (6.50 लाख रु०) पुस्तकालय को अद्यतन बनाना (63 लाख रु०) भवन निर्माण (70 लाख रु०) के लिए।	341.80
10. केरल के सांस्कृतिक इतिहास का प्रकाशन	1956 ई० के प्रारम्भ से ही वैज्ञानिक रूप से सुनिश्चित अवधि के लिए मलयालम तथा अंग्रेजी में एक चार खंडीय सांस्कृतिक इतिहास। प्रत्येक खंड के संपादन हेतु एक प्रख्यात विद्वान का चयन 120 रु० प्रति प्रतिलिपि की दर से कुल उत्पादन लागत। लगभग 30-35 सुविज्ञ इतिहासकारों के योगदान देने हेतु शामिल करना।	25.25
11. केरल राज्य पुरालेखों के लिए संरक्षण तथा रिप्रोग्रैफी हेतु उपकरणों के आयात के निमित्त वित्तीय सहायता		50.00
12. केरल गजेटियर विभाग	(i) अनुसंधान/संकलन एकक तथा पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण। (ii) पुराने खंडों का पुनर्प्रकाशन।	25.00
13. पुरालेख संबंधी निधानों को वित्तीय सहायता	केन्द्रीय तथा प्रादेशिक पुरालेखों में राष्ट्रीय महत्व के अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनाना।	2.50

विवरण—समाप्त

(1)	(2)	(3)
14. केरल साहित्य अकादमी	अनुसंधान छात्रवृतियां अध्ययन दौरे, पुस्तकों का अनुवाद, साहित्यकारों के लिए काटेज, पुस्तकालय एवं चित्र दीर्घा इत्यादि का निर्माण ।	92.00
15. केरल संगीत नाटक अकादमी	कला महोत्सवों का आसयोजन, स्टाइपैन्ड छात्रवृत्तियाँ, कअकादमी का विस्तार, पुस्तकालय लोककलाओं का अभिलेखन	27.00

तंजौर जिले में दूरदर्शन सुविधायें

3086. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तंजौर जिले में दूरदर्शन के कार्यक्रम कितनी जनसंख्या तक पहुंचते हैं और उन्हें समस्त जिलों तक पहुंचाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) तमिलनाडु में 1990-91 के दौरान विज्ञापनों से कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई; और

(ग) दूरदर्शन के माध्यम से दिखाये जाने वाले राष्ट्रीय अखंडता और साम्प्रदायिक सद्भावना के विभिन्न कार्यक्रमों को सुधारने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) इस समय तंजौर जिले में दूरदर्शन सेवा जिले की 23.00 लाख आबादी को उपलब्ध है । रामेश्वरम में लगाए जा रहे उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा नागपट्टीनम में लगाए जा रहे अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर के चालू हो जाने से उक्त जिले के 28.64 लाख जनसंख्या की दूरदर्शन सेवा उपलब्ध हो जाने की आशा है । तथापि इन कवरेज आंकड़ों में वे क्षेत्र भी शामिल हैं जो दूरदर्शन ट्रांसमीटर के सेवा रेंज के किनारे पर आते हैं और वहां पर दर्शक ऊंचा एन्टीना और बूस्टर लगाकर दूरदर्शन सिगनल प्राप्त कर सकते हैं ।

(ख) तमिलनाडु में (दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास, चेनल—एक और दो से) वर्ष 1990-91 के दौरान लगभग 23.65 करोड़ रु० की राजस्व प्राप्ति हुई ।

(ग) दूरदर्शन का सतत प्रयास रहता है कि साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखण्डता को बढ़ावा देने वाले अच्छे कार्यक्रम टेलीकास्ट किए जाएं ।

सीमेंट का उत्पादन और आवश्यकता

3087. **श्री एम० रमन्ना राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट का कुल उत्पादन और आवश्यकता वर्ष-वार और राज्य-वार क्या है :

(ख) लेवी-सीमेंट के लिये उत्पादन का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है : और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कितने सीमेंट का निर्यात और आयात किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) वर्ष 1990-91 के लिए सीमेंट के कुल उत्पादन एवं आवश्यकता के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

(ख) चूंकि 1-3-1989 से सीमेंट के मूल्य और वितरण पर से सभी नियंत्रण उठा लिये गये हैं इसलिए लेवी कोटा के निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किये गये और आयात किये गये सीमेंट की मात्रा से संबंधित सूचना नीचे दी गई है :—

(मी० टन लाख में)

वर्ष	नेपाल सहित निर्यात	आयात	
		पहले ग्रेड का साधारण पोर्टलैंड सीमेंट	दूसरे ग्रेड का तेजी से जमने वाला फोन्दू
1988-89	0.72	कुछ नहीं	.00339
1989-90	1.68	कुछ नहीं	कुछ नहीं
1990-91	2.65	कुछ नहीं	कुछ नहीं

अनुबंध

1990-91 के लिए राज्य-वार सीमेंट उत्पादन तथा अनुमानित मांग

(मी० टन लाख में)

राज्य	छोटे सीमेंट संयंत्रों तथा सफेद सीमेंट सहित सीमेंट का कुल उत्पादन	आई०सी०आई०सी०आई० के अनुसार अनुमानित मांग
हरियाणा	6.28	11.80
दिल्ली	2.23	19.09
उत्तर प्रदेश	13.47	62.69
राजस्थान	56.33	20.79
जम्मू एवं कश्मीर	0.84	13.45
हिमाचल प्रदेश	9.86	

अनुबंध—जारी

राज्य	छोटे सीमेंट संयंत्रों तथा सफेद सीमेंट सहित सीमेंट का कुल उत्पादन	आई०सी०आई०सी०आई० के अनुसार अनुमानित मांग
पंजाब	—	20.50
बिहार	11.78	30.35
उड़ीसा	11.73	11.03
पश्चिम बंगाल	4.11	32.26
असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम (पूर्वोत्तर राज्य)	3.07	10.92
गुजरात	42.76	31.54
महाराष्ट्र	40.55	62.87
मध्य प्रदेश	113.86	31.45
गोआ, दमन, दीव और दादरा नगर हवेली	—	2.28
कर्नाटक	41.19	24.11
केरल	2.86	22.50
आंध्र प्रदेश	86.42	46.70
तमिल नाडु	41.81	44.55
लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार, पांडिचेरी	—	1.03
योग :	489.15	499.91

[हिन्दी]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमों के कर्मचारियों का मांगपत्र

3088. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमों के कर्मचारियों ने सरकार को अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) तथा (ख) सरकार को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम कर्मचारी संघ से पदोन्नति, वसूली इत्यादि में कुछ अनियमितताओं के आरोपों का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है । इसमें लगाए गए आरोपों की जाँच की जा रही है ।

योजना आयोग के सदस्य

[अनुवाद]

3089. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के लिए अब तक कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है;

(ख) क्या कोई सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों में से नियुक्त किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) वर्तमान आयोग का अभी पूरी तरह पुनर्गठन किया जाना है।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अवर सचिव की चयन सूची

3090. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्ष से केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अवर सचिव पद के लिए कोई चयन सूची नहीं जारी की है;

(ख) क्या सरकार का केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों में असंतोष को दूर करने के लिए अवर सचिव ग्रेड के लिए एक केन्द्रीय तदर्थ चयन सूची जारी करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ प्रोन्नति करने के लिए मंत्रालयों को अनुमति दे दी है जब कि नियमित चयन सूची का मुद्दा लम्बित है;

(घ) क्या कुछ विभागों/मंत्रालयों में विशेषकर रक्षा मंत्रालय में अनेक कनिष्ठ अनुभाग अधिकारी अवर सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं और कुछ अन्य विभागों/मंत्रालयों में वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी पिछले लगभग 12 वर्षों से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में ही पड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय, विशेषकर रक्षा मंत्रालय अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों के लिए अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ प्रोन्नति के लिए आरक्षण के निर्धारित अनुपात का कड़ाई से पालन कर रहा है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) तथा (ख) पिछले पांच वर्ष के दौरान केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अवर सचिव के पद के लिए, केन्द्रीय तदर्थ चयन सूची सहित कोई भी चयन सूची तैयार नहीं की जा सकी चूंकि पात्रता सूची तैयार करने की पद्धति जिसके आधार पर चयन सूची तैयार की जानी है, उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है।

(ग) जी, हां।

(घ) अनुभाग अधिकारी संवर्ग एक विकेन्द्रित संवर्ग है तथा तदर्थ पदोन्नतियां, संवर्ग-वार वरिष्ठता के आधार पर की जाती है । ऐसी कोई सूचना केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है कि अनुभाग अधिकारी के रूप में कितने वर्ष की सेवा वाले अधिकारी तदर्थ आधार पर अवर सचिव पदोन्नत हो गए हैं ।

(ङ) संवर्गों/मंत्रालयों/विभागों को तदर्थ पदोन्नतियां करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षणों संबंधी आदेशों को ध्यान में रखना होता है । रक्षा मंत्रालय ने इन आदेशों का पालन किया है ।

राज्यों को अतिरिक्त चावल का आबंटन

3091. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अगस्त से दिसम्बर, 1991 के दौरान चावल का अतिरिक्त तदर्थ आबंटन करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक महीने काफी पहले से ही चावल का अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान सरकार का राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अनाजों का अतिरिक्त तदर्थ आबंटन करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के मंत्री (श्री तरूण गागोई) : (क) से (घ) निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु अगस्त, 1991 के मास के लिए चावल के तदर्थ अतिरिक्त आबंटन किए गए हैं । ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	तदर्थ आबंटन की मात्रा
अरुणाचल प्रदेश	3.0
असम	5.0
बिहार	7.0
गोवा	0.5
गुजरात	3.0
हरियाणा	1.0
हिमाचल प्रदेश	0.65
जम्मू और कश्मीर	3.5
कर्नाटक	6.0
केरल	20.0

राज्य/संघ शासित प्रदेश	तदर्थ आबंटन की मात्रा
मध्य प्रदेश	9.0
महाराष्ट्र	5.0
मणिपुर	3.0
मेघालय	3.0
मिजोरम	3.0
नागालैंड	3.0
उड़ीसा	16.5
पंजाब	0.50
राजस्थान	1.0
सिक्किम	1.0
तमिलनाडु	6.0
त्रिपुरा	3.0
उत्तर प्रदेश	5.0
पश्चिम बंगाल	7.0
चंडीगढ़	1.60
दादर और नगर हवेली	0.50
दमन और दीव	0.55
दिल्ली	7.0
पांडिचेरी	1.0

चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों के आबंटन स्टाक की समूची उपलब्धता विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं, इसलिए बाद के महीनों में किए जाने वाले तदर्थ आबंटनों का निर्धारण उपयुक्त समय पर किया जाएगा । अगस्त, 1991 के लिए अतिरिक्त मात्रा का आबंटन करने विषयक आदेश 25-7-91 और 1-8-1991 को जारी किए गए थे ।

(ङ) और (च) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केवल चावल और गेहूं का आबंटन किया जाता है । जब कमी आवश्यक समझा जाएगा तभी गेहूं का अतिरिक्त तदर्थ आबंटन किया जाएगा ।

औषधियों के मूल्यों को नियंत्रण मुक्त करना

3092. **श्री गुरुदास कामत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 26 औषधियों पर से मूल्य नियंत्रण समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है :

(ग) क्या इस प्रस्ताव से औषधि उद्योग को लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) डीपीसीओ, 1987 के अधीन मूल्य नियंत्रित औषधों की सूची की घोषणा के बाद औषधों को मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत शामिल करने/बाहर निकालने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार इनकी जांच कर रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कल्याण योजनाएं

3093. **श्री हराधन राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में वर्तमान कल्याण योजनाओं पर प्रतिबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रतिबन्धों को कब तक उठा लिये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान की औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृति

[हिन्दी]

3094. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार के नये उद्योगों का पंजीकरण कराने के कितने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन्हें स्वीकृति प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी; और

(ग) नये उद्योगों का पंजीकरण कराने के प्रस्ताव राज्य सरकार ने कब भेजे थे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) इस समय नये औद्योगिक उपक्रम के पंजीकरण के लिए राजस्थान सरकार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। नई औद्योगिक नीति के अनुसार, लाइसेंस मुक्तिकरण/छूट प्राप्त उद्योग/तक० विकास मद्दानिदे० पंजीकरण की योजनाएं समाप्त हो जाती हैं।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा अर्जित आय

3095. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीस वर्षों में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा विज्ञापनों से वर्षवार कुल कितनी आय अर्जित की गई है; और

(ख) अधिकतम आय कौन से धारावाहिक के प्रसारण से अर्जित की गई है और कितनी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञापनपत्रों से अर्जित सकल आय का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :

(राशि करोड़ रुपये)

	आकाशवाणी	दूरदर्शन
1988—89	32.45 रुपये	161.26 रुपये
1989—90	35.07 रुपये	210.13 रुपये
1990—91	39.30 रुपये	253.85 रुपये
	(अनंतिम)	

(ख) दूरदर्शन को "महाभारत" धारावाहिक से सब से अधिक 59.75 करोड़ रुपये की आय हुई ।

नमक का उत्पादन

3096. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार नमक का गुणवत्तावार उत्पादन क्या रहा ;

(ख) कौन-कौन से उद्योग रसायन के मतलब से नमक का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तथा प्रत्येक एकक द्वारा प्रतिवर्ष कितना नमक प्रयोग में लाया जाता है ;

(ग) देश में कितने प्रतिशत आयोडीनयुक्त नमक का इस्तेमाल किया जा रहा है ;

(घ) देश में आयोडीनयुक्त नमक का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ङ) क्या सामान्य नमक तथा आयोडीनयुक्त नमक के मूल्यों में बहुत अन्तर है ;

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(छ) क्या सरकार का इस अन्तर को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण I में दी गयी है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण II में दी गयी है ।

(ग) देश में खपने वाला 50% खाद्य नमक आयोडीनयुक्त (आयोडाइज्ड) होता है ।

(घ) देश में आयोडीनयुक्त नमक बनाने वाले एककों की कुल संख्या 31 जुलाई 1991 को 479 थी । विनिर्माताओं के नामों आदि के बारे में व्यापक जानकारी माननीय सदस्य तथा संसद पुस्तकालय को भेजी जा रही है ।

(ङ) आयोडीनयुक्त नमक और साधारण नमक की कीमतों में कोई अंतर नहीं है ।

(च) से (ज) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान गुणवत्तावार नमक उत्पादन

(हजार मी० टन में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1988				1989				1990			
		समुद्री नमक	स्वदेशी नमक	लेक नमक	सैंधव नमक	समुद्री नमक	स्वदेशी नमक	लेक नमक	सैंधव नमक	समुद्री नमक	स्वदेशी नमक	लेक नमक	सैंधव नमक
1.	आंध्र प्रदेश	294.0	—	—	—	359.9	—	—	—	154.8	—	—	—
2.	दमन और दीव	1.3	—	—	—	6.9	—	—	—	11.9	—	—	—
3.	गुजरात	4564.1	1132.6	—	—	4546.4	1766.2	—	—	6026.0	2624.6	—	—
4.	हिमाचल प्रदेश (मंडी)	—	—	—	4.4	—	—	—	2.6	—	—	—	3.2
5.	कर्नाटक	27.3	—	—	—	25.3	—	—	—	25.3	—	—	—
6.	महाराष्ट्र	308.4	—	—	—	285.6	—	—	—	219.2	—	—	—
7.	उड़ीसा	34.7	—	—	—	103.1	—	—	—	3.6	—	—	—
8.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	राजस्थान	—	595.3	58.6	—	—	763.6	115.6	—	—	963.2	121.0	—
10.	तमिलनाडु	1277.0	—	—	—	1868.1	—	—	—	2243.6	—	—	—
11.	पश्चिम बंगाल	13.8	—	—	—	27.0	—	—	—	1.6	—	—	—
	योग :	6520.6	1727.9	58.6	4.4	7222.3	2529.8	115.6	2.6	8686.0	3587.8	121.0	3.2

विवरण II

रसायन उद्देश्यों के लिए नमक का इस्तेमाल करने वाले उद्योग

क्र० सं०	उद्योग का नाम	वार्षिक आवश्यकता (मी० टन में)
1	2	3
1.	सिन्थैटिक कैमिकल्स, बरेली	3,200
2.	नेशनल रेयान कारपोरेशन, मोहन, कल्याण	59,800
3.	जयश्री केमिकल्स गन्जम, उड़ीसा	42,000
4.	मोदी अलकलीज एंड केमिकल्स, अलवर	1,03,000
5.	स्टेण्डर्ड अलकलीज, ठाणे	1.69.800
6.	हिन्दुस्तान कापर लि०, सिंघन्स (खेतरी)	1,800
7.	ग्रसिम इंडस्ट्रीज, नागदा	1,89,700
8.	आन्ध्र सुगर कावूरू (जिला पश्चिम गोदावरी)	1,25,000
9.	टाटा केमिकल्स	12,00,000
10.	ओरिएण्ट पेपर मिल्स सम्बलपुर, उड़ीसा	7,600
11.	गुजरात अलकलीज एण्ड केमिकल्स, बड़ोदा	2,88,400
12.	केमफेव अलकलीज, पांडिचेरी	35,000
13.	अतुल प्रोडक्टस लि०,अतुल (गुजरात)	27,400
14.	पंजाब अल्कलीज एंड केम० लि०, नया नांगल	90,000
15.	आई० सी० आई० इंडिया लि०, ग्रोमिया (जिला गिसहीह)	10,000
16.	मुजफ्फरपुर थरमल पावर स्टेशन, कनटी (बिहार)	1,710
17.	बरौनी थरमल पावर स्टेशन, बेगुसराय (जिल० बरौनी)	9,000
18.	बिहार कास्टिक एंड केम० लि०, गरवा रोड (जिला पलामू)	88,000
19.	श्रीराम फूड एंड फर्टीलाइजर्स लि०, सराय रोहिल्ला	90,000
20.	सौराष्ट्र केमिकल्स, पोरबन्दर	6,33,100
21.	श्रीराम विनयल एंड केम० इन्डस्ट्रीज, कोटा	72,600
22.	बलारपुर इंड०, यमुनानगर	24,000
23.	बलारपुर इंड०,बल्हारसा	25,000
24.	बलारपुर इंड०, करवार	1,00,000
25.	सदर्न पेट्रो केमिकल्स इंडस्ट्री, मण्डली (मद्रास)	1,25,000
26.	मेट्टूर केम० एंड इंड० कानो०, मेट्टूरडेम (जिल० सलेम)	1,00,000
27.	त्रावनकोर केमिकल्स, शहाद (थाणे)	35,000
28.	त्रावनकोर कोचीन केम० लि० उद्योग मंडल (केरल)	95,300
29.	सिरपुर पेपर मिल्स, कागज नगर (आदिलाबाद)	5,550
30.	घॉगघरा केम० वर्क्स, सहुपुरम	90,000
31.	टीटागढ़ पेपर मिल्स चोदार, कटक	3,300
32.	पंजाब नेशनल फर्ट० लि०, नयानांगल	90,000
33.	हुकुमचन्द जूट एंड इंड० लि०, अमालाई (जिला शहदोल)	66,000

विवरण II—जारी

1	2	3
34.	महाराष्ट्र इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड	49,000
35.	हिन्दुस्तान हेवी केम० लि०, सोडपुर	21,000
36.	टुटीकारिन अलकली एंड केम० फर्ट० लि०	1,01,250
37.	नेशनल न्यूजप्रिन्ट एंड पेपर मिल्स, नेपानगर	12,000
38.	भारत एल्यूमीनियम कारपोरेशन, कोरबा	122
39.	दुर्गापुर केम० लि०, दुर्गापुर (प० बंगाल)	9,200
40.	कनोड़िया केम०एंड इंड० लि०,रेनूकोट (जिला मिर्जापुर)	66,000
41.	हिन्दुस्तान पेपर मिल्स, कचार	25,000
42.	हिन्दुस्तान पेपर मिल्स, जागी रोड	40,000
43.	गुजरात हेवी कैमिकल्स सुन्नुदा तालुका जिला जूनागढ़ (गुजरात)	8,44,200
44.	तमिलनाडु फ्लोरीन एंड अलाइड केम० कुददालोर	1,200
45.	टाटा आयरन स्टील लि०,जमशेदपुर	1,545
46.	स्टील आथर्टी आफ इंडिया लि०, बोकारो	1,500
47.	यूरेनियम कारपोरेशन, जादुगुडा	1,500
48.	एसोसिएट सीमेंट कम्पनीज लि० जिंकापानी (बिहार)	1,600
49.	भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई	500
50.	अहमदाबाद इलैक्ट्रिसिटी कं० लि०, अहमदाबाद	7,000
51.	सोमइया आरगेनिक्स, बाराबंकी	240
52.	रायलसीमा अलकलीज एंड केम०, कावरू	70,557

चार्टर नौका प्राप्त करने में उद्यमियों की समस्यायें

[अनुवाद]

3097. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को 1990 के दौरान चार्टर नौका प्राप्त करने में उद्यमियों को हुई समस्याओं के बारे में जानकारी है : और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उद्यमियों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) उद्यमियों को नौका चार्टर करने के प्रबन्ध स्वयं करने होते हैं । नौका के मालिक और चार्टरकर्त्ता के बीच यह एक वाणिज्यिक और द्विपक्षीय प्रबन्ध है इसलिए सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है ।

"फेक्ट" का विस्तार

3098. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एर्नाकुलम के निकट अम्बालमुकल में स्थित "फेक्ट" के उर्वरक कारखाने का विस्तार करने की कोई योजना है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या इस कारखाने से निकलने वाले अपवाहों के चितिरापुझा नदी में मिल जाने से प्रदूषण हुआ है जिसके परिणामस्वरूप 200 एकड़ भूमि कृषि योग्य नहीं रही : और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रभावित लोगों को "फेक्ट" में रोजगार दिलाकर उनकी क्षतिपूर्ति करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी हां ।

(ख) (i) कम्पनी 19 करोड़ रु० की लागत पर कोचीन प्रभाग चरण-I स्थित अपने अमोनिया संयंत्र की रेट्रोफिट परियोजना को कार्यान्वित कर रही है ।

(ii) कम्पनी सल्फ्यूरिक एसिड तथा फास्फोरिक एसिड संयंत्रों और उर्वरकों के अतिरिक्त उत्पादन के लिए अपने कोचीन प्रभाग के चरण-II विस्तार के लिए परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रही है ।

(ग) कोचीन प्रभाग, अम्बालामेदु से निकलने वाले निस्त्राव को केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों की शर्तों के अनुसार पर्याप्त उचित उपचार के पश्चात् ही चितिरापुझा नदी में डाला जाता है । इन निस्त्रावों ने भूमि को कृषि के अयोग्य नहीं बनाया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी उत्पादन की लागत

3099. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान चीनी की उत्पादन लागत क्या थी;

(ख) इस अवधि के दौरान क्षेत्र-वार वसूली प्रतिशत कितनी थी और उत्पादन लागत का हिसाब लगाने के लिये कितना समय लगा : और

(ग) गन्ने की कीमतों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई) : (क) लेवी चीनी की एक्स फैक्ट्री कीमतों के निर्धारण के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष चीनी की उत्पादन लागत का निर्धारण, संबंधित वर्ष के लिए अधिसूचित न्यूनतम गन्ना कीमत, विशेषज्ञ निकाय अर्थात् औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा सिफारिश किए गए रूपान्तरण लागत तथा लाभ के पैरामीटरों के आधार पर और चीनी फैक्ट्रियों तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए वसूली तथा अवधि के आकलनों को ध्यान में रखते हुए, किया जाता है । पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के लिए क्षेत्रवार एक्स फैक्ट्री लेवी चीनी कीमत संलग्न विवरण I में दी गई हैं ।

(ख) और (ग) 1988-89 से 1990-91 की अवधि के दौरान एक्स फैक्ट्री लेवी कीमतों के उक्त

परिकलन में ध्यान में रखी गई क्षेत्रवार वसूली प्रतिशत, अवधि और गन्ना कीमत संलग्न विवरण II में दी गई हैं।

विवरण I

चीनी वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के लिए अधिसूचित लेवी चीनी की एक्स फैक्ट्री कीमतों को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	क्षेत्र	एस-30 ग्रेड (रु० प्रति क्विंटल)		
		1988-89	1989-90	1990-91
1.	पंजाब	437.12	490.96	525.28
2.	हरियाणा	442.03	490.97	526.85
3.	राजस्थान	566.58	639.54	653.56
4.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	462.61	529.89	548.97
5.	मध्य उत्तर प्रदेश	441.13	498.64	539.45
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	473.65	530.31	562.61
7.	उत्तर बिहार	474.88	528.47	571.17
8.	दक्षिण बिहार	574.42	643.46	672.39
9.	दक्षिण गुजरात	414.83	474.27	499.17
10.	सौराष्ट्र	439.15	492.81	521.06
11.	मध्य प्रदेश	507.65	565.17	595.92
12.	दक्षिण महाराष्ट्र	406.60	456.69	481.26
13.	उत्तरी महाराष्ट्र	447.42	495.08	527.44
14.	कर्नाटक	408.88	469.77	503.12
15.	आन्ध्र प्रदेश	434.26	498.71	541.30
16.	तमिलनाडु व पांडिचेरी	450.38	520.22	550.07
17.	आसाम, उड़िसा, पश्चिमी बंगाल व नागालैण्ड	481.65	543.35	602.49
18.	केरल व गोआ	492.10	567.34	619.72

विवरण II

1988-89 से 1990-91 की अवधि के दौरान लेवी चीनी कीमत के निर्धारण के लिए अपनाई गई वसूली की रेंज, अवधि एवं गन्ना कीमतों* को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	क्षेत्र	वसूली (%)	अवधि (दिन)	गन्ना कीमत रु०/क्विंटल
1	2	3	4	5
1.	पंजाब	9.56—10.20	137—147	23.53—25.74
2.	हरियाणा	9.75— 9.90	160—165	23.35—27.30
3.	राजस्थान	8.70— 9.02	90	19.50—25.86

विवरण II—जारी

1	2	3	4	5
4.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	9.25— 9.40	176—180	21.28—25.81
5.	मध्य उत्तर प्रदेश	8.98— 9.14	165—180	21.60—25.40
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	9.05— 9.26	142—145	21.58—25.64
7.	उत्तरी बिहार	9.06— 9.13	107—125	21.50—24.92
8.	दक्षिणी बिहार	8.50	90	19.50—23.00
9.	दक्षिणी गुजरात	10.60—10.98	180	25.07—31.91
10.	सौराष्ट्र	8.91— 9.49	101—120	22.94—25.88
11.	मध्य प्रदेश	9.20— 9.53	96—115	21.74—26.55
12.	दक्षिणी महाराष्ट्र	11.00	158—177	25.62—30.43
13.	उत्तरी महाराष्ट्र	9.80—10.10	115—144	23.27—28.14
14.	कर्नाटक	10.22—10.34	140—177	23.74—28.69
15.	आन्ध्र प्रदेश	9.55— 9.71	114—135	21.93—27.30
16.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	9.59— 9.80	180	22.42—27.82
17.	आसाम, उड़िसा, पश्चिमी बंगाल व नागालैण्ड	8.50	90	19.73—23.00
18.	केरल व गोआ	8.50— 8.70	90	19.50—24.31

*न्यूनतम सांविधिक गन्ना कीमत पर आधारित ।

तदर्थ आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि

3100. **श्री विश्वनाथ शर्मा**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि देने के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या इस नीति का केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा पालन किया जा रहा है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत उन तदर्थ कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि देने से इनकार कर दिया गया है जिन्होंने 89 दिनों की सेवा के पश्चात् अपनी सेवा में एक दिन का व्यवधान करने के विरुद्ध केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है और वे बिना किसी और व्यवधान के नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) तथा (ख) तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए तथा बिना व्यवधान के लगातार सेवा करने वाले कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के समान ही दी जाती है । वार्षिक वेतन वृद्धियां ऐसे तदर्थ कर्मचारियों को दी जाती हैं जहां तदर्थ नियुक्तियां एक वर्ष से अधिक समय के लिए की जाती हैं । तदनुसार मामलों को विनियमित करना विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का कार्य है ।

(ग) इस प्रकार का कोई मामला हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर बंगाल में उद्योगों की स्थापना

3101. **श्री जितेन्द्र नाथ दास**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर बंगाल क्षेत्र में बागान और वन पर आधारित उद्योग के अलावा अब तक किसी बड़े, मध्यम और लघु उद्योग का विकास नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इस क्षेत्र का औद्योगिक दृष्टि से विकास करने के लिए सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्या कदम उठाने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) से (ग) किसी विशिष्ट जिले/क्षेत्र का औद्योगीकरण करना मुख्यतया संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है । केन्द्र सरकार लाइसेंस के मामले में प्राथमिकता, रियायती वित्त आदि जैसे प्रोत्साहन देकर पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने में उनके प्रयासों में मदद करती है । जून, 1988 में घोषित नयी विकास केन्द्र योजना के तहत पश्चिम बंगाल सरकार को तीन विकास केन्द्र आवंटित किए गए हैं । इन तीन विकास केन्द्रों में दो विकास केन्द्र उत्तरी बंगाल के जलपाईगुड़ी और मालदा जिलों में स्थापित किए जाने हैं ।

सार्वजनिक वितरण योजना के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र को शामिल करना

3102. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण योजना के अंतर्गत और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) तथा (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना तथा उसे सुव्यवस्थित करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, जो मुख्यतया सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करते हैं, अन्य बातों के साथ-साथ यह सलाह दी है कि वे उन क्षेत्रों में जहाँ उचित दर की दुकानें नहीं है अथवा कम संख्या में हैं, और उचित दर की दुकानें खोलें, दूर तक फैले तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलती-फिरती बिक्री केन्द्रों के रूप में वैनों का इस्तेमाल करे तथा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को राशन कार्ड जारी करें ।

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड का उत्पादन लक्ष्य

[हिंदी]

3103 **श्री ललित उरांव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के वित्तीय वर्षों के लिए हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के लिए कितना उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वास्तव में कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया;

(ख) हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची का कुल पूंजीगत परिव्यय कितना है और निगम द्वारा विभिन्न स्रोतों से अब तक कुल कितना ऋण प्राप्त किया गया है;

(ग) उक्त निगम की परिसम्पत्तियां और देयताएं क्या हैं;

(घ) क्या निगम अपनी स्थापना के समय से ही घाटे में चल रहा है; और

(ङ) उक्त निगम को बन्द करने अथवा बेचने के लिए विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची द्वारा निर्धारित और वास्तव में प्राप्त किए गए लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तव
1988-89	330.00	352.67
1989-90	385.00	368.62
1990-91 (अनंतिम)	415.00	263.80

(ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की 31-3-1991 को शेअर पूंजी 207.49 करोड़ रुपये है। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा सरकार से लिए गए योजना तथा गैर-योजना ऋण 31-3-91 को क्रमश : 89.68 करोड़ रुपये तथा 106.00 करोड़ रुपये हैं।

(ग) कारपोरेशन की 31-3-1991 को परिसम्पत्तियां और देयताएं निम्नलिखित (गैर-लेखा परीक्षित) हैं :—

(1) परिसम्पतियां 678.85 करोड़ रुपये

(2) देयताएं 520.26 करोड़ रुपये

(घ) जी, नहीं।

(ङ) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को बन्द करने अथवा बेचे जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

महाराष्ट्र में चीनी विकास कोष से ऋण

[अनुवाद]

3104. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नयी कोआपरेटिव चीनी फैक्ट्रियों को गन्ना विकास और आधुनिक उपकरण लगाने के लिए चीनी विकास कोष से ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है;

(ख) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से चीनी विकास कोष की ऋण सुविधा नयी कोआपरेटिव चीनी फैक्ट्रियों को देने के लिए कोई सिफारिश प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई) : (क) प्रचलित पद्धति के अनुसार परीक्षण के तौर पर पेराई कर चुकी या पेराई कर रही चीनी मिलें गन्ना विकास योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से ऋण लेने की पात्र हैं। आधुनिकीकरण के लिए चीनी विकास निधि से ऋण केवल उन्हीं फैक्ट्रियों को दिया

जाता है जिन्होंने नियमित पेराई प्रारंभ करने के बाद कम से कम सात पेराई मौसमों में पेराई का कार्य किया हो।

(ख) जी, हां।

(ग) जैसा कि उपर्युक्त (क) में उल्लिखित है।

कर्नाटक में रूग्ण औद्योगिक एकक

3105. **श्रीमती आसव राजेश्वरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कर्नाटक में कुल कितने मिनी, माइक्रो और मैक्रो सीमेंट संयंत्र रूग्ण हैं;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का रूग्ण औद्योगिक एककों के अर्थक्षम बनाने हेतु कर्नाटक को क्या सहायता करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने बताया है कि रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत कर्नाटक के छः सीमेंट एककों ने उन्हें लिखा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) नई औद्योगिक नीति के अनुसार सीमेंट का उत्पादन शुरू करने वाले सभी औद्योगिक उपक्रमों, जिनमें एम० आर० टी० पी०/पैरा कंपनियां शामिल हैं, के लिए लाइसेंसीकरण/पंजीकरण समाप्त कर दिया गया है। 1-3-89 से सीमेंट उद्योग से मूल्य और वितरण नियंत्रण को हटा लिया गया था। सरकार कोयले, रेलवे वैगनों की उपलब्धता और सीमेंट उद्योग को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं की कड़ी निगरानी करती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है।

मिनी सीमेंट संयंत्रों की आर्थिक जीव्यता में सुधार करने के लिए कुछ विशेष क्षमताओं वाले मिनी सीमेंट संयंत्रों द्वारा निर्मित सीमेंट पर उत्पांद शुल्क 215/- रू० प्रति मीट्रिक टन मूल उत्पाद शुल्क से घटाकर 90/- रू० प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है।

वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के विरूद्ध जांच

[हिन्दी]

3106. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बिहार में केन्द्रीय सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार कितने अधिकारियों के विरूद्ध जांच की गई है;

(ग) कितने मामलों में न्यायालयों में आरोप पत्र दायर किए गये; और

(घ) शेष बचे मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना निम्नानुसार है :—

वर्ष	संलिप्त अधिकारियों की संख्या
1989	6
1990	4

(ग) एक मामला ।

(घ) नियमित विभागीय कार्रवाई के लिए एक मामले की सूचना दी गई है, एक मामला उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग के पास भेज दिया गया है तथा तीन मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है ।

लेवी चीनी का मूल्य

[अनुवाद]

3107. श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे
श्री अन्ना जोशी } : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में चीनी कारखाने गन्ने की फसल काट कर कारखाने तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य पर व्यय की गई राशि को इन क्षेत्रों में लेवी चीनी का मूल्य निश्चित करते समय सम्मिलित किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का लेवी मूल्य निर्धारित करते समय इसकी समीक्षा करने का है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई) : (क) महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों की चीनी फैक्ट्रियां तथा अन्य राज्यों की कुछ चीनी फैक्ट्रियां गन्ने की फसल की कटाई तथा खेतों से फैक्ट्री तक गन्ने की ढुलाई का कार्य कर रही हैं ।

(ख) तथा (ग) लेवी चीनी के निकासी मूल्यों का निर्धारण करने के लिए गन्ने की ढुलाई और कटाई लागत को गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में और औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की रूपान्तरण लागत अनुसूचियों में जिस सीमा तक शामिल किया जाता है, को ध्यान में रखा जाता है ।

आंध्र प्रदेश की पेय जल आपूर्ति योजनाएं

3108. श्री दत्तात्रेय बंडारू
डा० डी० वेंकटेश्वर राव } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ पेयजल आपूर्ति योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को सहायता दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है और इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है और उनके लिए कितनी सहायता मंजूर की जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा द्विपक्षीय सहायता के लिए प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रमांक	परियोजना	वर्तमान स्थिति
1.	नालगौंडा जिले में 226 गांवों और 337 बसावटों के लिए दो चरणों में 97.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पेयजल आपूर्ति के लिए संशोधित परियोजना।	परियोजना को सहायता प्राप्त करने हेतु नीदरलैंड सरकार को भेजा गया था। नीदरलैंड सरकार लगभग 38.63 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजना के प्रथम चरण हेतु सहायता पर विचार कर रही है।
2.	श्रीकाकुलम जिले के उड्डानम क्षेत्र में 234 गांवों के लिए 17.11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली ग्रामीण जल आपूर्ति की परियोजना।	परियोजना कमीशन ऑफ यूरोपियन कम्यूनिटीज के विचाराधीन है।
3.	70 बसावटों सहित 237 गांवों के लिए 84 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली कान्निगीरी (प्रकाशम जिला) परियोजना।	नालगौंडा परियोजना के प्रथम चरण के बाद परियोजना नीदरलैण्ड सरकार के विचाराधीन है।
4.	अनन्तपुर जिले में 166 गांवों के लिए 40.80 करोड़ रुपये की लागत वाली संशोधित ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना।	नीदरलैंड सरकार द्वारा दूसरी प्राथमिकता में परियोजना पर विचार किया जायेगा।

(ग) उपरोक्त परियोजनाओं का अनुमोदन नीदरलैण्ड सरकार और कमीशन ऑफ यूरोपियन कम्यूनिटीज की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। जब भी ये परियोजनायें अनुमोदित हो जायेंगी, इन पर होने वाले व्यय को द्विपक्षीय सहायता और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में से वहन किया जायेगा।

आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

[हिन्दी]

3109. **श्री साइमन मरान्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में, जो झारखंड क्षेत्र से विख्यात हैं, उद्योगों की स्थापना करके इसे विकसित करने का है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उद्योगों के विस्तार हेतु सरकार द्वारा कब तक उपाय किये जायेंगे जिससे उपरोक्त क्षेत्र के लोगों, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, का जीवन स्तर सुधारा जा सके ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) आदिवासी क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। किन्तु केन्द्र सरकार सुलभ और आसानी से उपलब्ध वित्त प्रावधान, प्रौद्योगिकी के अंतरण, दुर्लभ और महत्वपूर्ण कच्चे माल के प्रावधान

एवं आखिल भारतीय स्तर पर संस्थानात्मक मूलभूत सुविधाओं के सृजन में सहायता जैसे उपायों द्वारा राज्य सरकारों के प्रयास में मदद करती है । ग्रामीण, अर्ध-शहरी और आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों का छितराव करने तथा एक ही स्थान पर आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले उद्यमियों सहित लघु उद्यमियों को सभी सेवाएं एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 422 जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने और ग्रामीण विकास में संलग्न अभिकरणों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं । ऐसे जिला उद्योग केन्द्र बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं जिन्हें झारखंड क्षेत्र के रूप में जाना जाता है ।

8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का आदिवासी क्षेत्रों सहित ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगों, विशेषकर कुटीर और अत्यन्त छोटे उद्योगों, के विकास पर ज्यादा से ज्यादा बल देने का प्रस्ताव है ।

तिलहन तथा खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति

3110. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान प्रत्येक वर्ष तिलहन तथा खाद्य तेलों की मांग व आपूर्ति को पूरा करने हेतु तथा इनकी आपूर्ति करने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है और आयातित खाद्य तेल की मात्रा तथा कीमत क्या है;

(ख) चालु वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और इस संबंध में छोटी तथा लम्बी अवधि के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश खाद्य तेलों की मांग व आपूर्ति के संबंध में कब आत्मनिर्भर बनेगा; और

(घ) दी जा रही राज सहायता तथा तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा की जा रही अन्य कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) पिछले तीन तेल वर्षों के दौरान आयातित खाद्य तेलों की मात्रा और कीमत निम्नानुसार रही है :—

तेल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर)	आयातित मात्रा (लाख मी० टनों में)	कीमत रूपयों में (करोड़ में)
1988-89	3.73	245.71
1989-90	6.07	328.32
1990-91 (जुलाई, 1991 तक)	0.90	62.25

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से तिलहनों और खाद्य तेलों की मांग और पूर्ति को पूरा करने के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि आधार पर अब तक की गई कार्रवाई इस प्रकार है:—

1. राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना (एन. ओ. डी. पी) और तिलहन उत्पादन संवर्द्धन परियोजना

(ओ. पी. टी. पी.) नामक दो केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को, जो 1989-90 तक परिचालन में थीं, 1990-91 के दौरान मिलाकर तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ. पी. पी.) नामक एक ही योजना बना दी गई है । इस योजना में राज्यों को वास्तव में अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन और वितरण, पौध संरक्षण उपायों, जिसमें पौध संरक्षण रसायन और उपकरणों की सप्लाई सम्मिलित है, और उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन आयोजित करने के लिए आवश्यक सहायता दी जाती है ।

2. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजनाएं ।

3. बेहतर उत्पादन, संसाधन और प्रबंधकीय की प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए मई, 1986 में तिलहनों संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना ।

4. मुख्य तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण के माध्यम से उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन ।

5. तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने हेतु अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना ।

6. अधिक क्षेत्र में सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर-परम्परागत तिलहन की फसलें उगाना और वृक्ष तथा वन मूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का उपयोग करना ।

7. तेल-ताड़ (ऑयल पाम) के रोपण और संसाधन को बढ़ावा देने हेतु प्रयास करना ।

8. तिलहन के उत्पादन कार्यक्रम के साथ गति बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन और आधार ढांचे संबंधी सुविधाएं स्थापित करना ।

9. वनस्पति में कुछ गैर-परम्परागत तेलों का प्रयोग करने पर उत्पाद शुल्क छूट के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन देना, ताकि तेलों के इन स्रोतों के अधिक दोहन को प्रोत्साहित किया जा सके ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

[अनुवाद]

3111. **श्री विश्वनाथ शर्मा**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में भारी अनियमितताओं—प्रशासकिय तथा वित्तीय—से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन से सुधारात्मक उपाय किये गए हैं और उसके क्या परिणाम निकले;

(घ) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का विभिन्न उद्योगों से कितना बकाया देय है कितने मामले मुकदमेबाजी में फंसे है और इन मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन दोषी उद्योगों के क्या नाम हैं जिन्हें अभी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को भुगतान करना है और उनमें से प्रत्येक पर कितना धन बकाया है; और

(च) इस बकाये को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में अनियमितताओं के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इनकी जांच की जा रही है ।

(घ) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अनुसार, उसने किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत 346.70 करोड़ रु० मूल्य की 62711 मशीनें सप्लाई की हैं । इसमें से 228.65 करोड़ रु० की राशि देय हो गयी है और निगम

ने 31 मार्च, 1991 तक 202.08 करोड़ रु० वसूल कर लिए हैं और 26.57 करोड़ रु० विविध कर्जदारों के रूप में शेष छोड़ दिए हैं । जिन एककों ने समय पर भुगतान नहीं किया है उनकी संख्या 6827 है । इसमें से निगम ने 925 एककों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की है और निगम ने लगभग 230 मामलों में डिक्री प्राप्त कर ली है । इसके अलावा कई मामले न्यायालय के बाहर सुलझा लिये गए हैं । इस प्रकार कुल लगभग 320 मामलों में और कुल 7.50 करोड़ रु० के दावों पर मुकदमा चल रहा है ।

(ङ) चूंकि निगम छः क्षेत्रीय कार्यालयों और 14 शाखा कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है, अतः केन्द्र द्वारा दोषी उद्योगों के ब्यौरे नहीं रखे जाते ।

(च) निगम ने बकाया राशि वसूल करने के लिए एक प्रणाली बनाई है । निगम ने बकाया राशि वसूल करने हेतु फील्ड अधिकारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं और फील्ड स्टॉफ किराया खरीददारों को समय पर किश्तों का भुगतान करने के लिए कहते हैं । किश्तों का समय पर भुगतान करने के लिए छूट भी दी जाती है ।

राजस्थान को गेहूं और चीनी की सप्लाई

[हिन्दी]

3112. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में वर्तमान जनसंख्या के आधार पर अधिक गेहूं और चीनी आवंटित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं का आवंटन जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जाता है और राजस्थान सरकार से इस आधार पर उन्हें गेहूं का आवंटन में वृद्धि करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

2. जहां तक चीनी का संबंध है, राजस्थान सरकार से 22-12-1990 को इस आशय का अनुरोध प्राप्त हुआ था कि जनसंख्या में हो गई वृद्धि के आधार पर उनके लेवी चीनी के मासिक आवंटन में वृद्धि कर दी जाए । लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए लेवी चीनी के आवंटन के लिए वर्तमान आधार में संशोधन करना संभव नहीं है । तथापि, सरकार ने सभी राज्यों के लेवी आवंटनों में अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक 5 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि करने की अनुमति प्रदान कर दी है ।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भंडारण से संबंधित शिकायतें

3113 **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में इस समय कौन-कौन से खाद्यान्न कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं और उनके सुरक्षित भंडार कितने-कितने हैं;

(ख) सड़न, चोरी, भंडारण की अनियमितताओं, भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न राज्यों में स्थित गोदामों के खाद्यान्नों का मानव-उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाने से संबंधित शिकायतों की संख्या क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है, अथवा किये जाने का विचार है;

(ग) सूखा और अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में तुरन्त खाद्यान्न पहुंचाने के लिए क्या उपाय किये गये है,

(घ) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ङ) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों तक खाद्यान्नों के परिवहन की प्रक्रियाओं को सरल, त्वरित और कारगर बनाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 1-7-91 को स्थिति के अनुसार खाद्यान्नों की मात्रा निम्नानुसार है :—

(मिलियन मीटरी टन में)

	गेहूं	चावल	जोड़
भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्नों की मात्रा ।	5.57	8.99	14.56

उपर्युक्त स्टाक के अलावा पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में राज्य की एजेन्सियों के पास केन्द्रीय खाते पर 5.22 मिलियन मीटरी टन गेहूं पड़ा हुआ है । ये मात्राएं परिचालन और बफर स्टाक दोनों के प्रयोजनों के लिए हैं ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भण्डारित खाद्यान्नों के सड़ने के बारे में वर्तमान वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । खाद्यान्नों को हैंडल करने, उनकी दुलाई और उनका भण्डारण करने के वर्तमान तौर-तरीके में वर्षा, बाढ़ों/समुद्री तूफानों, लम्बी अवधियों तक भण्डारण करने, कृषि मौसमी स्थितियों की वजह से और सामान्य मानव नियंत्रण के बाहर के अन्य कारणों से खाद्यान्नों की कुछ मात्रा क्षतिग्रस्त और खराब हो जाती है और वह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाती है । ऐसे क्षतिग्रस्त/खराब खाद्यान्नों के स्टाक को "क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों" की संज्ञा दी जाती है । 1989-90 के दौरान वर्ष में लगभग 83.0 लाख मीटरी टन के औसत स्टाक में से ऐसा स्टाक 0.25 लाख मीटरी टन था । प्रतिशतता के लिहाज से वर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त स्टाक की मात्रा 0.30 प्रतिशत थी ।

भारतीय खाद्य निगम में 1989-90 के दौरान चोरी/उठाईगीरी संबंधी अनियमितताओं में अन्तर्ग्रस्त खाद्यान्नों की मात्रा लगभग 83.0 लाख मीटरी टन के औसत स्टाक स्तर में से 124 मीटरी टन थी ।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भण्डारित अनाज की हालत की निरन्तर मानीटरिंग की जाती है और अपेक्षित रोग निरोधी/रोगहर उपचार किए जाते हैं ।

(ग) विभिन्न राज्यों में निश्चित सूखा उन्मुख क्षेत्रों की शिनाख्त कर ली गई है । अधिशेष राज्यों से शिनाख्त किए गए कमी वाले इन राज्यों को अग्रता के आधार पर खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक भेजा जा रहा है । शिनाख्त किए गए कमी वाले ऐसे सभी स्थानों में बराबर पर्याप्त स्टाक बनाए रखने के लिए अन्तर्राज्यीय और राज्यों के भीतर संचलन किए जाते हैं ।

(घ) पिछले तीन वर्षों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की मरम्मत और अनुरक्षण पर खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	
1987-88	4.10
1988-89	4.15
1989-90	4.98

(ङ) लगभग 95 प्रतिशत खाद्यान्नों की रेल द्वारा ढुलाई की जाती है । भारतीय खाद्य निगम देश के वसूली राज्यों से कमी वाले विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों का संचलन करने के लिए ब्यौरे तैयार करता है । रेलवे बोर्ड समूचे मास के लिए संचलन योजना को प्रायोजित करता है और उनके परामर्श से निश्चित और समयबद्ध संचलन योजना कार्यान्वित की जाती है । जरूरतमंद और अन्य इलाकों को अग्रता के आधार पर स्टाक का संचलन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय तथा अन्य स्तरों पर दिन-प्रति-दिन मानीटरिंग की जाती है । 2200 मीटरी टन के आक्स वैगनों के जम्बो रैक सभी ब्राडगेज रूटों से भेजे जाते हैं । सभी मीटर गेज स्थानों से खाद्यान्नों का संचलन करने के लिए रेलवे के साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है । यथापेक्षित सीमा तक सड़क मार्ग से राज्य के अन्दर और अन्तर्राज्यीय संचलन करने के साथ-साथ जिन गोदाम स्थलों में रेल शीर्ष नहीं हैं, उन्हें प्रमुख रेल शीर्षों के साथ सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क द्वारा संचलन भी किया जाता है ।

दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना

[अनुवाद]

3114. श्री बलराज पासी
श्री वीरेन्द्र सिंह
श्री सन्तोष कुमार गंगवार
श्रीमती सुमित्रा महाजन } क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर वर्ष 1990 तथा 1991 के दौरान अब तक दूरदर्शन ट्रांसमीटर चालू किये गये हैं तथा उनकी क्षमता कितनी-कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : दिनांक 1 जनवरी, 1990 से 13 अगस्त, 1991 तक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के राज्यों के जिन स्थानों पर दूरदर्शन ट्रांसमीटर चालू किए गये, उनके नाम और उन ट्रांसमीटरों की शक्ति का ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य	स्थान	ट्रांसमीटर/ट्रांसपोजर की शक्ति
राजस्थान	सलम्बर	100 वाट
	जमुआ-रामगढ़	10 वाट
उत्तर प्रदेश	हरिद्वार	100 वाट
	पीलीभीत	100 वाट
	धारचला	10 वाट
	मुन्स्यारी	10 वाट
	चुर्क	10 वाट
मध्य प्रदेश	ग्वालियर	10 किलोवाट (100 वाट ट्रांसमीटर के स्थान पर)
	रामपुर	10 किलोवाट (एक किलोवाट ट्रांसमीटर के स्थान पर)
आंध्र प्रदेश	अनन्तपुर	1 किलोवाट (100 वाट ट्रांसमीटर को बदलकर)
	भद्राचलम	100 वाट

उपर्युक्त अवधि के दौरान गुजरात में कोई दूरदर्शन ट्रांसमीटर चालू नहीं किया गया ।

सिविल सेवाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

3115. श्री बलराज पासी
श्री वीरेन्द्र सिंह
श्री भगवान शंकर रावत } : क्या प्रधान मंत्रि यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल सेवाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सिविल सेवा परीक्षाओं में गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितनी महिलाओं सफल हुई और उनका प्रतिशत कितना है ; और

(ग) सिविल सेवाओं में प्रवेश के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) किसी निश्चित रूख का पता नहीं लगाया जा सकता ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कुल रिक्तियों की संख्या, संस्तुत महिला उम्मीदवारों की संख्या तथा संस्तुत उम्मीदवारों की कुल संख्या के मुकाबले सफल महिला उम्मीदवारों की प्रतिशतता संबंधी आंकड़े संलग्न विवरण I में दिए गए हैं ।

(ग) हाल ही के वर्षों में महिलाओं को सिविल सेवाओं में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का सारांश संलग्न विवरण II में दिया गया है ।

विवरण I

वर्ष	संस्तुत उम्मीदवारों की कुल संख्या	संस्तुत महिला उम्मीदवारों की संख्या	संस्तुत कुल उम्मीदवारों के मुकाबले महिला उम्मीदवारों की प्रतिशतता
1988	897	144	16.05%
1989	850	118	13.88%
1990	940	131	13.93%

विवरण II

हाल ही के वर्षों में सिविल सेवाओं में महिलाओं को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

(i) असम-मेघालय, मणिपुर-त्रिपुरा, नागालैंड के उत्तर पूर्वी संवर्गों तथा जम्मू और कश्मीर में आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं की एकल महिला अधिकारियों के मामले में अखिल भारतीय सेवा के अन्तरसंवर्गीय स्थानान्तरण की नीति में ढील दे दी गई है । यह भी निर्णय लिया गया है कि 1990 से 5 वर्ष की अवधि के लिए इन संवर्गों में महिला अधिकारियों का आबंटन न किया जाए ।

(ii) जहां तक संभव है, पति और पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात किए जाने से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिए गए हैं ।

(iii) प्रसूति छुट्टी के क्रम में और छुट्टी मंजूर किए जाने से संबंधित नियमों को उदार बना दिया गया है।

(iv) राष्ट्रीय नेटवर्क पर ऐसे दूरदर्शन धारावाहिक दिखाए जाते हैं जिनमें सिविल सेवाओं में महिला अधिकारियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की सराहना की जाती है।

जमाखोरी और कालाबाजारी के विरूद्ध कार्रवाई

3116. **श्रीमती आसवराजेश्वरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अपने सतर्कता और प्रवर्तन अधिकरणों को दुरूस्त करने, सूचना देने और जमाखोरी, कालाबाजारी तथा ऐसे ही अन्य आर्थिक अपराधों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों में कालाबाजारी और आर्थिक अपराधों को रोकने के लिये राज्य सरकारों की सहायता करने के लिये सहमत हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितने राज्यों ने कदम उठाये हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) जी हां। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी है कि वे जमाखोरों तथा इसी प्रकार के आर्थिक अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए अपनी सतर्कता तथा प्रवर्तन गतिविधियों में तेजी लाएं।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा अन्य संगत कानूनों के उपबंधों के अनुसार चोरबाजारी तथा इसी प्रकार के दूसरे आर्थिक अपराधों को रोकने की कार्यवाही पहले से ही कर रहे हैं।

आठवीं योजना में परिवर्तन

3117. **श्रीमती आसवराजेश्वरी** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना को संशोधित करके उसका पुनः प्रारूप तैयार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके नये परिवर्तन शामिल करने के लिए कई कदम उठाए हैं;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की जाने वाली कर्नाटक राज्य से संबंधित योजनाओं के बारे में कर्नाटक सरकार से भी परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कर्नाटक सरकार को कितनी धनराशि आबंटित करने का विचार है ?

योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) मौजूदा दृष्टिकोण पत्र दस्तावेज तथा वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आठवीं योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। स्कीमों तथा कार्यक्रमों जिसके लिए केन्द्रीय मंत्रालयों तथा कर्नाटक सरकार

सहित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है, के बारे में पुनर्रूपित प्रस्तावों के आधार पर आठवीं योजना दस्तावेजों में क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं तथा आवंटनों को दर्शाया जाएगा ।

खाद्यान्नों की कमी

3118. **श्रीमती आसवराजेश्वरी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्यान्न के भंडारों में खाद्यान्नों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार की क्या स्थिति थी और उनकी अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) क्या खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि उनकी कमी के कारण हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) जी, नहीं । सरकारी एजेंसियों के पास 1989, 1990 और 1991 की पहली जुलाई को स्थिति के अनुसार क्रमशः 13.05 मिलियन मीटरी टन, 20.31 मिलियन मीटरी टन और 21.07 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक था ।

(ग) और (घ) ऊपर भाग (क) और (ख) में दिए गए उत्तर की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठते ।

एडवांस जमाराशि को उपभोक्ताओं को वापस करना

[हिन्दी]

3119. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसर्स लोहिया मैकैनिक्स लिमिटेड ने अपने उपभोक्ताओं की एडवांस जमाराशि वापस नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपभोक्ताओं को कितनी धनराशि का भुगतान होना बाकी है और यह भुगतान कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) सरकार को यह मालूम है कि उपभोक्ताओं द्वारा बुकिंग रद्द कराये जाने पर उनके अग्रिम जमा धन की राशि लौटाने में लोहिया मशीन्स लि० ने अनुचित विलम्ब किया है ।

(ख) तथा (ग) कंपनी ने बताया है कि उन्होंने 30-6-91 तक 8,99,090 मामलों में अग्रिम जमा धनराशि और उस पर देय ब्याज की पूरी रकम तथा 98,572 मामलों में आंशिक रकम लौटा दी है । कुल 85 करोड़ रुपये की रकम पहले ही लौटायी जा चुकी है । कंपनी के अनुसार रकम वापसी (रीफंड) के 4,13,080 अनुरोध अभी भी लम्बित पड़े हैं, जिनमें 30.89 करोड़ रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त है । इसमें से 98,572 अनुरोधों में केवल मूलधन और उस पर देय ब्याज की राशि का भुगतान ही अंतर्ग्रस्त है । कंपनी की नकदी संबंधी स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उक्त कंपनी सभी लंबित मामलों में धन नहीं लौटा पायी है । कंपनी को आशा है कि वह लम्बित अनुरोधों को आगामी 3-4 वर्षों में निपटा देगी और उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि वह अपनी देयताएं समाप्त करते समय देय ब्याज का भी भुगतान करेंगे ।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

[अनुवाद]

3120. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में और उसके विभिन्न संगठनों में ग्रुप क, ख, ग, और घ में सीधी भर्ती तथा पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों और उसमें से रिक्त पदों, भरे जा चुके पदों, अनारक्षित किया गये पदों, अग्रेनीत पदों और व्यपगत हो गये पदों की ग्रेडवार संख्या अलग-अलग कितनी है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक संगठन में पिछले बकाया आरक्षित रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति क्या है और पिछले बकाया रिक्त पदों को भरने और उनके अनारक्षण तथा व्यपगत होने को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

प्रकाशनों के लिए विज्ञापन दरें

3121. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्र उद्योग सभी प्रकाशनों के लिए विज्ञापन दरों हेतु सामान्य शुल्क की मांग करता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी हां ।

(ख) सरकारी विज्ञापनों की दरें, विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित फार्मुला के आधार पर निर्धारित की जाती हैं और इन दरों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना

3122. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या **प्रधान मंत्री** 17 जुलाई, 1991 के तारांकित प्रश्न सं० 79 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उद्योग स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस जारी किये जाने के लिए जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उनका ब्यौरा क्या है और ऐसे उद्योग कहां-कहां स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या संयुक्त क्षेत्र में एक समेकित इस्पात संयंत्र स्थापित करने के संबंध में आशय पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किया गया आवेदन भी इसमें शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना करने के लिए जून 1988 तथा 30 जून, 1991 के बीच आशय पत्रों की मंजूरी के लिए 178 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) तथा (ग) उड़ीसा सरकार के एक उपक्रम उड़ीसा औद्योगिक उन्नति एवं निवेश निगम लि० (आई० पी० आई० सी० ओ० एल०) ने उड़ीसा के कटक जिले में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है । तथापि नई औद्योगिक नीति के अनुसार, सुरक्षा एवं सामरिक विषयों इत्यादि से संबंधित उद्योगों की एक छोटी सूची को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए लाइसेंसीकरण समाप्त कर दिया गया है । नई औद्योगिक नीति के अनुसार एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है ।

आकाशवाणी केन्द्र, कलकत्ता

3123. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, कलकत्ता में लगा ट्रांसमीटर देश में सबसे कम क्षमता का है और कलकत्ता से रिले अथवा प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के अधिकतर भागों में सुने नहीं जा सकते;

(ख) क्या सरकार का विचार उस ट्रांसमीटर के स्थान पर शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसके कब तक बदले जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) कलकत्ता के वर्तमान छः ट्रांसमीटरों में से 50 किलोवाट मी० वे० ट्रांसमीटर और 10 किलोवाट शा० वे० ट्रांसमीटर की क्षमता को बढ़ाकर क्रमशः 100 किलोवाट मी० वे० और 50 कि० वा० शा० वे० करने की व्यवस्था की गयी है । इन दोनों परियोजनाओं का कार्य काफी हद तक हो चुका है ।

भोपाल गैस पीड़ित

3124. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस पीड़ितों के लिए भोपाल में कार्यरत कल्याण संगठनों ने यह धमकी दी है कि यदि केन्द्रीय सरकार भोपाल समझौते पर अपना रूख स्पष्ट नहीं करती है, तो वे अधिक कड़ा रूख अपनाएंगे ;

(ख) क्या लाखों गैस पीड़ितों की शिकायतें दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कदम अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ितों पर समुचित ध्यान देने के लिए सरकार का कौन से नए उपाय करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) सर्वोच्च न्यायालय का तारीख 14 और 15 फरवरी, 1989 का समझौता आदेश, जिसमें यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० को सभी दावों के पूर्ण निपटान के लिए 470 मिलियन अमरीकन डालर की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, के खिलाफ अनेक पुनरीक्षण याचिकायें दायर की गई है। सरकार पुनरीक्षण याचिकाओं का समर्थन कर रही है। इस समय यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

(ख) और (ग) गैस रिसाव के पीड़ितों को सहायता देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं :—

(1) भोपाल के गम्भीर रूप से प्रभावित 36 म्युनिसिपल वार्डों के निवासियों को 1-4-1990 से रु० 200/— प्रतिमाह की अन्तरिम राहत दी जा रही है,

(2) भोपाल गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए सरकार ने 163.10 करोड़ रुपए की कार्य योजना स्वीकृत की है। इस कार्य योजना पर होने वाले खर्च को केन्द्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाएगा। केन्द्र सरकार के भाग के रूप में 30.56 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई है। इस कार्य योजना में आर्थिक, सामाजिक पर्यावरण और चिकित्सा पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हैं।

महाराष्ट्र में उद्योगों का पंजीकरण

3125. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये उद्योगों के पंजीकरण के संबंध में महाराष्ट्र सरकार के कितने प्रस्ताव संघ सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में जनवरी, 1990 से जून 1991 तक पंजीकृत उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार लम्बित प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक स्वीकृति मिलने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) इस समय महाराष्ट्र में नये औद्योगिक एककों के पंजीकरण का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। नई औद्योगिक नीति के अनुसार, लाइसेंस मुक्तिकरण/छूट प्राप्त उद्योगों/तक० विकास महानिदे० पंजीकरण संबंधी योजनाएं समाप्त हो जाती हैं।

(ख) महाराष्ट्र राज्य में जनवरी, 1990 से जून, 1991 की अवधि के दौरान लाइसेंस मुक्ति करण/छूट प्राप्त उद्योगों/तक० वि० महा० पंजीकरण संबंधी योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदन पत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

पंजीकरण की सं०

वर्ष	लाइसेंस मुक्तिकरण उद्योग पंजीकरण	छूट प्राप्त उद्योगों का पंजीकरण	डी० जी० टी० डी० पंजीकरण
1990	162	173	78
1991 (जून तक)	81	105	24

सभी पंजीकरणों के संबंध में एकक का नाम, स्थापना-स्थल विनिर्माण की मद(दें) तथा क्षमता जैसे ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मासिक समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जा रही है।

(ग) तथा (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की खंडपीठें

3126. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की विभिन्न खंडपीठों में लम्बित पड़े मामलों की संख्या खंडपीठवार क्या है:

(ख) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास लंबित पड़े मामलों की मंत्रालयवार संख्या क्या है:

(ग) न्यायाधिकरण की अब तक स्थापित खंडपीठों के स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या न्यायाधिकरण की कुछ और खंडपीठें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है: और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) दिनांक 30-6-1991 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की विभिन्न खण्ड पीठों में लम्बित पड़े मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण I संलग्न है।

(ख) अधिकरण में मामलों के आंकड़े मंत्रालयवार नहीं रखे जाते हैं।

(ग) अधिकरण की अब तक स्थापित खण्डपीठों के स्थानों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण II संलग्न है।

(घ) तथा (ङ) जी हां। नागपुर में एक नई खण्डपीठ स्थापित करने का तथा साथ ही पहले से स्थापित कुछ खण्डपीठों में न्यायालयों (कोर्टों) की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है।

विवरण I

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की विभिन्न खण्डपीठों में लम्बित पड़े मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण (दिनांक 30-6-91 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	खण्डपीठ का नाम	लम्बित मामले		
		स्थानान्तरित आवेदन	मूल आवेदन	कुल
1.	प्रधान खण्डपीठ	518	8022	8540
2.	अहमदाबाद खण्डपीठ	21	1623	1644
3.	इलाहाबाद खण्डपीठ	656	4880	5536
4.	बंगलौर खण्डपीठ	5	1025	1030
5.	न्यू बोम्बे खण्डपीठ	221	2192	2413
6	कलकत्ता खण्डपीठ	474	3398	3872
7.	चण्डीगढ़ खण्डपीठ	90	2895	2985
8.	कटक खण्डपीठ	9	767	776
9.	गुवाहाटी खण्डपीठ	3	348	351
10.	हैदराबाद खण्डपीठ	22	1673	1695
11.	जबलपुर खण्डपीठ	52	1675	1727
12.	जोधपुर खण्डपीठ	1097	2732	3829
13.	मद्रास खण्डपीठ	43	1319	1362
14.	पटना खण्डपीठ	12	474	486
15.	एर्नाकुलम खण्डपीठ	1	141	1402
	कुल	3224	34424	37648

टिप्पणी : 1. अधिकरण की लखनऊ तथा जयपुर खण्डपीठ की मंजूरी केवल नवम्बर, 1989 में दी गई है और उनसे संबंधित ग्रुप आंकड़े क्रमशः इलाहाबाद खण्डपीठ तथा जोधपुर खण्डपीठ में शामिल कर लिए है ।

विवरण II

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अब तक स्थापित खण्डपीठों के स्थानों को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	खण्डपीठ का नाम तथा स्थान
1.	प्रधान खण्डपीठ, नई दिल्ली
2.	अहमदाबाद खण्डपीठ, अहमदाबाद
3.	इलाहाबाद खण्डपीठ, इलाहाबाद
4.	लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ
5.	बंगलौर खण्डपीठ, बंगलौर
6.	न्यू बॉम्बे खण्डपीठ, न्यू बोम्बे
7.	कलकत्ता खण्डपीठ, कलकत्ता
8.	चण्डीगढ़ खण्डपीठ, चण्डीगढ़

विवरण II—जारी

क्र०सं०	खण्डपीठ का नाम तथा स्थान
9.	कटक खण्डपीठ, कटक
10.	गुवाहाटी खण्डपीठ, गुवाहाटी
11.	हैदराबाद खण्डपीठ, हैदराबाद
12.	जबलपुर खण्डपीठ, जबलपुर
13.	जोधपुर खण्डपीठ, जोधपुर
14.	जयपुर खण्डपीठ, जयपुर
15.	मद्रास खण्डपीठ, मद्रास
16.	पटना खण्डपीठ, पटना
17.	एर्नाकुलम खण्डपीठ, कोचीन

संघ लोक सेवा आयोग के कार्यकरण के संबंध में समिति

3127. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों के लीक होने की नवीनतम घटना को देखते हुए संघ केन्द्रीय सरकार के पास लोक सेवा आयोग के कार्यकरण का अध्ययन करने हेतु कोई समिति गठित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी चयन आयोग के संबंध में प्रश्न पत्रों के लीक होने अथवा परीक्षाओं के संचालन में ऐसी अन्य अनियमितताओं की कोई घटना हाल ही में केन्द्रीय सरकार की नोटिस में लाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मागरिट अल्वा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दूरदर्शन द्वारा अनुमोदित धारावाहिक

3128. **श्री के० प्रधानी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों में दूरदर्शन द्वारा अनुमोदित धारावाहिकों/टेलीफिल्मों/वृत्तचित्रों के नाम क्या हैं; और

(ख) क्या कुछ धारावाहिकों को चयन समिति को भेजे बिना सीधे ही स्वीकृति दे दी गयी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन से प्राप्त सूचना के अनुसार दूरदर्शन ने पिछले छः माह के दौरान अपनी कमीशन स्कीम के अंतर्गत एक विज्ञान पत्रिका श्रृंखला सहित 11 टी० वी० धारावाहिकों, 23 टेलीफिल्मों तथा 8 वृत्तचित्रों का अनुमोदन किया है । इनके शीर्षक संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ख) जी, नहीं । सभी कार्यक्रम, सम्बद्ध समिति द्वारा अनुमोदित किए गए हैं ।

विवरण

(क) टी० वी० धारावाहिक

1. कृष्णकान्त का वसीयतनामा
2. और किशन जाग उठा
3. विरासत
4. फरमान
5. शिलापतिकारम
6. श्री रामकृष्ण परमहंस
7. कौशल्या
8. दिशा
9. मस्सया दी रात (पंजाबी)
10. स्कंदपुराणम
11. टर्निंग प्वाइंट—राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम श्रृंखला ।

(ख) टेलीफिल्में

1. बिकता हुआ आदमी
2. पिंजरा
3. चंपारों के गांव
4. बन्ने खान
5. पीर पराई
6. जमीन
7. हिंडोला
8. फ्लैमिंग स्लिपर्स
9. फूल का दर्द
10. इंस्पैक्टर विवेक
11. सम्बन्ध
12. गंगा लहरी
13. सुख शीतल करो संसार
14. हृदैय चुरंगम (तमिल)
15. दि अंसवन (तमिल)

(ख)टेलीफिल्में—जारी

16. डाक मुंशी
17. अहसास (कश्मीरी)
18. सौदागर (कश्मीरी)
19. घन्थर (कश्मीरी)
20. बहते चिराग (कश्मीरी और उर्दू)
21. लौट आओ
22. भालो भालो (बंगला)
23. मुम्च गुली (बंगला)।

(ग) वृत्तचित्र

1. राजर्षि पुरूषोत्तम दास टंडन
2. हैंडीकैपड वर्कर्स ऐज गुड ऐज दी बेस्ट
3. श्रीमती कल्पना जोशी
4. क्राउनिंग ग्लोरी
5. पूर्वांचल का गौरव
6. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
7. बिहार के हस्तशिल्प पर विहारिका वृत्तचित्र (दो कार्यक्रम)
8. फखरूद्दीन अली अहमद।

घाटे पर चल रहे उर्वरक निगम

3129. श्री के० प्रधानी
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कौन-कौन से उर्वरक निगम घाटे में चल रहे हैं;

(ख) क्या इन निगमों को प्रतिवर्ष घाटा होता है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक निगम को वर्ष-वार कितना घाटा हुआ;

(घ) क्या भारतीय उर्वरक निगम को प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस निगम को इसकी स्थापना से अब तक कुल कितना घाटा हुआ ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) 1990-91 के लिए अनन्तिम लेखों के अनुसार निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हानियां दर्शा रहे हैं :

(1) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ० सी० आई०)

(2) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (एच० एफ० सी०)

(3) प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि० (पी० डी० आई० एल०)

(4) पारादीप फास्फेट्स लि० (पी० पी० एल०)

(ख) और (ग) इनमें से कुछ उपक्रम गत कई वर्षों से हानियां उठा रहे हैं । 1988-89 से 1990-91 तक की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है :—

(हानि करोड़ रु० में)

	1988-89	1989-90	1990-91
एफ० सी० आई०	168.90	163.90	170.33 (अनन्तिम)
एच० एफ० सी०	156.38	169.14	228.76 (अनन्तिम)
पी० डी० आई० एल०	9.52	19.08	12.29 (अनन्तिम)
पी० पी० एल०	12.02 (लाभ)	37.29	30.80 (अनन्तिम)

(घ) एफ० सी० आई० ने 1980-81, 1981-82 और 1985-86 तथा उससे आगे प्रतिवर्ष 100 करोड़ रु० से अधिक की हानि उठायी ।

(ङ) एफ० सी० आई० की कुल संचित हानि 1387.35 करोड़ रु० है (1990-91 की अनन्तिम हानि सहित) ।

रांची तथा पटना दूरदर्शन केन्द्रों की क्षमता

[हिन्दी]

3130. **श्री ललित उरांव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रांची तथा पटना दूरदर्शन केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों की क्षमता में कब तक वृद्धि किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) पटना और रांची में इस समय एक एक उच्च शक्ति (10 कि० वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है और उनकी रेडियेटिंग शक्ति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, इन दोनों स्थानों पर कार्यक्रम निर्माण की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने की योजना है ।

(ग) यद्यपि पटना की वर्तमान अन्तरिम व्यवस्था के स्थान पर एक स्थायी टी० वी० स्टूडियो के वर्ष 1993-94 के दौरान, सेवा के लिए चालू किये जाने की योजना है तथापि रांची में कार्यक्रम निर्माण की वर्तमान सीमित सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, सरकार द्वारा स्कीम का विधिवत् रूप से अनुमोदन कर लिये जाने के बाद, लगभग 3½ वर्ष का समय लग जाने का अनुमान है ।

बिहार में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

3131. **श्री ललित उरांव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा तुरामदीह में 170 करोड़ रुपये (वर्ष 1989 के मूल्य के आधार पर) रुपये की लागत से 670 टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला एक यूरेनियम ऑक्साईड ईंधन संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ।

मिदनापुर में परमाणु विद्युत संयंत्र

[अनुवाद]

3132. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल मिदनापुर जिले में एक परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है । पूर्वी विद्युत क्षेत्र में, जिसका एक हिस्सा पश्चिम बंगाल भी है, कोयले के भंडार उपलब्ध होने के कारण उस क्षेत्र में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने की बात को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी जाती है ।

सुपर बाजार द्वारा चलाये जाने वाले "ईटेबल काउन्टर"

3133. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार का विचार ईटेबल काउन्टर चलाने और न नफा न नुकसान के आधार पर ग्राहकों की दैनिक उपयोग की वस्तुओं को उचित दरों पर उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुपर बाजार की शाखाओं के भंडारों में प्रायः दैनिक उपयोग की मदें उपलब्ध नहीं होती हैं और कई दिनों तक ये स्टॉक में नहीं आती हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुपर बाजार का सृजन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उसका पता लगाने के उद्देश्य से कोई आंकलन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) सुपर बाजार पहले से ही अपने किराना और प्रशीतित (फ्रोजन) खाद्य विभागों के ज़रिए डबलरोटी, मक्खन, अंडे, जैम, दालें मसाले, बिस्कुट, आलू के चिप्स, घी और तेल जैसी उपभोक्ता खाद्य मदों एवं दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुओं की बिक्री कर रहा है । यह अपनी कनॉट प्लेस शाखा से ताजा फलों के रस और मद्यरहित पेयों की भी बिक्री कर रहा है ।

(ग) जी नहीं । सुपर बाजार यथा संभव दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के प्रयास करता है । कभी-कभी कोई वस्तु किसी-किसी बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध नहीं हो पाती है क्योंकि यदा-कदा विभिन्न कारणों, जैसे कम आपूर्ति, अधिप्राप्ति के स्त्रोत अर्थात विनिर्माता/वितरक से माल न मिल पाने या किन्हीं अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखना मुश्किल हो जाता है ।

(घ) तथा (ङ) सुपर बाजार के मूल्यों को नियंत्रित करने में स्वस्थ प्रभाव डालने में सक्षम रहा है, जो कि इसकी स्थापना का एक प्रमुख उद्देश्य है । सुपर बाजार ने हाल ही में मुख्यालय भवन में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है जहां इसके सभी बिक्री केन्द्रों से स्टाक समाप्ति की स्थिति की सूचना एकत्र की जाती है तथा जहां तक संभव होता है, शाखाओं को अपेक्षित वस्तुएं मुहैया कराने के प्रयास किए जाते हैं । वसूली और बिक्री से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की एक साप्ताहिक बैठक नियमित रूप से बुलाई जाती है जिसमें वस्तुओं के स्टाक की समाप्ति और उनकी वसूली से संबंधित स्थिति की समीक्षा की जाती है ।

निजी कम्पनियों द्वारा डिश एंटीना लगाया जाना

3134. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 25 फरवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 316 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केबल टी० वी० नेटवर्क और डिश एन्टीना प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच करने संबंधी समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) संचार मंत्रालय से लाईसेंस प्राप्त किए बिना डिस्क एन्टीना स्थापित करने के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और इन व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) जी, हां । विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा संबंधित संगठनों से टिप्पणियां प्राप्त की गई थीं । तथापि, इस बीच सार्वजनिक निगमों को टेलीकास्टिंग और प्रसारण अधिकार देने और उन्हें प्रसार भारती के साथ स्पर्धा करने की अनुमति देने संबंधी सरकार की घोषणा के संदर्भ में, इस रिपोर्ट के कुछ अनिवार्य पहलू सम्भवत: अब पुराने पड़ गए हैं ।

(घ) संचार मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, ऐसे अनेक मामले न्यायालयों में लंबित हैं । अत: फिलहाल यह मामला न्यायाधीन है ।

हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट का वेस्ट (कचरा)

3135. **श्री रमेश चेन्नीत्तला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वेल्लूर हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट के वेस्ट (कचरे) का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी हां। प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. वशवर्ती प्रयोग के लिए चूने के भट्टे में चूने के अवमल को फिर से जलाने का कार्य कार्यान्वियनाधीन है।

2. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया और नेशनल बिल्डिंग ओरगेनाइझेशन के परामर्श से सीमेंट उद्योग में फलाई ऐश के उपयोग की संभावना और फलाई-ऐश जिप्सम ईंटों के निर्माण की सम्भावना का पता लगाया गया है।

3. प्रस्तावित फ्ल्यूडाइज्ड-बैड बॉयलर में गौण ईंधन के रूप में लकड़ी का बुरादा, अन्य बेकार लकड़ी और बहिस्त्राव अवमल जलाए जाने को प्रस्तावित किया गया है।

आशुलिपिकों के संवर्ग में गतिरोध

3136. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आशुलिपिक संवर्ग में 2000-3200/3500 रुपये के वेतनमान में ऐसे अनेक कर्मचारी हैं, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा और अन्य सरकारी कार्यालयों में पदोन्नति के अवसर न होने के कारण काफी समय से अपने वेतनमान के अधिकतम पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त 2000-3200/3500 रुपये के वेतनमान में कुल कितने कर्मचारी है जिन्होंने 31 मार्च 1990 को केन्द्रीय सचिवालय/सरकारी सेवा में एक ही ग्रेड में 8 वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर ली हैं;

(ग) क्या सरकार इस ग्रेड में निश्चित सेवा काल पूरा करने के बाद उनके गतिरोध को दूर करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) से (घ) रू० 2000-3200/3500 वेतनमान वाले आशुलिपिक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में फैले हुए हैं। ऐसे कर्मचारियों की संख्या संबंधी कोई केन्द्रीयकृत सूचना नहीं रखी गई हैं जिन्होंने इस ग्रेड में 31 मार्च, 1990 तक 8 वर्ष से अधिक सेवा की हो।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में शामिल, रू० 2000-3500 के वेतनमान में 8 वर्ष की अनुमोदित सेवा वाले आशुलिपिक रू० 3000-4500 वाले एक नए निजी सचिव ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र हैं। यह उनके पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के दृष्टिकोण से चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों पर लागू किया गया है।

भारत सरकार के गैर-सचिवालयी कार्यालयों में कार्यरत आशुलिपिकों को रू० 2000-3200 के एक नए वेतनमान का लाभ दे दिया गया है, जो उनके पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया है।

केन्द्रीय निवेश राज-सहायता की प्रतिपूर्ति

3137. **श्री टी० जे० अंजलोज**
प्रो० के० वी० थामस } : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार की ओर से 30 सितम्बर, 1989 तक "केन्द्रीय निवेश राज-सहायता" की प्रतिपूर्ति के संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार को केरल सरकार से राज्य स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समिति द्वारा 30-9-1988 के बाद मंजूर की गई और 31-12-1989 तक वितरित केन्द्रीय निवेश राज-सहायता की प्रतिपूर्ति के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। 1-10-1988 से केन्द्रीय निवेश राज-सहायता योजना समाप्त कर दिए जाने के पश्चात् राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई थी कि जिन्हें मंजूरी 30-9-1988 से पूर्व दे दी गई थी और जिन्हें (गैर-विनिर्माणकारी एककों के लिए) 30-8-1989 से पूर्व और (विनिर्माणकारी एककों के लिए) 31-12-1989 से पूर्व भुगतान कर दिया गया था केवल उन दावों की केन्द्र द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

केरल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार

3138. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में विद्यमान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विस्तार के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

इण्डियन रेअर अर्थस लि०

(i) प्रति वर्ष 10,000 टन सिलीमेनाइट के उत्पादन हेतु करीब 2 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से चावड़ा में सिलीमेनाइट प्राप्ति संयंत्र की स्थापना।

(ii) चावड़ा में उपलब्ध अतिरिक्त मोनाजाईट का प्रयोग करने के लिए करीब 6 करोड़ रु० की लागत से उद्योगमण्डल में एक परियोजना का निर्माण।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लि०

(i) फरवरी, 1990 के मूल्यों के आधार पर करीब 374.64 करोड़ रु० की लागत से उद्योगमण्डल में प्रति दिन 900 टन की उत्पादन-क्षमता वाला अमोनिया संयंत्र के निर्माण के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है ताकि कुल 340 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले तीन पुराने एककों को प्रतिस्थापित किया जा सके।

(ii) 1.1 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से कोचीन प्रभाग में एन० पी० के० के उत्पादन को प्रति दिन 300 टन से बढ़ाकर 540 टन करने के लिए परियोजना रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के संबंध में प्रथम चरण की अनुमति मई, 1990 में दी जा चुकी है।

अजन्ता और एलोरा के विकास की योजना

3139. **श्री धर्मण्णा मेंडय्या सार्दुल** : क्या **योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने के लिए अजन्ता और एलोरा के विकास संबंधी कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना पर कितनी लागत आएगी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) आठवीं योजना के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा अजन्ता तथा एलोरा के विकास हेतु एक स्कीम का प्रस्ताव किया गया था।

(ख) तथा (ग) स्कीम में पर्यटक आधारभूत संरचना सुविधाएं, परिवहन सुधार, दूरसंचार, जलआपूर्ति, बिजली, मलनिकासी, सड़के, हवाई अड्डा सुविधाएं आदि के सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना की गयी है। स्कीम की अनुमानित लागत 195.6 करोड़ रु० है।

राजस्थान, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में महिला और बाल विकास योजना का कार्यान्वयन

140. **श्री वीरेन्द्र सिंह**
श्रीमती महेन्द्र कुमारी
श्रीमती सुमित्रा महाजन,
: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) राजस्थान, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उप-योजना "ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बाल विकास" कब से लागू की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास योजना के अन्तर्गत राज्यवार और वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा शिशु विकास योजना को 1983-84 से राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा शिशु विकास योजना के अंतर्गत खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:—

(लाख रुपये में)

वर्ष	राजस्थान	मध्य प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश
1988—89	29.29	30.45	38.38
1989—90	27.27	63.72	60.18
1990—91	35.34	73.64	54.23

(ग) 1990-91 तक बनाए गए ग्रुपों की कुल संख्या तथा महिला लाभार्थियों की संख्या नीचे दर्शायी गई है :—

राज्य का नाम	1983-84 से 1990-91 तक ग्रुप बनाने का लक्ष्य	1983-84 से 1990-91 तक बनाए गए ग्रुपों की संख्या	1983-84 से 1990-91 तक महिला लाभार्थियों की संख्या
राजस्थान	3410	1933	29454
मध्य प्रदेश	4390	3675	70536
आन्ध्र प्रदेश	2500	3557	54448

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सप्लाई की जाने वाली आवश्यक वस्तुएं

[हिन्दी]

3141. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सभी आवश्यक वस्तुएं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर बराबर मात्रा में सप्लाई की जाती हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई की जाने वाली वस्तुएं केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आबंटित की जाती हैं । राज्यों/संघ राज्यों के भीतर राशन की मात्रा सहित इन वस्तुओं के आंतरिक वितरण का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विभिन्न बातों, जैसे कुल उपलब्ध मात्रा, जिलों में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आशय पत्र जारी करना

3142. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए कितनी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने आवेदन किया है;

(ख) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए वर्ष 1990 में आशय पत्र जारी किये गये थे; और

(ग) इस समय ऐसे कितने आवेदन पत्र विचाराधीन है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रभाव क्षेत्र में आने वाली 23 कंपनियों ने उद्योग लगाने के लिए अप्रैल 1990 से 30 जून, 1991 के दौरान आशय पत्र के लिए आवेदन किया था ।

(ख) 7 "फेरा" कंपनियों को आशय पत्र दिये गये थे । इनके ब्यौरे जैसे पार्टी का नाम, स्थापना व्यक्ति, क्षमता, उत्पादन की मद आदि का विवरण भारतीय निवेश केन्द्र के "मंथली न्यूज लेटर" में प्रकाशित किये जाते हैं, जिसकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जा रही हैं ।

(ग) 30 जून 1991 को "फेरा" कंपनियों के 44 आवेदन प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में थे ।

दूरदर्शन धारावाहिकों की और कड़ियां प्रसारित करने की अनुमति

[अनुवाद]

3143. श्री महेश कुमार कनोडिया
श्री प्रभूदयाल कठेरिया
श्री चेतन पी० एस० चौहान
श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस-किस दूरदर्शन धारावाहिक को जनवरी-जुलाई, 1991 के दौरान और अधिक कड़ियां प्रसारित करने की अनुमति दी गई;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी अतिरिक्त कड़ियों की अनुमति दी गई; और

(ग) धारावाहिक-वार कड़ियों में वृद्धि की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) जनवरी-जुलाई, 1991 के दौरान दो दूरदर्शन धारावाहिकों अर्थात, "दि सोर्ड आफ टीपू सुल्तान" तथा "गुल, गुलशन और गुलफाम" को क्रमशः 20 और 19 कड़ियां बढ़ाने की अनुमति दी गई थी ।

"दि सोर्ड आफ टीपू सुल्तान" की अतिरिक्त कड़ियों की मंजूरी दूरदर्शन की कार्यक्रम अपेक्षाओं तथा कथानक के स्वरूप और उसके समापन की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये दी गई थी ।

"गुल, गुलशन और गुलफाम" के मामले में, यह महसूस किया गया कि मूलरूप से अनुमोदित कड़ियों की संख्या से कथानक के साथ पूरा न्याय नहीं होता ।

खाद्य तेलों का आयात

3144. **श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान खाद्य तेलों का आयात करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा का आयात किया जायेगा और इसका मूल्य कितना होगा ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) सरकार चालू वर्ष के दौरान खाद्य तेलों का आयात करने पर विचार कर रही है ।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निवेश

3145. **श्री प्रकाश वी० पाटील**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में निवेश किए जाने के बारे में कोई नीति तैयार की है;

(ख) क्या सरकार का ऐसे उद्योगों की एक सूची जारी करने का विचार है, जिनमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो यह सूची कब तक जारी की जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) से (ग) सरकार ने औद्योगिक नीति संबंधी एक वक्तव्य 24-7-1991 को लोक सभा के पटल पर रखा था । विदेशी निवेश को नियंत्रित करने वाली नीति उस वक्तव्य के पैरा 24 से 26 तथा पैरा 39-ख में दी गई है ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त परिवार

3146. **श्री प्रकाश वी० पाटील**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1991 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने परिवारों की सहायता की गई तथा कितनों की सहायता करने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): वर्ष 1991 (जनवरी, 1991 से जून, 1991 तक) के दौरान कुल 13.56 लाख परिवारों की सहायता की गई है । 1991 के कलैन्डर वर्ष के लिए चयन किए गए परिवारों की सहायता करने हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । तथापि, 1991-92 के वित्तीय वर्ष के लिए 22.54 लाख परिवारों की सहायता करने का लक्ष्य है ।

विदेशी मत्स्ययन नौकाओं को भाटक पर लेने के लिए आशय पत्र जारी करना

3147. **श्री प्रकाश वी० पाटील**: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की निर्यात से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए सरकार विदेशी मत्स्ययन नौकाओं को भाटक पर लेने के लिए उदारतापूर्वक आशय-पत्र जारी कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) और (ख) विदेशी मात्स्यिकी जलयानों को किराए पर लेने के लिए भारतीय समुद्री जोन (विदेशी जलयानों द्वारा मात्स्यिकी के लिए विनियमन) अधिनियम 1981 और भारतीय समुद्री जोन (विदेशी जलयानों द्वारा मात्स्यिकी के लिए विनियमन) नियमावली, 1982 के अधीन विद्यमान चार्टर नीति के अनुसार आशय-पत्र जारी किए जाते हैं । उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तब तक किराए पर लेने के लिए कोई परमिट स्वीकृत नहीं किया जाता है जब तक केन्द्रीय सरकार लोकहित में यथा-निर्धारित ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए परमिट देने के बारे में संतुष्ट न हो और इससे संबंधित दूसरे मामलों के संबंध में जांच-पड़ताल न कर ली गई हो ।

पैप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया निर्यात

3148. **श्री मोरेश्वर सावे**: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सी, फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कितनी मदों का निर्यात किया; और

(ख) इस कम्पनी ने वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कितना राजस्व अर्जित किया ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) और (ख) कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मै० पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 1990-91 के दौरान 962.34 लाख रु० मूल्य के समुद्री उत्पादों, चाय, चावल, काजू, राइस ब्रान एक्सट्रेक्ट काली मिर्च, लाल मिर्च, डिल बीज आदि का निर्यात किया ।

[हिन्दी]

यूरेनियम के भण्डार

3149 **श्री तेजनारायण सिंह**
श्री देवेंद्र प्रसाद यादव
श्री राम टहल चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यूरेनियम भण्डार की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन जिलों और राज्यों में यूरेनियम के भण्डार पाए गए हैं;

(ग) क्या भंडारों से यूरेनियम निकालने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा): (क) तथा (ख) जी, हां ।

यूरेनियम के भण्डारों का पता लगाने के लिए क्रमबद्ध रूप से सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करने का कार्य परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा वायुवाहित सर्वेक्षण, भू-रसायन सर्वेक्षण तथा अन्य एकीकृत क्षेत्रीय अन्वेषण करके और उसके बाद अन्वेषणात्मक भू-वेधन तथा खनन प्रक्रिया को काम में लाकर किया जा रहा है । परमाणु खनिज प्रभाग ने जिन राज्यों में यूरेनियम के भंडारों का पता लगाया है उनके नाम उनके जिलों सहित नीचे दिए गए हैं :—

राज्य	जिला
आंध्र प्रदेश	कुडप्पा
बिहार	सिंहभूम
हिमाचल प्रदेश	शिमला तथा कुल्लू
कर्नाटक	उत्तरी तथा दक्षिणी कैनरा
मध्य प्रदेश	राजनंद गांव तथा सरगुजा
मेघालय	पश्चिमी खासी पहाड़ियां
राजस्थान	उदयपुर

(ग) तथा (घ) परमाणु ऊर्जा विभाग के सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना इस कार्य के लिए की गई है । यह उपक्रम खानों और रिकवरी संयंत्रों का संचालन करता है । यूरेनियम देश के परमाणु बिजली संबंधी कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप ही निकाला जाता है ।

दूरदर्शन पर कृषि कार्यक्रम

[अनुवाद]

3150. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनों, समाचारों, कलाओं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कृषि आदि विभिन्न क्षेत्रों को कितने घंटे का समय दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर कृषि कार्यक्रमों के लिए आबंटित समय में वृद्धि करने का है ताकि किसानों द्वारा नवीनतम तकनीक अपनाने को बढ़ावा दिया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन के अनुसार, कृषि कार्यक्रमों के लिए प्रति मास लगभग 101 घंटे आबंटित किए जाते हैं । समाचारों के लिये प्रतिमाह 713 घंटे अलाट किए जाते हैं । स्वास्थ्य, कला, परिवार कल्याण आदि पर कार्यक्रमों के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती । अधिकांश दूरदर्शन केन्द्र निर्धारित साप्ताहिक आवृत्ति पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 15 से 20 मिनट के लिए कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, कला, शिल्प कला जैसे अन्य पहलुओं पर कार्यक्रमों के प्रसारण का समय प्रासंगिकता, दर्शकों की रूचि तथा दूरदर्शन की कार्यक्रम अपेक्षाओं पर निर्भर करता है । दूरदर्शन कुल प्रसारण समय का 10% वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिये उपलब्ध करा सकता है । तथापि, इस समय वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिये कुल प्रसारण समय का 2.5% ही दिया जा रहा है ।

(ख) से (घ) कृषि कार्यक्रमों के माध्यम से दूरदर्शन द्वारा किसानों को खेती के नवीनतम तकनीक अपनाने के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है । तथापि, प्रसारण समय के सीमित होने और दूरदर्शन की अन्य कार्यक्रमों के बारे में प्रतिबद्धता/अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यक्रमों के लिए पहले से आबंटित समय में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

"पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड" को निर्यात के आदेश

3151. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पेप्सी कोलाइंटरनेशनल" ने भारत में पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को 3.6 मिलियन डालर का निर्यात आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन विभिन्न मदों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए निर्यात आदेश प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या इन मदों का उत्पादन भारत के "पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड" एकक में हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पेप्सी कोला इंटरनेशनल ने मै० पेप्सी फूड्स प्राइवेट लि० को 1.36 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात आदेश दिया है ।

(ख) से (घ) कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने, चालू वित्त वर्ष के लिए अपनी निर्यात योजना के अनुसार निम्नलिखित मदों का निर्यात करने की परिकल्पना की है :

मद	मूल्य	देश
	(लाख रु० में)	
टमाटर पेस्ट	310.00	आस्ट्रेलिया/फिलिपिन्स/सिंगापुर/ अमरीका/सऊदी अरब
चाय	130.00	यूरोप, मध्यपूर्व
समुद्री उत्पाद	130.00	जापान, अमरीका
चावल	1010.00	मध्यपूर्व/सऊदी अरब/अमरीका
काजू, राइस ब्रान एक्सट्रेक्ट, बीज/मसाले, गुआर गम समुद्री खाद्य पदार्थ, काली-मिर्च आदि	823.00	
	2403.00	

इसके अलावा, आर्डर में मृदु पेय सांद्रण, शीशे की बोतलें, टक; संवेष्टनात्मक सामग्री आदि का निर्यात भी शामिल किया जाएगा ।

मै० पेप्सी फूड्स प्रा० लिमिटेड द्वारा स्थापित संयंत्रों में टमाटर पेस्ट और मृदु पेय सांद्रण का उत्पादन किया जाएगा ।

राजस्थान की प्रति-व्यक्ति आय

[हिन्दी]

3152. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में अन्य राज्यों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है;

(ख) क्या अन्य राज्यों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में लगातार गिरावट आती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.व. आर. भारद्वाज): (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत अर्थात 1965-66 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 373 रू० थी। वर्तमान कीमतों पर अन्य राज्यों की प्रति व्यक्ति आय की राज्यवार तुलनात्मक स्थिति संलग्न विवरण I में दर्शायी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रुपयों में

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1965-66
1.	आंध्र प्रदेश	387
2.	असम	399
3.	बिहार	332
4.	गुजरात	498
5.	हरियाणा	450
6.	हिमाचल प्रदेश	——
7.	जम्मू और कश्मीर	317
8.	कर्नाटक	448
9.	केरल	380
10.	मध्य प्रदेश	298
11.	महाराष्ट्र	534
12.	मणिपुर	268
13.	उड़ीसा	329
14.	पंजाब	562
15.	राजस्थान	373
16.	तमिलनाडु	403
17.	त्रिपुरा	333
18.	उत्तर प्रदेश	373
19.	पश्चिम बंगाल	532
20.	दिल्ली	887
21.	अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद	426

स्रोत: राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान—नव० 85 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी विभाग, योजना मंत्रालय।

मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान को आवंटित

3153. श्री राम नारायण डेरवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान 88 करोड़ रुपये आवंटित करने संबंधी प्रस्ताव भेजे थे; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर क्या निर्णय किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) राजस्थान सरकार ने मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के लिये 88 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1991-92 के लिये 88.27 करोड़ रुपये के आवंटन की मांग की थी।

(ख) 1990-91 में योजना आयोग ने इस कार्यक्रम के तहत आवंटन को उतना ही रखा था जितना कि 1989-90 में किया गया था। इस प्रकार राजस्थान में 1990-91 में मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिये 38 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये थे तथा इतना ही आवंटन 1991-92 के लिये भी किया गया है।

हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा नमक का उत्पादन

3154. श्री राम नारायण डेरवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड कम्पनी नमक के किसी उप-उत्पाद जैसे सोडियम सल्फेट इत्यादि का उत्पादन नहीं कर रही है;

(ख) क्या सोडियम सल्फेट के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाने वाला कच्चा माल गैर सरकारी क्षेत्र को बेचा जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप वे लाभ अर्जित कर रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस कच्चे माल का उपयोग हिन्दुस्तान सांभर लिमिटेड में करने का प्रस्ताव है ताकि यह लाभ अर्जित कर सके ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की सहायक कम्पनी सांभर साल्ट्स लिमिटेड सांभर में नमक का कोई उपोत्पाद तैयार नहीं कर रही है। हाल ही में परीक्षण के तौर पर एक निजी कम्पनी को कुछ मात्रा में बिक्री करके इस सम्भावना का पता लगाने के प्रयास किए गए हैं कि क्या, बिटर्नों का उपयोग किया जा सकता है जिन्हें इस समय नमक के उत्पादन के पश्चात बेकार समझ कर फेंक दिया जाता है।

हिन्दुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड के मुख्यालय का स्थानान्तरण

3155. श्री राम नारायण डेरवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड का मुख्यालय सांभर झील पर स्थानान्तरित कर दिया गया था;

(ख) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय ने कार्यालय को स्थानान्तरित करने के निर्णय को उचित ठहराया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त मुख्यालय को पुनः सांभर झील पर स्थानान्तरित करने का है और यदि हां, तो कब ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड और इसकी सहायिका—सांभर साल्ट्स लिमिटेड के मुख्यालय को जयपुर से सांभर स्थानान्तरित करने का आदेश जनवरी, 1990 में दिए गए थे। तदुपरांत, इन आदेशों के कार्यान्वयन के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त होने पर मामला न्यायाधीन हो गया। इसी बीच, मुख्यालय के स्थानांतरण के मुद्दे की सरकार द्वारा समीक्षा की गई और मार्च, 1991 में मुख्यालय को जयपुर में ही रखने का निर्णय लिया गया।

(ग) जी, नहीं।

हिन्दुस्तान सांभर साल्ट्स लिमिटेड

3156. श्री राम नारायण बैरवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड में अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताएं बरतने संबंधी बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाई की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) सांभर साल्ट्स लिमिटेड (हिन्दुस्तान साल्ट्स लि० की सहायक कम्पनी) के अधिकारियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन्हें नियमानुसार उपयुक्त अधिकारी द्वारा हैंडल किया गया।

सुपर बाजार के माध्यम से पामोलीन के वितरण के संबंध में शिकायतें

[अनुवाद]

3158. श्री मदन लाल खुराना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार के माध्यम से पामोलीन के वितरण के मामले में चालू वर्ष के दौरान अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गयी; और

(ग) पामोलीन के विक्रय को सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार की कुछ चुनी हुई शाखाओं तक ही सीमित रखने के बजाय सभी शाखाओं से इसके विक्रय के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) चालू वर्ष के दौरान सुपर बाजार, दिल्ली को पामोलीन की वितरण के मामले में दो शिकायतें प्राप्त हुई। सुपर बाजार द्वारा संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। केन्द्रीय भंडार को पामोलीन की अपर्याप्त आपूर्ति के संबंध में अनेक शिकायतें मिली।

(ग) इन संगठनों के सभी बिक्री केन्द्रों के जरिए पामोलीन बेचे जाने के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेलों का आवंटन अप्रैल, 1991 के बाद से घटा दिया गया है। दिल्ली के उपभोक्ताओं की विशेष आवश्यकताओं को मद्दे नजर रखते हुए छोटे पैकों में 500 मी० टन मात्रा का तदर्थ आवंटन किया गया था। उसके बाद राज्य व्यापार निगम के पास स्टाक उपलब्ध न होने की वजह से और आवंटन नहीं किया जा सका। पामोलीन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण इन संगठनों के लिए अपने सभी बिक्री केन्द्रों से उसकी बिक्री करना मुश्किल है।

संयुक्त कलाकार संघ (जे० सी० ए०) की योजना

3159. श्री मदन लाल खुराना : क्या प्रधान मंत्री 4 मार्च, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1264 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग के सदस्यों से गठित की गई समिति ने संयुक्त सलाहकार तंत्र (जे० सी० एम०) योजना के कार्यकरण की पुनरीक्षा कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पुनरीक्षा को शीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

समिति द्वारा समीक्षा किए गए मुद्दों की सूची तथा प्रत्येक मुद्दे से संबंधित सिफारिशें

(1) **राष्ट्रीय/विभागीय परिषद में उठाए गए मुद्दे के निपटान के लिए समय-संरचना**

उसी बैठक में और यदि ऐसा करना संभव न हो तो अगली बैठक तक निर्णय देने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **कार्य-सूची में मदों का शामिल किया जाना**

कार्य-सूची को संबंधित परिषदों में सचिव (कर्मचारी पक्ष) तथा कर्मचारी पक्ष के कुछेक प्रतिनिधियों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। किसी मद को शामिल करने के संबंध में असहमति की स्थिति में परिषद के अध्यक्ष का निर्णय प्राप्त किया जाएगा। यदि कर्मचारी पक्ष ऐसा चाहे, तो कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधि शामिल करने के मामले पर परिषद के अध्यक्ष से चर्चा कर सकते हैं।

(3) **संयुक्त सलाहकार तंत्र की योजना की व्याख्या**

यह सहमति प्रकट की गई कि चूंकि योजना स्वयं में एक द्विपक्षी योजना है तथा योजना के प्रावधानों की व्याख्या करते समय कोई कानूनी मुद्दा अन्तर्ग्रस्त नहीं है, इसलिए यदि संयुक्त सलाहकार तंत्र की योजना के प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में विवाद खड़ा होता है तो इसे मंत्री समूह के निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए जैसा कि गैर-विवाचनीय मदों के लिए प्रावधान है।

(4) **कार्यवृत्तों का मुद्दा**

बैठक के पश्चात तीन सप्ताह की अवधि के भीतर कार्यवृत्तों को अंतिम रूप देने तथा उन्हें जारी करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(5) **राष्ट्रीय परिषद की बैठक की आवृत्ति**

यह निर्णय किया गया कि योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। तथापि कर्मचारी पक्ष ने इच्छा व्यक्त की कि सचिव (वित्त) तथा सचिव (कार्मिक) की अध्यक्षता में स्थायी समिति की अधिकाधिक बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

(6) **किसी मुद्दे की विवाचनीयता**

यह निर्णय किया गया कि किसी मुद्दे की विवाचनीयता के बारे में विवाद की स्थिति में महा-न्यायवादी का परामर्श लेने का प्रावधान इस योजना में किया जाना चाहिए।

(7) राष्ट्रीय परिषद की बैठकों के लिए समय-सीमा

यह सहमति प्रकट की गई कि जहां तक संभव हो समितियां परिषद की अगली बैठक से पहले रिपोर्ट को अन्तिम रूप देंगी तथा उसे प्रस्तुत करेंगी ।

(8) संयुक्त सलाहकार तंत्र की योजना में नैमित्तिक मजदूर, अतिरिक्त विभागीय स्टाफ का शामिल किया जाना

यह सहमति प्रकट की गई कि नियमित स्टाफ के संबंध में न्यायालय के आदेशों के प्रभाव पर परिषदों में चर्चा तो की जा सकती है, किन्तु इस योजना में नैमित्तिक मजदूर तथा अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(9) सेवा संबंधी मामलों में निर्णय का रोका जाना

कर्मचारी पक्ष ने इच्छा व्यक्त की थी कि कर्मचारी को प्रभावित करने वाली किसी भी मद पर निर्णय केवल कर्मचारी पक्ष से परामर्श करने के पश्चात ही लिया जाना चाहिए, यदि सरकार एकतरफा निर्णय लेती है और कर्मचारी पक्ष मामले को परिषद में उठाता है तो निर्णय को अन्तिम रूप से निर्णय लिए जाने तक, रोक दिया जाना चाहिए । सरकारी पक्ष ने सहमति प्रकट की कि कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले मामलों पर कर्मचारी पक्ष के साथ चर्चा की जा सकती है, किन्तु निर्णय को इस आधार पर कि मद को विवाचन बोर्ड अथवा मंत्री समूह को भेजा जा सकता है रोकना संभव नहीं है । राष्ट्रीय विभागीय परिषद में एक बार असहमति रिकार्ड किए जाने पर मद को समाप्त समझा जाता है । संयुक्त सलाहकार तंत्र की योजना में कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श की व्यवस्था है और परामर्श का अभिप्राय सहमति नहीं है । कर्मचारी पक्ष सरकारी पक्ष के तर्क से सहमत नहीं था ।

(10) विवाचन बोर्ड को मुद्दे भेजना

यह सहमति प्रकट की गई कि कर्मचारी पक्ष से कोई हवाला प्राप्त होने के पश्चात तीन महीने की अवधि के भीतर हवाले को विवाचन बोर्ड अथवा मंत्री समूह जैसी भी स्थिति हो, शीघ्र भेजने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए ।

(11) कार्य-सूची प्रस्तुत करने की समय-सीमा

यह सहमति प्रकट की गई कि कर्मचारी पक्ष राष्ट्रीय परिषद की बैठक से तीन महीने पूर्व कार्य-सूची प्रस्तुत करेगा ताकि सरकारी पक्ष जहां संभव हो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में तैयार होकर निर्णय लेकर आ सके ।

(12) असहमति पर हस्ताक्षर करने की तारीख

यह सहमति प्रकट की गई कि विवाचनीय मांगों के मामलों में पहली बैठक की तारीख से (जब मद उठाई गई थी) परिषद की तीसरी बैठक में असहमति रिकार्ड करने के प्रयास किए जाएंगे ।

स्थानान्तरण संबंधी नीति

3160. श्री मदन लाल खुराना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा तैयार की गई अन्तर-विभागीय और स्थान बाहय स्थानान्तरण नीतियां विधि संगत नहीं है और जिनका उपयोग मनमाने तौर पर और सरकारी कर्मचारियों को परेशान और दंडित करने के लिए किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अन्तर-विभागीय और स्थान-बाह्य स्थानान्तरण नीति के लिए समान आधारभूत मार्ग निर्देश निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि किसी व्यक्ति का स्थानान्तरण लोक हित में करने के बजाय केवल उसे परेशान और दंडित करने के उद्देश्य से किए जाने में प्राधिकार के दुरुपयोग, की संभावना को समाप्त किया जा सके;

(ग) क्या सरकार ने स्थानान्तरण संबंधी नीतियों के कारण न्यायालयों में दायर किए गए मामलों का कोई सर्वेक्षण किया है और तत्संबंधी निर्णयों से क्या निष्कर्ष निकाले; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) तथा (ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने स्थानान्तरण के मामले में कोई एक समान नीति निर्धारित नहीं की है। यह संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों का कार्य है कि वे प्रशासनिक अपेक्षाओं, दबावों तथा व्यवहार्यता सहित सभी संगत बातों को ध्यान में रख कर नीति निर्धारित करें। संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किसी स्थानान्तरण नीति के मनमाने अथवा कानून के विरुद्ध होने का कोई उदाहरण हमारे ध्यान में नहीं आया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित मारुति उद्योग लिमिटेड के बिक्री और सेवा केन्द्र

[हिन्दी]

3161. श्री कालका दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा स्वीकृत सर्विस स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है और इनमें से कितने दिल्ली में हैं और इनके पते क्या हैं;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई कोटा निश्चित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और निकट भविष्य में इस बारे में क्या नीति होगी; और

(घ) मारुति सर्विस स्टेशन और डीलरशिप स्वीकृत करने के लिए अपनाई जाने वाली नीति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सारे देश में मारुति के प्राधिकृत सर्विस स्टेशनों की संख्या 5-8-1991 की स्थिति के अनुसार 649 है। इनमें से दिल्ली में मारुति प्राधिकृत सर्विस स्टेशनों की संख्या 100 है तथा इनके पते संलग्न विवरण I में हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कम्पनी की मौजूदा नीति में ऐसे कोटे की व्यवस्था नहीं है।

(घ) विवरण II संलग्न है।

विवरण I

क्र० सं०	कोड सं०	मारुती प्राधिकृत सर्विस स्टेशन का नाम	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	0869	आपका कारखाना (मोटर्स) प्रा० लि०	62/I पोखरीपुर मेन मार्किट, जनकपुरी, नई दिल्ली-58.
2.	8048	अलिपुर मोटर्स	जी० टी० करनाल रोड, अलिपुर, नई दिल्ली-36.
3.	0841	अरोड़ा सर्विस स्टेशन	सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली-21.
4.	0850	आशा आटोमोबाइल्स	ए-2, छोटे लाल पार्क, नजफगढ़ रोड, कीर्ति नगर डाकखाने के सामने, नई दिल्ली-15.
5.	8002	अशोक आटो सर्विस	बी-13, जी० टी० करनाल रोड, औद्योगिक क्षेत्र, आजादपुर, दिल्ली-33
6.	8017	अतिथि आटोमोबाइल्स	61, मालवीय नगर कारनर, नई दिल्ली-17.
7.	8023	आटोइंजीनियर्स सर्विस स्टेशन	माडल टाउन के सामने, हेरावल नगर, दिल्ली-91.
8.	0838	आटो सर्विस	डी-ब्लाक, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली-110024.
9.	8011	आटोकेयर	राजौरी गार्डन के सामने, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-27.
10.	0840	आटोमोबाइल कश्यप	20, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट (मोदी फ्लोर मिल के पीछे), नई दिल्ली-20.
11.	8001	आटोवाइस सर्विस स्टेशन	पी० पी० 38ए, गली नं० 10, आनन्द पर्वत, करोल बाग, नई दिल्ली-110005.
12.	0825	बारा लिंक रोड सर्विस स्टेशन	करोल बाग, झंडेवालान, नई दिल्ली-110005.
13.	8003	बसन्त मोटर्स	78-टालस्टाय लेन, नई दिल्ली-1.
14.	0827	बेदी मोटर्स	कमाल अतातुर्क मार्ग, रेसकोर्स के समीप, नई दिल्ली-1.
15.	8018	बेजल मोटर्स	156, ट्रांसपोर्ट सेन्टर, रोहतक रोड, दिल्ली-35.
16.	0830	भसीन सर्विस स्टेशन	डा० के० एस० कृष्णन रोड, पूसा गेट के निकट, नई दिल्ली-12.
17.	8039	ब्राइट मोटर्स (प्रा०) लि०	सी-263, पुरागढ़ी, बाहरी रिंग रोड, दिल्ली-41.
18.	0822	ब्रिटिश मोटर्स कार कं० लि०	(वर्कशाप) बी-ब्लाक, कनाट सर्कल, नई दिल्ली-110001.
19.	0860	कार केअर सेन्टर	लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

विवरण I

(1)	(2)	(3)	(4)
20.	0833	चाणक्यपुरी सर्विस स्टेशन	सरदार पटेल मार्ग, उत्तर रेलवे आफिसर्स कालोनी के सामने नई दिल्ली-21.
21.	0843	चोपड़ा ब्रदर्स	बी-62/7 नारायणा औद्योगिक क्षेत्र फेज-II नई दिल्ली-29.
22.	8052	सिटीमोबाइल्स इंजीनियर्स	347/5बी, सतुलाजाब, अनुपम अपार्टमेन्टस के सामने, साकेत, नई दिल्ली-17.
23.	0857	कान्टीनैन्टल मोटर्स	2038/26. तुगलकाबाद एक्सटेंशन, तारा अपार्टमेन्टस (ग्रेटर कैलास-II के पीछे) के सामने, नई दिल्ली-19.
24.	0820	दीप मोटर्स	के-1, उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र, रोहतक रोड, नई दिल्ली-44.
25.	0865	दीपक आटोमोबाइल्स	जी० टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली.
26.	0876	ढींगरा सर्विस स्टेशन	चिराग दिल्ली, मदनगीर रोड, नई दिल्ली-17.
27.	8047	डिप्लोमेटिक कार सर्विसेज	एजेन्सी पुष्पान्जलि, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली-21.
28.	0866	हाइव वैल सर्विस स्टेशन	जी० टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली-32.
29.	0873	दुग्गल मोटर सर्विसेज	अन्ध विद्यालय, पंचकुईया रोड, नई दिल्ली-110001.
30.	8031	एलिगेन्ट आटोकेअर	सी-58, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110052.
31.	0834	इंजीनियर्स सर्विस स्टेशन	श्री अरविन्दो मार्ग (सफदरगंज एयरपोर्ट), नई दिल्ली-3.
32.	8046	गैलेक्सी आटोमोबाइल्स	दुकान नं. 15-16/ए3, मार्किट-जंगपुरा, नई दिल्ली-55.
33.	8047	गुलशन कुमार कत्याल	पॉल आटोमोबाइल्स, 20/14, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-26.
34.	0872	गुप्ता सर्विस स्टेशन	मोती बाग साउथ, नई दिल्ली-21.
35.	0837	हाईवे सर्विस स्टेशन	रिंग रोड, आर० के० पुरम, नई दिल्ली-110066.
36.	8034	आई० टी० डी० सी०	(अशोक टैवल एन्ड टूरस) होटल सम्राट बेसमैन्ट, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021.
37.	0845	इन्दर सर्विस स्टेशन	भीकाजी कामा प्लेस के सामने, रिंग रोड, नई दिल्ली-66.
38.	8016	इन्डो एशियाटिक इंजी० प्रा० लि०	सी-102. औद्योगिक क्षेत्र फेज-II, मायापुरी, नई दिल्ली-64.

विवरण I—जारी

(1)	(2)	(3)	(4)
39.	8004	इन्द्रप्रस्थ सर्विस स्टेशन	आई० पी० एस्टेट, "सी" पावर हाउस के नजदीक, रिंग रोड, नई दिल्ली-1.
40.	0835	इर्विन रोड सर्विस स्टेशन	बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001.
41.	8035	जैन मोटर कार कम्पनी	रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली.
42.	0854	कंवर मोटर्स	73, राजपुर गुड़ मन्डी, नई दिल्ली.
43.	8026	के० सन्स आटो गैरेज, प्रा० लि०	27/34, मेन रोड, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-32.
44.	0862	खन्ना आटोमोबाइल्स	ए-47, जी० टी० करनाल रोड, इन्डस्ट्रियल काम्प्लैक्स, दिल्ली-110033.
45.	8055	लैबर सर्विस स्टेशन	रिंग रोड, मोती बाग-II, नई दिल्ली-21.
46.	8006	किंग्सवे सर्विस स्टेशन	दि माल, दिल्ली-110007.
47.	0864	किचनर रोड सर्विस स्टेशन	33, सरदार पटेल रोड, नई दिल्ली-21
48.	0855	कुमार आटोमोबाइल्स	बी-281, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नई दिल्ली-20.
49.	8019	कुन्दन लाल सर्विस स्टेशन	जी० टी० रोड, शाहदरा, नई दिल्ली-32.
50.	8028	लक्ष्मी मोटर्स	आर जेड-3/4, मेन रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली-59.
51.	8041	एम सी आटो प्रा० लि०	बी-43/जी० टी० करनाल रोड, औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-33.
52.	0823	महाजन आटो एण्ड इंजीनियर्स प्रा० लि०	बी-77, नारायण औद्योगिक क्षेत्र फेज-2, नई दिल्ली-28.
53.	0849	मनमोहन सर्विस स्टेशन	6 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली-54.
54.	8008	मान सर्विस स्टेशन	राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-8.
55.	0861	माडर्न सर्विस स्टेशन वर्कशाप प्रा० लि०	35, जनपथ, नई दिल्ली-110001.
56.	8007	मूल चन्द मोटर्स	बसन्त लोक, बसन्त विहार, नई दिल्ली-57.
57.	0875	मोटर सेन्टर	माल रोड, अल्पना सिनेमा के सामने, दिल्ली-110 009.
58.	0824	मोटरेडस	डा० के० एस० कृष्णन रोड, (एन० पी० एल० पूसा इन्स्टीटयुट के पास) नई दिल्ली-12.
59.	8053	श्री बी० के० अग्रवाल	एफ-99, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली-24.
60.	8045	श्री नीरज जैन	मकान नं० 9/1598, सुभाष रोड, गांधी नगर, दिल्ली-110031.

विवरण I—जारी

(1)	(2)	(3)	(4)
61.	8037	श्री ए० एल० चुघ	सी-ब्लॉक्स, 108 रामविहार, दिल्ली-92.
62.	8040	श्री कुलभूषण	जी० 121, कालकाजी, नई दिल्ली-110019.
63.	0853	मुल्तान आटोमोबाइल्स इंजीनियर्स	बी-7/1, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-II, नई दिल्ली-110020
64.	8021	ओम सर्विस स्टेशन	जगन्नाथ मंदिर, बेला रोड (नई कालवाली के सामने), दिल्ली-110006.
65.	8036	पदम आटोमोबाइल्स प्रा० लि०	जी-50, लोनी रोड, गोकुलपुरी, दिल्ली-94.
66.	0847	पंचशिला सर्विस स्टेशन	एन्डयूजगंज (एशियन विलेज रोड), नई दिल्ली.
67.	0842	प्रेम सर्विस स्टेशन	डिफेन्स कालोनी के साथ, पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली-110049.
68.	8009	पूरन सर्विस स्टेशन	इन्डस्टिल एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-15.
69.	0839	पूसा रोड वर्कशाप (प्रा०) लि०	पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-5
70.	8056	राधास्वामी आटो० इंजीनियर्स	सी-8, मानक विहार, एक्सटेंशन (सुभाष नगर शमशान भूमि के निकट), नई दिल्ली-28.
71.	8010	रायजादा मोटर्स	3-ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-2.
72.	8027	राज गोपाल श्याम गोपाल	दिवान सर्विस स्टेशन, अजय एन्क्लेव, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110018.
73.	0856	राजीव सर्विस स्टेशन (वर्कशाप)	सुंदर नगर, नई दिल्ली-110 003.
74.	8013	राजिन्द्र सर्विस स्टेशन	2-अलीपुर रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54.
75.	0826	राजिन्द्रा सर्विसेज प्रा० लि०	बी-55, जी० टी० करनाल रोड, औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110 003.
76.	0879	राम सर्विस स्टेशन	एन एस सी आई मथुरा रोड के सामने, नई दिल्ली-2.
77.	0836	रिकार्डेक्स बिजनेस सिस्टम्स	70 रामा रोड, औद्योगिक क्षेत्र, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-15.
78.	0829	रिजेन्सी ऑटो सेन्टर	ए-105/1, ओखला फेज-II, इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, नई दिल्ली.
79.	8030	रोहिणी आटोमोबाइल्स	सी-5, 6 संजय मार्किट, गंगोलपुरकला, रोहिणी सेक्टर नं. 3, दिल्ली.

विवरण—समाप्त

(1)	(2)	(3)	(4)
80.	8042	एस० एल० मल्होत्रा	बी-1/262, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110 063.
81.	8024	सफदरजंग सर्विस स्टेशन	सफदरजंग रोड, नई दिल्ली-110 003.
82.	0859	सैनी सर्विस स्टेशन	डब्ल्यू० जेड-85, राजा गार्डन, रिंग रोड, नई दिल्ली-110 015.
83.	0867	संगम आटोमोबाइल्स	मधुबन के सामने, पटपड़गंज रोड, दिल्ली.
84.	8032	सतीश मोटर्स	मोरगढ़, नरेला,, दिल्ली.
85.	0844	सेठी ऑटो सर्विस स्टेशन	सर गंगा राम अस्पताल रोड, राजेन्द्र नगर,नई दिल्ली-110 060.
86.	0848	सेवन हिल्स ऑटो (प्रा०) लि०	डी-20/1. ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-II, नई दिल्ली-110 020.
87.	0871	शालीमार मोटर्स	सी-91/9, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-52.
88.	8025	शंकर ऑटोमोबाइल्स	भाई वीर सिंह मार्ग (गोल मार्किट), नई दिल्ली-13.
89.	0878	स्काईलार्क मोटर्स	डब्ल्यू० जेड-279/सी, मादीपुर, नई दिल्ली-63.
90.	0877	सुमित्रा मोटर्स प्रा० लि०	44-राजस्थान उद्योग नगर, जी० टी० करनाल रोड, दिल्ली-33.
91.	8029	टिकरी सर्विस स्टेशन	टिकरी बार्डर, रोहतक रोड, दिल्ली-41.
92.	8050	यूनीक मोटर्स	एफ-117-118, जीवन पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली-59.
93.	0874	यूनाइटिड इंजीनियर्स सर्विस स्टेशन	नेहरू प्लेस बस टर्मिनल, नई दिल्ली-110 019.
94.	0858	विजय सर्विस स्टेशन	कालीदास मार्ग, दिल्ली-52.
95.	8038	विजया मोटर्स	बी-6/2, विजय भवन, माडल टाउन, दिल्ली-9.
96.	8033	विरेन्द्र सर्विस स्टेशन	89-ए, जमरूदपुर, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-48.
97.	0846	वैलकम सर्विस स्टेशन	डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, मोदी अस्पताल के सामने, साकेत, नई दिल्ली-17.
98.	8012	विंग ऑटोमोबाइल्स	बी-3, एस एम ए इंडस्ट्रियल एरिया, जी० टी० करनाल रोड़, दिल्ली.
99.	8022	यशवन्त प्लेस सर्विस स्टेशन	अफ्रीका एवेन्यू, (चाणक्य सिनेमा के सामने), नई दिल्ली-21.
100.	8051	योजना ऑटोमोबाइल्स	ए-2, सूरज पार्क, (आवली इंडस्ट्रियल एस्टेट के सामने), दिल्ली-42.

विवरण II

मारूति प्राधिकृत सेवा केन्द्रों की मंजूरी के लिए नीति इस प्रकार है :—

1. उन नगरों के लिए जहां मारूति अधिकृत सर्विस स्टेशनों की आवश्यकता है, सार्वजनिक विज्ञापनों द्वारा आवेदन आमंत्रित करना ।

2 निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर प्रार्थियों की एक संक्षिप्त सूची तैयार करना :—

(1) प्रस्तावित मारूति प्राधिकृत सर्विस स्टेशन की अवस्थिति ।

(2) स्थल का क्षेत्र ।

(3) आवेदकों की योग्यता और अनुभव ।

(4) आवेदकों की वित्तीय क्षमता ।

3. निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर संक्षिप्त सूची में शामिल प्रार्थियों का निरीक्षण और मूल्यांकन :—

(1) संक्षिप्त सूचीकरण मापदण्ड का सत्यापन ।

(2) मारूति डीलर वर्कशाप से दूरी ।

(3) स्थल गमन/फ्रन्टेज ।

(4) बाजार में ख्याति ।

4. सर्वोत्तम प्रार्थियों को इस आशय का पत्र जारी करना ।

इस समय मारूति डीलरों की नियुक्त के लिए प्रणाली इस प्रकार है :—

1. सार्वजनिक विज्ञापनों द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर, उन नगरों के लिए, जहां डीलरों की आवश्यकता है, आवेदन आमंत्रित करना ।

2. सभी वैध आवेदनों की निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर समीक्षा और मूल्यांकन :—

(1) शो रूम और वर्कशाप के लिए आधारभूत ढांचे/भूमि की उपलब्धता ।

(2) उपरोक्त सुविधाओं का स्थानीय लाभ ।

(3) कारोबार में आवेदकों का अनुभव (विशेषकर आटोमोबाइल उद्योग में) ।

(4) आवेदकों की शैक्षिक/व्यवसायिक योग्यताएं ।

(5) आवेदकों की अच्छी वित्तीय स्थिति ।

3. साक्षात्कार के बाद उन सभी प्रार्थियों की, जो व्यवसाय के लिए मौलिक जरूरतें पूरी करते है, एक संक्षिप्त सूची तैयार करना ।

4. संक्षिप्त सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों से मुहरबंद निविदाएं प्राप्त करना, जिसमें उनके द्वारा डीलरशिप के लिए दिए जाने वाली जमाराशि का उल्लेख हो ।

5 सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को डीलरशिप दिया जाना ।

[अनुवाद]

"फ्लैक्सिबल कम्पलीमेंटिंग स्कीम" के अंतर्गत एक समान संवर्ग ढांचा

3162. **प्रो० प्रेम धुमाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों में वैज्ञानिक मामलों से सम्बद्ध और जिनमें वैज्ञानिक नियुक्त किये गये हैं, कार्यरत वैज्ञानिकों की जीवनवृत्ति पदोन्नति के लिए आरम्भ की गयी "फ्लैक्सिबल कम्पलीमेंटिंग स्कीम" अलग-अलग मंत्रालयों में उनके संवर्ग ढांचे से भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन सभी मंत्रालयों, जहां वैज्ञानिक नियुक्त किये गये हैं, में एक समान संवर्ग ढांचा बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां ।

(ख) यह भिन्नता पैदा हो गई है क्योंकि स्कीम के आरंभ होने के समय विद्यमान वेतनमानों को प्रत्येक विभाग ने अपना लिया था ।

(ग) और (घ) सरकार, संगठनात्मक आवश्यकताओं को देखते हुए संवर्ग ढांचे को युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से इसमें ऐसी भिन्नताओं की समय-समय पर समीक्षा करती है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

संस्कृत साहित्य के विश्लेषण के लिए 'सॉफ्टवेयर पैकेज'

3163. **प्रो० प्रेम धुमाल**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री हरिन पाठक } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों में संस्कृत साहित्य के विश्लेषण में कम्प्यूटर पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोई ऐसा संस्कृत संस्थान है जिसमें वैदिक संस्कृत के स्वरभेद चिन्ह सहित देवनागरी लिपि में संस्कृत मूल पाठ के विश्लेषण के लिए 'सॉफ़्टवेयर पैकेज' की केन्द्रीय व्यवस्था है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का, और इस प्रयोजन के लिए किन-किन संस्कृत संस्थानों को चुनने का प्रस्ताव है और ऐसे पैकेज की प्रसार पद्धति क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां । संस्कृत के विश्लेषण के क्षेत्र में कम्प्यूटर अनुप्रयोगों पर विदेशों में किए जा रहे कुछ मुख्य कार्यों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) देश में ऐसा कोई भी संस्कृत संस्थान नहीं है जहां वैदिक संस्कृत के विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर पैकेजों के केन्द्रीय भण्डार की सुविधा उपलब्ध है।

(ग) इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक), पुणे नामक एक स्वायत्त संस्था ने भारतीय लिपियों में संस्कृत व वैदिक विषयों के पाठ के विश्लेषण के लिए उपकरण उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। पैकेजों का विकास किया जा रहा है और उसके बाद उनके प्रचार-प्रसार की क्रियाविधि तैयार की जाएगी।

विवरण

संस्कृत के विश्लेषण के लिए कम्प्यूटर अनुप्रयोग पर विदेशों में किए गए कुछ मुख्य कार्यों की सूची

1. "मशीनी अनुवाद अन्तर्भाषा के रूप में शास्त्रिक संस्कृत"—लेखक रिक ब्रिग्स नासा, संयुक्त राज्य अमेरिका वाचस्पति उपाधि के लिए शोध ग्रन्थ।
2. "संस्कृत-अभिकलनीय"—लेखक डॉ० ई० स्क्रेडल, जर्मनी, 1990.
3. "शब्दार्थ नेटवर्क और संस्कृत के प्रयोग द्वारा ज्ञान का निरूपण"—लेखक श्री एस० एन० श्रीहरि, तथा डब्ल्यू० जे० रापापोर्ट और डी० कुमार। संयुक्त राज्य अमेरिका के बफेलो में स्थित (एस०यू०एन०वाई०) की 87-03 तकनीकी रिपोर्ट (जिसमें प्राकृतिक भाषा संसाधन (एन० एल० पी०) के लिए एस० एन० ई० पी० एस० नामक एक शब्दार्थ नेटवर्क उपकरण का विवरण दिया गया है)।
4. "संस्कृत और कृत्रिम बुद्धि (ए० आई०) में ज्ञान का निरूपण"—लेखक रिक ब्रिग्स, नासा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ए० एल० पत्रिका, स्प्रिंग, 1985.
5. "कम्प्यूटर द्वारा संस्कृत का आकृति मूलक विश्लेषण"—लेखक ए० वरबूम, कर्न संस्थान, जर्मनी—विद्या वाचस्पति के लिए शोध ग्रंथ।
6. "प्राकृतिक भाषा संसाधन में पाणिनी दृष्टिकोण"—लेखक सुभाष सी० काक, लुइज़ियाना राज्य विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका।
7. "नव-न्याय पर आधारित ज्ञान के निरूपण की भाषा"—लेखक आनन्द वी० डेडली, इंडियाना विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका।

संस्कृत के लिए कम्प्यूटर आधारित ग्रंथ और शब्दकोष

3164. श्री प्रेम धूमाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत के लिए कम्प्यूटर आधारित ग्रंथ और शब्दकोष है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संस्कृत और विदेशी भाषा का कोई कम्प्यूटर आधारित द्विभाषी शब्दकोष है;

(ग) क्या सरकार का संश्लेषित और अर्थविज्ञान जैसी विशेषताओं वाले कम्प्यूटर आधारित शब्दकोष को विकसित करने का विचार है;

(घ) संस्कृत के कोषकारों को इस कार्य में किस रूप में शामिल किया जाएगा; और

(ङ) ऐसे कार्य के अनुमानित बजट का इसकी समयावधि का और इसमें कार्य करने वाले वैज्ञानिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) जी, नहीं।

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अंतर्गत आने वाली उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डेक) नामक एक स्वायत्त पंजीकृत संस्था उत्तर तथा दक्षिण भारतीय और फारसी तथा अरबी लिप्यंतरण की सुविधाओं के अलावा स्वर भेद चिन्ह (रोमन लिप्यंतरण) तथा उच्चारण चिन्ह (वैदिक संस्कृत के लिये) सहित अष्टाध्यायी (सूत्रपथ), गणपद (सांकेतिक रचना) धातुपद (क्रिया रचना), लिंगानुशासन (लिंग) तथा शिक्षा (ध्वनि विज्ञान) के साथ एक संस्कृत पाणिनी मंच (समेकित व्याकरण) का विकास कर रहा है।

(घ) तथा (ङ) ऐसे विकास कार्यों में संस्कृत के कोष रचनाकारों तथा कम्प्यूटर वैज्ञानिकों के बीच घनिष्ठ सम्पर्क की आवश्यकता होगी। शब्दकोष के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टी० डी० आई० एल०) कार्यक्रम के अंतर्गत सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में एक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के लिये 33.5 लाख रु० के बजट का अनुमान लगाया गया है जो तीन वर्षों तक चलेगी।

[हिन्दी]

आज़मगढ़, उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

3165. **श्री राम भजन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कोई उद्योग नहीं है;

(ख) यदि हां, तो आगामी तीन वर्षों में उक्त जिले में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जिला उद्योग केन्द्र कार्य परियोजना, 1979-80 के अनुसार उत्तर प्रदेश का आज़मगढ़ जिला उद्योग-रहित जिलों की सूची में नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ताती सिल्वे (रांची) का बन्द होना

3166. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में इलैक्ट्रिक इक्यूपमेंट फैक्टरी, ताती सिल्वे (रांची) बन्द होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त फैक्टरी को पुनरुज्जीवित करने और हजारों श्रमिकों को बेरोजगार होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

आकाशवाणी और दूरदर्शन की प्रसारण नीति

3167. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आकाशवाणी और दूरदर्शन की प्रसारण नीति जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सरकार द्वारा इलैक्ट्रानिक माध्यमों के लिए समय-समय पर अनुमोदित नीति संबंधी मार्गनिर्देशों पर अमल किया जा रहा है ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के संदर्भ में यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

[हिन्दी]

संस्कृत भाषा के कार्यक्रमों के लिए आबंटित समय

3168. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन पर संस्कृत भाषा के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए कितना-कितना समय आबंटित किया जा रहा है;

(ख) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन पर संस्कृत भाषा के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए आबंटित समय में अब कटौती कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत छः महीनों के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर इन कार्यक्रमों के दैनिक प्रसारण के लिए कितना-कितना समय आबंटित किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) आकाशवाणी केन्द्र 6 महीनों में संस्कृत भाषा में लगभग 196 घंटे के कार्यक्रम प्रसारित करते हैं ।

दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय हुक-अप में, प्रत्येक शुक्रवार को प्रातःकालीन प्रसारण में संस्कृत में 15 मिनट एक साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है । इसके अलावा दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्र कार्यक्रम सम्बंधी अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप स्थानीय प्रसारण में संस्कृत भाषा के कार्यक्रम प्रसारित करते हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(घ) आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए जाने वाले दो दैनिक संस्कृत समाचार बुलेटिनों के अलावा संस्कृत में आकाशवाणी/दूरदर्शन के कोई दैनिक कार्यक्रम नहीं होते ।

[अनुवाद]

आठवीं पंचवर्षीय योजना

3169. **श्री पी० सी० थामस** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में कोई कटौती करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या किसी चल-योजना को बनाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में किन-किन क्षेत्रों में मुख्यतया जोर दिया जाएगा ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) आठवीं योजना दस्तावेज में निर्दिष्ट क्षेत्रों पर मुख्यतया जोर दिया जाएगा ।

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर का विस्तार

3170. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन के पल्लुरुथी स्थित फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर की इंजीनियरिंग कार्य इकाई के विस्तार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) फेक्ट इंजीनियरिंग वर्क्स की, पल्लुरूकी, कोचीन इकाई के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डुबरी, असम में कागज लुगदी उद्योग

3171. **श्री नुरुल इस्लाम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में डुबरी जिले में एक कागज लुगदी औद्योगिक एकक की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) किसी उद्यमी से प्राप्त प्रस्ताव पर सरकार की नीति के अनुसार विचार किया जाएगा ।

'कम्प्यूटर मेन्टिनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड' के अधिकारियों की विदेश यात्रायें

3172. **श्री कड़िया मुन्डा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में 'कम्प्यूटर मेन्टिनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड' के अधिकारी गत दो वर्षों से विदेश यात्रायें करने और पेंटिंग खरीदने पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कम्प्यूटर मेन्टिनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड ने विदेश यात्राओं और पेंटिंग की खरीद पर कुल कितना धन खर्च किया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) सी०एम०सी० लिमिटेड के कुछ अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए और कम्पनी के

व्यापार के सिलसिले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित परमिट के अनुसार प्रत्येक वर्ष विदेशों की यात्रा पर जाना पड़ता है । पेंटिंग विदेशों से नहीं खरीदी जाती है । पेन्टिंग की खरीद में विदेशी मुद्रा का व्यय नहीं होता है ।

(ग) सी०एम०सी० लिमिटेड द्वारा विदेश-यात्राओं पर पिछले दो वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :—

	1989-90		1990-91	
	व्यक्तियों की सं०	राशि (लाख रुपये)	व्यक्तियों की सं०	राशि (लाख रुपये)
(i) प्रशिक्षण	47	46.85	23	26.34
(ii) विदेशी उत्पाद, निर्यात संवर्धन, सेमिनार, व्यापार मेले तथा सम्मेलन ।	129	75.38	141	103.07

उड़ीसा में वनों पर आधारित उद्योग

3173. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में वनों पर आधारित कुछ उद्योग स्थापित करने की भारी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य में ऐसे कितने एकक स्थापित करने का विचार है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) यद्यपि उड़ीसा में वनों पर आधारित उद्योग लगाने की गुंजाइश है तथापि राष्ट्रीय वन नीति को ध्यान में रखते हुए सरकार लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा नहीं देती ।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य में वनों पर आधारित कितने औद्योगिक एकक स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ।

मारुति कारों का उत्पादन

3174. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 में मारुति कारों का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड ने 1990-91 में 79,226 कारों (74,149 मारुति 800 सी०सी० तथा 5077 मारुति 1000 सी०सी०) का निर्माण किया ।

(ख) मारुति उद्योग लि० ने उत्पादन क्षमता में 70,000 नगों की बढ़ोतरी करने हेतु एक परियोजना तैयार की है ।

जिला उद्योग केन्द्रों का कार्यनिष्पादन

3175. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यनिष्पादन कार्यकरण तथा उपलब्धियों की समीक्षा की है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के आरंभ होने से अब तक जिलावार कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं;

(ग) ऐसे एककों में ऋण/राज सहायता/आधारभूत ढांचे पर सरकार ने जिलावार कितना निवेश किया;

(घ) ग्रामीण उद्योगों को वित्तीय संस्थानों जैसे "नाबार्ड" "सिडबी", वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा अलग-अलग कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ङ) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थानवार तथा जिलावार कुल कितना प्रावधान किया गया है; और

(च) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के पूर्णिया, किसनगंज तथा अररिया जिलों में जिलावार, संस्थानवार कितना धन आबंटित किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां ।

(ख) डी० आई० सी० कार्यक्रम (राज्य-वार) के आरंभ होने के समय से ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये उद्योगों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है । केन्द्र द्वारा जिले-वार सूचना नहीं रखी जा रही है ।

(ग) भारत सरकार उद्योग लगाने के लिए धन का सीधे निवेश नहीं करती है ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) 1990-91 तथा 1991-92 में आई०आर०डी०पी० के अन्तर्गत राज्य-वार कुल आबंटन तथा 1990-91 और 1991-92 (जून, 91 तक) में उनके आबंटन संलग्न विवरण II में है ।

(च) बिहार के पूर्णिया, किशनगंज तथा अररिया में आई०आर०डी० पी०के अन्तर्गत दी गई निधियाँ संलग्न विवरण III में दी गई है ।

*ज़िले-वार/संस्था-वार सूचना एकत्र करने में अन्तर्ग्रस्त प्रयास अपेक्षित परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे ।

विवरण I

जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये उद्योगों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	79-80	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85
1.	आन्ध्र प्रदेश	24409	19301	22875	30206	29589	29479
2.	असम	1292	2522	848	2948	1468	1384
3.	बिहार	21321	25952	14765	18223	15035	13259

विवरण I—जारी

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	79-80	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85
4.	गुजरात	8989	13448	13568	12167	8136	7336
5.	हरियाणा	767	3540	5069	4570	4670	4294
6.	हिमाचल प्रदेश	2941	4372	4696	5589	2938	3229
7.	जम्मू और कश्मीर	308	613	812	279	515	466
8.	कर्नाटक	1779	8750	6898	5537	5386	8637
9.	केरल	13856	7772	6578	11731	10138	12824
10.	मध्य प्रदेश	13725	8048	10709	15919	12975	14381
11.	महाराष्ट्र	14129	14631	28586	19660	20947	37086
12.	मणीपुर	321	1383	1275	620	543	654
13.	मेघालय	1143	539	583	159	214	153
14.	नागालैंड	—	786	697	477	766	761
15.	उड़ीसा	26377	26798	56162	84760	89491	93039
16.	पंजाब	4168	6513	6236	5129	5508	5401
17.	राजस्थान	3812	3488	8276	6428	4376	4478
18.	सिक्किम	—	43	42	65	71	85
19.	तमिलनाडु	9788	10189	9197	12681	5364	6661
20.	त्रिपुरा	—	433	681	465	570	625
21.	उत्तर प्रदेश	6778	16100	38303	53346	51600	45460
22.	पश्चिमी बंगाल	2010	2118	3400	4333	7599	8745
23.	अंडमान और निकोबार	13	8	—	12	14	38
24.	अरुणाचल प्रदेश	62	89	77	94	222	338
25.	चंडीगढ़	—	—	15	10	7	1
26.	दादर और नगर हवेली	16	—	30	—	31	30
27.	गोआ, दमन और दीव	—	—	—	—	—	—
28.	मिजोरम	5	32	109	104	112	57
29.	पांडीचेरी	103	64	125	113	98	50
	योग	**158112**	**177532**	**240612**	**296125**	**278383**	**298951**

जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये उद्योगों की संख्या—जारी

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90
1.	आन्ध्र प्रदेश	28432	29701	34594	47757	44828
2.	असम	1239	2284	2127	2391	1507
3.	बिहार	7345	7199	6737	7017	4370
4.	गुजरात	6524	7623	8221	7238	4682
5.	हरियाणा	4101	5004	3593	3247	1672
6.	हिमाचल प्रदेश	3252	3901	2485	2630	1642
7.	जम्मू और कश्मीर	319	560	552	512	73
8.	कर्नाटक	6357	7454	7316	5689	2397
9.	केरल	9790	15508	9669	12457	5041
10.	मध्य प्रदेश	14337	16581	17506	19693	15800
11.	महाराष्ट्र	27696	24391	18233	14309	11213
12.	मणीपुर	465	543	189	375	106
13.	मेघालय	451	399	400	693	204
14.	नागालैंड	1046	1197	1517	2999	977
15.	उड़ीसा	94321	133577	177898	111054	95033
16.	पंजाब	4244	4399	4488	5415	2284
17.	राजस्थान	3474	2558	2087	4440	2775
18.	सिक्किम	68	77	68	111	28
19.	तमिलनाडु	8341	5763	9091	9145	6819
20.	त्रिपुरा	786	1058	571	600	637
21.	उत्तर प्रदेश	28708	31822	34066	33059	21610
22.	पश्चिमी बंगाल	23117	30437	25948	28534	30129
23.	अंडमान और निकोबार	35	36	36	36	6
24.	अरुणाचल प्रदेश	237	186	199	166	38
25.	चंडीगढ़	7	0	2	1	—
26.	दादर एवं नगर हवेली	30	33	33	45	—
27.	गोआ, दमन और दीव	333	390	81	245	258
28.	मिजोरम	168	111	54	20	60
29.	पांडीचेरी	52	75	78	105	6
	योग	275275	332867	367839	31983	254195

नोट : उपर्युक्त आंकड़े राज्य उद्योग आयुक्तों/निदेशकों तथा गैर-सीडो एककों और अपंजीकृत सीडों एककों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार हैं ।

विवरण II

आई०आर०डी०पी० के अधीन निष्पादन

क. मार्च, 1990-91 तक वित्तीय प्रगति

(रु० लाखों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल आबंटन	केन्द्रीय अंश	केन्द्रीय बंटन	ऋण वितरित			योग
				सहकारी बैंक	वाणिज्यिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
आंध्र प्रदेश	5502.91	2751.45	3092.98	531.68	7045.82	2261.98	9839.48
अरुणाचल प्रदेश	469.14	234.72	139.73	35.35	64.95	12.75	113.05
असम	1502.92	751.46	749.65	64.27	1284.62	719.65	2068.54
बिहार	11025.89	5512.95	4016.81	90.03	10807.67	4055.53	14953.23
गोवा	97.80	48.90	44.45	4.20	159.44	—	163.64
गुजरात	2266.10	1133.05	1103.93	293.81	1981.24	518.42	2793.47
हरियाणा	542.46	271.13	471.72	40.38	787.44	440.09	1267.83
हिमाचल प्रदेश	194.14	97.07	151.78	2.90	477.36	22.48	562.74
जे० एंड के०	271.13	135.56	81.40	84.23	238.40	137.69	471.32
कर्नाटक	3444.34	1722.17	1469.01	311.08	3256.88	1216.82	4784.78
केरल	1871.12	935.56	904.75	296.63	1990.48	273.03	2560.06
मध्य प्रदेश	7297.04	3648.52	3105.06	3249.97	5987.68	3541.56	12779.21
महाराष्ट्र	5894.54	2947.27	2721.50	2001.48	5783.86	1084.01	8789.35
मणीपुर	43.51	21.76	59.27		3333.39	28.23	61.82
मेघालय	130.55	65.27	58.20	118.90	20.88	22.09	161.87
मिजोरम	195.60	97.80	107.10	1.59	5.80	13.53	20.92
नागालैंड	205.38	102.69	96.67		86.15	39.95	126.16
उड़ीसा	3605.01	1802.50	1538.40	104.09	2277.91	871.19	3253.19
पंजाब	458.57	229.29	483.01		1329.86	237.71	1567.57
राजस्थान	3514.63	1757.32	1833.88	465.04	2956.91	1315.62	4737.57
सिक्किम	39.12	19.56	17.02		59.99		59.99
तमिलनाडु	4940.56	2470.28	2086.53	1444.02	4283.29	343.57	5990.88
त्रिपुरा	153.91	76.99	265.06	163.43	237.21	28.49	429.63
उत्तर प्रदेश	14727.97	7363.98	6810.91	5761.18	13896.25	11475.90	31133.33
पश्चिम बंगाल	6155.62	3077.81	3111.19	158.72	6760.83	3273.35	10142.90
ए० एण्ड एन० आइलैंड	48.90	48.90	42.46	4.91	58.04		62.95

विवरण II—जारी

(रु० लाखों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल आबंटन	केन्द्रीय अंश	केन्द्रीय बंटन	ऋण वितरित			
				सहकारी बैंक	वाणिज्यिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	योग
चंडीगढ़	9.78	9.78	0.00				0.00
दादरा और नगर हवेली	9.78	9.78	9.33		14.67		14.67
दिल्ली	48.90	48.90	34.86		61.84		61.84
दमन और दीव	19.56	19.56	9.78	4.04	23.03		27.07
लक्षद्वीप	5.00	5.00	5.01		7.31		7.31
पांडीचेरी	39.12	39.12	37.25	3.50	53.14		56.64
समस्त भारत	74731.16	37456.10	34658.70	15195.35	71953.26	31854.14	11900.20

आई०आर०डी०पी० के अधीन निष्पादन वित्तीय प्रगति, 1991-92

(रु० लाखों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल आबंटन (लाखों में)	केन्द्रीय अंश (लाखों में)	केन्द्रीय बंटन (लाखों में)	ऋण वितरित लाख सहकारी बैंक	वाणिज्यिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	योग
आंध्र प्रदेश	5177.52	2588.76	1001.91	15.40	365.55	73.37	818.99
अरूणाचल प्रदेश	469.44	234.72	53.79	0.82	7.88	0.85	9.55
असम	1414.06	707.03	194.24	6.18	83.29	39.71	129.18
बिहार	10373.95	5186.97	1874.48	14.28	214.73	81.25	856.56
गोवा	97.80	48.90	24.45	0.07	4.30		5.00
गुजरात	2132.11	1066.06	385.22	58.57	84.99	31.91	175.47
हरियाणा	510.19	255.10	70.08	3.83	92.64	68.14	164.61
हिमाचल प्रदेश	182.66	91.33	25.09		49.76	0.37	69.80
जे० एंड के०	255.10	127.55	18.63	26.67	25.69	10.55	68.91
कर्नाटक	3240.68	1620.34	585.56		157.29	43.14	200.43
केरल	1760.48	880.24	318.10	22.27	211.10	29.46	262.83
मध्य प्रदेश	6865.57	3432.78	1239.75	95.54	250.55	141.36	811.30
महाराष्ट्र	5546.00	2773.00	1002.11	198.66	357.75	39.36	595.77
मणीपुर	40.94	20.47	8.82				1.29
मेघालय	122.82	61.41	26.61	3.05	6.06	4.17	27.58
मिजोरम	195.60	97.80	48.90				
नागालैंड	205.38	102.69	28.21		28.75	2.81	31.56
उड़ीसा	3391.85	1695.92	612.88	5.28	118.19	66.28	300.59
पंजाब	431.45	215.73	59.27		141.72	23.87	165.59
राजस्थान	3306.82	1653.41	454.24	3.70	20.32	14.16	217.18
सिक्किम	39.12	19.56	9.78		10.73		10.73
तमिलनाडु	4648.44	2324.22	839.93	2.40	30.73	9.02	42.15
त्रिपुरा	144.87	72.43	19.90	0.49	22.09	2.05	24.63
उत्तर प्रदेश	13857.12	6928.56	1903.46	469.00	838.73	653.40	1961.21
पश्चिम बंगाल	5791.65	2895.83	795.56		26.50	18.61	801.31
ए० एंड एन० आइलैंड	48.90	48.90	13.43				5.81
चंडीगढ़	9.78	9.78					

आई०आर०डी०पी० के अधीन वित्तीय प्रगति—जारी

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल आबंटन (लाखों में)	केन्द्रीय अंश (लाखों में)	केन्द्रीय बंटन (लाखों में)	ऋण वितरित लाख			
				सहकारी बैंक	वाणिज्यिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	योग
दादरा और नगर हवेली	9.78	9.78	4.89		2.15		2.15
दिल्ली	19.56	19.56	24.45				
दमन और दीव	48.90	48.90	9.78	0.29	2.50		2.79
लक्षद्वीप	48.90	48.90	2.50		1.15		1.15
पांडीचेरी	39.12	39.12	19.56	0.93	2.40		3.33
समस्त भारत	**70426.57**	**35325.75**	**11675.58**	**927.43**	**3157.54**	**1353.84**	**7767.47**

(च) आई०आर०डी०पी० के अंतर्गत पूर्णिया, किशनगंज और अररिया की डी०आर०डी०ए० को दी गई केन्द्रीय निधियां इस प्रकार हैं :—

विवरण III

1990-91 तथा 1991-92 के दौरान आई०आर०डी०पी० के अंतर्गत दी गई केन्द्रीय निधियां

	डी०आर०डी०ए०	दी गई केन्द्रीय निधियां (रु० लाख में)	
		1990-91	1991-92 (पहली किस्त)
1.	पूर्णिया	170.45	59.391
2.	किशनगंज	24.330*	22.304
3.	अररिया	51.788*	46.942

*दूसरी किस्त पहली किस्त का केवल शेयर है और इसे पूर्णिया के बंटनों में शामिल कर लिया गया क्योंकि पहली किस्त देने के बाद 1990-91 के दौरान इस ज़िले को दो शाखाओं में बांटा गया था। भारत सरकार आई०आर०डी०पी० के अधीन ज़िले/संस्था वार प्रगति की मॉनिटरी नहीं करती है।

खाद्य तेलों का भंडार

3176. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सभी स्रोतों को मिलाकर 1 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार खाद्य तेलों का कितना भंडार था;

(ख) देश में वर्ष 1990-91 के दौरान इनका कितना उत्पादन हुआ;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान इनकी कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(घ) देश में वर्ष 1990-91 के दौरान इनकी कितनी खपत हुई; और

(ङ) देश में वर्ष 1990-91 के दौरान वर्ष के मध्य की जनसंख्या के अनुमान के अनुसार इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर लगाए गए अनुमान के अनुसार पहली अप्रैल, 1990 को देश में सभी स्रोतों से खाद्य तेलों का लगभग 31 लाख मी० टन का स्टाक था।

(ख) तेल वर्ष 1990-91 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान देश में 54 लाख मी० टन खाद्य तेलों का उत्पादन होने का अनुमान है।

(ग) 1990-91 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान जुलाई, 1991 तक तेल की 0.9 लाख मी० टन मात्रा आयात की गई है।

(घ) 1990-91 (नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान देश में खाद्य तेलों की 54.9 लाख मी० टन मात्रा की खपत होने का अनुमान है।

(ङ) 1990-91 के दौरान वर्ष के मध्य की अनुमानित आबादी को ध्यान में लेते हुए देश में खाद्य तेलों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 6.5 किलोग्राम के आस पास है।

औद्योगिक यूनिटों का अधिग्रहण

3177. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत सरकार ने जिन औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधन का अधिग्रहण किया है उन की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसी औद्योगिक इकाइयों की संख्या का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनके अधिग्रहण किए जाने के बाद से ये इकाईयां लाभप्रद हो गई हैं; और

(घ) अगर इनमें से कुछ आर्थिक रूप से अलाभप्रद हैं तो सरकार का इनमें होने वाले घाटे को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अब तक 55 औद्योगिक उपक्रमों का प्रबंध अपने हाथ में लिया है । ऐसे औद्योगिक उपक्रमों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) तथा (घ) अधिग्रहण किये गये एककों के प्रबंध से प्राप्त पिछला अनुभव अधिक संतोषजनक नहीं रहा है । इसके कारण 1982 से किसी एकक का अधिग्रहण नहीं किया गया है । रुग्ण कंपनियों की समय से पहचान करने और उनको पुनर्जीवित/पुनःस्थापित करने के उद्देश्य से, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अधीन औद्योगिक एवं वित्तीय पुनःनिर्माण बोर्ड का गठन किया गया है ।

विवरण

12-8-1991 की स्थिति के अनुसार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम से व्यवस्थति औद्योगिक उपक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	12-8-91 की स्थिति के अनुसार एककों की संख्या
1.	पश्चिम बंगाल	28
2.	महाराष्ट्र	4
3.	आंध्र प्रदेश	3
4.	केरल	3
5.	मध्य प्रदेश	3
6.	गुजरात	3
7.	उत्तर प्रदेश	2
8.	तमिल नाडु	2
9.	उड़ीसा	1
10.	पंजाब	1
11.	दिल्ली	1

विवरण—जारी

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	12-8-91 की स्थिति के अनुसार एककों की संख्या
12.	असम	1
13.	जम्मू और कश्मीर	1
14.	कर्नाटक	1
15.	बिहार	1
	योग	55

केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना लागू करना

3178. श्री सैयद शहाबुद्दीन
श्री के० पधानी
प्रो० राम कापसे } : क्या प्रधान मंत्री 24 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 505 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना 1971 के अंतर्गत, जब तक यह योजना लागू रही, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी पूंजी निवेश राजसहायता दी गई;

(ख) मार्च, 1990 में घोषित नई पूंजी निवेश राजसहायता योजना को अब तक लागू न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) केन्द्रीय पूंजीनिवेश राजसहायता योजना के अंतर्गत वर्षवार दी गई प्रतिपूर्ति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) से (घ) लघु, अत्यंत लघु तथा ग्रामीण उद्यमों को सुदृढ़ बनाने तथा बढ़ावा देने के लिए 6-8-1991 को घोषित नीतिगत उपायों को ध्यान में रखते हुए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों के लघु एककों के लिए केन्द्रीय पूंजीनिवेश राजसहायता योजना को शुरू करना आवश्यक नहीं समझती है, क्योंकि उक्त नीतिगत उपायों में ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को आसान करने के लिए लघु उद्योगों हेतु एकीकृत आधारभूत विकास (प्रौद्योगिकी सहायता सेवाओं सहित) की एक नयी योजना सम्मिलित है ।

विवरण

केन्द्रीय पूंजीनिवेश राजसहायता योजना के अंतर्गत दी गयी प्रतिपूर्ति के वर्षवार ब्यौरे

(रुपये करोड़ में)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1972-73 से 1979-80 तक	1980-81 से 1984-85 तक	1985-86 से 1989-90 तक	1990-91	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8.18	19.06	46.54	1.43	75.21
2.	असम	1.39	2.8	22.06	5.36	31.61
3.	बिहार	1.18	1.9	12.20	1.34	16.62
4.	गुजरात	5.79	18.47	32.91	5.56	62.73
5.	हरियाणा	1.69	6.95	7.09	1.58	17.22
6.	हिमाचल प्रदेश	2.38	14.61	40.35	3.73	61.07
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1.91	8.33	49.18	0.14	59.56
8.	कर्नाटक	4.80	15.5	21.25	26.57	68.02
9.	केरल	3.48	7.8	11.76	—	23.04
10.	मध्य प्रदेश	3.44	15.65	53.40	18.06	90.55
11.	महाराष्ट्र	7.59	12.34	17.88	4.83	42.64
12.	मणिपुर	0.12	0.91	2.30	2.00	5.33
13.	मेघालय	0.19	0.71	2.14	1.52	4.56
14.	नागालैण्ड	0.54	1.65	13.91	—	16.10
15.	उड़ीसा	0.96	6.17	12.93	3.98	24.04
16.	पंजाब	2.85	10.12	10.07	0.13	23.17
17.	राजस्थान	6.19	25.31	40.63	6.31	76.44
18.	सिक्किम	0.05	0.78	5.36	—	6.19
19.	तमिलनाडु	10.09	28.35	36.65	7.66	82.75
20.	त्रिपुरा	0.22	0.23	1.15	0.07	1.67
21.	उत्तर प्रदेश	1.47	6.54	101.19	23.58	132.78
22.	पश्चिम बंगाल	1.52	3.45	12.07	7.61	24.65
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.05	0.52	0.68	—	1.25
24.	दादरा और नगर हवेली	0.32	0.96	9.43	—	10.71

विवरण—जारी

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1972-73 से 1979-80	1980-81 से 1984-85	1985-86 से 1989-90	1990-91	योग
1	2	3	4	5	6	7
25.	अरुणाचल प्रदेश	0.09	0.87	1.54	0.06	2.56
26.	गोवा	2.22	10.4	24.22	5.87	42.71
27.	मिजोरम	0.06	1.2	13.25	—	14.51
28.	पांडिचेरी	0.27	3.13	15.06	—	18.46
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
30.	दमन और दीव	—	—	—	0.02	0.02
	योग	69.04	222.71	617.01	127.41	1036.17

भोपाल गैस पीड़ितों की ओर से प्रस्तुत ज्ञापन

3179. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस पीड़ितों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में सरकार को कोई ज्ञापन अथवा प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; अथवा

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन प्राप्त हुआ है और उन्होंने भोपाल गैस पीड़ितों के प्रतिनिधियों के एक शिष्टमण्डल से मुलाकात की है । अपने ज्ञापन में संसद सदस्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ सरकार से निम्नलिखित आग्रह किया है :—

1. पीड़ितों को उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया जाय ।
2. यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन के खिलाफ आपराधिक मुकदमे को आगे बढ़ाया जाय ।
3. पीड़ितों की चिकित्सा देखरेख और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाय ।
4. भोपाल पर राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाय ।
5. दुर्घटना से लगी चोटों के संबंध में सभी आंकड़ों का मूल्यांकन करने और चिकित्सा तथा पुनर्वास के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार करने के लिए एक चिकित्सा समिति बनाई जाय ।
6. देश में औद्योगिक जोखिमों से सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानकों का निर्धारण किया जाय ।

जहां तक क्षतिपूर्ति और आपराधिक अभियोग का संबंध है, फरवरी, 1989 के समझौते के पुनरीक्षण के लिए याचिकाओं पर सुनवाई के लिए इनसे संबंधित सभी मामले वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन

है । सरकार पुनरीक्षण याचिकाओं का समर्थन कर रही है । राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधा और पुनर्वास प्रदान किया जा रहा है और भारत सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 163.10 करोड़ रु० की कार्य योजना हाल ही में अनुमोदित की है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और चिकित्सा संबंधी बातें शामिल हैं । राष्ट्रीय आयोग के लिए प्रस्तावित कार्यों को संबंधित सरकारी एजेंसियां पहले ही कर रही हैं । जहां तक औद्योगिक जोखिमों का संबंध है, उन्हें उचित पर्यावरणीय सुरक्षा कानूनों में विनिर्दिष्ट किया गया है और लागू किया जाएगा ।

फिल्म नीति पर कार्य दल की रिपोर्ट

3180. **श्री राम नाईक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म नीति पर 1978 में नियुक्त किये गये कार्य दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या कार्य दल ने एक फिल्म अकादमी के निर्माण की सिफारिश भी की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी. हां ।

(ख) रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गयी हैं ।

(ग) जी. हां ।

(घ) सरकार का यह मत है कि चलचित्र अकादमी जैसी नई व्यवस्था से कोई विशेष लाभ नहीं होगा क्योंकि इस तरह की अकादमी के लिए परिकल्पित कार्य, पहले ही फिल्म समारोह निदेशालय, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, बालचित्र समिति, भारत और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा किए जा रहे हैं ।

विवरण

डा० के० एस० कारन्त की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय फिल्म नीति संबंधी कार्यकारी दल ने कुल 231 सिफारिशें की थी । कुछ तुलनात्मक महत्वपूर्ण सिफारिशें, जिन्हें कार्यान्वित, आंशिक कार्यान्वित या संशोधनों के साथ कार्यान्वित किया गया, उनका सारांश नीचे दिया गया है ।

सिफारिश संख्या 25

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को अच्छे किस्म की तथा कलात्मक फिल्मों के लिये वित्त व्यवस्था करने की विशेष जिम्मेदारी पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए । कलात्मक फिल्मों को कम ब्याज की दर पर उदार शर्तों के आधार पर ऋण दिया जाना चाहिए । समर्थक ऋणाधार की शर्तों में ढील दी जानी चाहिए और आबंटित की जाने वाली धनराशि में काफी वृद्धि की जानी चाहिए ।

सिफारिश संख्या 26

फिल्म निर्माण का विनियमन केवल उस हद तक आवश्यक है जहां फिल्म निर्माण के क्षेत्र में शौकीन निर्माताओं के प्रवेश को निरूत्साहित करने की आवश्यकता हो ताकि उचित निर्माण योजना सुनिश्चित की जा सके और अपर्याप्त रूप से आयोजित परियोजनाओं में कोरी फिल्म का अपव्यय बचाया जा सके । हम निश्चित

रूप से ऐसे किसी उपाय के विरुद्ध हैं जिसमें आलेखों की पूर्व जांच तथा फिल्म निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया पर व्यापक नियंत्रण की बात हो। हम सिफारिश करते हैं कि सभी फिल्म निर्माताओं को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के पास अपना पंजीकरण कराना चाहिए। कोरी फिल्म आबंटित करते हुए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को निर्माता के पिछले निर्माण रिकार्ड, आलेख की उपलब्धता सहित योजना की स्थिति, फिल्म परियोजनाओं की तैयारी, वित्तीय योजना, वास्तविक शूटिंग सूची और मुख्य कलाकारों तथा तकनीशियनों से शूटिंग के दिनों में उपलब्ध होने के बारे में स्पष्ट सूचना तथा हस्ताक्षरित करार आदि को ध्यान में रखना चाहिए।

सिफारिश संख्या 40

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को कम कीमत के ऐसे थियेटरों के डिजाइनों के मानकीकरण के लिए पहल करनी चाहिए जिन्हें नये उद्यमकर्ता सीधे अपना सकते हैं, सिनेमाघरों के निर्माण के लिए तर्कसंगत रवैया अपनाने के लिए दो मूलाधार ध्यान में रखे जाने चाहिए अर्थात माडल डिजाइनों पर आधारित बड़े पैमाने पर निर्माण तथा स्थानीय अवस्थाओं और सामग्री पर आधारित गैर-औपचारिक प्रौद्योगिकी।

सिफारिश संख्या 42

क्षेत्रीय भाषाओं की पुरस्कृत फिल्मों को राष्ट्रीय स्तर पर दूरदर्शन पर नहीं दिखाया जाता है। दूरदर्शन को निर्माताओं को सब-टाइटलिंग की कीमत अदा कर सब-टाइटल्स वाले प्रिंटों को प्राप्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए और फिल्म समारोह निदेशालय के पास उपलब्ध सब-टाइटल वाले प्रिन्टों का प्रयोग करना चाहिए। दूरदर्शन को फिल्मों के ट्रांसमीशन के दौरान "साथ-साथ करेक्टर जनरेशन" तकनीकों का भी प्रयोग करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बने टेलीविजन केन्द्रों के लिए पैरा डबिंग की तकनीक अपनानी चाहिए।

सिफारिश संख्या 43

टेलीविजन अच्छी फिल्मों के प्रदर्शन का एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसका भारत में पर्याप्त प्रयोग नहीं किया गया है। दूरदर्शन को कम बजट वाली अच्छी किस्म की फिल्मों के प्रदर्शन के लिए एक सशक्त गैर-थियेटर सर्किट की व्यवस्था करनी चाहिए। दूरदर्शन के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि वह अखिल भारतीय सर्किट आधार पर इन फिल्मों को टेलीविजन पर दिखाये। फिल्मों को दूरदर्शन पर दिखाने की फीस की दरों में उचित वृद्धि की जानी चाहिए।

सिफारिश संख्या 47

वित्तीय सहायता देने वाली एजेंसियों द्वारा थियेटर निर्माण के लिए ऋण देते समय यह विकल्प लिया जाना चाहिए कि फिल्मों के प्रदर्शन का 25 प्रतिशत समय वित्तीय सहायता देने वाली एजेंसियों को अच्छी फिल्मों को दिखाने के लिए दिया जायेगा।

सिफारिश संख्या 94

प्रिन्टों पर उत्पादन शुल्क की दरें घटाई जानी चाहिए।

सिफारिश संख्या 120

भविष्य में विकास संचार का प्रमुख विस्तार दूरदर्शन के द्वारा होने की संभावना है। ग्रामीण दर्शकों के लिए फिल्म निर्माण और दूरदर्शन कथा चित्रों के बारे में फिल्म डिवीजन और दूरदर्शन के बीच निकट के तालमेल की आवश्यकता है। फिल्म डिवीजन को दूरदर्शन की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन के अनुकूल लघु फिल्में भी बनानी चाहिए।

सिफारिश संख्या 127

फिल्मों के अनिवार्य रूप से प्रदर्शन की योजना के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाना चाहिए और इसमें सभी प्रकार की,कलात्मक लघु फिल्मों सामाजिक सार्थकता फिल्मों तथा लघु कथा फिल्मों को भी शामिल किया जाना चाहिए ।

सिफारिश संख्या 128

यह मानना चाहिए कि जहां लघु फिल्म की भूमिका सामाजिक सन्देश को पहुंचाना है । वहां इसका स्थान सृजनात्मक कला के रूप में भी है । फिल्म डिवीजन द्वारा स्वतंत्र सूत्रों से खरीदी जाने वाली फिल्मों की संख्या बढ़ा दी जाए । साथ ही लघुचित्रों की खरीद केवल सन्देश देने वाली फिल्मों तक ही सीमित न रखी जाए बल्कि इसमें सभी वर्गों के कलात्मक लघु चित्रों को भी शामिल किया जाए ।

सिफारिश संख्या 143

विदेशी फिल्में मंगाने की मूल नीति सम्बन्धी लक्ष्य ऐसी फिल्में मंगाना होना चाहिए जो समूचे विश्व की कलात्मक और तकनीकी सफलताओं की परिचायक हों । आयात का एक गौण लक्ष्य सीमा तक फिल्मों का आयात करना होना चाहिए कि जो द्विपक्षीय आधार पर भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हो ।

सिफारिश संख्या 144

(1) फीचर फिल्मों का आयात एक संगठन के जरिये करने की प्रणाली जारी रहनी चाहिए और यह राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से होते रहना चाहिए । उन देशों, जहां भारतीय फिल्में निर्यात की जाती हैं, से फिल्मों के आयात के लिए निर्यातकों या निर्माता निर्यातकों को आयातित फिल्मों का एक सीमित कोटा दिया जाए ।

(2) आयात की जानी वाली फिल्मों की संख्या सीमित करनी चाहिए । एम० पी० ई० ए० ए० स्रोतों से आयातित फिल्मों की संख्या में कमी की जानी चाहिए और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और अन्य एजेंसियों द्वारा विकासशील देशों सहित अन्य फिल्म निर्माता देशों से आयात में वृद्धि की जानी चाहिए ।

(3) फिल्मों के आयात में, बढ़ाया किस्म के मानदण्ड को सभी आयातित फिल्मों पर लागू किया जाना चाहिए । इसके लिए आयात से पहले फिल्मों की समीक्षा के लिए सरकार को एक जांच समिति गठित करनी चाहिए जिसमें फिल्म निर्माता, फिल्म समालोचक, चलचित्र अकादमी, रा० फि० वि० नि०, सेंसर बोर्ड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि हों ।

(4) गैर व्यावसायिक प्रदर्शन के लिए कलात्मक फिल्मों का आयात और बाल-फिल्मों का आयात मुख्य रूप से चलचित्र अकादमी को करना चाहिए ।

(5) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को आयातित फिल्में मंगाने का शुल्क इकट्ठे करते रहना चाहिए लेकिन गैर-व्यावसायिक प्रदर्शन के लिए चलचित्र अकादमी और उससे सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा आयातित कला फिल्मों तथा बाल फिल्मों पर शुल्क नहीं लगाना चाहिए । फिल्में मंगाने का शुल्क सी० आई० एफ० कीमत पर नहीं लगाना चाहिए बल्कि आयातित फिल्मों के बाजार भाव पर लगाना चाहिए ।

सिफारिश संख्या 147

ओ० जी० एल० के अन्तर्गत लघु चित्रों का मुफ्त आयात जारी रहना चाहिए ।

सिफारिश संख्या 149

भारतीय फीचर फिल्मों का एक ही माध्यम से निर्यात किया जाना जारी रखना चाहिए क्योंकि इससे

गलत कार्यवाहियों में कमी हुई है, विदेशों में निर्यात बाजार का पता लगाने में सहायता मिली है तथा प्रति फिल्म विक्रय मूल्य में वृद्धि हुई है ।

सिफारिश संख्या 150

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का मुख्य काम निर्यात माध्यम बनने के साथ-साथ निर्यात को सम्वर्द्धन देना होना चाहिए । इसके लिए रा० फि० वि० नि० को भारतीय फिल्मों के लिए महत्वपूर्ण विदेशी बाजारों में क्षेत्रीय बिक्री केन्द्र खोलने चाहिए जिनको विदेशी फिल्मों का आयात और भारतीय फिल्मों को निर्यात ये दोनों काम करने चाहिए । इन केन्द्रों पर विशिष्ट ज्ञान प्राप्त व्यक्ति नियुक्त किये जाने चाहिए और उनको भारतीय निर्यातकों को सहायता और सलाह देनी चाहिए ।

सिफारिश संख्या 152

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को निर्यात के लिए भारतीय फिल्मों के सब-टाइटलिंग वाले प्रिन्टों की व्यवस्था के लिए भारत में विदेशी भाषाओं में अच्छे सब-टाइटलिंग की सुविधायें जुटानी चाहिए ।

सिफारिश संख्या 154

दूरदर्शन के लिए फिल्में बेचने के लिए यह जरूरी है कि भारत से कलात्मक फिल्मों के निर्यात पर बल दिया जाए । राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को ऐसी फिल्मों के लघु संस्करण तैयार करने चाहिए जो दूरदर्शन के उपयुक्त हो सकते हों । निर्यात करार में एक अलग अनुबन्ध होना चाहिए जिसमें यह प्रावधान हो कि अगर दूरदर्शन के अलावा कहीं और फिल्म दिखाई गई तो अतिरिक्त भुगतान करना होगा ।

सिफारिश संख्या 155

फिल्म डिवीजन के अतिरिक्त रा० फि० वि० नि० का भी भारत से लघु फिल्मों का निर्यात करना चाहिए क्योंकि विदेशों में दूरदर्शन के लिए लघु फिल्मों की बिक्री की बहुत गुंजाइश है ।

सिफारिश संख्या 158

भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के माध्यम से जो अवसर मिलते हैं उनका उपयुक्त लाभ उठाया जाना चाहिए । बाजार खण्ड में स्वतंत्र रूप से निर्यात करने वालों को फिल्में बेचने के लिए सहायता सुविधाएं दी जानी चाहिए । बाजार खण्ड का खर्चा रा० फि० वि० नि० को मिलने वाले माध्यम शुल्क से किया जाना चाहिए ।

सिफारिश संख्या 160

विदेशी खरीदारों को फिल्म निर्यात के साथ-साथ वीडियो अधिकारों की बिक्री की भी अनुमति होनी चाहिए । राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को खुद भी भारतीय कथा चित्रों के वीडियो कैसेट निर्यात के लिए तैयार करने के लिए भारत में एक प्रायोगिक संयंत्र लगाना चाहिए । इसके अलावा एक या दो अन्य निर्माताओं को केवल निर्यात के लिए भारतीय फिल्मों के वीडियो कैसेट तैयार करने का लाइसेंस दिया जाना चाहिए ।

सिफारिश संख्या 163

विदेशों के साथ सांस्कृतिक समझौते का पूरा लाभ उठाना चाहिए और भारत में तथा विदेशों में फिल्म प्रदर्शन के साप्ताहिक कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए । विदेशी फिल्म शिष्टमण्डलों को भारतीय फिल्म निर्माताओं के सम्पर्क में आना चाहिए । विदेशों में फिल्म सप्ताह के लिए भेजी जानी वाली भारतीय फिल्मों के साथ जो शिष्टमण्डल जाते हैं उनमें भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए ।

सिफारिश संख्या 169

भारत का प्रतियोगितात्मक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह फिल्मों के स्तर, भारतीय सिनेमा के संवर्द्धन, फिल्म निर्माताओं के बीच आपसी सम्पर्क आदि के मामले में गैर-प्रतियोगितात्मक फिल्म समारोह की अपेक्षा अधिक उपयोगी नहीं होता । यहां तक कि विकासशील देश भी अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्में, पश्चिम के प्रतियोगितात्मक समारोहों में भेजना पसन्द करते हैं । इसलिए भारत हर साल "समारोहों का समारोह" के आधार पर गैर प्रतियोगितात्मक फिल्म समारोह आयोजित करे । इस धारणा के अन्तर्गत, विकासशील देशों की अधिक फिल्म लेने की ओर व्यवस्थित चेष्टा की जानी चाहिए ।

सिफारिश संख्या 177

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का घोषणापत्र होना चाहिए—फिल्म उद्योग के सामान्य विकास में विशेष रूप से देश में अच्छे सिनेमा के विकास में सहायता देना । राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को वित्तीय रूप से एक सक्षम संगठन होना चाहिए परंतु क्योंकि इसकी विकासात्मक भूमिका भी है, अतः इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होना चाहिए ।

सिफारिश संख्या 178

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की विशिष्ट रूप से निम्नलिखित गतिविधियां होनी चाहिए :—

(1) कम बजट वाली अच्छे स्तर की फिल्मों को वित्त उपलब्ध कराना तथा सुपात्र फिल्म निर्माताओं को आमंत्रित कर उच्च कलात्मक फिल्मों का निर्माण करना ।

(2) उन फिल्मों, जिनको यह वित्तीय सहायता देता है तथा अन्य अच्छी फिल्मों के लिए वितरण और प्रदर्शन सुविधाओं का विकास करना ।

(3) थियेटर, विशेषकर 16 एम० एम० के उपकरणों वाले छोटे थियेटरों के निर्माण को वित्तीय सहायता देना । जिस थियेटर को निगम वित्तीय सहायता देता है उसके प्रदर्शन समय के कुछ भाग पर इसका अधिकार होना चाहिए । जहां उपयुक्त हो या आवश्यक हो निगम द्वारा अपने थियेटर चलाये जाना या उनका प्रबन्ध करना ।

(4) निर्माताओं, स्टुडियो तथा उपकरण किराये पर देने वालों का पंजीकरण ।

(5) फिल्म निर्माण तथा प्रदर्शन के लिए सहकारी संस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देना ।

(6) फिल्मों के आयात के माध्यम के रूप में कार्य करना तथा अच्छे स्तर की फिल्मों को सीधे आयात करना ।

(7) फिल्मों के निर्यात के क्षेत्र में माध्यम एजेन्सी के रूप में कार्य करना, निर्यात बाजार में अनुसंधान, गैर परंपरागत बाजार का विकास करना, फिल्मों के निर्यात को प्रोत्साहित करना, प्रादेशिक भाषाओं में कम बजट वाली अच्छे स्तर की फिल्मों के निर्यात की ओर विशेष रूप से ध्यान देना तथा लघु फिल्मों का निर्यात करना ।

(8) टेक्नोलाजी तथा उपकरण के क्षेत्र में फिल्म उद्योग की आवश्यकताओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना तथा माध्यम के बिना उपकरणों के आयात के लिए आवेदन-पत्रों को प्रायोजित करना । इसको कोरी फिल्म के आयात का माध्यम बना रहना चाहिये तथा इसके वितरण को विनियमित करने के काम को जारी रखना चाहिए ।

(9) फिल्म उपकरण के स्वदेशीकरण तथा निर्माण करने के काम में लगे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना ।

(10) भारतीय फिल्मों को विदेशी भाषा में तथा विदेशी फिल्मों को भारतीय भाषाओं में सब टाइटलिंग देने की सुविधाओं का विकास करना ।

(11) स्टूडियो, प्रयोगशालाओं तथा अन्य संबंधित सुविधाओं को आधुनिकीकरण करने तथा स्थापित करने के लिए ऋण की व्यवस्था करना ।

(12) राज्य फिल्म विकास निगमों से तालमेल बनाये रखना ।

(13) ऐसे संगठनों/एसोसिएशनों के विकास में सहायता करना जो फिल्म उद्योग का उपयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करते हों ।

(14) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह तथा लघु फिल्मों तथा भारतीय फिल्मों के बाजार के लिए विशिष्ट समारोह आयोजित करना ।

सिफारिश संख्या 189

विधियुक्त पूर्व सेंसरशिप जारी रहना चाहिए ।

सिफारिश संख्या 191

भारतीय सिनेमोटोग्राफ अधिनियम की धारा 5(ख) (i) जो संविधान के अनुच्छेद 19(2) से अनुप्रेरित है तथा उसमें "प्रभुसत्ता और भारत की एकता" शब्द छोड़ दिये लगते हैं । अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाए ।

सिफारिश संख्या 194

सरकार को एक ऐसे व्यक्ति की अध्यक्षता में जिसको न्यायिक अनुभव हो एक स्थाई न्यायाधिकरण की स्थापना करनी चाहिए, जो सेंसर बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करें ।

सिफारिश संख्या 195

एक मध्यवर्ती प्रमाणपत्र और शुरू किया जाय जिसका नामकरण "यू० ए०" किया जा सकता है । इस प्रमाणपत्र में कहा जाना चाहिए कि फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्वीकृत की जाती है किन्तु इसमें कुछ ऐसे अंश मौजूद हैं जिन्हें माता-पिता, बारह बरस से कम आयु के बच्चों को दिखाना पसन्द न करें । यह प्रमाणपत्र शुद्ध परामर्शदात्री रूप में होगा ।

सिफारिश संख्या 202

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कर्नाटक, केरल तथा आन्ध्र प्रदेश अब प्रति वर्ष काफी बड़ी संख्या में फीचर फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं बंगलौर, हैदराबाद और त्रिवेन्द्रम में सेंसर बोर्ड के कार्यालय बनाये जाने की आवश्यकता है । इसी प्रकार जब अन्य क्षेत्रों में फिल्म निर्माण गतिविधियों का विस्तार हो तो सेंसरशिप प्रशासन के समुचित विस्तार पर भी विचार किया जाए ।

सिफारिश संख्या 206

सेंसरशिप का उल्लंघन करने को हतोत्साहित करने के लिए सेंसरबोर्ड के पास सेंसर की हुई फिल्मों की एक वीडियो प्रति हो तथा उनके पास एक ऐसा सेल हो जिसमें सेंसरशिप लागू करने वाले कर्मचारी हों जो स्थान पर जाकर निरीक्षण कर सकें । प्रयोगशालाओं का यह कानूनी दायित्व होना चाहिए कि उन प्रतियों के अतिरिक्त जो सेंसरशिप के लिए मांगी गई फिल्म की अतिरिक्त प्रतियां तब तक न बनाई जाएं जब तक फिल्म का सेंसर न हो ।

सिफारिश संख्या 222

यद्यपि बहुत पहले से फिल्म उद्योग के कर्मचारियों की सेवाओं के नियमन के लिए विशिष्ट कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की गई, तो भी अभी तक कोई उपयुक्त कानून नहीं बना है । हम सिफारिश करते हैं कि केन्द्र सरकार सिनेमा कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियमन के लिए एक समुचित विधेयक पेश किये जाने के लिए शीघ्र कदम उठाये ।

सिफारिश संख्या 225

सरकार को दीन-हीन कर्मचारियों, कलाकारों और तकनीशियनों की सहायता के लिए कल्याणकोष बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए । इस कोष के लिए धन संग्रह के लिए सरकार फीचर फिल्म की प्रत्येक प्रति पर बीस रुपये एकत्र करे और कोष में अपनी ओर से इतनी ही राशि डाले ।

दूरदर्शन पर बच्चों के लालन-पालन से संबंधित धारावाहिकों का प्रसारण

[हिन्दी]

3181. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के पास बच्चों के लालन-पालन, पति-पत्नी के मध्य मधुर संबंध बनाने के विषयों पर तथा सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने से संबंधित विषयों पर धारावाहिकों के प्रसारण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन ने दोपहर बाद के प्रसारण में टेलीकास्ट करने के लिए छः भागों वाले "बेबी केअर" नामक टी० वी० धारावाहिक का अनुमोदन किया है । इस धारावाहिक में, बच्चों का लालन-पालन करने पर सलाह देने और इस संबंध में व्यावहारिक बातें बताने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के डाक्टरों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है । लेकिन पती-पत्नी के बीच मधुर संबंध बनाने और सामाजिक तथा व्यक्तिगत समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने से संबंधित विषयों पर विशेष रूप से इस समय कोई धारावाहिक नहीं बनाया जा रहा है । किन्तु, दूरदर्शन, समय-समय पर, इन विषयों से संबंधित धारावाहिक और कार्यक्रम प्रसारित करता रहा है । "संबंध", "रिश्तो", "लोक लोक की बात" और "एक कहानी" ऐसे ही कुछ धारावाहिक हैं ।

नोएडा में नोएडा फिल्म सिटी

3182. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नोएडा में नोएडा फिल्म सिटी का उद्घाटन कब किया गया था और इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाना था;

(ख) क्या इस बीच उस स्थल पर निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नोएडा फिल्म सिटी का कार्य कब से आरम्भ होने की सम्भावना है और वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) नोएडा फिल्म सिटी का आधारशिला समारोह दिनांक 17 अप्रैल, 1988 को सम्पन्न हुआ था । इस फिल्म नगरी में 11 फिल्म निर्माताओं को जमीन अलाट की गई थी । यह परियोजना तीन चरणों में पूरी की जानी है । परियोजना के पहले चरण के लिए जमीन अलाट होने की तारीख से 18 महीने से 30 महीने की अवधि रखी गई थी । पहले चरण का कार्य पूरा करने के वास्ते सभी आबंटितियों के लिए अवधि की यह सीमा एक वर्ष बढ़ा दी गई है । वर्ष 1991 में सात आबंटितियों ने अपने स्टुडिओ का मुहूर्त संपन्न कर लिया तथा शेष चार का कार्य चल रहा है ।

(ख) फिल्म स्टुडिओ का निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया है और काम चल रहा है ।

(ग) शेष चार फिल्म स्टुडियों का निर्माण कार्य चल रहा है तथा इसके दिसम्बर, 1991 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

उड़ीसा की स्वीकृति के लिए लंबित परियोजनाएं

3183. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जो योजना आयोग की स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी है; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) उड़ीसा की कोई भी परियोजना निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग के पास लंबित नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विधवाओं को रोजगार

3184. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी विधवाओं, जिनके सभी परिवारजन नाबालिग हैं, को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मुहैया कराने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

3185. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष-वार भ्रष्टाचार के कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और परिणाम क्या निकले; और

(ग) भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी मौजूदा प्रणाली क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी विभागों के समूह "क" स्तर के अधिकारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समकक्ष स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	दर्ज मामलों की संख्या
1988	184
1989	177
1990	175

(ख) जांच किए गए मामलों में से 58 मामले विचारण के लिए भेज दिए गए हैं; 208 मामलों पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है; 43 मामलों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो आवश्यक समझी जाएगी; 14 मामलों को अन्यथा ढंग से निपटाया गया तथा 38 मामले पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में समाप्त कर दिए गए ।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई करते समय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 तथा अखिल भारतीय सेवा, (अनुशासन तथा अपील) नियमावली, 1969 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ।

देशी अखबारी कागज की कमी

[अनुवाद]

3186. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में देशी अखबारी कागज की कमी है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये उन्हें देशी अखबारी कागज उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे कुरियन) : (क) और (ख) इस समय अखबारी कागज का स्वदेशी उत्पादन मांग को पूरी तरह पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है । यद्यपि 3.13 लाख मी० टन की मौजूदा क्षमता के अलावा औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों के रूप में अखबारी कागज की पर्याप्त क्षमता की मंजूरी दी गयी है, लेकिन फिर भी निजी क्षेत्र में इसके कार्यान्वयन की प्रगति खासतौर पर उच्च पूंजीगत लागत और कम लाभ कमाने के कारण संतोषजनक नहीं है ।

(ग) प्रतिवर्ष 200 मी० टन तक अखबारी कागज पाने के हकदार समाचार पत्रों को 100% आयातित अखबारी कागज आवंटित किया जाता है, जो समाचार पत्र 200 मी० टन से अधिक कागज पाने के हकदार हैं, उन्हें एक निश्चित अनुपात में स्वदेशी अखबारी कागज और आयातित अखबारी कागज आवंटित किया जाता है, जिसका निर्धारण हर वर्ष किया जाता है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा रामपुर (उ० प्र०) में चावल की खरीद में की गई अनियमितताएं

[हिन्दी]

3187. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा रामपुर (उत्तर प्रदेश) में घटिया किस्म का चावल खरीदे जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या जांच के दौरान पाए गए टूटे चावल की मात्रा स्वीकृत मात्रा से अधिक थी; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) रामपुर (उत्तर प्रदेश) में वर्तमान विपणन मौसम 1990-91 के दौरान घटिया चावल की खरीदारी करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

चीनी मिलों पर बकाया धनराशि

3188. **श्री साईमन मरान्डी :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक चीनी मिलों पर चीनी उत्पादक किसानों की बहुत सी धन राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रों में स्थित इन मिलों पर 1989, 1990 और 1991 के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार, किसानों का कितना धन बकाया है, तथा किसानों की संख्या, भुगतान के समय उन्हें दिये जाने वाले ब्याज का प्रतिशत और ब्याज की राशि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों को उनके गन्ने के बकाया दाम दिलाने के लिये सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाये हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के प्रत्येक चीनी मौसम की 15 जून को गन्ना कीमत का बकाया तथा अतिदेय राशि, जिस पर किसानों को ब्याज देय है, का राज्य-वार विवरण संलग्न है ।

प्रत्येक क्षेत्र/राज्य में किसानों, जिन्हें उक्त बकाया राशि देय है, की संख्या, चीनी मिलों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ब्याज का प्रतिशत तथा उस पर भुगतान की गई कुल ब्याज की राशि से संबंधित सूचना केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

गन्ना कीमत का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है, जिनके पास ऐसे भुगतान के लिए बाध्य करने के लिए आवश्यक अधिकार एवं क्षेत्रीय संगठन हैं । केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से गन्ना कीमत बकाया के भुगतान के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है ।

विवरण

चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के प्रत्येक चीनी मौसम की 15 जून को राज्य-वार गन्ना कीमत का बकाया तथा अतिदेय राशि को दर्शाने वाला विवरण

(रु०/लाख)

क्र० सं०	राज्य का नाम/क्षेत्र	1988-89		1989-90		1990-91	
		गन्ना कीमत का बकाया	अतिदेय राशि	गन्ना कीमत का बकाया	अतिदेय राशि	गन्ना कीमत का बकाया	अतिदेय राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	पंजाब	243.18	143.40	1025.63	331.70	1517.15	1517.14
2.	हरियाणा	57.79	41.76	583.11	278.34	1266.75	973.93
3.	राजस्थान	30.35	30.35	0.10	0.10	227.17	225.50
4.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	148.34	101.08	2127.84	720.74	4062.54	2967.76
5.	मध्य उत्तर प्रदेश	373.98	324.97	3441.44	1457.88	5524.92	5065.44
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	503.93	265.94	1609.70	1310.83	4943.93	4534.11
	कुल उत्तर प्रदेश	**1026.25**	**691.99**	**7178.98**	**3489.45**	**14531.39**	**12567.31**
7.	मध्य प्रदेश	25.01	1.92	76.38	76.36	602.03	579.83
8.	गुजरात (दक्षिण)	226.22	170.25	84.95	—	1906.96	559.63
9.	सौराष्ट्र	—	—	23.86	23.86	170.88	116.72
	कुल गुजरात	**226.22**	**170.25**	**108.81**	**23.86**	**2077.84**	**676.35**
10.	दक्षिण महाराष्ट्र	135.55	60.94	1422.08	153.81	858.56	647.11
11.	उत्तरी महाराष्ट्र	241.41	36.58	1262.67	366.11	1592.99	1309.44
	कुल महाराष्ट्र	**376.96**	**97.52**	**2684.75**	**519.92**	**2451.55**	**1956.55**
12.	बिहार	1625.00	1602.06	2151.37	1953.71	5537.56	5537.55
13.	असम	2.51	2.51	2.43	2.43	0.95	0.95
14.	आन्ध्र प्रदेश	340.47	137.82	474.40	303.80	1149.43	1149.43
15.	कर्नाटक	453.72	191.93	420.46	394.83	1358.58	1076.71

विवरण—जारी

क्र० सं०	राज्य का नाम/क्षेत्र	1988-89		1989-90		1990-91	
		गन्ना कीमत का बकाया	अतिदेय राशि	गन्ना कीमत का बकाया	अतिदेय राशि	गन्ना कीमत का बकाया	अतिदेय राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.	तमिलनाडु	529.10	20.95	337.17	31.80	1239.20	620.85
17.	केरल	0.15	0.15	0.52	0.52	0.08	0.08
18.	उड़ीसा	0.53	0.53	1.97	1.97	71.49	71.49
19.	पश्चिमी बंगाल	3.55	3.55	—	—	4.82	3.55
20.	नागालैण्ड	30.94	—	—	—	42.39	42.39
21.	पांडिचेरी	21.17	0.30	5.05	5.05	2.34	2.34
22.	गोआ	0.23	0.23	0.17	0.17	72.84	72.84
	समस्त भारत	**4993.13**	**3137.22**	**15051.30**	**7414.01**	**32153.56**	**27074.79**

सरसों के तेल की सप्लाई पर प्रतिबन्ध

3189. **श्री फुल चन्द वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेल के उत्पादन के लिए सरसों के तेल की सप्लाई पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार खाद्य तेल के उत्पादन के लिए किसी वैकल्पिक तेल की सप्लाई कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो खाद्य तेल की मांग के अनुसार इसकी सप्लाई बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सरकार ने वनस्पति के विनिर्माण में केवल एक्सपैलर सरसों तेल के प्रयोग पर 1-8-1991 से प्रतिबंध लगाया है ।

(ख) तथा (ग) वनस्पति उद्योग से वनस्पति के विनिर्माण में निम्नलिखित तेलों का प्रयोग अपेक्षित है ।

1. बिनौला
2. महुआ
3. मक्का का तेल
4. तिल्ली का तेल
5. ताड़ का तेल (देशीय)
6. सरसों/रेपसीड तेल (केवल विलायक निष्कर्षित)
7. चावल की भूसी का तेल
8. सोयाबीन का तेल
9. सूरजमुखी का तेल
10. तरबूज के बीज का तेल
11. सालबीज का तेल (10% से अधिक नहीं)
12. मूंगफली का तेल (केवल विलायक निष्कर्षित तेल)
13. तिल का तेल (5% अनिवार्य)
14. कुसुम का तेल

भोपाल गैस त्रासदी पर उच्च शक्ति प्राप्त समिति

[अनुवाद]

3190. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भोपाल में गैस के रिसाव के परिणामस्वरूप हुई क्षति के स्वरूप और परिमाप के बारे में हुए हाल के रहस्योद्घाटन को ध्यान में रखते हुए भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में एक मेडिकल समिति अथवा उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार का यह मत है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियां विभिन्न कार्यों को कर रही हैं और इसलिए इन कार्यों को करने के लिए अलग निकाय की आवश्यकता नहीं है।

तमिलनाडु में रुग्ण औद्योगिक इकाइयां

3191. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की कुल संख्या क्या है और जिला-वार उनके नाम क्या हैं;

(ख) इन इकाइयों को फिर से चालू करने के लिये सरकार का किन प्रस्तावों को लागू करने का विचार है;

(ग) इन इकाइयों के प्रबंधन द्वारा घोषित तालाबंदियों के कारण श्रमिक शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इन इकाइयों की रुग्णता के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था पर क्या अप्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव पड़ा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) देश में बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाई गई रुग्ण एककों की परिभाषा के अनुसार एकत्र किये जाते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर, 1988 के अंत तक (नवीनतम उपलब्ध) तमिलनाडु राज्य में गैर-लघु क्षेत्र में 112 रुग्ण एकक और लघु क्षेत्र में 33,032 रुग्ण एकक हैं। इन 112 एककों के राज्यवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

जिले का नाम	गैर-लघु उद्योग क्षेत्र के रुग्ण एकक
मद्रास	58
चेंगलपट्टू	7
उत्तरी आर्कोट	5
दक्षिणी आर्कोट	1
थंजावुर	1
तिरुचिरापल्ली	1
सलेम	4
धर्मपुरी	6
नीलगिरी	—
कोयम्बटूर	15
पाशुम्पान मुत्थुरामालिंगम	1
पेरियार	1
कामराजार	1

जिले का नाम		गैर-लघु उद्योग क्षेत्र के रुग्ण एकक
मदुराई		5
तिरुनेलवेली		2
पुडुकोट्टाई		4
	योग	112

केन्द्र द्वारा रुग्ण लघु उद्योगों के बारे में इसी प्रकार की सूचना नहीं रखी जाती है । बैंकरों की प्रथाओं और रीतियों के अनुसार तथा राष्ट्रीकृत बैंकों पर लागू सांविधिक उपबंधों के अनुकरण में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण एककों के नाम बताना संभव नहीं है ।

(ख) रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनर्जीवन के बारे में भारत सरकार की तमिलनाडु राज्य सहित सम्पूर्ण देश के लिए एक समान नीति है । इस नीति के कुछ महत्वपूर्ण पहलू संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ग) तमिलनाडु में वर्ष 1990 के दौरान तालाबंदियों के कारण 535 श्रमिक प्रभावित हुए और औद्योगिक विवादों के फलस्वरूप हुई तालाबंदियों से 10,978 श्रमिक प्रभावित हुए ।

(घ) भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर, 1988 के अंत तक (नवीनतम आंकड़े) तमिलनाडु राज्य में रुग्ण गैर-लघु औद्योगिक एककों तथा रुग्ण लघु औद्योगिक एककों पर बैंक ऋण की बकाया राशि क्रमशः 269.73 करोड़ रुपए और 223.72 करोड़ रुपये थी ।

विवरण

रुग्ण औद्योगिक एककों की पुनर्स्थापना के लिए भारत सरकार के प्रयास

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् "रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985" बनाया है । इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है ।

(2) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें ।

(3) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जीव्य-क्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गये हैं । बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज बनाते हैं ।

(4) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्य-क्षम रुग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक से बिना पूछे ही, राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे ।

विवरण—जारी

(5) लघु क्षेत्र में रुग्णता कम करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करने के विचार से भारत सरकार ने एक "सीमांत धन योजना" शुरू की है । इस उदारीकृत योजना के अंतर्गत पुनःस्थापना हेतु रुग्ण लघु एककों को उपलब्ध प्रति एकक सहायता की अधिकतम राशि को 20,000/- रु० से बढ़ाकर 50,000/- रु० कर दिया गया है ।

(6) कमजोर एककों के लिए एक उत्पाद-कर राहत योजना की भी घोषणा की गई है । यह योजना किसी भी ऐसे एकक के लिए लागू होगी जिसमें किन्हीं पांच लेखा वर्षों में उनका अधिकतम निवल मूल्य संचित हानियों के कारण 50% अथवा इससे अधिक कम हो गया हो । उक्त एकक की पुनर्स्थापना, आधुनिकीकरण अथवा दिशान्तरण पैकेज वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत होना चाहिए । मात्र एकक ब्याज मुक्त ऋण का पात्र होगा जिसके लिए 3 वर्ष की राहत अवधि मिलेगी और इसे 7 वर्षों के भीतर वापस करना होगा जो योजना के अनुमोदन के बाद 3 वर्षों के लिए वास्तविक उत्पाद भुगतान का 50% होगा । "उत्पाद ऋण" के रूप में दी जाने वाली कुल राशि पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण/दिशान्तरण की कुल लागत से 25% से अधिक नहीं होगी ।

(7) अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अप्रैल, 1990 में एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है । इस बैंक की चुकता पूंजी 250 करोड़ रु० है ।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जीव्य-क्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के लिए परस्पर स्वीकार्य पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए प्राथमिक उधारदाता संस्थानों एवं प्रवर्तकों के सहायतार्थ विभिन्न राज्यों में पुनर्स्थापना संबंधी बैठकों का आयोजन कर रहा है । वर्ष 1990-91 के दौरान, 14 केन्द्रों में 23 बैठकें आयोजित की गईं और 250 से अधिक एककों के मामलों पर विचार किया गया । इन बैठकों में प्राथमिक उधारदाता संस्थानों एवं उधार लेने वालों की प्रतिक्रियाएं उत्साहजनक रही हैं ।

जीव्य-क्षम रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा पुनर्स्थापना के लिए एक पृथक पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है ।

केरल में आणविक ऊर्जा संयंत्र

3192. **श्री एम० रमन्ना राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में प्रस्तावित आणविक ऊर्जा संयंत्र के स्थान के बारे में निर्णय कर लिया गया है जो कासरगोड जिले के पीपरीगांव नाम स्थान पर स्थित है तथा केरल की राज्य सरकार ने इसकी सूचना संघ सरकार को दे दी है;

(ख) परियोजना की लागत कितनी है और इसके खर्च को कौन वहन करेगा;

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी;

(घ) इसके लिए कुल कितनी भूमि की आवश्यकता होगी तथा कितने लोगों को हटाये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) क्या इस क्षेत्र के लोगों ने इस संबंध में कोई विरोध प्रकट किया है और यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गारेट अल्वा) : (क) से (ङ) केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने कन्नौर जिले में पेरिंगोम नामक स्थल पर परमाणु विद्युत

संयंत्र स्थापित करने के बारे में सुझाव दिया है । यह स्थल उन स्थलों में से एक है जहाँ पर परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित एक तकनीकी समिति ने प्रारम्भिक अन्वेषण किए थे । इस समय उस स्थान पर परमाणु विद्युत संयंत्र लगाने के बारे में निर्णय लेना असामयिक होगा क्योंकि परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए स्थल का चयन विभिन्न अभिकरणों उदाहरणार्थ स्थल चयन समिति, परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय और योजना आयोग आदि द्वारा पुनरीक्षा किए जाने के बाद अपेक्षित मानदण्डों को पूरा करने पर निर्भर करता है । इस संबंध में सरकार का निर्णय परमाणु बिजली का उत्पादन करने के लिए तैयार किए गए उस कार्यक्रम के समनुरूप होना चाहिए, जिसके अंतर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की आवश्यकता को और ऊर्जा के संसाधनों के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा गया है । इसके अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता एक मुख्य पहलू है । पेरिंगोम नामक स्थल पर परियोजना स्थापित करने के लिए धनराशि, समय संबंधी कार्यक्रम, भूमि-अधिग्रहण तथा इस संबंध में वहाँ के निवासियों की संभावित अप्रसन्नता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने संबंधी पहलू का प्रश्न अभी उठता ही नहीं क्योंकि सरकार ने अभी तक पेरिंगोम नाम स्थल के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है और इस समय इस संबंध में केवल अन्वेषण कार्य ही किए जा रहे हैं ।

उड़िया फिल्मों का प्रसारण

[हिन्दी]

3193. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन परगत छः माह के दौरान प्रसारित की गई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की तुलना में कितनी उड़िया फीचर फिल्में प्रसारित की गईं; और

(ख) दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली उड़िया फीचर फिल्मों की संख्या बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर गत 6 महीनों (फरवरी से जुलाई, 1991 तक) प्रसारित उड़िया और अन्य प्रादेशिक भाषाओं की फीचर फिल्मों की संख्या इस प्रकार है :—

भाषा का नाम	प्रसारित फिल्मों की संख्या
1. असमिया	2
2. बंगला	3
3. गुजराती	2
4. कन्नड़	2
5. मलयालम	3
6. मराठी	1
7. उड़िया	1
8. पंजाबी	1
9. तमिल	2
10. तेलुगु	3

(ख) उन उड़िया फीचर फिल्मों का, जो निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करती हों, यदि प्रसारण के लिए निर्माता/अधिकार धारक द्वारा प्रस्ताव किया जाता है तो दूरदर्शन द्वारा उनके गुण/दोषों के आधार पर उन्हें प्रसारित करने पर विचार किया जायेगा ।

आटा मिलों के लाइसेंस रद्द करना

[अनुवाद]

3194. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में कुछ आटा मिलों के लाइसेंस रद्द कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने नई आटा मिलों की स्थापना की अनुमति न देने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लेने के मुख्य कारण क्या हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) रोलर मिलिंग उद्योग को, पूरे देश में, वर्ष 1986 से लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक उत्पादन

3195. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में ऐसे औद्योगिक एककों का पता लगाया है जिनके उत्पादन में ह्रास होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) तथा (ख) अनेक एककों के बहु-उत्पाद होने तथा विविध स्थानों पर होने की कठिनाई के कारण एकक-वार तथा राज्य-वार आंकड़ों का संकलन नहीं किया जा रहा है ।

(ग) तथा (घ) 24 जुलाई, 1991 को घोषित औद्योगिक नीति तथा लघु, अतिलघु और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने एवं सुदृढ़ बनाने हेतु 6 अगस्त, 1991 को घोषित नीति में उपायों का एक पैकेज है जिससे कुल मिलाकर औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी ।

उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

3196. **श्री विश्वनाथ शर्मा**
डा० लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विशेषकर बहराइच और तराई क्षेत्र के जिलों में चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र में कुछ नए उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें कहां-कहां पर स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना

3197. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड मंडल में खादी तथा ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तराखण्ड में खादी तथा ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिये आयोग ने वर्षवार कितनी धनराशि व्यय की है; और

(ग) वर्ष 1991-92 में इस प्रयोजनार्थ आयोग का क्या कार्यक्रम है और इसके लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) पहाड़ी सीमावर्ती, आदिवासी क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के लिए तैयार की गई उदार पद्धति के अनुसार के० वी० आई० सी० वित्तीय सहायता देता है । उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड मंडल की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से के० वी० आई० सी० का हल्द्वानी में एक क्षेत्रीय कार्यालय है और पिथौरागढ़ एवं ऋषिकेश में उप-कार्यालय हैं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड क्षेत्र को के० वी० आई० सी० द्वारा सीधे ही दी गई राशि इस प्रकार है :—

(रुपये लाख में)

	खादी	ग्रामोद्योग
1988-89	15.94	53.33
1989-90	22.83	85.19
1990-91	39.44	71.16

इसके अलावा, के० वी०. आई० सी० इस राज्य में ग्रामोद्योग के विकास के लिए के० वी० आई० बोर्डों को प्रत्येक वर्ष धनराशि का आबंटन करता है, जिसका एक भाग उत्तराखंड क्षेत्र में खर्च किया जाता है ।

(ग) के० वी० आई० कार्यक्रम चल रहे कार्यक्रम हैं और 1991-92 के लिए के० वी० आई० सी० के

विभागीय कार्यक्रमों और प्रत्यक्ष रूप से सहायता पाने वाले संस्थानों के लिए प्रस्तावित आबंटन इस प्रकार है :—

1991-92 (रुपये लाख में)

	खादी	ग्रामोद्योग
विभागीय	3.75	0.29
के० वी० आई० सी० के प्रत्यक्ष रूप से सहायता पाने वाले संस्थान	106.75	105.80

के० वी० आई० सी० ने विभागीय रूप से चलाए जाने वाले मधुमक्खी पालन कार्यक्रम के अन्तर्गत 500 मधुमक्खी के छत्ते और 20 शहद निकालने वाले उपकरण वितरित करने का भी लक्ष्य है । 1991-92 के दौरान चार ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे ।

सहायक और लिपिक वर्गों की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अनियमितताएं

3198. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सहायक और लिपिक वर्गों की परीक्षा, 1990 की उत्तर पुस्तिकाओं के मामले में मूल्यांकन में अनियमितताओं का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने लिपिक वर्ग परीक्षा, 1990 के परिणाम को जब्त कर लिया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ.) सहायक तथा लिपिक वर्गों की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का क्या तरीका है अर्थात् इनकी जांच मनुष्यों द्वारा की जाती है अथवा कम्प्यूटरों से ; और

(च) उपर्युक्त परीक्षा का परिणाम कब तक घोषित किया जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) (ग) तथा (घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ङ.) मनुष्यों द्वारा ।

(च) लिपिक वर्ग की परीक्षा, 1990 का परिणाम 31 जुलाई, 1991 को घोषित कर दिया गया था, जबकि सहायक वर्ग की परीक्षा, 1989 के परिणाम की घोषणा सितम्बर, 1991 के अंत तक किए जाने की आशा है ।

उड़ीसा में खाद्य पदार्थों और मिट्टी के तेल की कमी

[हिन्दी]

3199. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को उड़ीसा के क्योंझर जिले में राशन की दुकानों से बांटे गये खाद्य पदार्थों और मिट्टी के तेल की कमी के बारे में उड़ीसा सरकार की ओर से कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कमी को दूर करने के लिये सरकार का विशेषकर क्योंझर के आदिवासी और हरिजन गांवों में और अधिक डिपुओं के लिये मंजूरी देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटन समग्र रूप से किया जाता है और ऐसा करते समय केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध स्टाक, बाजार में उपलब्ध मात्रा मौसमजन्य कारणों राज्य की परस्पर आवश्यकताओं एवं अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखा जाता है। राज्य के अन्दर इनका आगे वितरण करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है जो जिलों के बीच परस्पर वितरण का भी निर्णय करती हैं।

(ग) तथा (घ) विभिन्न जिलों/क्षेत्रों में और उचित दर दुकानों/डिपुओं की मंजूरी देने का निर्णय आवश्यकता इत्यादि को ध्यान में रखकर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी है कि वे उन क्षेत्रों में और उचित दर दुकानें खोलें जहां ऐसी दुकानें नहीं हैं, अथवा कम संख्या में हैं। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि जहां कहीं आवश्यक हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के वितरण के लिए उचित दर दुकानों के रूप में सोसाइटी वैनों का उपयोग किया जाए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा नारियल के तेल की सप्लाई

[अनुवाद]

3200. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित किए जाने वाले खाद्य तेलों की सूची में नारियल के तेल को शामिल करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का ओणम के दौरान खाद्य तेलों की तत्काल मांग को पूरा करने के लिए केरल को पामोलिन आइल की सप्लाई करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु देशीय खाद्य तेलों की व्यवस्था नहीं करती है।

(ख) और (ग) चूंकि विदेशी मुद्र संबंधी गंभीर बाधाओं के कारण खाद्य तेल का आयात फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, अतः केरल को पामोलिन की आपूर्ति करना तब तक संभव नहीं होगा जब तक उसका आयात नहीं किया जाता।

जनसामान्य की भागीदारी वाले कार्यक्रमों का दूरदर्शन पर प्रसारण

3201. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन कुछ ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करता है जिनमें जनसामान्य की भागीदारी होती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जनसामान्य को आमंत्रित किए जाने के संबंध में क्या मापदण्ड अपनाए जाते हैं;

(घ) क्या दिल्ली दूरदर्शन का निकट भविष्य में ऐसे कुछ और कार्यक्रम आयोजित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा प्रश्न मंच, स्पोर्टस, क्विज, क्विजशो, चिल्ड्रन्स क्विज, मुशायरा, पंजाबी कवि दरबार इत्यादि जैसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिनमें आम जनता भाग लेती है।

(ग) इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दर्शकों को उनसे प्राप्त अनुरोध के आधार पर और श्रोता अनुसंधान एकक द्वारा रखी जाने वाली दर्शक सूची में से आमंत्रित किया जाता है। ऐसा करते समय प्रतिभागियों की विषय में रुचि और कार्यक्रम के लिए उनकी उपयुक्तता को भी ध्यान में रखा जाता है।

(घ) और (ङ) जनता की भागीदारी वाले कार्यक्रमों का प्रसारण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि

3202. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ा कर 60 वर्ष कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भी 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 जुलाई, 1969 से पूर्व भर्ती/पदोन्नत किए गए अपने अधिकारियों तथा उन कर्मचारियों की, जो 19 जुलाई, 1969 से पूर्व भर्ती किए गए किन्तु 19 जुलाई, 1969 को/के पश्चात् अधिकारी के पद पर पदोन्नत हुए, सेवानिवृत्ति की आयु को चयनात्मक आधार पर 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष तक करने का निर्णय उसी पद्धति के अनुसार किया है जैसा कि अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में किया गया है। तथापि, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को त्रैमासिक पुनरीक्षा तथा तदर्थ समय वृद्धि देने की प्रणाली, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्रेणी-III के कर्मचारियों के मामले में किया जा रहा है, अपनाने का सुझाव दिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) शिक्षित तथा कुशल कार्मिकों की बढ़ती हुई संख्या को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, चतुर्थ वेतन आयोग ने सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति की विद्यमान आयु को 58 वर्ष बनाए रखने की सिफारिश की थी । केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सिफारिश को स्विकार कर लिया गया है ।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में भारत-बंगलादेश समझौता

3203. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा बंगलादेश के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के लिये कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन परिस्थितियों के कारण ऐसे समझौते करने पड़े; और

(ग) ऐसे प्रत्येक समझौते की समयावधि क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार और बंगलादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच विकास के लिए प्रौद्योगिकीय और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी करार पर नवम्बर, 1982 में हस्ताक्षर किये गये थे ।

बाद में उपर्युक्त समझौते के अनुच्छेद III के अनुसार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग तथा बंगलादेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के बारे में एक प्रोटोकोल पर जुलाई, 1991 में हस्ताक्षर किये गये । विज्ञान और प्रौद्योगिकी करार, दोनों देशों में वैज्ञानिक एजेन्सियों/संस्थाओं के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए बृहत ढांचा प्रदान करता है । इस करार को आपसी हित के क्षेत्रों में द्विराष्ट्रीय पारस्परिक-क्रिया के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था । विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर यह प्रोटोकोल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग तथा बंगलादेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी या प्रभाग के सचिवों के स्तर पर हुए विचार-विमर्श की अनुवर्ती कार्रवाही के रूप में था । जब यह निर्णय किया गया था कि ये दोनों विभाग, दोनों देशों में कार्यान्वयन करने वाली एजेन्सियों के रूप में भारत की ओर से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा बंगलादेश की ओर से बंगलादेश वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सहयोग का एक प्रोटोकोल संपन्न करें ।

(ग) नवम्बर, 1982 में सम्पन्न हुआ विज्ञान और प्रौद्योगिकी करार पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहा और तत्पश्चात् आने वाले प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वत: ही नया होता आया है जब तक कि करारकर्त्ता पक्षों में से कोई भी एक पक्ष इस करार की वैधता की किसी अवधि के समाप्त होने से छह महीने पहले दूसरे पक्ष को इसे समाप्त करने की सूचना नहीं देता ।

इसी भांति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रोटोकोल पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्य है और यदि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को इस करार की समाप्ति से कम से कम छह माह पहले प्रोटोकोल को समाप्त करने की अपनी इच्छा की सूचना नहीं देता है तो इसकी वर्षवार आधार पर स्वत: ही अवधि बढ़ जाएगी ।

जापानी उद्यमियों द्वारा नगरक्षेत्र (टाउनशिप) की स्थापना

3205. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जापानी उद्यमियों को भारत में नगरक्षेत्र (टाउनशिप) स्थापित करने की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह नगरक्षेत्र किस राज्य में विकसित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या किसी अन्य देश को भी भारत में नगरक्षेत्र स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) इस समय तो एक इण्डस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप की स्थापना हेतु एक संभाव्यता अध्ययन पर केवल विचार किया जा रहा है ।

(ख) संभाव्यता अध्ययन पूरा हो जाने के बाद ही स्थापना स्थलों के बारे में कुछ सोचा जा सकता है ।

(ग) इण्डस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप की स्थापना के बारे में किसी और देश से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

सुपर बाजार की और अधिक शाखायें खोलने का प्रस्ताव

3207. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सुपर बाजार की कितनी शाखायें हैं;

(ख) क्या सरकार का नई दिल्ली में चालू वित्त वर्ष के दौरान सुपर बाजार की कुछ और शाखायें खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों पर खोली जायेंगी;

(घ) क्या सरकार का देश के प्रत्येक जिले में सुपर बाजारों की पद्धति पर उपभोक्ता सहकारी भण्डार, जो उचित दर की दुकानों से अलग हों, खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कदम उठाये गये हैं; और

(च) यदि नहीं, तो उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सुपर बाजार की संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 134 शाखाएं (दवाई भंडारों सहित) हैं ।

(ख) तथा (ग) सुपर बाजार का दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य अभिकरणों से निर्धारित/उचित दर पर उपर्युक्त जगह उपलब्ध होने पर निम्नांकित नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है :—

1. आयुर्विज्ञान नगर
2. पालम गाँव
3. उत्तम नगर
4. बवाना गाँव

5. वजीराबाद वाटर वर्क्स कालोनी

6. लोदी रोड

7. सिद्धार्थ एक्सटेंशन

8. बसन्त कुंज

(घ) से (च) यह राज्य सरकारों का काम है कि वे राज्य के भीतर सुपर बाजार के पैटर्न पर उपभोक्ता सहकारी भंडारों की स्थापना करें । भारत सरकार एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रही है, जिसके तहत उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा परियोजना आधार पर विभिन्न आकार के बहुविभागी भंडारों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है ।

इलेक्ट्रोनिकी उद्योग को बढ़ावा देना

3208. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रोनिकी उद्योग को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब से कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) इलेक्ट्रानिकी उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा आरम्भ किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

देश में इलेक्ट्रानिकी उद्योग के विकास में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. समूचे इलेक्ट्रानिकी उद्योग को स्थापना-स्थल संबंधी सीमाओं से छूट देना, जो अन्य उद्योगों के मामले में लागू होती है ।

2. मनोरंजन इलेक्ट्रानिकी और सामरिक इलेक्ट्रानिकी के उप-क्षेत्रों को छोड़कर, पूंजी-निवेश के स्तर के बारे में विचार किए बगैर, समूचे इलेक्ट्रानिकी उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर देना ।

3. प्रौद्योगिकी-अन्तरण, विपणन संबंधी विशेषता, आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकों और विदेशी व्यापारिक कम्पनियों के माध्यम से निर्यात के संवर्धन की नई संभावनाओं सहित 51% तक सीधी विदेशी साम्या-पूंजी (इक्विटी) की अनुमति प्रदान करना ।

4. एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों के मामले में परिसम्पत्तियों की प्रारम्भिक सीमा को समाप्त करने के लिए एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम में संशोधन करना ।

5. नई परियोजनाओं के मामले में चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पी एम पी) की पद्धति को लागू नहीं किया जाएगा; लेकिन जिन वर्तमान परियोजनाओं में यह कार्यक्रम है, उनके मामले में यह पद्धति जारी रहेगी ।

6. आयात प्रतिपूर्ति मशीनरी (एक्सिम स्क्रिप) द्वारा निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्राप्त करना ।

विवरण—जारी

7. आयकर अधिनियम में 80 एच एच ई नामक एक नई धारा जोड़कर सॉफ्टवेयर के निर्यातकर्ताओं को धारा 80 एच एच सी के अन्तर्गत छूट देना ।

8. निर्यात संवर्धन क्षेत्र (ई० पी० जेड०) योजना के अन्तर्गत घरेलू टेरिफ क्षेत्र में जिन वस्तुओं की बिक्री पर छूट दी गई है, उनपर लगने वाले उत्पादन शुल्क में कमी करना ।

9. कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर एक ही लाइसेंस के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों का विनिर्माण करने वाली मौजूदा इकाइयों को बिना किसी अतिरिक्त पूंजी निवेश के किसी भी वस्तु के विनिर्माण की अनुमति प्रदान की गई है ।

10. सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सॉफ्टवेयर के निर्यात को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चुना है और इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों के माध्यम से मूल संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

11. औजार, डाईयां और सांचे खुले सामान्य लाइसेंस और रियायती दरों पर उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत उपलब्ध हैं ।

12. निर्यात पर आयात प्रतिपूर्ति दरें 20% से बढ़ाकर 30% कर दी गई हैं ।

13. कुछ उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के निर्यात के बदले प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात के मामले में आयात प्रतिपूर्ति संबंधी नियमों को लचीला बनाया गया है ।

14. जी० सी० ए० को कम्प्युटरों के निर्यात के लिए 15% मूल्य संवर्धन की अनुमति प्रदान की गई ।

15. लघु उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है । राज्य स्तरीय उद्योग निदेशालयों के स्तर पर अनेक वस्तुओं के अनुमोदनों को विकेन्द्रीकृत किया गया है । इस क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश की सीमा बढ़ाकर 60 लाख रूपये और सहायक इकाइयों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 75 लाख रूपये कर दी गई है ।

16. उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी को छोड़कर, इलेक्ट्रॉनिकी के लगभग सभी क्षेत्रों में एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम की धारा 21 तथा 22 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने से छूट दी गई है ।

17. कच्ची सामग्रियों, संघटक पुर्जों तथा पूंजीगत उपस्कर पर लगने वाले आयात शुल्क को घटा दिया गया है । संघटक पुर्जा उद्योग के लिए कच्ची सामग्रियों, कल-पुर्जों तथा अर्ध-विनिर्मित वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को तर्कसंगत बनाया गया है ।

18. उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से आयात नीति को भी तर्कसंगत बनाया गया है ।

19. सरकार इलेक्ट्रॉनिकी के समुचित अनुप्रयोगों को बढ़ावा दे रही है ताकि उत्पादकता, गुणवत्ता, सुरक्षा तथा मरम्मत-सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके ।

20. नित नूतन खोज, उत्पाद डिजाइन तथा विकास और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी विकास परिषद, राष्ट्रीय रेडार परिषद, राष्ट्रीय सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी परिषद तथा

विवरण—समाप्त

इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री विकास परिषद (ई एम डी सी) द्वारा कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं क्योंकि एक स्वस्थ इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के विकास के लिए ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं ।

21. पहले से सुनिश्चित किए गए क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास कार्य करने के लिए प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर), राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र (एन सी एस टी), टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट), उन्नत अभिकलन प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (सी-डैक), सामग्री विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री प्रौद्योगिकी केन्द्र और कई इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों आदि जैसे विभिन्न अनुसंधान केन्द्र और प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, क्योंकि एक स्वावलम्बी औद्योगिक आधार विकसित करने का यह भी एक उपाय है ।

22. गुणवत्ता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है । इनमें से कुछ प्रयोगशालाओं को अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रदान करने के उद्देश्य से परीक्षण तथा प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत किया गया है । इससे इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों के निर्यात में अवश्य ही सहायता मिलेगी ।

विभिन्न योजनाओं का राज्यों को हस्तांतरण

[हिन्दी]

3209. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का क्षेत्रीय महत्व की योजनाएं/परियोजनएं संबद राज्य सरकारों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं की कोई सूची तैयार की गई है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के अंतर्गत राजस्थान सरकार को कौन-कौन सी योजनाएं/परियोजनाएं हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

तमिलनाडु को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित ऋण

[अनुवाद]

3210. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान तमिलनाडु में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि के ऋण वितरित किए गए ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : तमिलनाडु राज्य को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित किए गए ऋण की राशि नीचे दर्शायी गई है :—

(लाख रुपयों में)

1988-89	8487.48
1989-90	8148.66
1990-91 (अनन्तिम)	5990.88

राशन के गेहूं को खुले बाजार में बेचना

[हिन्दी]

3211. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राशन के गेहूं की खुले बाजार में बिक्री की जा रही है और चीनी में मिलावट की जा रही है:

(ख) इस संबंध में गत छः माह के दौरान कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है: और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रशासन, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों की उपलब्धता की परिवीक्षा करना, उचित दर की दुकानों का निरीक्षण करना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों को खुले बाजार में जाने से रोकना आदि शामिल है, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है । तथापि, केन्द्रीय सरकार ने उन्हें सलाह दी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को अन्यत्र भेजे जाने और उनकी चोरबाजारी तथा अन्य कदाचारों को रोकने के लिए वे आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य कानुनों के उपबंधों को सख्ती से लागू करें । राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अब तक (जुलाई, 1991 तक) प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि जनवरी, 1991 से 3152 व्यक्तियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया है तथा लगभग 14.5 करोड़ रूपए मूल्य की वस्तुएं जब्त की गई हैं ।

उच्च वोल्टेज वाली बिजली तारों से उत्पन्न वायु तरंगों से खतरा

[अनुवाद]

3212. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उच्च वोल्टेज वाले बिजली के तारों, कम्प्यूटर टर्मिनलों और सूक्ष्म तरंगों सहित अन्य प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न वायु तरंगों से लोगों में कैन्सर होने का खतरा होता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यू० एस० ई० पी० ए० इन तथाकथित "लो-फ्रीक्वेन्सी फील्ड्स" को मनुष्य में कैंसर उत्पन्न करने वाले सम्भावित क्षेत्र घोषित करने पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) उच्च वोल्टता वाली केबिलें, कम्प्यूटर टर्मिनल तथा कुछ तकनीकी उपस्कर सूक्ष्मतरंगें तथा रेडियो आवृत्तियाँ विकीर्ण करने के लिए जाने जाते हैं । तथापि, इनकी तीव्रता उस स्थान पर अपेक्षाकृत कम होती है जहाँ पर उपभोक्ता द्वारा इनका उपयोग किया जाता है और अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह सिद्ध होता हो कि उनके कारण कैंसर होने का खतरा है । इन उपस्करों का निर्माण करने और उन्हें लगाने के लिए जो अन्तर्राष्ट्रीय मानक हैं उनके अन्तर्गत सुरक्षा संबंधी पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रति व्यक्ति उत्पादकता

3213. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम थे, उनमें से प्रत्येक उपक्रम में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है और ऐसे प्रत्येक उपक्रम में कितने व्यक्ति कार्यरत थे;

(ख) क्या इस बात का मूल्यांकन करने के लिये कोई अध्ययन किया गया है कि विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादकता में प्रति व्यक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन की मुख्य बातें क्या है ?

उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 31 मार्च, 1990, केवल जिस अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है, की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की संख्या 244 थी । 31-3-1990 तक की स्थिति के अनुसार प्रत्येक सरकारी उद्यम में किए गए पूंजीनिवेश तथा उनमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्रमशः 27-2-1991 को सभा-पटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1989-90 के खण्ड-1 की विवरणी पृष्ठ संख्या 104 से 113 तथा 90 से 94 पर दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम

3214. **डा० असीम बाला** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम के लक्ष्य क्या थे और इसके प्रारंभिक काल से अब तक की उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) क्या सूक्ष्म-स्तर की आयोजना के साथ संसाधनों के विवेकपूर्ण आवंटन हेतु ब्लाक को एक यूनिट मानते हुए, समेकित सूक्ष्म-स्तरीय ऊर्जा की आवश्यकता आयोजना के लिए किसी प्रकार का आंकड़ा-आधार तैयार किया गया;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार उसी प्रकार की विषय वस्तु और दृष्टिकोण वाले समेकित ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग ने 8 राज्यों के 20 ब्लॉकों में पायलट आधार पर एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम शुरू किया था । सातवीं योजना के अंत तक इस कार्यक्रम का 200 ब्लॉकों में विस्तार करना था । इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है । 1990-91 के दौरान 24 अन्य ब्लॉक शामिल किए गए हैं ।

(ख) इस कार्यक्रम के तहत ब्लॉक के सर्वेक्षण के उपरांत ब्लॉक स्तरीय परियोजना दस्तावेज तैयार किए जाते हैं । 105 ब्लॉक स्तरीय परियोजना दस्तावेजों में अंतर्विष्ट आंकड़ों को एक रिपोर्ट के रूप में संकलित तथा कंप्युटर में संचित कर लिया गया है । आंकड़ों में भौगोलिक तथा जनसांख्यिकीय विशेषताएं, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पैरामीटर, मौजूदा ऊर्जा खपत की पद्धति तथा ऊर्जा संसाधनों का मूल्यांकन शामिल है । आठवीं योजना के लिए ग्रामीण उर्जा क्षेत्रक के संबंध में मैक्रो स्तरीय योजना के साथ माइक्रो स्तरीय योजनाओं को एकीकृत करने के लिए एक कम्प्यूटर मॉडल विकसित किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, हां । आठवीं योजना तैयारी की प्रक्रिया में है ।

अखिल भारतीय सेवाओं के अवकाश प्राप्त अधिकारियों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें

3215. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार और राज्य-सरकारों द्वारा अधिवर्षिता की आयु को प्राप्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और उनके परिवारों को दी जा रही स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये सुविधायें पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में संघ सरकार और राज्य-सरकारों का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं अखिल भारतीय सेवा के उन सेवा निवृत्त अधिकारियों को उपलब्ध हैं जो इस योजना के अन्तर्गत आने वाले शहरों में इसके लिए अंशदान करते हैं । राज्य सराकारों से यह अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को उपलब्ध सुविधाएं अखिल भारतीय सेवा के उन अधिकारियों को भी प्रदान की जाएं जो उनके राज्य संवर्ग के हैं और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नहीं आते ।

(ख) सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लागू योजना को पर्याप्त समझा गया है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर मारुति कारों का आवंटन

3216. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माताओं की ओर से संयुक्त सचिव स्तर तक के अधिकारियों को मारुति कारें प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जाती हैं और उसके लिए धन की भी व्यवस्था की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन अधिकारियों को कुछ भत्ता देकर स्टाफ कारों के बदले उन्ही कारों का उपयोग करने के लिए निर्देश जारी करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन अधिकारियों को मारुति कारें प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किये जाने की सुविधा वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां । संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को विनिर्माता — कोटे से, प्राथमिकता के आधार पर मारुति कारों का आवंटन किया जाता है । मोटर कारों की खरीद के लिए अधिकारियों को अग्रिम राशि की स्वीकृति सामान्य वित्तीय नियम, 1963 में विहित उपबंधों के अनुरूप दी जाती है जिसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि वाहन का आवंटन विनिर्माता कोटे से किया गया है अथवा अन्यथा किसी प्रकार से ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बिहार को विशेष श्रेणी राज्यों की सूची में सम्मिलित करना

[हिन्दी]

3217. **श्री राम लखन सिंह यादव**
श्री रेदी पासवान
मोहम्मद अली अशरफ फातमी } : **क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार को बाढ़ और राज्य की आर्थिक समस्याओं के आधार पर विशेष श्रेणी राज्यों की सूची में सम्मिलित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

12.00 **मध्याह्न**

लोकसभा 12.00 मध्याह्न पर पुनः समवेत हुई ।

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री के० वी० तंगकाबालू (धर्मपुरी) : महोदय, हम चाहते हैं कि श्री आडवाणी यहां आकर क्षमा मांगें । गृह मंत्री भी आएं और वक्तव्य दें । तब तक हम सभा की कार्यवाही नहीं चलने देंगे **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : सभा 2 बजे म० प० तक स्थगित होती है ।

12.01 **म० प०**

तत्पश्चात लोकसभा 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

2.00 म० प०

लोकसभा 2.00 म० प० पर पुनःसमवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(श्री के० वी० तंगकाबालू और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 4 बजे म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

2.01 म० प०

तत्पश्चात लोकसभा 4 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

4.02 म० प०

लोकसभा 4.02 म० प० पर पुनःसमवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) नई दिल्ली में श्री माधवराव सिंधिया के निवास के बाहर हुई हिंसक घटना

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री एक वक्तव्य देंगे ।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं, 14-8-1991 को नई दिल्ली में श्री माधवराव सिंधिया,

नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्री के निवास स्थान (27, सफदरजंग रोड) के सामने हुई हिंसक घटना के बारे में इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराता हूँ ।

विगत रात्रि को जिला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि भारतीय जनता पार्टी के युवा दल के कुछ सदस्य 14 अगस्त 1991 को नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्री के निवास स्थान के बाहर प्रदर्शन करेंगे । प्रदर्शन के आयोजकों ने प्रदर्शन करने के लिए कोई अनुमति नहीं ली । तथापि मंत्री महोदय के निवास स्थान के सामने और सफदरजंग मकबरे के नजदीक पुलिस कार्मिकों की एक छोटी टुकड़ी तैनात की गई थी । 14-8-91 को लगभग 9.15 बजे पूर्वाह्न भारतीय जनता पार्टी युवा दल समर्थक एक बस में भरकर मंत्री के निवास स्थान के नजदीक पहुंचे और उनके गेट की तरफ बढ़े । कार, वैन और टेम्पो में कुछ और प्रदर्शनकारी भी आए । लगभग इसी समय एक कार में सवार एक व्यक्ति श्री सिंधिया से मिलने के लिए घर में दाखिल हुआ । पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को, जिनका नेतृत्व श्री विजय जौली कर रहे थे सड़क के पार ही रोकने की कोशिश की लेकिन उनमें से लगभग 250 व्यक्तियों की भीड़ आगे बढ़ी । प्रदर्शनकारियों ने जोर-जोर से कांग्रेस समर्थक और श्री माधवराव सिंधिया समर्थक नारे लगाए । उसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने श्री माधवराव सिंधिया विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए और घर में घुसने के प्रयास में आगे उमड़ पड़े । वहां उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, जिससे भीड़ ने उन पर पथराव किया । एक पुलिस सहायक आयुक्त और एक थानेदार सहित 8 पुलिस कार्मिकों को चोटें लगी । मंत्री महोदय के वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी, जो गेट के अंदर थे, को भी चोटें लगी । माननीय मंत्री को मिलने आए हुए एक व्यक्ति, जो गेट के अंदर थे, के सिर पर पत्थर लगा और रक्त बहने लगा । भीड़ में एकत्र लोग डण्डों तथा बांस के डंडे पर लगे हुए झण्डे और झंडहार ले जा रहे थे और उन्होंने उन डण्डों का उपयोग पुलिस पर हमला करने के लिए भी किया ।

प्रभारी अधिकारी ने भीड़ को गैर-कानूनी घोषित किया और उसे तितर-बितर करने के लिए अश्रु गैस का प्रयोग किया । भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठी प्रहार भी किया गया । गैर-कानूनी भीड़ के 4 व्यक्तियों को घटनास्थल पर ही गिरफतार किया गया । प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल में लाई गई एक बस और एक कार को जब्त कर लिया गया । भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के अधीन एक मामला दर्ज किया गया और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है ।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : हम वक्तव्य पर स्पष्टीकरण नहीं मांगते ।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : माननीय गृह मंत्री ने कहा है . .

अध्यक्ष महोदय : हम इसकी अनुमति नहीं देते कृपया बैठे जाइए । मैं समझता हूं यह जरूरी नहीं है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे घर में भी आग लगाया गया था, जान पर हमला हुआ था, क्या सरकार उस संबंध में भी स्टेटमेंट देगी ?

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : श्री राम विलास पासवान के आवास पर हुई घटना के बारे में मैं सोमवार को एक वक्तव्य दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : सभापटल पर रखे गए पत्र . . . .

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान-निकोबार) : महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं । मैंने यह मामला उठाया था कि अंडमान जाने वाले 200 यात्री कलकत्ता फंस गये थे । वे कलकत्ता में भूख से पीड़ित हैं । मुझे आज सुबह जानकारी मिली है कि दो व्यक्ति मर गए हैं । वे कलकत्ता में बाबू घाट के निकट फुटपाथ पर रह रहे हैं । दुर्भाग्य से इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । 16 तारीख को कलकत्ता से जहाज जा रहा है । अगर भारतीय जहाजरानी निगम को इस संबंध में तत्काल हिदायतें नहीं दी गई तो इन लोगों को और अधिक कठिनाई होगी । इनके पास कोई धनराशि, भोजन, आश्रय नहीं है । दुर्भाग्य से इन फंसे हुए यात्रियों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है । आज सुबह उन्होंने मुझे टेलीफोन किया । उनकी हालत बहुत खराब है ।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस संबंध में निर्देश दें ताकि सरकार भारतीय जहाजरानी निगम को निर्देश जारी कर सके । अन्यथा कलकत्ता में कुछ और लोगों की मृत्यु हो जाएगी । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले में निर्देश जारी करें ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । अंडमान और निकोबार का विशेष मामला है । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय यह सुन चुके हैं, उन्होंने यह ध्यान में रखा है । वह उपयुक्त कदम उठाएंगे ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, कल कश्मीरी माईग्रेंट्स जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, दिल्ली की पुलिस ने जिस तरह से लाठी चार्ज किया, जिस तरह से आंसू गैस उनपर बरसाये, मैं उनको देखने के लिए गया था । 6-6 साल के बच्चों को, महिलाओं को जिस तरह से मारा गया, आज कुछ अखबारों में फोटोज़ भी आये हैं । अध्यक्ष जी, मैं डिटेल्ज़ में नहीं जाना चाहता हूं कि अगर आप समय दें, होम मिनिस्टर साहब वक्तव्य दें । मैं कल जब उनको मिलने गया तो वे फूट-फूट कर रो रहे थे कि वहां पर कश्मीर की पुलिस उनको मारती है और यहां पर जब न्याय प्राप्त करने आते हैं तो दिल्ली की पुलिस मारती है । उनका यह कहना था कि वे कहां जायें ? उनको कोई बता दे । वे दो साल से यहां हैं और उनको कोई पूछ नहीं रहा है । वे नर्क का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । जब यहां मांग करने आते हैं तो उनको लाठी मिलती है, वे जायें तो कहां जायें ? यह मैं जानना चाहता हूं । इसके लिए मेरा यह कहना है कि सरकार यह व्हाईट पेपर निकाले । ये बेचारे दो साल से परेशान हो रहे हैं । उनकी मांग है कि कल जो कुछ हुआ, सरकार उसके बारे में एक व्हाईट पेपर जारी करे । यह मेरा निवेदन है ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम भी इस मामले पर वक्तव्य चाहते हैं ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ (मुजफ़्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठा रहा हूं जिसका नोटिस भी आपको सबेरे दिया है । आप मेरी बात सुन लें और यह सारा सदन भी सुन ले . . .

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मान लीजिए अगर मैं सहमति न दूं और यदि आप इस मामले को उठाएं तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी । आपने मुझे नोटिस दिया था । मैं जानकारी मांगूगा और उसकी जांच करूंगा तथा आपको भी यह जानकारी दूंगा । फिर हम इस पर कार्यवाही करेंगें ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब एक निजी कम्पनी हमारे ऊपर आरोप यह लगाती है कि मैंने वित्त मंत्री को बी० बी० सी० आई० के मामले में जो पत्र लिखा है वे उनके विपक्ष में काम करने वाले कम्पनी का दलाल बनाकर लिखा है, जब इस प्रकार का आरोप होता है तो क्या मेरी बात को आप उस व्यक्ति के पास भेजकर उनकी राय लेकर फिर आप मेरे विशेषाधिकार के प्रश्न को हल करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : राय लेकर नहीं आप जो कहते हैं, आप जो एक रेसपांसिबल एम० पी० हैं जो आप कहते हैं, उसके ऊपर हमें भरोसा रखना पड़ता है और हम जरूर रखेगें और इसको ईज़ली नहीं लेंगे । मगर प्रोसीज़र यह है कि

[अनुवाद]

मैं सूचना एकत्र करने के लिए कहूंगा

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप किसे सूचना एकत्र करने को कहेंगें ?

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं इस मामले में एक वक्तव्य देना चाहता हूं ।

मेरे मित्र और सहयोगी माननीय श्री जार्ज फर्नान्डीज़ ने अपने निर्णय में बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इण्टरनेशनल के . . .कार्य . . और उसके पतन पर एक विशेष रूख अपनाया है ।

उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री को इस बारे में लिखा है । मुद्दा यह है कि इस सभा के अत्यंत अनुभवी माननीय सदस्य पर किसी और के लिए कार्य करने का आरोप है । इसमें अपमान निहित है । बेशक, यह एक विशेषाधिकार का मामला है । श्री जार्ज फर्नान्डीज़ ने जो कहा है, मैं उसका पूर्णत: समर्थन करता हूं । हम संसद सदस्यों के खिलाफ औद्योगिक घरानों द्वारा लगाए गए इस प्रकार के आरोपों को बढ़ावा नहीं दे सकते ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताएं कि वह पत्र किसके द्वारा लिखा गया है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह किसके द्वारा लिखा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं यह एक प्रतिनिधि है ।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : मैंने आपको मूल प्रति दिखाई है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता मूल प्रति क्या है । मैं यह कैसे जान सकता हूं कि यह मूल प्रति है और यह उनके हस्ताक्षर है ?

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : मेरा निवेदन यह है कि यदि एक संसद सदस्य किसी दस्तावेज को सभा में पेश करते हुए उसे प्रमाणित करता है, तो सदस्य के प्रमाण को माना जाता है । यहाँ एक संसद सदस्य ने पूर्ण गंभीरता से आपको लिखा है । यह प्रामाणिक से अधिक है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप एक एक करके बोलिए, ऐसे नहीं ।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : किसी भी सदस्य के क्रिया-कलाप को बाधित करना विशेषाधिकार का हनन है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है । प्रक्रिया यह है कि इसे प्रस्तुत करने की मुझे स्वीकृति देनी होगी, और स्वीकृति देने से पूर्व सामान्य प्रक्रिया यह है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव है तो उसे बोलने का अवसर दिया जाता है और फिर मैं स्वीकृति दूँगा और स्वीकृति देने के बाद, इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाता है और फिर मैं स्वीकृति दूंगा और स्वीकृति देने के बाद, उसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा दिया जाता है और फिर इस पर विचार होता है । कई बार जब नोटिस दिया जाता है तो वे यह कहने आते हैं कि हम क्षमा चाहते है । कई बार वे कहते है कि यह क्षमा दस्तावेज नहीं है । कई बार वे कहते हैं कि जो कुछ लिखा है वह सही नहीं है । फिर हमें निर्णय लेना होता है । क्या आप यह चाहेंगे कि मैं उस व्यक्ति के खिलाफ, कुछ कहूँ जो सभा में नहीं हैं और उसे बोलने का अवसर भी न दूं ?

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : लेकिन हमारा पक्ष तो आप सुनेंगे । (व्यवधान)

[अनुवाद]

राम विलास पासवान : अध्यक्षजी, 1980 से 1984 के बीच में इसी सदन में चेम्बर ऑफ पार्लियामेंट के संबंध में दो बार ऐसे मौके आए थे जब मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी बात को कहा और चेयर सेटीस्फाइ हो गया और सीधे वह मामला प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया गया । यह आपके डिस्क्रीशन पर है कि आप सेटीस्फाइ हैं या नहीं । यदि आप सेटीस्फाई नहीं हैं तो आप फैक्ट्स मंगवा सकते हैं लेकिन यदि आप सेटीस्फाइ हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं कैसे जान सकता हूं कि ये किसके हस्ताक्षर हैं ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : इसलिए मैं मांग करता हूं कि यह जो मामला है सीधे प्रिविलेज का मामला बनता है और आपको जॉर्ज फर्नान्डीज जी के वक्तव्य पर विश्वास करना चाहिए और इसलिए सीधे इसको प्रिविलेज कमेटी को भेजना चाहिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जॉर्ज फर्नान्डीज़ साहब के एक एक शब्द में विश्वास करता हूं ।

[अनुवाद]

मुझे भी सत्यापित करने दें।

[हिन्दी]

वह बाहर का आदमी है तो उसको बोलने का चांस भी नहीं दें !

[अनुवाद]

मैं निश्चय ही सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करूंगा और आप इसके लिए मुझ पर निर्भर रह सकते हैं। किन्तु, इसके साथ ही, कृपया उन्हें भी अपनी बात कहने दें।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : मैंने एक विशेषाधिकारी हनन का नोटिस प्रिविलेज मोशन के अंदर रूल 222 में वित्त मंत्री के खिलाफ एक सप्ताह पहले आपको दिया था। मैं आपसे चैम्बर में मिला भी था और आपने कहा कि मैं इसको देख रहा हूं। मैं उस पर जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही हुई है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे अस्वीकृत कर दिया है। मैंने इसकी स्वीकृति नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : तो उसका क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : उन सारी चीजों का एक्सप्लानेशन देना पड़ेगा तो यहां मुझे सब बातों का एक्सप्लानेशन देना पड़ेगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : तो वह कैसे होगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह यहां नहीं, चैम्बर में आइए, मैं समझाकर बताऊंगा।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : मैं अभी कह रहा था कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने नोटिस दिया है। कृपया मेरी बात सुनें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। यह नोटिस श्री जार्ज फर्नान्डीज का है और आप उनकी वकालत कर रहे है। इसे अस्वीकृत कर दिया गया है और आप उनकी वकालत कर रहे है।

श्री श्रीकांत जेना : मैंने भी एल० एंड टी० का यही मुद्दा उठाया था। आपको मुझे भी बचाना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक सदस्य की दूसरे सदस्य की वकालत करने की अनुमति नहीं दे रहा।

श्री श्रीकांत जेना : कभी उन्हें भी दूसरे सदस्य की सुरक्षा की जरूरत पड़ सकती है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रभार के पूर्वोदाहान स्थापित न करें।

वे स्वंय समर्थ है। वे सदन में उपस्थित है।

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, कृपया मेरी बात तो सुनिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कर सकता । मैं क्यों करूं ।

श्री श्रीकांत जेना : हमने लारसन एंड टुब्रो का मुद्दा उठाया था । श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव उसके शिकार हैं । फिर श्री जार्ज फर्नान्डीज आए और दूसरे सदस्य ने भी यह मामला उठाया । यह पत्र श्री मनमोहन सिंह को संबोधित है । श्री जार्ज फर्नान्डीज को एक प्रतिलिपि दी गई है । श्री मनमोहन सिंह इस सभा में उपस्थित हैं । आप श्री मनमोहन सिंह से पता लगा सकते हैं कि रिलायन्स समूह ने उन्हें वह पत्र लिखा है कि नहीं... (व्यवधान) आप अभी माननीय वित्त मंत्री से तथ्यों को सुनिश्चित कर सकते है ।

श्री जे० वी० तांकाचालू : श्री जेना, आप मंत्री को इस प्रकार हुक्म नहीं दे सकते । (व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : रिलायन्स समूह ने वह पत्र वित्त मंत्री को लिखा है । श्री जार्ज फर्नान्डीज़ को एक प्रतिलिपि दी गई है । फिर, उस पत्र की एक कापी माननीय अध्यक्ष को भी दी गई है । माननीय अध्यक्ष वित्त मंत्री से सुनिश्चित कर सकते है कि पत्र उन्हें दिया गया है या नहीं ।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना, कृपया समझने की कोशिश करे कि यहां इस सभा में हम अपने मामलों की वकालत करने के लिए है । यह कोई अदालत नहीं है जहां कोई किसी अन्य की वकालत कर रहा है । माननीय सदस्य यहा उपस्थित हैं । किन्तु आप दूसरों के मामले ले रहे हैं । अगर यह आपका है तो मैं समझ सकता हूं । किन्तु यह आपका भी नहीं है । अगर आपने नोटिस दिया है तो भी मैं समझ सकता हूं । आपसे किसने यह करने को कहा है ? अन्यथा आप दूसरों के लिए भी प्रश्न पूछ सकते है । आप दूसरों के लिए बोल रहे है । कृपया ऐसा न करें । कृपया यह समझे कि अगर यह आपका है तो, आप यह कर सकते है । किन्तु, आप दूसरों के लिए यह नहीं कर सकते । आज मुझे आशा है कि हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य है । हम कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करें ।

अब, सभापटल पर पत्र रखे जाएंगे ।

(व्यवधान)

श्री एम० आर० जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : महोदय, मैं तमिलनाडु माचिस उद्योग का एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे बाद में लेंगे ।

श्री एम० आर० जनार्दनन : पूरे तमिलनाडु माचिस उद्योग में 10 लाख श्रमिक कार्य कर रहे हैं । बाण्ड-रोल उपलब्ध न होने के कारण, तमिलनाडु के सभी माचिस उद्योग हजारों उद्योग आज बंद होने के जगह पर है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरा साथ दें । हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं ।

श्री एम० आर० जनार्दनन : माननीय वित्त मंत्री यहा है । या तो सरकार स्टैम्प शुल्क से छूट देने की घोषना करे या विभाग को आदेश दे कि वह तुरंत बान्ड रोल की मुफ्त आपूर्ति करें । अन्यथा, तमिलनाडु में सभी माचिस उद्योगों के बंद होने का खतरा है । माननीय वित्त मंत्री को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, सभापटल पर पत्र रखे जाएंगे ।

4.18 म० प० **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति के गठन के बारे में ज्ञापन

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति के गठन संबंधी ज्ञापन (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 367/91]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम आदि के अंतर्गत अधिसूचना आदि

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 213 (अ), जो 26 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स लिली बिस्कुट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड और मैसर्स लिली बारले मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध का कार्यभार संभालने की अवधि का विस्तार 31 मार्च, 1992 तक करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18कक की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 212(अ), जो 26 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स इंडिया बेल्टिंग एण्ड कॉटन मिल्स लिमिटेड, सेरमपुर के प्रबंध का कार्यभार संभालने की अवधि का विस्तार 5 सितम्बर, 1991 तक करने के बारे में है।

(दो) का० आ० 214(अ), जो 26 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स अपोलो जिपर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध का कार्यभार संभालने की अवधि का विस्तार 31 मार्च, 1992 तक करने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 368/91]

(3) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन* को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 369/91]

(4) औद्योगिक नीति संबंधी विवरण** के हिन्दी संस्करण के शुद्धि-पत्र की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 370/91]

---

* वार्षिक प्रतिवेदन 31 जुलाई, 1991 को सभा पटल पर रखा गया।

** विवरण 24 जुलाई, 1991 को सभा पटल पर रखा गया था।

काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टैक्नोलॉजी, का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा के बारे में विवरण आदि

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : महोदय, मैं श्री उत्तमभाई एच० पटेल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टैक्नोलोजी, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टैक्नोलोजी, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 371/91]

सरयू ग्रामीण बैंक, लक्ष्मीमपुर खेरी, श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक, आदिलाबाद, भीलवाड़ा, अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भीलवाड़ा के 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) सरयू ग्रामीण बैंक, लक्ष्मीमपुर खेरी का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 372/91]

(दो) श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक, आदिलाबाद का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 373/91]

(तीन) भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भीलवाड़ा का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 374/91]

(चार) चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुरैना का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 375/91]

(पांच) अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सवाई माधोपुर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 376/91]

(छह) सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिवान का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 377/91]

(सात) गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गोरखपुर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 378/91]

(आठ) राजगढ़ सिहौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिहौर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 379/91]

(नौ) भागलपुर बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भागलपुर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 380/91]

(दस) जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक, जूनागढ़ का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 381/91]

(ग्यारह) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बलिया का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 382/91]

(बारह) बूंदी चित्तोड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बूंदी का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 383/91]

(तेरह) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नरसिंहपुर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 384/91]

(चौदह) कंकादुर्ग ग्रामीण बैंक, गुडिवाड़ा का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 385/91]

(पन्द्रह) गोलकौंडा ग्रामीण बैंक, हैदराबाद का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 386/91]

(सोलह) सोलापुर ग्रामीण बैंक, सोलापुर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 387/91]

(सत्रह) पंचमहल वडोदरा ग्रामीण बैंक गोधरा का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 388/91]

(अठारह) शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाहजहांपुर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 389/91]

(उन्नीस) श्री विशाखा ग्रामीण बैंक, श्रीकाकुलम का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 390/91]

(बीस) बुलढाना ग्रामीण बैंक, बुलढाना का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 391/91]

(इक्कीस) बीजापुर ग्रामीण बैंक, बीजापुर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 392/91]

(बाइस) श्रावस्ती ग्रामीण बैंक, बहराईच का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 393/91]

(तेइस) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 394/91]

(चौबीस) रतलाम मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंदसौर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 395/91]

(पच्चीस) रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झांसी का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 396/91]

पंजाब पंचायत समितियां तथा जिला परिषदें (अस्थाई अधिक्रमण) संशोधन अधिनियम, 1991

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : महोदय, मैं समापटल पर पंजाब राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत पंजाब पंचायत समितियां तथा जिला परिषदें (अस्थाई अधिक्रमण) संशोधन अधिनियम, 1991 (1991 का

अधिनियम संख्या 1), जो 10 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 397/91]

4.19 **म० प०**

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 19 अगस्त, 1991 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार ।
2. संविधान (अनुसूचित जन-जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार और पारित करना ।
3. निम्नलिखित मंत्रालयों के नियन्त्रणाधीन अनुदानों की मांगो पर चर्चा एवं मतदान :—

   (1) कृषि
   (2) खाद्य
   (3) ग्रामीण विकास
   (4) वाणिज्य
   (5) विदेश

   } इन पर एक साथ चर्चा होगी ।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 19 अगस्त, 1991 को शुरू होने वाले सप्ताह के लिए प्रस्तावित कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिल की जाएं :—

(एक) अल्पसंख्यक आयोग 1970 में गठित किया गया था और इसने अब तक 12 वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं । अनेक रिपोर्टें सभापटल पर रखी जा चुकी हैं लेकिन उन पर सभा में कभी भी चर्चा नहीं की गई । मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अल्पसंख्यक आयोग के महत्व को देखते हुए अब तक सभा पटल पर रखी गई वार्षिक रिपोर्टों पर अगले सप्ताह चर्चा की जाए:

(दो) गोपाल सिंह पेनल रिपोर्ट 1983 में प्रस्तुत की गई थी और इसे 1990 में सभापटल पर रखा गया लेकिन उस पर सभा में अभी तक चर्चा नहीं की गई है । मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि पेनल पर आने वाले सप्ताह में चर्चा की जाए ।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिल की जाएं :—

(एक) साम्बलपुर विश्वविद्यालय, जो उड़ीसा के आदिवासी बहुत पिछड़े क्षेत्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, अब अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने पर अपनी रजत जयंती मनाने की तैयारी कर रहा है ।

इसलिए भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस विश्वविद्यालय को पर्याप्त अनुदान देकर और कुछ नई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की मंजूरी देकर रजत जयंती समारोह जोर शोर से मनाने में इसकी सहायता करनी चाहिए ।

(दो) उड़ीसा में ब्रजराज नगर और तेलचर प्रत्येक में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा एक-एक पेट्रोल पम्प खोलने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए। वर्तमान पेट्रोल पम्प राज्य के इन दो औद्योगिक नगरों की बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको हर बात नहीं पढ़नी है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए :—

1. जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग पर फोर चैनल रोड बनाने का जो कार्य चल रहा है इसको केन्द्र की ओर से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए जिससे यह कार्य शीघ्र पूरा हो सके और राष्ट्रीय मार्ग पर होने वाली सड़क दुर्घटना में कमी आ सके।

2. जयपुर दूरदर्शन केन्द्र को शक्तिशाली ट्रांसमीटर से जोड़ा जाए जिससे दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार और अन्य कार्यक्रमों को पूरा राजस्थान देख व सुन सके व साथ ही इस केन्द्र पर द्वितीय चैनल प्रारम्भ किया जाए जिससे सम्पूर्ण भारत वर्ष से यह केन्द्र जुड़ सके।

श्री खेलसाय सिंह (सरगुजा) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए :—

"जशपुर कोरबा प्राधिकरण के अन्तर्गत म॰ प्र॰ के तीन जिलों सरगुजा, बिलासपुर और रायगढ़ को सम्मिलित किया गया है। जशपुर कोरबा प्राधिकरण के अन्तर्गत कोरबा लोगों की जनसंख्या लगभग 16000 (सोलह हजार) है, जिसमें से सरगुजा जिले के अन्तर्गत कोरबा लोगों की जनसंख्या लगभग 12000 (बारह हजार) है, बिलासपुर और रायगढ़ जिले में केवल 4000 (चार हजार) कोरबा लोगों की जनसंख्या है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कोरबा प्राधिकरण का कार्यालय जशपुर (रायगढ़) के बजाय अम्बिकापुर सरगुजा में रखा जाए। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जशपुर से कोरबा प्राधिकरण का कार्यालय रायगढ़ स्थानांतरण किया जा रहा है। इसे रोक कर जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर जशपुर के स्थान पर अम्बिकापुर जिला सरगुजा में कोरबा प्राधिकरण का कार्यालय बनाया जाए।"

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय को विचारार्थ सम्मिलित किया जाए :—

देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के संदर्भ में काम के अधिकार को सांविधानिक मान्यता देते हुए देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी देना। रोजगार न दे पाने की स्थिति तक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।

2. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के विकास के लिए बनाई गई विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में धनराशि आबंटन में की गई उत्तर प्रदेश की उपेक्षा के कारण प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत आय के मुकाबले उत्तर प्रदेश में निरंतर गिर रही प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के उपाय किए जाएं।

[अनुवाद]

4.24½ म० प०

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 331 के 7-8-1991 को लोक सभा में दिए गए उत्तर में शुध्दि करने वाला विवरण

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरिट अल्वा): मैं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या 331 के 7-8-91 को लोक सभा में दिए गए उत्तर में शुध्दि करने वाला विवरण सभा पटल पर रखती हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 398/91]**

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफफरपुर) : अध्यक्ष महोदय, लक्षद्वीप में कुछ लोगों को इसलिए काम से निकाला गया कि उन लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। पन्द्रह दिन हो गए हैं। मैनें यह प्रश्न यहां उठाया या मैंने आज सुबह आपको लिखकर दिया है। अभी तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। गृह मंत्री यहां बैठे हैं और वे मजदूर जो वहां पर जवाहर रोजगार योजना में लक्षद्वीप में काम कर रहे थे वे भूखों मर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह जो बिजनैस एडवायजरी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें इन्क्लूजन के लिए है।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष महोदय, उनको काम पर रखने के लिए तो आप कह सकते हैं। यूनियन टैरीटरी तो आपके, यानी केन्द्रीय सरकार के हक के अंदर है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गुलाम नबी आजाद, वह आपका उत्तर चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): मैं इसे सम्बध्द मंत्रियों के ध्यान में लाऊंगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बाढ़ और सूखा इतना महत्वपूर्ण विषय है जिस पर एक हफ्ता पहले से बहस हो रही है . . .**(व्यवधान)** उसपर मंत्री जी का जवाब आना है और वह टलता जा रहा है। वह अगले हफ्ते भी रहेगा या नहीं रहेगा, उसका भी समय निकालिए।

अध्यक्ष महोदय: उसको अगले हफ्ते कर लेंगे।

[अनुवाद]

अब मेरे समक्ष दो विधेयक हैं । मुझे आशा है कि ये बिल्कुल साधारण विधेयक हैं और सभा इसे पारित कर देगी ताकि श्री पासवान द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर हम चर्चा कर सकें । ये बिल्कुल साधारण विधेयक हैं और मुझे आशा है कि सभा इस बारे में सहयोग करेगी । श्री सीताराम केसरी द्वारा भी एक विधेयक पुर:स्थापित किया जाना है ।

4.26 म० प०

संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक

[हिन्दी]

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्नाटक राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ जनजातियों को सम्मिलित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि कर्नाटक राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ जनजातियों को सम्मिलित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सीताराम केसरी: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आज़मग़ढ़): इसमें और भी स्टेटस की कुछ जनजातियों को इंटोडयूस करना चाहिए नहीं तो इससे गलतफहमी हो सकती है ।

[अनुवाद]

मेरा यह कहना है कि अनावश्यक उलझन होगी । वे यह सोचेंगे कि उन्हें सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मुश्किल यह हो जाती है कि यह बिल सिर्फ इंटोडक्शन के लिए है ।' इंटोडक्शन की स्टेज पर क्या डिस्कस होता है वह अगर विचार में नहीं लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाती है । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक अध्यादेश है जिसे संविधि बनाया जा रहा है ।

(व्यवधान)

संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 9 और 10 पर एक साथ विचार करेंगे । मेरा माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि यह एक आम विधेयक है इसलिए इस विधेयक तथा पहला विधेयक, जो अभी पुर:स्थापित किया गया है, को पारित होने दें ताकि उसके तत्काल बाद हम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार कर सकें ।

(व्यवधान)

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : कुछ राज्यों में कुछ जनजातियों को छोड़ दिया गया जैसे जब पंजाब के कुछ भागों को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था तब गद्दियों और गुज्जरों को छोड़ दिया गया । उन्हें शामिल किया जाना है और उन्हें इसमें शामिल करने के लिए एक विधेयक लाया जाएगा । जब उन्हें शामिल कर लिया जाएगा तब हम विधेयक का समर्थन करेंगे ।

[हिन्दी] (व्यवधान)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष जी, आइटम नम्बर 8 वाले बिल पर मुझे संशोधन देना है कि बंजारा जाति को भी उसमें शामिल किया जाये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके बोलें तो ही मैं जवाब दे सकता हूँ । आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, यह बहुत सिम्पल बिल है और बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है इसलिये इसमें कोई ज्यादा भाषण की आवश्यकता नहीं है । चूंकि मैं इस मंत्रालय को सम्भाल चुका हूँ, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि इसमें दो रास्ते हैं—किसी भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जब पहली बार जोड़ा जाता है तो गवर्नमेंट को अधिकार रहता है कि वह अपने अधिकार का इस्तेमाल करे और राष्ट्रपति उसकी घोषणा कर दें । एक बार किसी स्टेट में शेड्यूल्ड कास्ट्स या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की घोषणा हो जाती है तो उसमें जोड़ने या घटाने के लिये पार्लियामेंट में विधेयक लाना पड़ता है जिस के तहत आपने विधेयक लाने का काम किया है । मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहूँगा कि कौन जाति शेड्यूल्ड कास्ट होगी और कौन जाति शेड्यूल्ड ट्राइब होगी उसके दो नियम हैं—एक नियम होता है कि स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करे और दूसरे में आर०जी०आई० उसको एप्रूव करता है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि करीब-करीब 200 ऐसी जातियां हैं जो कि किसी कारणवश शेड्यूल्ड कास्ट्स या शेड्यूल्ड ट्राइब्स से नहीं जुड़ पायी हैं । एक ही कास्ट किसी एक स्टेट में जैसे कि फिशरमैन है, वह एक स्टेट में शेड्यूल्ड कास्ट्स में है और दूसरी स्टेट में वह बैकवर्ड क्लासिज में है । उसी तरह के वाशरमैन हैं । बिहार, यू० पी० और दिल्ली में वह शेड्यूल्ड कास्ट्स में हैं तो गुजरात में वह बैकवर्ड क्लासिज में हैं । इस तरह की बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो कि किसी कारणवश जुड़ नहीं पायी है जिस के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड भी कर दिया है । आर० जी० आई० जिन के पास इनका जन्म-पत्री रहता है, उसने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है । —(व्यवधान)—

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई-उत्तर मध्य) : महोदय, यह क्या हो रहा है ? निरनुमोदन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है और वे उस पर बोल सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : 200 ऐसी जातियां का लिस्ट ऑलरेडी हमने अपने समय में बना कर तैयार कर लिया था जिस को हाउस में पेश करना था । जब आप इसको कर रहे हैं तो इसको भी पास कीजिये । हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे । हम उसका विरोध नहीं करते हैं । लेकिन आप हमें एश्योरेंस दीजिये कि इसी सत्र में या अगले सत्र में एक और बड़ा बिल लायेंगे जिस में जो जाति छूट गई है, जिन के सम्बन्ध में स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमैंड कर दिया है और आर० जी० आई० ने एप्रूव कर दिया है, उसको यहां ला करके यहां पास कराने का काम कीजिये । **(व्यवधान)**

श्री राम निहोर राय (राबर्टसगंज) : अध्यक्ष महोदय, यह जो मुसहर और बियार जाति उत्तर प्रदेश में है, यह न शेड्यूल्ड कास्ट्स में है और न ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स में है व न ही बैकवर्ड में है । इनको शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जोड़ा जाये । —**(व्यवधान)** —

अध्यक्ष महोदय : आइटम नम्बर 9 और 10 पर चर्चा चल रही है और आप आइटम नम्बर 8 पर बोल रहे हैं । उस पर बोलना नहीं है । वह तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है । जब वह आयेगा तो बोलियेगा । अभी आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आइटम नम्बर 9 जम्मू-कश्मीर का है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत मुश्किल है । आप पढ़ते भी नहीं हैं और सुनते भी नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष जी, मेरा केवल इतना ही कहना है कि यह जो अभी-अभी पासवान जी ने कहा है आइटम नम्बर 9 पर, यह जो प्रश्न अनुसूचित जातियों और जन जातियों में कुछ जातियों को जोड़ने का है, यह प्रश्न राजीव गांधी की सरकार के वक्त ही तय हो गया था । पूरी जातियों के बारे में पूरे देश का सर्वेक्षण हुआ था । सभी प्रान्तों की राज्य सरकारों के साथ डिसकशन करके हुआ था । दुर्भाग्यवश लास्ट सत्र पार्लियामेंट का था, उसमें वह सूची में भी आया था लेकिन इलेक्शन के बाद जो बाद में सरकारें आईं वह उसे पास नहीं करा पायीं । हमारे लिये यह गौरव की बात है कि सीता राम केसरी जी उस काम को पूरा करने जा रहे हैं जो राजीव गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था । मैं चाहूंगा कि आप इसको इसी सत्र में पास करायें । यह आर्डिनेन्स है । आप इसे ऐक्ट में कनवर्ट करिये । मगर दूसरे प्रान्तों में दूसरी जतियों का जो काम बाकी है, उसको जल्दी इस सत्र में या अगले सत्र में लाइये ।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : इस विधेयक में स्पष्ट चूक है और इसे माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाया जाना चाहिए ।

[हिन्दी]

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मान्यवर, जहां तक अध्यादेश के अनुसार आपके सामने जो विधेयक पेश कर रहे हैं, उसे तो आप पारित करने जा रहे हैं मगर जो आप. . .

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव अध्यादेश को निरस्त करने का है और माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं इसलिए. . .

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट ।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : कार्य-सूची में यह दिखाया गया है कि सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया जायेगा । परन्तु, सांविधिक संकल्प तथा मंत्री महोदय द्वारा विधेयक प्रस्तुत किए बगैर ही भाषण दिए जा रहे हैं । सभी एक विषय में भाषण दे रहे हैं; जो ठीक नहीं है । **(व्यवधान)** । उन्हें सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करने दीजिए तथा मंत्री महोदय को विधेयक प्रस्तुत करने दीजिए तथा उसके बाद ही चर्चा की जानी चाहिए । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय क्या इसे प्रस्तुत नहीं किया गया था ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह प्रस्तुत किया गया था ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया गया था ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा नम्बर तो आ नहीं रहा है और वह जो मर्जी आये, बोल रहे हैं । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय कृपया, आपस में बातचीत मत कीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह समझ रहा था कि सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया जा चुका है । अगर यह प्रस्तुत नहीं किया गया है तो किया जाना चाहिए । श्री भार्गव, क्या आप इसे प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जी हां, मैं संकल्प पेश करता हूं :

"कि यह सभा 19 अप्रैल, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश 3) का निरनुमोदन करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मैंने इसीलिए कहा था कि यह जो बिल है, सिम्पल है और शार्ट कट करके हमने दूसरे पर जाने के लिए कहा था ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, अब राज्य सभा तो चल नहीं रही है । दो तीन बिल तो यों पास कर लिये गये कि राज्य सभा को भेजने आवश्यक थे, राज्य सभा में पास हो गये लेकिन अब कोई जल्दी तो है नहीं । यह तो आप आज ले लीजिएगा, हम बैठे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जल्दी है, 19 तारीख के पहले होना है ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : तो फिर मुझे बोलने दीजिए, मेरा इसमें निरस्त करने का संकल्प है ।

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रस्ताव को, जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश निकाला है, अस्वीकार करने का प्रस्ताव यों रखा है कि देश में जो बहुत सी जातियां हैं, इसमें गूजर, बकरवाल, गद्दी और सिप्पी इन ट्राइब्स को जोड़ने का इसमें प्रावधान किया गया है । यह चारों जातियां जम्मू-कश्मीर की सीमा पर रह रही हैं । यह कोई आसान सी बात नहीं है ।

साम्प्रदायिकता से ऊपर उठकर यह चारों जातियां आतंकवाद का मुकाबला भी करती हैं । इन सब को यह सहूलियत बहुत समय पहले दी जानी चाहिए थी लेकिन चूंकि इनको बहुत समय पहले सहूलियत नहीं दी गई तो यह आज उसी का परिणाम है कि हिन्दु वहां से पलायन कर रहे हैं । जैसा अभी खुराना जी कह रहे थे, यहां पर वह बेचारे विस्थापित हिन्दु मारे-मारे फिर रहे हैं, न 500 रुपये की एड, न उनको दवाई, न उनको तम्बू, वह फट गये हैं सो न उनको रहने के लिए उपयुक्त स्थान, न उनकी नौकरी, न उनके बैंक एकाउण्ट का ट्रांसफर, न उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध. यह सारे कारण इस कारण से हुए हैं ।

मेरा निवेदन करना यह है कि जब इन लोगों को सहूलियत नहीं दी और 19 अप्रैल को आप सारी बात लेकर आये तो इन चारों जातियों को तो आप दें पर राजौरी जिले में कुछ जातियां और हैं; जिनको पहाड़ी कहा जाता है, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है । यह जाति कोई एक ही गांव में नहीं रहती, यह सारी जातियां एक ही गांव में सब मिक्स रहती हैं. . .

अध्यक्ष महोदय : यह आर्डिनेस को सब्स्टीच्यूट कर रहे हैं, आप क्यों उसको लम्बा कर रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि एक ही गांव में यह चार जातियां तो हैं लेकिन और जो जातियां हैं, दो घर किसके हैं, दो घर किसके हैं, दो घर किसके हैं, इस प्रकार से बसे हुए हैं । यदि आपने इन चार जातियों को तो शामिल कर लिया और दो जाति, जिनको शामिल करना बहुत जरूरी है, उन को शामिल नहीं किया गया तो उनमें असंतोष व्याप्त होगा और सारी की सारी जातियां, जिनमें से पहाड़ी जाति का मैंने जिक्र किया है, यह भी बोर्डर पर रह रहे हैं ।

बोर्डर का जहां तक प्रश्न है तो बोर्डर पर जितनी भी जातियां हैं और जिन के बारे में केबिनेट ने भी यह लिखा है. . .

अध्यक्ष महोदय गिरधारी लाल जी, हाउस की जो कन्सेंसस है, वह जरा समझ लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैंने भी अध्यादेश को डिसएप्रूव करने के लिए दिया है । मेरा कहना यह है कि केन्द्रीय सरकार केवल चार जातियों को जोड़ रही है, बहुत देर से जोड़ रही है, उसका तो दुष्परिणाम आज देश भोग ही रहा है. . .

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आर्डिनेंस का बिल में रूपान्तरण हो रहा है ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह आर्डिनेंस को निरस्त करने वाली बात मैंने यों रखी है कि एक कोई काम्प्रीहेंसिव बिल सरकार लाये और जो जातियां हैं, कर्नाटक में हैं, आन्ध्र में भी जातियां हैं, बंजारा जाति है, कठपुतली वाले हैं, राजस्थान में भी बंजारा जाति के लोग हैं तो इन सारी बातों के बारे में एक कमीशन बैठा दिया जाय . . . कमीशन बैठा कर, उन सारी जातियों को इसमें शामिल किया जाए, क्या आपने काश्मीर से हिन्दुओं को निकाल दिया है और धारा 370 को समाप्त करने के लिए आपने कह रखी है कि हम इसको समाप्त करेंगे नहीं, जबकि इस का विकल्प धारा 370 को समाप्त करना ही है, जिससे हिन्दू वहां जा सकें तथा

काश्मीर जो हमारा मोरमुकुट है, वह भारत से अलग न हो जाए । इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह गम्भीर विषय है । माननीय राष्ट्रपति महोदय ने यह जो अध्यादेश निकाला है, मैंने इसको निरस्त करने का प्रस्ताव रखा है । यह निरस्त करने का प्रस्ताव रखते हुए माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि पूरे का पूरा जिसमें कर्नाटक भी आ जाए, आन्ध्र प्रदेश भी आ जाए, महाराष्ट्र भी आ जाए, राजस्थान भी आ जाए, इन जातियों को आपने अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में शामिल करना है । यदि आप एक ही बार इसका बिल ले आयें, तो अच्छा रहेगा । आप देर से बिल लाए हैं और देर से बिल लाने के कारण काश्मीर की समस्या इस कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण पैदा हुई है । आज जो भारतवर्ष में रहने वाला हिन्दू है, काश्मीर में रहने वाला हिन्दू है, वह दर-दर की ठोकरें खाता फिर रहा है । इसलिए मेरा निवेदन है कि अस्वीकार करने के प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार मानेगी । यही मेरा अनुरोध है और मैं अस्वीकार प्रस्ताव रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 19 अप्रैल, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन करती है ।"

[अनुवाद]

मैं समझता हूं कि सभा इस विधेयक पर शीघ्र निर्णय देगी । अब मंत्री महोदय सभा द्वारा विचार करने के लिए विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं ।

[हिन्दी]

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जम्मू-काश्मीर राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ जनजातियों को सम्मिलित करने का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि जम्मू-काश्मीर राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ जनजातियों को सम्मिलित करने का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।"

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जुमला कहना चाहता हूं । काश्मीर से मेरे पास और लद्दाख से मेरे पास वहां के एक छोटे से सोशियल ग्रुप आरगोन ने चिट्ठी लिखी है । उन्होंने मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है कि हमने क्या कसूर किया है कि हमको छोड़ दिया गया है । दूसरे सूबों की बात तो अलग रही, मुझे ऐसा लगता है कि खुद जम्मू-काश्मीर में भी ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको भी यह हक पहुंचता है, उनको भी मंत्री महोदय को इस बिल में शामिल करना चाहिए । हमारी उनसे यही गुजारिश है, यदि वे इस बार नहीं कर सके तो जैसा पासवान जी ने कहा है, वे एक और काम्प्रिहेंसिव बिल लायें और तमाम शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिनको कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स ने माना है, उनको शामिल करें । ऐसी वे हाउस को एश्योरेंस दें तो फिर हम इस बिल को युनेनिमसली पास कर दें ।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : अध्यक्ष जी, आज़ादी के बाद आज तक शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जिस तरह से आइडेंटिटी दी जा रही है, उससे उनमें और ज्यादा रोष पैदा हो रहा है । मेरे कहने का मतलब यह है कि एक आदमण यहां से काश्मीर जाने से आदमण रहता है, उसकी आइडेंटिटी मिटती नहीं है, किन्तु छोटा नागपुर से यदि कोई आदमी चला जाए तो वह ट्राइब नहीं रहता है । हमारे संविधान में लिखा है कि इनके

संरक्षक राष्ट्रपति महोदय और गवर्नर महोदय हैं । यही इनका संरक्षण करते हैं, किन्तु अभी जो हो रहा है, वह यह है कि स्टेट की मर्सी के अनुसार इनको लिया जाता है । ऐसा मालूम होता है कि कॉलोनियल सरकार के अन्दर ये लोग जी रहे हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय से इतना ही आश्वासन चाहता हूं कि वे एक काम्प्रिहेंसिव बिल लायें । . . . **(व्यवधान)** . . .

प्रो० प्रेम धुमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश प्रदेश में अन्तर नहीं होना चाहिए । हिमाचल प्रदेश में . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हिमाचल प्रदेश का बिल नहीं है । मैं आपको एलाउ नहीं कर रहा हूं ।

(व्यवधान) . . .

प्रो० प्रेम धुमल : जो क्षेत्र पंजाब से हिमाचल में जोड़ा गया है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हो गया । आप बार-बार इस बात को क्यों कह रहे हैं ?

प्रो० प्रेम धुमल : बार-बार इसलिए जोर दे रहा हूं कि इसको शामिल किया जाए । . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शामिल करना चाहिए, ठीक है ।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, ततमा एक जाति है, जो हरिजन अनुसूचित जाति और जनजाति है, लेकिन उसका नाम अभी तक इसमें नहीं जोड़ा है । बिहार में इसके लिए आन्दोलन हुआ । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बिहार का बिल नहीं है, यह जम्मू-कश्मीर का है ।

(व्यवधान)

श्री रामनिहोर राय : अध्यक्ष महोदय, मुसहर जाति, जिसको वनराजा भी कहते हैं ये लोग गांव के बाहर झोंपड़ी लगाकर पड़े रहते हैं । उनका कोई घर नहीं है और ये लोग दूसरे लोगों की जूठन को उठा कर खाते हैं । इनके पास अपना कोई निजी मकान नहीं है । इन पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती । उत्तर प्रदेश में कोई पढ़ा-लिखा नहीं है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर प्रदेश का बिल नहीं है । आप बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री रामनिहोर राय : मेरा अनुरोध है कि आप इन लोगों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति में शामिल करें । इसी तरह से एक बियार जाति है, जो हमारे मिर्जापुर सोनभद्र जिले में है उनकी भी हालत बड़ी दयनीय है इसलिए उनको भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति में शामिल किया जाए । **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष जी, यह जो जम्मू-कश्मीर में एक जाति का वर्णन किया गया है, इस बिल में उसका नाम है बकरकसाव, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जहां बकरकसाव लिखा है, बकरकसाव पूरे देश में है, केवल जम्मू-कश्मीर में नहीं है । माननीय मंत्री जी, यह बहुत ध्यान देने की बात है बकरकसाव जो दूसरे स्थानों में है, खटिक जाति उसमें लिखा जाता है तो

बकरकसाव जहां लिखा हुआ है, जम्मू-कश्मीर में वहीं उसको ब्रेकिट में खटिक जाति लिख दें तो बाकी और मामला भी साफ हो जाएगा । जिससे कि पूरे देश में बकरकसाव, जो जम्मू-कश्मीर की जाति है, यदि वहां ब्रेकिट में खटिक जाति लिख दिया जाता है तो लोगों को जानने में सुविधा होगी । **(व्यवधान)**

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : हमारे बिहार राज्य में . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिहार का बिल नहीं है । आप बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि हमने इस प्रस्ताव पर विचार के लिए 4-30 म० प० का समय निश्चित किया है, परन्तु अगर आप इसी प्रकार बोलते रहेंगे, तो मैं इस पर चर्चा आरंभ करवा दूंगा तथा वर्तमान चर्चा को भविष्य में विचार के लिए स्थगित कर दूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस चर्चा को अब समाप्त करता हूं तथा उस मद पर आता हूं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी यहां प्रस्ताव कर रहे हैं वह किसी न किसी राज्य सरकार की सिफारिश पर लाए हैं, राज्य सरकार ने उसकी सिफारिश की होगी और सिर्फ जम्मू-कश्मीर के बारे में आप इस बिल को लाए हैं । हिन्दुस्तान के जो पिछड़े वर्ग हैं, हमारे बिहार राज्य के

अध्यक्ष महोदय : यह बिहार का बिल नहीं है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए । ऐसा मत कीजिए । प्रत्येक इस सदन में अपनी मर्ज़ी से व्यवहार कर रहा है । यह ठीक नहीं । कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सिताराम केसरी : मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं वे विचाराधीन रहेंगे और भविष्य में भी हम इसको देखेंगे । मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को पारित किया जाए ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । मेरा विनम्र निवेदन है कि जैसा कश्मीर सरकार ने लिखा है

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप केवल इतना बताइए कि आप इसे वापिस लेना चाहते हैं या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव: मैं सिर्फ एक मिनट का समय लूंगा ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रक्रिया को समझिए । इस समय आप इस पर भाषण नहीं दे सकते । मुझे इतना बताइए कि क्या आप इसे वापस लेंगे या नहीं ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारीलाल भार्गव: मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए और एक फुल-फ्लैज्ड बिल यहां पर लाया जाए, जिसमें सभी राज्यों और संबंधित जातियों का समन्वय हो ।

श्री सिताराम केसरी: इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी सुझाव यहां पर दिए गए हैं, वे सब सरकार के विचाराधीन हैं । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं इसे सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 19 अप्रैल, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं प्रस्ताव को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में कुछ जनजातियों को सम्मिलित करने का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा, द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

श्री सिताराम केसरी: मैं प्रस्ताव करता हूँ—

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर): अध्यक्ष महोदय, अब जिस प्रस्ताव पर बहस होनी है, उस पर आने से पहले एक अति-महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह प्रश्न मेघालय में जो संवैधानिक संकट निर्मित हुआ है, उससे संबंधित है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करिए।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष महोदय, हम सरकार से आश्वासन चाहते हैं कि वहां पर सरकार नहीं गिराई जाएगी। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: वहां पर जो हो रहा है, वह बहुत ही चिन्ताजनक है। यह संविधान के साथ खिलवाड़ है। सरकार को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष महोदय, वहां पर विधायकों को और मंत्री को नोटिस दिया गया है, सस्पेंड किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि यह विषय ज़ीरो-आवर में आना चाहिए, नियमों के अनुसार आपको दिक्कत है, लेकिन हम लोगों के सामने जो परेशानी है वह यह है कि कल छुट्टी है और एक दिन बीच में है 16 तारीख का, जिसमें मेघालय सरकार पर जनतांत्रिक खतरा है।

अध्यक्ष महोदय, जो 19 महीने तक मिनिस्टर रहे, उनको स्पीकर, जो अब लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर भी हैं, ने पहले मेंबरशिप खत्म करने के लिए नोटिस दिया, फिर उसको रोका। अब फिर नोटिस दिया है कि 16 तारीख तक यदि जवाब नहीं दिया गया तो मेंबरशिप समाप्त कर देंगे।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, जब एक दिन के अंदर कोई महत्वपूर्ण चीज आती है तो उस पर विचार होता है। अध्यक्ष महोदय, एक दिन जो बीच में है, उसमें एक बड़ा भारी संकट जनतंत्र पर आ सकता है। इसलिए निवेदन है कि नियम इस सदन के अंदर जनतंत्र की रक्षा के लिए हैं इसलिए नियम बाधक नहीं बनने चाहिए। आप इस पर विचार करें और सरकार को कहें कि इस पर बयान दे और सदन को आश्वस्त करे कि इस बीच में सरकार नहीं गिराई जाएगी। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधान मंत्री थे श्री जार्ज फर्नान्डीज़ के इशारे पर मणिपुर और नागालैण्ड में यही खेल आरम्भ किया था। **(व्यवधान)**—मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। मेघालय में जो हुआ है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। परन्तु यह खेल किसने आरम्भ किया। श्री जार्ज फर्नान्डीज़, श्री सुबोध कांत सहाय, तथा श्री वी० पी० सिंह इस खेल के सूत्रधार थे। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज: यह बिल्कुल गलत है। हम इस मामले पर चर्चा करने को तैयार हैं। **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव: आप ने गोवा में भी ऐसा ही किया। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यह बड़ी अजीब बात है।

श्री संतोष मोहन देव: मेघालय में जो हो रहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह बड़ी अच्छी बात है।

श्री संतोष मोहन देव: मैं आपके साथ हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी: आप उसे क्यों दोहरा रहे हैं?

श्री संतोष मोहन देव: आप ने ही इस खेल को आरम्भ किया है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। आप उत्तेजित हो रहे हैं, लेकिन मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गारेट अल्वा): क्या मैं इसे स्पष्ट कर सकती हूं? महोदय, अभी कुछ कहा गया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि शक्ति परीक्षण 27 तारीख को किया गया और उसके पश्चात राज्यपाल द्वारा दो मंत्रियों को शपथ दिलाई गई. . .।

अध्यक्ष महोदय: महोदया, मैं उसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं और आप उसी मुद्दे को उठा रही हैं।

श्रीमती मार्गारेट अल्वा: कैसे? **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): आप अध्यक्ष महोदय को इस तरह आदेश नहीं दे सकती। आप एक मंत्री हैं और कम से कम आप को नियमों का पालन करना चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत ही गलत तरीका है कि मंत्री जी भी इस तरह हस्तक्षेप करते हैं । इसे उनके विभाग से कुछ भी लेना देना नहीं है । मंत्री जी बहुत तंग करते हैं । **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, आपकी अनुमति के बिना मंत्रियों को इस तरह नहीं बोलने दें ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं युवा, उत्साह से भरे और विद्वान मंत्रियों को अध्यक्ष के माध्यम से सभा को सम्बोधित करने के लिये कह सकता हूं ?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनके लिये विषय परिचायक पाठयक्रम होना चाहिये ।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि आप उस गंभीर स्थिति को महसूस कर रहे होंगे जिसमें मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष राजनीतिक पार्टी के नेता बन गए हैं और एक साथ दोहरी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं ।

राजनीतिक पार्टी के नेता होते हुए वह अध्यक्ष के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं । मेरे विचार में कृपया इसे असंगत न समझें । **(व्यवधान)** यह बहुत ही विचित्र स्थिति है । यह इतनी असाधारण बात है कि मुझे इस पर अपने विचार व्यक्त करने पड़ रहे हैं । प्राय: मैं ऐसा नहीं करता हूं । **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : लोकसभा के अध्यक्ष होने के नाते आपको अपनी व्यवस्था देनी पड़ेगी । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं विभिन्न पार्टियों के सदस्यों की भावना को समझता हूं लेकिन यदि हम दूसरे विधायिकाओं में क्या घटित हो रही है इस पर चर्चा करें या दूसरे पीठासीन अधिकारी क्या कर रहें उस पर चर्चा करें तो यह पुर्वोदाहरण बन जाएगा और इससे कठिनाईयां पैदा होंगी ।

इसलिये मेरा सदस्यों से निवेदन है कि कृपया वे इस मुद्दे को यहीं न उठाएं और आप दूसरे तरीके से बाहर भी इस पर विचार कर सकते हैं । लेकिन यदि हम इसके विधायिका में क्या हो रहा इस पर चर्चा करने लगे तो यह पूर्वोदाहरण बन जाएगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर ताली बजाने जैसी कोई बात नहीं है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा करने लगेंगे तो बहुत मुश्किल है । मैं खड़ा हूं और आप बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस बात पर चर्चा करें । हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं । हम सभी चाहते हैं कि इस पर श्री वी० पी० सिंह के विचार से अवगत हों । मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करें और अपना विचार व्यक्त करें ।

(व्यवधान)

5.00 म० प०

देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : राम विलास पासवान द्वारा 13 अगस्त, 1991 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर सभा अब आगे चर्चा करेगी :—

"कि यह सभा देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर किये जा रहे अत्याचारों पर अपनी चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाये।"

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष जी, गुन्दुर जिले में चुन्दूर गांव में जो घटना हुई है और अनुसूचित जाति, जन-जाति के लोगों की निर्मम हत्या हुई, निश्चय ही बहुत हृदय विदारक है। लेकिन, इसके पीछे अगर जाना है तो शायद हजारों वर्ष पहले जाना होगा। यह घटना जो है वह एक कार्य और एक स्थान से सम्बध्द नहीं है। हजारों साल की जो निहित हिंसा है, उसका ज्वालामुखी जब होता है, वह जहां-तहां फूटता रहता है। जिस ढंग से ये हत्याएं हुई हैं, उसी निहित हत्या का द्योतक है और प्रतीक के रूप में सत्ता के चिन्ह है, सत्ता के प्रतिनिधि मौजूद हैं, पुलिस वहां पर मौजूद है और जिनकी जुबान हजारो साल से बंद हुई। जिनके हाथ-पांव बंधे रहे। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उनके हाथ-पांव और सिर काटकर के कहां फेंके जाते हैं। नाले में फेंक दिए जाते हैं। वह स्थान उनके लिए प्राप्त होता है। यह सारी संरचना है, हमारी व्यवस्था की और इस घटना से उसका प्रतिबिम्ब हमको मिलता है। लेकिन जो रूलिंग इलिट, जो वर्ग सत्ता को चला रहे हैं और सत्ता के हकदार हैं, हिस्सेदार हैं, उनकी क्या प्रक्रिया है। डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट को चौबीस घंटे तक जानकारी नहीं है। छह तारीख की घटना है और नौ तारीख को तीन दिन बाद मुख्य मंत्री की गृह मंत्री से मुलाकात होती है तो कहते हैं कि हमको डेफीनेट इन्फारमेशन नहीं है। हमको कोई निश्चयात्मक सूचना नहीं है। यह पूरी व्यवस्था का एक चित्र है कि कितनी निर्मम हत्या होती है। लेकिन जो व्यवस्था है उसको छोड़ दीजिए। उसके बारे में कुछ करें। उसकी संवेदनशीलता इतनी न्यून है कि जानकारी तक हासिल करने में उसको फिक्र नहीं है। दूसरी ओर अनुसूचित जन-जाति के डाक्टर रवि चन्द्र कुमार, जिनको पोस्ट मार्टम करना हुआ, उन्हें सारी तकलीफ से गुजरना पड़ा जिसको वह सहन नहीं कर सके। उन्होंने आत्म-हत्या कर ली। इस वक्त जो वर्तमान स्थिति है और जो समाज में अन्याय है उसका द्योतक एक वर्ग का रिएक्शन क्या है। उसके लिए हादसा है और आत्म-हत्या कर ली। शासक वर्ग का रिएक्शन क्या है। उसको पता नहीं है कि कहां क्या हुआ। यह विडम्बना है। श्री एन० टी० रामा राव ने उसी दिन शाम को सूचना दी और इसके बारे में दूसरे दिन पासवान जी ने मेमोरेन्डम दिया।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : शासक दल नहीं शासक वर्ग होता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वर्ग की बात है। हम सब पर आरोप नहीं लगा रहे हैं और आपने को बरी नहीं कर रहे हैं। यह ऐसी चीज है कि हम सभी को बैठकर चिंता करनी चाहिए।

श्री बूटा सिंह : आप दल कह रहे थे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमने दल नहीं कहा, जिसमें हम सब लोग हिस्सेदार हैं । आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं है । अपने आत्म-चिन्तन की बात है और इस मायने में यह अच्छा संकेत और एक अच्छा जैस्चर होगा कि गृह मंत्री जी वहां जाएं । प्रधान मंत्री जी जायें, यह हमारा अनुरोध है । ऐसा करने से एक सिग्नल जाता है, नीचे प्रशासन तक सिग्नल जाता है कि इस ओर हमें जागरूकता रखनी है और ऐसा करने से सबको सचेत करने में मदद मिलती है । यह आरोप की बात नहीं है बूटा सिंह जी, यह तकलीफ की बात होती है । तकलीफ गुस्से की स्टेज से निकल जाती है तो क्षोभ की स्थिति में आ जाती है । आज वही स्थिति है ।

मैं भी मुख्य मंत्री था और मेरे समय में भी घटना हुई । अनुसूचित जनजाति के लोग मारे गये, उसी दिन पिछड़े वर्ग के भी मारे गये । पुलिस का हाथ उसके अन्दर नहीं था, लेकिन फिर भी उस जगह पर रहते हुए स्वयं से पूछना पड़ा कि क्या उस जगह पर मुझे रहने का हक है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है । कोई कानून के तहत इसकी मजबूरी नहीं है, लेकिन हम जब उच्च पदों पर रहते हैं तो इस तरह के प्रश्न पर हम समझते हैं कि हम सबकी जिम्मेदारी होती है, जो कि कानून की किताब में नहीं होती है । अगर जन जीवन में कोई रचनात्मक सिद्धान्त बनाया जा सकता है तो हम लोगों को स्वयं बनाना होगा जब हम उच्च पदों पर रहते हैं । यह नहीं कि हम स्वयं खड़े होकर उस काम को करते हैं, लेकिन हमारे रहते हुए कोई घटना होती है तो उसमें कहीं न कहीं कोई हिस्सेदारी मानते हुए और अपनी अन्तरात्मा समझते हुए मैं समझता हूं वहां के मुख्य मंत्री दिल को टटोलें, जो रविचन्द्र जी ने जीवन दे दिया जीवन देने की जरूरत नहीं है, अपने पद का त्याग कर सकते हैं । एक जागरूकता हो सकती है, जागृति हो सकती है, एक चेतना हो सकती है कि इस मुद्दे को और गम्भीरता तथा तेजी से लिया जा सके, मैं उस दृष्टि से कह रहा हूं, दलगत दृष्टि से नहीं कह रहा हूं । जबकि प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी निर्विवाद है । वह उस घटना में मौजूद है इसमें कोई विवाद नहीं है । एक तरह की सीधी जिम्मेदारी है ।

एक बात है कि जब कोई ऐसी घटना होती है तो ऐसे ही वर्ग चुने जाते हैं जो पिछड़े हुए हैं, जो समाज से उपेक्षित हैं । दिल्ली में भी कोई घटना होगी तो पासवान जी का घर जला दिया, अनादि चरण दास जी जो कि हमारी पार्लियामेंटरी शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स कमेटी के चेयरमैन थे उनका भी जला दिया, जटिया जी ने भी ऐसी ही अपनी बात बताई, क्या जब ये लक्षण राजधानी में आते हैं तो ये ही लोग गुस्से के शिकार क्यों बनते हैं । यह कैसे रोका जाये, प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, यह ठीक बात है । जो स्पेशल कोर्ट की मांग है वह सही है । एक जज की खाली जांच को फिर कोर्ट में लाना होगा ।

श्री सूरज मण्डल (गोड्डा) : वह भी आदिवासी या हरिजन होना चाहिए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उस पर भी आयेंगे । पिछली सरकार ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने निर्णय किया था कि स्पेशल कोर्ट हर जिले में होगी । पासवान जी ने जो अकेले कोर्ट की बात की है हम समझते हैं इससे न्याय देने में मदद मिलेगी । इसीके साथ जो अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए । जो एक चेतावनी के रूप में सामने रहे । जो मौके पर थे उनको तुरन्त डिसमिस करना चाहिए और प्रशासनिक ढंग से इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए । लेकिन अगर गहराई में जाना है कि कैसे उसको रोका जाये यह हमारे सामने है इसमें इस चीज को समझना है । जो सामाजिक ढांचा है और जो समाज का ढांचा है उसका नाता क्या है, यह नहीं समझेंगे तो इन अन्यायों को हम नहीं समझ पायेंगे । अगर शक्ति का प्रयोग हुआ, बल का प्रयोग हुआ, एक अत्याचार हुआ । यह शक्ति और बल है कहां ? जिस पर प्रयोग होता है उनके पास नहीं है । सीधा सवाल आता है कि अगर इनको बचाना है तो जिनके पास शक्ति के ढांचे में, इस सत्ता के ढांचे में हिस्सेदारी नहीं है । उनको हिस्सेदारी देंगे तब यह शक्ति प्रयोग कर पायेंगे । जब तक वह हिस्सेदारी हासिल नहीं होगी, बल का प्रयोग उनके खिलाफ होगा । जब वे शक्ति के भागीदार होंगे, तभी ये शक्ति रोक पायेंगे और यह व्यापक होगा ।

कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैज़र्स कहीं लिये जायें, कुछ कार्रवाई यहीं कर लीजिये, एक अलग चीज़ है । शक्ति का प्रयोग है, वह शक्ति का पुंज है, एक स्रोत है, उसमें उनकी हिस्सेदारी जब तक हम लोग सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के अत्याचार और अन्याय होते रहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि अगर हम सामाजिक ढांचे को देखें और सत्ता के ढांचे को देखें तो बहुत ही विकृत और दर्दनाक सत्य सामने आता है जिसको अगली टुथ कहते हैं । समाज के नीचे की श्रेणी के उन वर्गों की हिस्सेदारी सत्ता के ढांचे में केवल मिनिस्ट्री में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी सत्ता का बहुत ही प्रभावी क्षेत्र है । एक ढांचा है जिसमें इनकी हिस्सेदारी कम है और जो समाज के ऊंचे तबके के लोग हैं, सत्ता के ढांचे में उनकी हिस्सेदारी ज्यादा है । इसलिए आज 40-43 साल के बाद उनके पास यह चीज़ पहुंचे कैसे ? उनके पास इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि उन वर्गों को परोसने वाला नहीं है, उनकी पतरी में डालने वाला कौन है ? परोसने वालों ने उसको भी रखा तो पतरी पर पहुंच जाने तक अपनी पाती में लिए बैठे रहते हैं । यह बात सही है और हम जानते हैं कि गांवों में जब भोज पर बुलाईये, अगर परोसने वाला नहीं है, बड़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है । अब कहीं सामान कम है तो पहुंच-पहुंच कर टाला जाता है । अपने पूर्वों को यों और दूसरे पूर्वों को यों । यही है 43 साल की कहानी और बड़ी लम्बी है जिसे समझने में देर होगी । कई बार यह सवाल आता है कि यह नहीं किसी की मंशा पर शक नहीं है । बहुत लोग हैं, हर दल में हैं जो चाहते हैं लेकिन कहीं भी कोई हम लोगों की जो व्यवस्था है, दलों की, पार्टी की सत्ता में हैं, कौन हैं, कहां गवर्नमेंट है, यह पहचानी नहीं जाती । लेकिन क्या बात है बावजूद घोषणाओं के, बावजूद मैनिफैस्टो के, बावजूद मैं मानता हूं कि सिंसयरली कहते हुए भी बात पहुंचती नहीं है कि कहीं न कहीं इच्छा शक्ति की पूरे ढांचे में कमी है । केवल मंत्री, मंत्रालय नहीं कहते, पूरे ढांचे के लिए कहता हूं, इसमें दलों को भी जोड़ता हूं । गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी और दल—व्हीलर्स ऑफ पावर । यह पूरा पॉवर स्ट्रक्चर है तो कहीं न कहीं विल की कमी है, जब विल या इच्छा शक्ति उसके पास होगी, जो तकलीफ से गुजरे हुए होंगे, वे जानते होंगे । अगर इच्छा शक्ति को कहीं लाना है, सत्ता के ढांचे में जहां कमी का अहसास होता है जो जिस वजह से नहीं होता है, जो तकलीफ से गुजरे हुए हैं, उनको लेना चाहिये । जिसकी पीड़ा है, उसका प्रतिकार है । जिसकी पीड़ा नहीं हो, वह प्रतिकार नहीं कर सकता है । बूटा सिंह साहब सही कहते हैं । वे कहते है कि राम विलास जी गुजरे हैं, वे कर सकते हैं, हमारे शास्त्री जी कर सकते हैं राम निहोर जी कर सकते हैं । सब कुछ जानते हैं । ये उस जीवन से गुजरे हैं । यहीं पर और गहरी बहस हो, इस बिन्दु पर मैं बाद में आऊंगा । इस इच्छा शक्ति को इस ढांचे में लाने की जरूरत है और हम केवल सहूलियत की बात नहीं करते हैं, शिरकत की बात करें । खाली इन वर्गों को कितनी सहूलियतें दें, यह बात नहीं है । घर के अंदर आप सब सहूलियत देते हैं, अगर कोई शिरकत नहीं दी जाये तो परिवार को खुशी नहीं मिलती । आप एअर-कंडीशनर्स लगवा दें, सुविधा दें लेकिन घर के फैसलों में उनकी शिरकत नहीं होगी तो वह परिवार का सदस्य खुश नहीं रह सकता । यदि परिवार के फैसलों में उसकी हिस्सेदारी हो, शिरकत हो तो पूरा परिवार खुश रहेगा और वह पूरी शक्ति से लगेगा । यह आज इनकी शिरकत की बात है । और शिरकत, मैंने कहा—सरकार में, ब्यूरोक्रेसी में और मैं तो मानता हूं दल भी जो हैं, मैं तो कम से कम अपने दल में ऐसा मानता हूं कि यदि व्हीकल्स ऑफ पॉवर और पॉवर स्ट्रक्चर के अंदर शिरकत का अभियान चलेगा तब इन सब चीज़ों को अच्छे ढंग से रोक सकते हैं । वर्तमान व्यवस्था में कौन से लोग हैं ? मान्यवर, यह जात-पात का सवाल नहीं है, यह कमेरे वर्ग का सवाल है । जब हम लोग यह सवाल उठाते हैं तो जात-पात का सवाल बताकर इसको किनारे बताने की बात करते हैं । आज लेबर फोर्स कहां से होती है ? शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्ज़ से । अगर कोई शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल स्टाइब्ज़ से पैदा हुआ तो वह 99 परसेंट लेबर फोर्स का ही अंश होगा । कुछ लोग शायद न हों । जो बैकवर्ड क्लास है, आजकल कौन है ? बढ़ई हो, नाई हो, धोबी हो, कुम्हार हो, ग्वाला हो, मुख्यत: ये प्रोड्यूसर क्लास हमारी लेबर फोर्स होती है छोटे-छोटे साधनों वाली । अगर हम पूरे भारत की कल्पना करते हैं तो इनका स्थान कहां रहेगा और जहां उनके स्थान का सवाल है और जब उनको स्थान देने की बात

होती है तो ये संघर्ष सामने आते हैं । जो निहित हिंसा है वह उभरकर हिंसा बनती है, सामने आती है । जहां भी इसमें किसी दखल का प्रयास होता है वहीं हम इन घटनाओं को देखते हैं । इनको करने में विरोध भी होता है । हम तो केसरी जी को जानते हैं । 7 अगस्त को जब मंडल के विषय में ये राज्य सभा में बोले थे तो मैं इन को कहता हूं कि बहुत दिलेरी से और हिम्मत से खड़े होकर समर्थन किया था और इसमें सभी को सुनना पड़ा, लेकिन खुशी भी होती है कि गाली पड़े, चाहे बम पड़े, चाहे तेज़ाब पड़े, लेकिन साल भर के अंदर विभिन्न दल बताने लगे हैं कि हम दबे लोगों को इतना स्थान देंगे । हम समझते हैं कि चुनावी उतार-चढ़ाव कुछ नहीं होते, लेकिन कहां तक इस विचार का प्रभाव है, एक साल के अंदर जो प्रभाव देखा जा रहा है, हम समझते हैं अच्छा लक्षण है क्योंकि गुलामी की हज़ारों साल की, लोहे की बेड़ियों को तोड़ना आसान है किन्तु आदमी के मन की सोच की बेड़ियां तोड़ने के लिए हम सबको शक्ति लगाने की ज़रूरत होगी । उस दिशा में मैं समझता हूं कि यह प्रभाव के रूप में विभिन्न दलों पर भी पड़ा है और समाज में भी आज चर्चा का विषय बन चुका है । हम समझते हैं कि यह एक अच्छी दिशा है और इस पर और भी सोच होगी ।

अब रही बात सत्ता के ढांचों में स्थान देने की । राम विलास जी ने यह बात कही । यह तो आपने संविधान में कर दिया फिर भी अनुसूचित जाति के लोग हिस्सेदार नहीं हो पाते हैं । वे राज्य सभा में स्थान क्यों नहीं पाते हैं ? जितना हम लोग यहां भाषण देते हैं, चिंता करते हैं इन वर्गों के लिए, जब अपना हक उनको देने की बात होती है तो हम सब लोग कमी कर जाते हैं । हम किसी को बख्श नहीं रहे हैं । अपने को भी नहीं बख्श रहे हैं । इसलिए किसी पर लांछन लगाने की बात नहीं है । यह विचारणीय है कि वहां भी सत्ता के ढांचे में स्थान देना है फिर राज्य सभा में स्थान देने के लिए क्या हिचक हो सकती है ? जब हम यहां चुनकर आ सकते हैं तो राज्य सभा में स्थान देने की बात भी विचारणीय है और यह एक अच्छी दिशा हो सकती है ।

एडमिनिस्ट्रेशन की बात है । यह सही है कि अगर डी० एम०, एस० पी० वर्ग के लोग होते तो शायद यह घटना जो चुण्डूर गांव में हुई, वह इस तरह से न होती, और इसलिए हम लोगों ने एक संकल्प किया कि बैकलॉग को पूरा करेंगे । अभी तक अनुसूचित जाति जनजाति को जॉब्ज़ में हिस्सा देने के लिए केवल एक गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट सर्कुलर है । कोई एनेक्टमेंट नहीं है । हम लोगों ने विचार किया था इसके एनेक्टमेंट के लिए, यह जस्टिशिएबल है । मैं केसरी जी से कहूंगा कि राज्य सभा वाली बात और इसके एनेक्टमेंट की, जो शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्ज़ का रिज़र्वेशन है, उसका एक्ट पार्लियामेंट में ले आएं । और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे आज हमने अभी एक बिल को पास कर लिया, उसी तरह से सब के समर्थन से वह भी पास हो जायेगा । हम सब लोग मिलकर उसे पास करेंगे । इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ गयी क्योंकि आधी शताब्दि बीत गयी और क्लास-वन सर्विसेज़ में इन लोगों को जो साढ़े बाईस परसेंट रिजर्वेशन मिलना चाहिये था, वह केवल 10-11 परसेंट तक ही पहुंचा है, एस० सी०, एस० टी० के लोगों का । कहीं तो इंसाफ को एन्करेज करना चाहिये और उसका कोई एक बहुत ठोस रूप होना चाहिये । इसीलिये इस अनैक्टमेंट की जरूरत है ।

जहां तक कैरी-ओवर का सवाल है, कई बार ऐसा होता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये पोस्ट एडवर्टाइज होती है । उसमें यह होता है कि अगर कोई सुयोग्य कैन्डीडेट नहीं मिला तो उसे कुछ समय तक खाली रखा जाता है और फिर भर लिया जाता है । मैंने उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग किया था और काफी अच्छा उसका अनुभव रहा । मैंने ऐसा रखा कि जो वैकेन्सी है, उसको फिर एडवर्टाइज किया जाये जिसमें सिर्फ शैड्यूल कास्ट एण्ड शैड्यूल ट्राइब्स के ही लड़के हों और उनमें जो सबसे अच्छा हो, उससे ही वैकेन्सी को भर लिया जाये । आखिर आपको भरना तो उन्हीं से है । मान लीजिये एक बार इंटरव्यू में वह नहीं आया, आप तीन महीने, 6 महीने की कैद लगा दीजिये कि अगला इंटरव्यू जो होगा उसमें केवल शैड्यूल कास्ट एण्ड शैड्यूल ट्राइब्स के लड़के ही आयेंगे और उनमें जो बैस्ट होगा, उससे ही वह

पोस्ट भरी जायेगी । उससे क्या होगा कि कैरी-ओवर होगा ही नहीं । वह अनुभव अच्छा था । बैकलॉग की अलग बात है लेकिन फ्यूचर बैकलॉग, आगे बैकलॉग पैदा ही नहीं होगा । उसी तरह सलैक्शन बोर्ड का है । हम लोगो ने विचार किया था, शुरू भी किया था और उसका प्रभाव भी देखने में आया कि शैड्यूल कास्टस एण्ड शैड्यूल ट्राइब्स और माइनौरिटीज़ के लोगों को भी बोर्ड में लिया जाये । इन लोगों को अहसास होता है कि शायद हमारे साथ न्याय नहीं होता । सलैक्शन बोर्ड में अगर, 4-6-7 या 11 जितने सदस्य बैठते हैं, उनमें इन वर्गों के भी रहें तो किसी तरह का अन्याय होने की बात, पक्षपात की बात, सामाजिक दृष्टिकोण से न होकर, उन्हें न्याय मिलने की बात रहेगी ।

दूसरी बात यह है कि यहां पर कई बार बहस हुई और मैं उस प्वाइंट को भी यहां रखना चाहता हूं इस वक्त कि मैरिट भी आवश्यक तो है लेकिन अभी चुंडूर में जो कुछ हुआ और प्रशासन के बारे में आपको स्वयं भी जानकारी होगी, ऐसा नहीं है कि दूसरी सरकार आ जाये तो प्रशासन बदल जाता है, थोड़ा-बहुत बदलता है, फिर भी काफी वही रहता है । अब प्रश्न है कि मैरिट क्या हो प्रशासन की, इस पर बहस होनी चाहिये । कोई खाली गोल्ड मैडलिस्ट हो, इम्तहान में अच्छे नम्बर पा जाये तो वह सरहद पर क्यों नहीं भेज दिया जाता । जसवंत सिंह जी थे, आर्मी में रहे, गोल्ड मैडलिस्ट तो और भी रहे होंगे, इसलिये उन्हें तो इनके ऊपर रहना चाहिये था । लेकिन बात यह है कि वहां बहुत सी चीजों में मैरिट नहीं मानी जाती । जैसा काम वैसी मैरिट । आज प्रशासन के बारे में क्या शिकायत है, ऐसा नहीं कि वे ज्ञानवान नहीं हैं या उन्हें जानकारी नहीं है परन्तु शिकायत यह है कि कोई परवाह नहीं करता । फिक्र नहीं करता । अब फिक्र कौन करे, जो दर्द से गुजरा हो, वह फिक्र करे । जो दर्द से गुजरा नहीं, वह फिक्र क्यों करे । इसलिये अनुभव का अंश होना चाहिये । इसलिये मैंने कहा कि जब दबे तबके के लोगों की हिस्सेदारी होगी, मैं नहीं कहता कि 100 फीसदी आप कर दिजिये, लेकिन जब हिस्सेदारी होगी तो वह अंश जो पीड़ा से गुजरा है, उनको दर्द होगा और उससे प्रशासन जुड़ सकेगा । आज प्रशासन जनता से जुड़ नहीं रहा, गरीब से जुड़ नहीं रहा है । अब सवाल है कि कैसे जोड़ा जाए—क्या मैरिट के अंदर ह्यूमन मैटीरियल को हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं । क्या मैरिट है । यदि ह्यूमन मैटीरियल को एडमिनिस्टर करना है तो ह्यूमन अटैचमैंट जो एक बहुत बड़ी मैरिट है, वह नहीं रहेगी और फिर सब मैरिट घर में ही धरी रह जायेगी, किसी काम नहीं आयेगी । एक लड़के को पालने के लिये आप उसे मां को देना चाहेंगे या किसी नर्स को देना चाहेंगे । नर्स में मैरिट है लेकिन फिर भी बच्चे को पालने का जब प्रश्न आता है तो जिसके पास हृदय है, उसे मां को दिया जाता है । मां इसीलिये मां होती है । ज्ञानवान है, इसलिये नहीं, मां इसलिये है कि वह फिक्र करती है । तो आज एक बार फिर से जो हम ढांचा पाते हैं प्रशासन का, क्या मैरिट है, इस पर सोचने और बहस करने की जरूरत है और यही मुद्दे हम लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बार-बार उठाने की कोशिश कर रहे हैं । कई प्रकार से और कई रूपों में, विकृत रूप में पेश आता है, लेकिन असली मुद्दे यही है जो रैस्पांसिव गवर्नमेंट के बारे में है ।

एक चीज आती है, उस पर गौर करें, खैर मण्डल कमीशन की बहस अलग है, उसको मैं इस समय इसमें शरीक नहीं करूंगा । लेकिन शैड्यूल कास्टस और शैड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन के बारे में बहस होती है, कहा जाता है—पासवान जी, अब तो बहुत अच्छे-चंगे हो गए हैं या और जो एम० पीज० हैं, वे हो गए हैं, उनको क्यों दिया जाए ? स्थिति क्या है ? आपने साढ़े 22 प्रतिशत रिजर्वेशन कहा । आपने कहा यह कमरा आपके लिए है, अच्छा है, हमें मालूम हुआ कि यह कमरा मेरे लिए है । हम लोग बैठे हैं, अब कमरा तो आधा भरा, साढ़े 22 प्रतिशत की बजाय 10 प्रतिशत भरा है और दरवाजे पर खड़े हैं और किसी को आने नहीं देते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत मोटे हो गये, चलो उठो, दूसरे की जगह घेरे हुए हो । हम कहते हैं कि आधा खाली है, भर दो । हम उठकर चले जाएंगे । आप कमरा भरने के पहले ही कहते हैं कि बहुत मोटे हो गए हैं । आप आने नहीं देते हैं । ठीक है कि हम परमानेंट रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं है । हम लोग भी कहते हैं कि 10 साल बाद बन्द कर दीजिए, लेकिन उसे भर तो दीजिए । परोसने के पहले ही थाली खींचने का काम

मत किजिए । मिल जाए, देख लीजिए । 5-10 साल देख लीजिए, फिर बड़ी बारीकी से निकाल लीजिए । समाज जब ऊपर उठ जाए, तब निकालिए ।

यह जो लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है, इसकी बात हम लोग कहते हैं । लेबर साइट पर है । लेकिन असली दिक्कत यह है कि जो कमेरा वर्ग है जो मैनरूप से लेबर फोर्स को इंस्टीट्यूट करता है, हमारा शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड और अन्य गरीब तबके के भी हैं, हमारे जो मेजर पोरशन को इंस्टीट्यूट करता है, तो उसको लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के जरिये हम आर्थिक सत्ता के भागीदार बना सकते हैं । उनको कोई बड़ी-बड़ी कम्पनियां नहीं दे सकते, उनकी आर्थिक व्यवस्था के अंदर कोई हिस्सेदारी नहीं, न राजनीतिक न प्रशासन में कोई हिस्सेदारी की गई । तो लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एक माध्यम है जिसमें आर्थिक मैटर में एक शेयर दे सकते हैं, उनकी हिस्सेदारी दे सकते हैं, उनको अहसास हो कि हम निर्णय करने में भी हिस्सेदार हैं । गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सी चीजें हैं । बहुत से छोटे पाइंट्स हैं, लेकिन रैलेवेंट हैं । पेट्रोल पम्प हैं, गैस एजेंसी हैं और तमाम गवर्नमेंट की चीजें जोड़िए, इतनी सारी हैं, इन को जिनके पास प्रभाव है, पैसा है, वे ले जाते हैं, तो खाली प्रभाव और पैसे वाले क्यों ले जाएं ? सोचिए । अगर आर्थिक रूप से उनको उठाने की बात है, तो उनमें हिस्सेदारी दीजिए और बैंक लोन दीजिए और उनको उठाने का काम कीजिए, तब वे ऊपर उठ सकते हैं ।

जमीन सुधार की बात आती है । यह सही है—सत्ता का ढांचा अगर देखा जाए तो सब दलों के अंदर भूमि का हिस्सा काफी है और इसका अनुभव सब कोई को है । वहां टच करने लगें, तो उसका विरोध पैदा होने लगेगा, लेकिन अगर भूमि सुधार करना है, तो मेरा ख्याल है कि एक ट्रेब्यूनल बने और मौके पर जांच करे और करैक्शन ऑफ रिकार्ड हो जिसके अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति भूमिहीन लोग ट्रेब्यूनल में रहें और मौके पर जांच करें । मान्यवर, धरती ऐसी चीज नहीं है जो तिजोरी में बन्द होती हो, वह तो खुले आकाश के नीचे और सूरज की रोशनी में साफ नजर आती है और अगर मजदूर से ही पूछ लीजिए कि किस घर के अंदर गल्ला देते हैं, तो वही सीधे बता देंगे, उसमें कोई तार्किकता की कमी नहीं है । इसी के साथ माननीय सदस्यों ने जो बात उठाई कि एक वर्ग का पैदा हुआ दूसरे स्टेट में जाता है तो बदल जाता है, यह बहुत सही है और इसके बारे में पासवान जी ने विचार भी किया था । मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे सुझाव आए थे और कई माननीय सदस्य इस विषय पर दलों से उठकर बोले । सही मायने में जब तक सामाजिक शक्तियां जागृत नहीं होती केवल लैजिसलेशन से नहीं हो सकता है । किसी राष्ट्र का भाग्य लैजिसलेशन से नहीं बनता, केवल कानून से नहीं बनता, जब सामाजिक शक्तियां खड़ी हो गई तभी परिवर्तन आया । यह परिवर्तन की परम्परा अगर अपनी संस्कृति में देखें तो विष्णु यथावादी हैं, स्टेटस की रक्षा करते हैं इसलिए उनका सम्बन्ध लक्ष्मी जी से हुआ, सरस्वती से नहीं हुआ । गदा और चक्र लेकर उन्होंने लक्ष्मी जी से सम्बन्ध जोड़ा । परिवर्तन लाने का काम कौन करता है ? शंकर जी करते हैं । उनके पास कौन है ? उनके पास भूत, प्रेत, सांप, बिच्छू जिनको समाज तिरस्कृत किए रहता है, वह परिवर्तन लाता है । अगर परिवर्तन लाना है तो जो तिरस्कृत हैं उनको समेटिए, तब परिवर्तन आ सकता है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुटा) : यह याद रखिए कि सरस्वती भी विष्णु की पत्नी हैं ।

[अनुवाद]

श्रीमती बिभू कुमारी देवी (त्रिपुरा-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इस माननीय सभा में मैं गरीब जनजाति के एक वृद्ध व्यक्ति जो 100 वर्ष से अधिक का है के जमीन का दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहती हूँ । उसके जमीन के दस्तावेज से यह पता चलता है कि वे तीन भाई थे । आज वह अकेले ही बचा हुआ है जो अपने अधिकार, अपने भाई के बच्चों, अपने पौतों तथा परपौत्रों के अधिकारों के लिये लड़ रहा है ।

महोदय, संसद में मैं पहलीबार आई हूं और मैं कई गलतियां भी कर सकती हूं और इसलिए पूरी विनम्रता के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों के समक्ष अपने विचार रखना चाहती हूं और सभा से प्रश्न करना चाहती हूं । क्या हमने गरीब और जरूरत मंद लोगों के लिये वास्तव में कोई ऐसी व्यवस्था की है जिससे उन्हें न्याय मिल सके ?

इस गरीब जनजाति के व्यक्ति को 1950 में बंटवारे के तुरंत बाद अपने जमीन से बेदखल कर दिया गया और एक ही रात में भूमिहीन मजदूर हो गया । चूंकि वह अशिक्षित था इसलिये वह कानूनी कार्रवाई नहीं कर सका । अपने विपक्षी सहयोगियों, विशेषकर त्रिपुरा के मार्क्सवादियों, के प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं कहती हूं कि यह वृद्ध व्यक्ति वामपंथी सरकार के तत्कालीन राजस्वमंत्री के पास गया, उन्होंने उसे बंगला भाषा में लिखा एक पत्र दिया स्पष्ट है कि यह अशिक्षित वृद्ध व्यक्ति यह नहीं पता लगा सका कि यह पत्र किसके नाम है । उसने उस पत्र को अपने पास रखा—वह अब मेरे पास है—जिसमें अप्रत्यक्ष रूप उसके जमीन से बेदखल किये जाने के संबंधी मार्गनिदेश है । यह घटना 1985 की है ।

महोदय, मैं ऐसा सोचने के लिये बाध्य हो गई हूं कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के लिये कोई न्याय नहीं है, न्याय गरीबों के लिये सुखद स्वप्नमात्र है और हमारे तथा राजनैतिक पार्टियों के लिये एक राजनीतिक मजाक है । हम इस संबंध में ईमानदारी बरतें । महिलाओं, हरिजनों और जनजाति के लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने तथा सरकार और नौकरशाही द्वारा कानून के पालन में उनकी जवाबदेही कहां है ? वे न्याय कैसे प्राप्त कर सकेंगे ? भूमि सुधार, भूमि कानून और नियम के अनुसार वह जमीन जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की हैं, गैर जनजातियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती अभी भी जनजातियों की सभी महत्वपूर्ण जमीनों को बिना किसी मुआवजे के अथवा पर्याप्त मुआवजा दिये बिना हथिया लिया जाता है । सभी बड़ी परियोजनाओं के कारण ये गरीब लोग विस्थापित होकर बंधुआ मजदूर हो गए । कितने माननीय सदस्यों ने वैयक्तिक अथवा सामूहिक रूप से उनके हितों का समर्थन किया है ?

महिलाएं भी पिछड़े वर्ग में आती हैं । वे धर्म अथवा सामाजिक रीति रिवाज के आधार पर अतीत की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं । हालही में हमने छोटी सी लड़की अमीना के बारे सुना है लेकिन उस जैसी कितनी लड़कियों की देह व्यापार के लिये इस देश से तस्करी की गई है । लेकिन महोदय, राष्ट्रीय महत्व के इस मुद्दे पर कोई भी पार्टी एकमत नहीं हुई है जो महिलाओं के साथ, चाहे वे त्रिपुरा की हों या किसी अन्य स्थान की, छेड़छाड़, बलात्कार और अत्याचार जैसे मामले हैं । कोई भी यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नही बच सकता है कि ऐसा उसके निर्वाचन क्षेत्र में नहीं हुआ है ।

आपके माध्यम से, मैं इस सभा के माननीय सदस्यों का इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि न्याय और सच एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । कोई भी अपने दल के लिये ऐसी राष्ट्रीय समस्या का लाभ नहीं उठा सकते है ? यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम हरिजनों, पिछड़े वर्ग के लोगों जनजातियों और महिलाओं के सम्मान की ओर जीवन की रक्षा करें ।

मैं अब कुछ सुझाव दूंगी । मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि सामाजिक तथा आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों के लिए, विशेष तौर पर जो स्त्रियों और बच्चों के विरूद्ध होते हैं जिसमें जनजातियां हो या गैर जनजातियां सभी वर्गों के लोग शामिल हों, अलग से विशेष न्यायालय और कानूनी सैल बनाये जाने चाहिये ।

नौकरशाही का दायित्व भी उसमें होना चाहिये । अगर कानून को लागू नहीं किया गया है तो इसका कारण यह है कि बहुत से सरकारी विभागों और उद्यमों में नौकरियों में आरक्षण की नीतियों को लागू नहीं किया गया है । मैं यहां बताना चाहूंगी मेरे अपने राज्य त्रिपुरा में, अगरतला नगरपालिका में सन् 1977 से

जनजातिय आरक्षण नीतियों को लागू नहीं किया गया है । मैंने जब मैं राज्य मंत्री थी केन्द्र को पत्र लिखे थे और मैंने पाया कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । श्रीमती इंदिरा गांधी के दुःखद हत्याकांड के पश्चात, दंगों के पश्चात, सभी ने उस समय सिखों का मुद्दा उठाया जो बहुत ठीक था । लेकिन 1980 में भी हमारे राज्य में भयंकर दंगे हुए । अगर आप याद करें, जनजातियों के छोटे-छोटे बच्चों का शोषण किया गया, महिलाओं से बलात्कार किया गया और वे शेष जीवन के लिए विकलांग हो गये किसी ने उन्हें रोजगार देने की नहीं सोची ।

इन जनजातियों को बड़ी परियोजनाओं के कारण विस्थापित होना पड़ता है । उदाहरण के तौर पर खोवाई घाटी परियोजना से हम केवल 3 किलो वाट बिजली प्राप्त कर रहे हैं । त्रिपुरा की 70 वर्ग मील क्षेत्र में फैली घाटी जलमग्न हो गई है । मस्य पालन के अधिकार कौन प्राप्त कर रहा है ? ये गैर-जनजातियों के लोग है, जो यह अधिकार प्राप्त कर रहे है । हमारे यहाँ एक लाख से अधिक झूमिया लोग है । ये सभी नीतियाँ जो बनाई गई है वे लागू करने के लिए बनाई गई है परन्तु वे कभी भी लागू नहीं की जायेंगी क्योंकि हम आर्थिक रूप से निर्धन हैं । जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाते, जैसा कि श्री सीताराम केसरी ने कल कहा—

[हिन्दी]

"जब तक धनुष और तीर नहीं ले लेते है, तब तक हमारी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है ।" इसे प्राप्त करना कठिन है ।

[अनुवाद]

यह आक्रामकता अथवा बगावत की बातें करने की चाहत का प्रश्न नहीं है । मैं अपने सभी साथियों का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि गरीबों की सेवा करना किसी एक पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष का प्राधिकार नहीं है । यह सभी की सांझी जिम्मेदारी है । हम नहीं चाहते कि वे किसी राजनीतिज्ञ के हाथों में कठपुतली की तरह प्रयोग कियें जायें ।

अत· अगर कानून को लागू नहीं किया जाता तो उसके लिए नौकरशाही को जवाबदेह होना चाहिये । मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बहुत से उद्यमों और सरकारी विभागों में, जैसाकि मैंने पहले कहा रोजगार आरक्षण नीतियों को अभी तक नहीं अपनाया गया है ।

अत: जो सदस्य यहाँ मौजूद है उन्हें भारत के लोगों की कल्पना को विस्तृत आयाम देने के लिये याद किया जायेगा ।

आइये हम नये क्षितिजों और कल्पनाओं का माध्यम बनें । वही हमारी उपलब्धी और कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण होगा ।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि आप गुंटूर जिले के त्सुन्दूर गाँव जो मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक गाँव है, की स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगा सकते हैं ।

यद्यपि मुझे इस बहशा कार्यवाही पर बड़ा दुःख है तथा इस महीने की 8 और 9 तारीख को इस सभा तथा सरकार का ध्यान भी आकर्षित करने के लिये यह मामला सफलतापूर्वक उठाया था, मुझे सचमुच यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस दुखद घटना के एक हफ़्ते बाद भी इस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है । इसका मुझे अत्यंत दुख है ।

मैं कल और आज चर्चा को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं तथा मैं सचमुच इस बात से विचलित हूं कि इस महान सभा में समाज के अन्य कमजोर वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए किए जाने वाली उपबन्धों को विस्तृत आयाम देने तथा भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रावधानों को बड़े न्यायपूर्ण ढंग से देने पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है । हममें से प्रत्येक यह स्वीकार करते है इन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ न्याय नहीं किया गया है । मैं नहीं जानता कौन किसको दोष दे रहा है, विरोधी पक्ष के लोग सत्तापक्ष को दोष दे रहे है या सत्तापक्ष के लोग किसी अन्य व्यक्ति को दोष दे रहे है । मैं नहीं जानता मैं इस संसद में नया आया हूं । मैं सचमुच इस बात से विचलित हूं कि कौन लोग हमारे वरिष्ठ नेताओं को जो इस मामले के सर्वेसर्वा है, इतने वर्षों तक इन अनुसूचित जातियों और पददलित लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करने से रोक रहे हैं ?

इस विशेष प्रकरण में, दो मामले गुन्टूर जिले के त्सुन्दूर गाँव से संबंधित है । सभी को उनकी आलोचना करनी चाहिये कि एक सभ्य समाज में यह बहशीपन का व्यवहार है, विश्वासघाती दृष्टिकोण है, तथा शर्मनाक पहलू है ।

इस घटना की सुनने पर, जो इस महीने की 6 तारीख को घटित हुई और 7 तारीख को हमें इसकी जानकारी मिली—और फिर शीघ्र ही हमने एक नोट तैयार किया तथा इस सदन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया तथा उस दिन तथ्यों के ज्ञापन की एक प्रति इस सदन के नेता को वक्तव्य जारी करने के अनुरोध के साथ दी क्योंकि उस गाँव में लगभग 20 हरिजनों को मार दिया गया था ।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि नौ दिन बीतने के बाद भी इस सदन से कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया तथा हम इस विशेष समस्या की गंभीरता को अच्छी तरह जानते और समझते हैं । एक गाँव में लगभग 20 हरिजन क्रूरतापूर्ण तरीके से मार दिये गये । इस महीने की नौ तारीख को मैं, श्री राम विलास पासवान, श्री रोशन लाल, श्री बी० एन० रेड्डी, श्री लाल जन बाशा और श्री बालायोगी, हम छह व्यक्ति उस गाँव में गये । 10 तारीख को हम वहाँ घटना के बारे में स्वयं जानकारी लेने गये । यह कहना अत्यंत दुःखद है कि यद्यपि यह घटना इस महीने की 6 तारीख को हुई लेकिन मुख्य मंत्री इस महीने की 9 तारीख तक भी वहाँ नहीं जा सके । यह एक ऐसी घटना है जिसमें 20 हरिजनों की हत्या कर दी गई थी ।

इस सम्बन्ध में मैं एक पूर्व उदाहरण देना चाहूँगा । जब दुर्भाग्य से एक हरिजन इस प्रकार की वहशी कार्यवाही का शिकार हुआ और सन 1987 में नीलकोन्डा गाँव में हत्या हो गई, उसके अगले दिन ही इस देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री उस गाँव में थे । मैं अपने साथियों को सुन रहा था—श्री मुकुल वासनिक भी कल बता रहे थे कि हमें इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिये । हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं । यह कोई मुद्दा नहीं है । लेकिन हम केवल सरकार से समाज के सभी वर्गों के साथ सामाजिक न्याय करने का अनुरोध करते हैं । जैसा कि मैं बता रहा था, उस घटना के अगले दिन ही, तत्कालीन प्रधान मंत्री वहाँ थे । हमें एक बात का सचमुच दुःख है । हमारे प्रधान मंत्री हमारे अपने राज्य से है । हमें सचमुच ये खुशी हुई जब एक दक्षिण भारतीय विशेष रूप से जब आँध्र प्रदेश से इस देश के इतने उच्चतम पद पर पहुँचा है । 20 हरिजनों की हत्या के पश्चात भी प्रधान मंत्री ने इस घटना पर चिन्ता तक व्यक्त नहीं की है । और जहाँ तक इस मामले का सम्बन्ध है, उस स्थान पर जाने की बात तो दूर, उन्होंने इस मामले पर दुःख अथवा चिन्ता व्यक्त करने के लिए वक्तव्य तक जारी नहीं किया और न राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने के लिए ही निर्देश जारी किए हैं । जहाँ तक इस विशेष मामले का सम्बन्ध है, हमें प्रधान मंत्री की चुप्पी पर बहुत दुःख है । मैं यहाँ घटना का विस्तार से विवरण नहीं करना चाहता । जिस प्रकार से घटनाएँ घटित हुई उसका वर्णन हमारे बहुत से वरिष्ठ साथियों ने किया है । मैं केवल पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग और सबसे अधिक राज्य सरकार की असफलता के तीन या चार पहलुओं का जिन्होंने इस घटना के प्रति अत्यधिक उदासीनता दिखाई है, उल्लेख करना चाहूँगा । इस महत्वपूर्ण घटना के लिए बहुत उदासीनता दिखाई गई ।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने कितने हल्के ढंग से इस घटना का निपटान किया है ।

महोदय, घटनाओं की शुरुआत एक छोटा सा झगड़ा होने पर 7 जुलाई के बाद शुरु हुई ।

अध्यक्ष महोदय : यह समय लेगा । हम संपूर्ण देश की स्थिति पर विचार कर रहे हैं । आप संक्षेप में उसका उल्लेख कर सकते है ।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलू : मैं घटना का विस्तार से विवरण नहीं कर रहा । परन्तु यह गाँव मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आता है । इस घटना को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया, यह बताने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए । उस गाँव को न्याय नहीं दिया जा रहा है । यही बात मैं इस सभा में बताने जा रहा हूँ । 7 जुलाई को एक थियेटर में एक छोटा सा झगड़ा हुआ था । अगर इस मामले पर अधिकारी चुप न रहते, उदासीनता जाहिर न करते तो इस प्रकार हत्याएं न होती । उस गाँव में 7 जुलाई के पश्चात् धारा 144 के अंतर्गत निवारक आदेश लागू कर दिये गये थे । इसका क्या अर्थ है ? अगर पुलिस प्रशासन ने उस गाँव में धारा 144 लागू की है तो क्या यह दुःखद नहीं है कि ऐसी स्थिति उस गाँव में उत्पन्न हो रही है । क्या इसका यह अर्थ है कि उस गाँव की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है । जब धारा 144 लागू थी और गाँव में इस महीने की छह तारीख को लगभग 59 पुलिस अधिकारी जिनमें एक क्षेत्रीय निरीक्षक, आठ उप-निरीक्षक और पचास पुलिसकर्मी शामिल हैं, वहाँ मौजूद थे और 59 अधिकारियों की मौजूदगी में ही लगभग 20 हरिजनों की हत्या कर दी गई । यह स्पष्टतय: पुलिस के अधिकारियों की असफलता है । यह कार्य ऐसे लोगों द्वारा किया गया जिन्हें पुलिस अधिकारियों की मिली-भगत से इस कार्य के लिए तैनात किया गया था । जब इस प्रकार की घटना हुई और लगभग 20 व्यक्ति मारे गये फिर भी 24 घंटों के अंदर जिला-अधिकारियों को मामले की सूचना नहीं दी गई थी । क्या यह कार्य इतना आसान है ? क्या यह ऐसा साधारण सा मामला है कि इसे यूँ ही रहने दिया जाये । 24 घंटे तक मामले की सूचना जिला न्यायाधीश अथवा जिला पुलिस अधिकारी को नहीं दी गई । आप भली प्रकार समझ सकते हैं कि राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के स्तर पर इस मामले के प्रति कोई उत्सुकता नहीं थी । जिला मजिस्ट्रेट ने यह सही ही स्वीकार किया है कि मामले की जानकारी उनके पास पहुंची ही नहीं है । जहाँ तक सरकारी तंत्र का सम्बन्ध है, मैं इसे सभा की इच्छा पर छोड़ता हूँ कि वह इस लापरवाही की जिम्मेदारी या तो पुलिस अधिकारी अथवा जिला राजस्व अधिकारी अथवा इस सम्बन्ध में जो भी वहाँ मौजूद था उस पर निर्धारित करे ।

मैं कह सकता हूँ कि 9 तारीख को हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री उस गाँव के दौरे पर गये और उन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पर यह पुलिस प्रशासन की असफलता का मामला है तथा उन्होंने सुझाव भी दिया कि राज्य पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों का तबादला कर दिया जाना चाहिये अथवा उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिये ।

10 तारीख को उन 22 व्यक्तियों के जिनके मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, उनमें से 9 व्यक्तियों की लाश प्राप्त कर ली गई । चार दिन के पश्चात् 10 तारीख को नौ मृतकों की लाशें उनके निकट संबंधियों को दे दी गई । यह पुलिस को भली-भाँति मालूम था कि 10 तारीख की शाम को वे गाँव में जुलूस निकालने जा रहे है । उस जुलूस के लिए वे लगभग 10,000 लोगों को इकट्ठा कर रहे थे । केवल मृतकों के निकट सम्बन्धियों को ही नहीं बल्कि अन्य लोगों की भी घुसपैठ हो गई थी । यहीं मैं इस सभा को जोर देकर यह बताना चाहूँगा कि उस दिन स्थिति समाज-विरोधी उग्रवादी तत्वों के हाथों में चली गई थी । स्थिति नियंत्रण में नहीं थी । उस दिन प्रतिशोध की भावना नहीं थी । जब मृतकों की लाशें तेनाली से त्सुन्दुर गाँव, 17 किलोमीटर की दूरी पर ले जाये गये तो 10 हजार व्यक्तियों का जुलूस था जिसमें असामाजिक तत्व भी शामिल

थे । ऐसी स्थिति में कुछ शरारत, गुंडागर्दी अथवा गड़बड़ी होगी इस बात का अंदेशा था । उस दिन गाँव में जिला मजिस्ट्रेट, 300 पुलिस अधिकारियों समेत उप-पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक मौजूद थे फिर भी तथाकथित गैर-सामाजिक तत्वों ने वहाँ गुण्डागर्दी की जिसमें स्वर्ण वर्ग का एक व्यक्ति श्री मल्ला रेड्डी की हत्या की गयी । ऐसा राज्य तथा पुलिस प्रशासन की पूर्ण असफलता के कारण हुआ । यह हत्या 10 तारीख को हुई । उस वक्त गाँव में पुलिस अधिकारी तथा राजस्व अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे । 10 तारीख को एक व्यक्ति श्री मल्ला रेड्डी की हत्या की गई, 50 घरों में आग लगा दी गई और बहुत से घरों को खुले आम लूटा गया । यह सचमुच बहुत शर्मनाक बात है कि उस दिन बहुत सी महिलाओं के साथ छेड़खानी भी की गई । यह सब जिला कलक्टर और अनेक पुलिस अधिकारियों के गांव में मौजूद रहने पर भी किया गया । क्या यही वह समाज है, जिसमें हमें रहना है ?

क्या यही वह समाज है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक न्याय की माँग कर रहा है ? वस्तुस्थिति खराब होती जा रही है । मैं कहना चाहता हूं कि न केवल 5 और 6 तारीख को बल्कि 10 तारीख को भी पुलिस, राजस्व और अन्य एजेंसियां पूर्ण रूप से असफल रहीं । उन दिनों जो अधिकारी वहाँ मौजूद थे, उनको कठोरतम सजा दी जानी चाहिये और मैं चाहता हूँ कि उनके विरुध्द उचित कार्यवाही की जाये । यह मैं राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर छोड़ना चाहूँगा । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप और कितना वक्त लेंगे ।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : मुझे दस मिनट का समय और चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप सभी तथ्यों को जोड़ रहे हैं तो फिर यह बहुत कठिन बात है और यहाँ से कुछ भी नहीं किया जा सकता । राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है और यह सारा विवरण लिखित रूप में दिया जा सकता है । मेरे पास सदस्यों की बहुत लम्बी सूची है, जो बोलना चाहते हैं ।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : महोदय, मैं इसे पूरा करूंगा । मैंने केवल 10 मिनट लिए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत समय ले लिया है । दस मिनट का समय काफी है । कृपया संक्षेप में कहें और मूल मुद्दे पर आएं ।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : राज्य में एक बहुत ही गलत प्रवृत्ति पनप रही है । हम, विपक्ष के सदस्य, विशेषतया तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य, इस विषय को राजनीति का मुद्दा बनाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं । किन्तु स्वयं कांग्रेस पार्टी इस विषय को राजनैतिक मुद्दा बना रही है । इस विषय को इस प्रकार समाप्त नहीं होने दिया जायेगा । इस विषय को इस स्तर पर समाप्त नहीं होने दिया जायेगा । यह उनके लिए नई बात नहीं है । पहले भी एक अवसर पर राज्य के मुख्य मन्त्री को बदलने के मुद्दे पर, साम्प्रदायिक दंगों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था । अब, एक अन्य अवसर आया है और एक दूसरा उत्साह जागृत हो रहा है वे इस घटना विशेष का लाभ उठाकर राज्य के मुख्य मन्त्री को बदलने का प्रयास कर रहे हैं । इसीलिए, मैं सदन को यह समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ । एक कांग्रेस विधायक ने एक वक्तव्य दिया था कि मुख्य मंत्री को तुरन्त अपने पद का त्याग कर देना चाहिए । **(व्यवधान)** मैं यह कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि इस मुद्दे को राजनैतिक रूप न दिया जाये । **(व्यवधान)** मैं यह केवल अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस के एक विधायक ने स्वयं वक्तव्य दिया था । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ अन्य सदस्य भी हैं जो बोलना चाहते हैं । कृपया अपनी बात समाप्त करें ।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : एक विशेष न्यायालय का गठन किया जाना है, क्योंकि न्याय देने में देर करना एक प्रकार से न्याय से वंचित करना है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बात को दोहराएँ नहीं। यह पहले ही कहा जा चुका है।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : यह न्यायालय की 6 तथा 10 तारीख को हुई घटनाओं की पूर्ण रूप से जांच करनी चाहिये। चूंकि कई महिलाएँ भी थीं जिनका अपमान किया गया था तथा जिन पर अत्याचार किए गए थे, तीन महिला सदस्यों के एक दल का गठन किया जाये, और यह उपयुक्त होगा यदि ऐसा न्यायालय द्वारा हो। वे घरों में जाकर पूछताछ करें कि वास्तव में क्या हुआ था क्योंकि उनके तथ्य उजागर करने के रास्ते मे सामाजिक बाधाएँ आ रही हैं। जो व्यक्ति तथ्यों को सामने लाते हैं उनके नाम नहीं बताए जाने चाहिए।

मेरा सुझाव है कि उन लोगों को भी राहत प्रदान की जाये जिन्होंने 6 तथा 10 तारीख को नुकसान उठाया था। एक शान्ति समिति का गठन भी किया जाये ताकि इस घटना का प्रभाव फैलकर पड़ोस के गांवों में न पहुँचे।

6.00 म० प०

अध्यक्ष महोदय : ऐसा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। कृपया ऐसे विषयों पर सदन का समय नष्ट न किया जाये जिनका समाधान सदन द्वारा नहीं किया जाना है।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : केन्द्र सरकार द्वारा एक निर्देश जारी किया जा सकता है क्योंकि आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। मैं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा कह रहा हूँ। 6 तारीख की घटना के पश्चात मुख्य मन्त्री जी 7 तारीख को दिल्ली आए थे। यदि वे इसके प्रति गम्भीर थे तो उन्हें सीधे गांव में जाना चाहिए था। अतः हमारी मांग है कि हर बार आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री बदलने के स्थान पर, राज्य सरकार को ही निलम्बित करके जनता से नया जनादेश प्राप्त किया जाना चाहिये। **(व्यवधान)**

6.01 म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(दो) छोटे और सीमान्त किसानों को उर्वरक मूल्य वृद्धि से छूट देने के बारे में कार्यप्रणाली

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय मंत्री श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन से एक पत्र मिला है । मेरे विचार में वे उर्वरक के मूल्यों के सम्बन्ध में इस सभा में एक वक्तव्य देना चाहते हैं । मैं माननीय मंत्रि से निवेदन करता हूँ कि वे मुझे वक्तव्य पर थोड़ा समय दें । मुझे यह 5.15 म० प० या 5.30 म० प० मिला था । कृपया कुछ समय दें । आज, यह वक्तव्य दे सकते हैं ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : उर्वरकों के मूल्यों में हुई वृद्धि के प्रभाव से छोटे और अत्यंत छोटे किसानों को छूट देने के लिये वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य सरकारों के परामर्श से पध्दतियां तैयार की जानी थीं । यह कार्यवाही अब पूरी हो चुकी है और राज्य सरकारों को मार्गनिर्देश जारी कर दिये गये हैं । इन मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्यों को छोटे और/अत्यंत छोटे किसानों के लिये उर्वरकों पर राजसहायता देने के लिये राज्यों को एक निश्चित राशि दी गई है । (यह 1990-91 में प्रयोग किये गये उर्वरकों के छोटे तथा अत्यंत छोटे किसानों द्वारा धारित क्षेत्र के आधार पर निश्चित की गई है ।) लेकिन इन कृषकों के लिये प्रतिपूर्ति की पध्दति तैयार करने में उन्हें कुछ स्वतंत्रता दी गई है । तथापि प्रतिपूर्ति, राज सहायता प्राप्त आपूर्ति के लिये अभिज्ञान/खरीद प्रमाण/धारित क्षेत्र/पड़ला प्रयोग एवं एक निश्चित क्षेत्र में उपलब्ध उर्वरकों की मात्रा से सम्बद्ध होगा ।

6.03 म० प०

देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में प्रस्ताव—जारी

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रस्ताव पर कल से चर्चा कर रहे हैं । मेरे विचार में इसे लम्बित नहीं रखा जाना चाहिए । आज हम कम से कम 7 म० प० तक इस चर्चा को पूरा कर लेंगे ।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : इस चर्चा में बहुत से वक्ता भाग लेना चाहते हैं । ऐसे विषय यदा-कदा आते हैं । पहले हमने आयोग की रिपोर्ट पर लगभग तीन दिन तक चर्चा की थी । ऐसा पहली बार हुआ है जब हम इतने विस्तार से चर्चा कर रहे हैं । यदि सम्भव हो, तो कृपया इसे 19 तारीख तक बढ़ा दें ताकि इस चर्चा में बहुत से सदस्य भाग ले सकें ।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान-निकोबार) : इन विषयों को हल्केपन से नहीं लेना चाहिए । यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हम इसमें भाग लेना चाहते हैं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लड और ड्राउट पर डिस्कशन चालू है । इस विषय पर भी डिस्कशन चालू है और बजट पर भी डिस्कशन कर रहे हैं । होम मिनिस्ट्री के लिए 10 घण्टे रखे गए हैं, यह विषय होम मिनिस्ट्री की डिमाण्ड के तहत भी डिसकस किया जाता है । क्या आप चाहते हैं कि होम मिनिस्ट्री, बजट डिसकस न हो, दूसरी मिनिस्ट्रीज का बजट डिसकस न हो । तीन तारीख को गिलोटीन होने

वाला है । अगर आपने ऐसा करना है तो इसमें मुझे आपत्ति नहीं है । मगर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज दस बजे तक भी बैठ लें, लेकिन इसको कम्पलीट कर लें । 19 तारीख को फ्लड और ड्राउट पर भी डिसकशन है, बजट पर डिसकशन के लिए आपका टाईम चला जाएगा ।

[अनुवाद]

हमें समझौता करना होगा । मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि सम्पूर्ण सदन चाहे तो इसे स्थगित किया जा सकता है । आप गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के साथ इन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं । यदि आप गृह मन्त्रालय के बजट के स्थान पर इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि काफी माननीय सदस्य इस पर बोलने वाले हैं और एक घंटे का समय बढ़ा दिया तो इस पर सभी सदस्य बोल नहीं पायेंगे । ऐसी स्थिति में सोमवार को रखा जाना ठीक होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं, सोमवार मंगलवार और बुधवार को रखूं तो वह टाइम आपका है । वही टाईम आपको बजट पर डिसकस करने के लिए नहीं मिलेगा । यह आपकी इच्छा है कि आप इस पर डिसकस करना चाहते हैं ।

[अनुवाद]

श्री के० वी० तंगकाबालू (धर्मपुरी) : महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचारों का विषय एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है । इस पर चर्चा करने में सब इच्छुक हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते समय इस पर भी चर्चा कर सकते हैं ।

श्री के० वी० तंगकाबालू : यह सत्य है । किन्तु ऐसे अन्य विषय हैं जिन पर गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जानी है ।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु इसके लिए आठ घण्टे का समय है ।

श्री के० वी० तंगकाबालू : महोदय, हमें इस विषय पर अवश्य चर्चा करनी चाहिए । इसे विशेष महत्व दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री की सलाह मानूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे आज रोक दूंगा और इसे सोमवार को और मंगलवार को फिर लिया जायेगा । किन्तु आप यह बात जान लें कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो बाढ़ और सूखे की स्थिति पर भी चर्चा की जानी है । आपको उपलब्ध समय का प्रयोग आप विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा करने में कर सकते हैं । यह आपकी इच्छा पर है । मैं संसदीय कार्यमंत्री और सभा के नेताओं की सलाह मानूंगा ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम 7 बजे तक बैठ सकते है । (व्यवधान) सोमवार से, 7 बजे तक बैठेंगे । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले मंत्री को बोलने दें—सभी इकठ्ठे और एक साथ न बोलें । मंत्री को बोलने दें ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, ऐसा लगता है कि अधिकांश सदस्य चर्चा के लिए कुछ अधिक समय चाहते हैं । किन्तु, हम पहले ही पूरे तीन दिन गँवा चुके हैं जिनमें हम विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा कर सकते थे । किन्तु, सदस्यों की इच्छा सर्वापरि है । फिर भी, मैं अनुरोध करूँगा कि सोमवार से दोनों चर्चाएं पूरी हो जाएँ :

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । क्या माननीय सदस्य कुछ और समय यहाँ बैठ कर इस पर चर्चा करना चाहेंगे ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : 7 बजे तक ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आज 7 बजे तक नहीं बैठ सकते ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसमें विरोधाभास है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से 7 बजे तक बैठने का अनुरोध करूँगा । हम सोमवार को भी इसे जारी रखेंगे । हम 7 बजे तक बैठ सकते हैं क्योंकि हम इसे पूरा नहीं कर सकते । अब, श्री बूटा सिंह बोल सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने अभी-अभी आदेश किया कि यह मामला गृह मंत्रालय की डिमाण्ड के वक्त डिसकस हो सकता है । हम आपके आभारी हैं और गृह मंत्री जी के आभारी हैं कि वे इस मामले में पूरी दिलचस्पी लेकर यहां पर बैठे हुए हैं । क्या मैं आपके माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी को एक और निवेदन कर सकता हूँ कि कृपया इस पोर्टफोलियों को गृह मंत्रालय में ले लें । जब मैं यह बात कहता हूं तो मेरे मन में एक अनुभव है ..... (व्यवधान)

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, यह मेरा विश्वास है कि प्रधान मंत्री ही निर्णय लेते हैं; मैं कह नहीं सकता ।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : मेरे पास अनुभव है । जब हम माननीय समाज भलाई मंत्री को पत्र लिखते हैं तो उस पत्र को राज्य सरकारों में मुख्य सचिव क्या वेलफेयर सेक्रेटरी भी नहीं पढ़ता है । यह मैं अपने अनुभव से कह

रहा हूँ और एक सुझाव और देना चाहता हूँ । मुझे मालूम है गृह मंत्री जी फिर कहेंगे कि उनके बस में नहीं है । मैं एक सुझाव और देश के हित में देना चाहता हूँ, खासकर पिछड़े वर्गों के हित में, गृह मंत्री कृपया सर्विसेज अपने नीचे ले लें । जब तक आप पर्सोनिल के इन्चार्ज नहीं होंगे, अनुसूचित जाति और जनजाति के इंचार्ज नहीं होंगे, हम जितने भी सुझाव देंगे वे एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, एक सरकार से दूसरी सरकार के पास जाते रहेंगे और उनके ऊपर अमल शून्य के बराबर होगा ।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ । यह जो पब्लिक सिविल राइट्स एक्ट है इसके अन्तर्गत गृह मंत्री को आदेश है कि वह हर साल इसके अन्तर्गत जितने भी केसेज होते हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है उसकी एक रिपोर्ट इस सदन में पेश करे । मुझे पढ़कर बहुत दुःख हुआ कि सन् 1986 में यह एक्ट पास हुआ और उसकी रिपोर्ट सन् 1989 में मिली और वह भी अधूरी । उसमें जो देखने को मिला है आप भी और माननीय सदस्य भी जब सुनेंगे तो सबको आश्चर्य होगा और आप भी मेरी बात का समर्थन करेंगे । इस पब्लिक सिविल राइट्स एक्ट के बारे में मैं केवल चार-पांच प्रांतों का जिक्र करूंगा, क्योंकि पूरे का जिक्र करने के लिए मुझे ज्यादा समय चाहिए । जो हरिजनों के बारे में केस फाइल हुए, चालान हुए, कचहरी में गये, अध्यक्ष जी, आपको मालूम है उसका अनुपात क्या है । तमिलनाडु में 93 प्रतिशत एक्वीटेंस हुए, आंध्र प्रदेश में 90 प्रतिशत एक्वीटेंस हुए और राजस्थान में 74 प्रतिशत एक्वीटेंस हुए । मैं पूरे आदर के साथ गृह मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ, आप इस राज्य से दो साल के बाद मुक्त हो सकते हैं, उन गरीबों पर जो मुकदमे हुए 90-94 प्रतिशत एक्वीटेंस हुए हैं, इसका कारण आप सदन में बतायेंगे ? जो अत्याचार हुए उसके अन्तर्गत कानून के मुताबिक चार्ज शीट फाइल हुई मुकदमे चले और कचहरी में 93 प्रतिशत केस पर कहा कि इसमें सजा नहीं दी जा सकती । इसलिये कि हमारे भारत में इसका सबसे बड़ा दुश्मन लॉ आफ एवीडेंस है । इतनी बड़ी हत्यायें हुई हैं । ये जो हत्यायें हुई जिन पर सारा देश हिल गया है और इस सदन में हम लोग चिन्ता में बैठे हुए हैं, होगा क्या, जज साहब की तीन महीने के बाद रिपोर्ट आयेगी । हाशिमपुरा में क्या हुआ । हम भी गृह मंत्री थे, कुछ नहीं हुआ । मैं आशा करता हूँ हमारे माननीय श्री चव्हाण साहब, जिनको जीवन भर का अनुभव है, गरीबों के साथ रहे हैं, गरीबों के लिए, उन्होंने सारा जीवन लगाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि वे भी किसी दूसरे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पायेंगे । 93 प्रतिशत एक्वीटेंस हैं तो क्या कारण है, क्या प्रोसीक्यूशन नहीं हुआ, एवीडेंस नहीं मिला ? जज साहब सवर्ण जाति के होंगे ? इसलिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पोर्टफोलियो को गृह मंत्री के नीचे होना चाहिए ।

मुझे मालूम है स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक सेल क्रिएट किया था कैबिनेट सेक्रेटरी के अन्तर्गत, एक पूरा सेक्रेटरी रखा था । दुर्भाग्यवश जब हम उसका ढांचा बनाते, हम चुनाव में हार गये और उसको फालो नहीं कर पाये । उम्मीद थी कि जो सरकार आयेगी वह करेगी ।

आदरणीय केसरी जी ने यहां एक तेजस्वी भाषण दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने एक पत्र भी लिखा है राज्य सरकारों को और उसमे सुझाव दिया है । तमाम चीफ मिनीस्टर्स को, यूनियन टेरीटरीज़ के चीफ एक्जीक्यूटिव्स को पत्र लिखा है ।

[अनुवाद]

कल्याण मंत्री, श्री सीताराम केसरी ने उनसे कहा है कि घटनाओं के बारे में कन्ट्रोल रूम को सूचना भेजें ।

[हिन्दी]

श्रीमान्, आप क्या समझते हैं कि वेलफेयर मिनिस्ट्री के कंट्रोल रूम मे सूचना आयेगी ? क्या यंत्र है वेलफेयर मिनिस्ट्री के कंट्रोल रूम में ? सही है आपकी मिनिस्ट्री में यंत्र है, सूचना ले सकते हैं, आपके पास साधन है । चूंकि आपके पास संसाधन हैं, आपके पास सु-व्यवस्था है, इसलिए आप सूचना को सही रूप से

एकत्र कर सकते हैं । अब समय आ गया है । मैं एक सुझाव देने जा रहा हूं । मैंने श्री राम विलास पासवान जी का भाषण सुना, श्रीमान् विश्वनाथ प्रताप सिंह का प्रवचन सुना । उन्होंने बहुत अच्छे आदर्शमयी व्याख्यान दिये । उसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा । बड़े आदरणीय हैं । बहुत ऊंचे घराने से आते हैं । उनके मुंह से ये शब्द सुनकर बहुत अच्छे लगते हैं परन्तु वस्तुस्थिति क्या है ? वस्तुस्थिति यह है कि इस मामले को इस सदन में यह कहकर टाल देना कि लॉ एण्ड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और सैण्टल गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती है, इतना भयंकर संकेत दे रहे हैं कि अपने देश में राज्य सरकारों को कि जितना जी चाहे, बूचड़ खाने खोल दें जिसमें हरिजनों, आदिवासियों को मारा जा सके और जहां कुछ नहीं होगा । क्या यह समय नहीं आ गया ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल की मीटिंग होनी चाहिये जिसमें हमें पार्टी से, दल से ऊपर उठकर अपने व्यवहार को निर्धारित करना चाहिये । संविधान की बात करते हैं तो संविधान में जितनी धारायें कमजोर वर्गों के लिए रखी गयी हैं, उतनी किसी के लिए नहीं हैं । इसमें आर्टिकल 15.2, 16.2, 23, 25, 46, 244, 335, 338 और आर्टिकल 339 हैं । ये सारे आर्टिकल्ज़ बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारी रक्षा के लिए रखे । मगर क्या कभी किसी आर्टिकल का हमने उपयोग करके इन निहत्थे लोगों को संरक्षण दिया ? हम हमेशा जो बयान देते हैं इस सदन में कि यह स्टेट का सब्जेक्ट है, यह सही नहीं है । यदि हम पूरे विचार से, गंभीरता से आर्टिकल 338 पढ़ें तो उसमें राष्ट्रपति जी के ऊपर एक दायित्व है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सेफगार्ड व प्रोटेक्ट करने के लिए एक अफसर की नियुक्ति करते हैं और उस अफसर की रिपोर्ट इस सदन में आती है । अब तो उससे भी कहीं आगे बढ़ गये हैं । हमने एक राष्ट्रीय आयोग भी बना दिया । अच्छा किया । मगर कभी हमने सोचा है कि उस स्पेशल आफिसर की क्या दुर्गति हुई ? कभी समय था उसके पास रीजनल आफिसेज़ होते थे, कभी समय था जब देशभर में उसके पास जिले की सारी प्रशासन की डिस्पोजल रहती थी । कहीं अत्याचार होते थे तो स्पेशल आफिसर वहां जाता था और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जाना पड़ता था और उसके बारे में रिपोर्ट देते थे और वे इस सदन में आती थीं । आजकल तो हम पत्रकारों के रहम पर हैं । यदि ये अत्याचार अखबारों में न छपें तो हमारे पास क्या साधन हैं ? स्वयं तो गृह मंत्री आयेगा नहीं क्योंकि यह लॉ एण्ड आर्डर का प्रश्न है, उन्हें क्या पड़ी ? अगर कहीं समाचार-पत्र में छप गया और सदन के किसी माननीय सदस्य ने उठा दिया तो कारणवश सरकार को यहां आना पड़ता है । चाहे सरकार किसी दल की क्यों न हो वरना हमारे पास कोई साधन नहीं ।

अध्यक्ष महोदय, वह जो स्पेशल आफिसर रखा गया था, उसकी 20-25 रिपोर्टों में से मुश्किल से 2 या 3 इस सदन में डिसकस हुई हैं जिसकी हर साल डिस्कशन होनी चाहिये । राष्ट्रपति जी के आदेश के मुताबिक वह पटल पर रखी जानी चाहिये और सभापटल में रखने के बाद अगले सत्र में उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिये, लेकिन नहीं हुई । नतीजा क्या हुआ ? उस स्पेशल आफिसर के पर काट दिये गये । पहले तो उसके रीजनल आफिसेज़ बंद कर दिये गये । फिर उसे आर० के० पुरम् के एक छोटे से कमरे में बैठा दिया गया । उसके बाद पत्र-व्यवहार करने के लिए आगे-पीछे जाने के लिए गाड़ी छीन ली गयी . . .

श्री सूरज मण्डल (गोहड़ा) : जैसे मकवाना साहब को हटाया गया और आपको भी हटाया गया ।

श्री बूटा सिंह : मैं आपसे बात करूंगा । आप कुछ सीखिये । सदन में पहली बार आये हैं । यहां राष्ट्र की बात हो रही है । यहां किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है । आप भी जिसके साथ बैठे हैं, वह भी इस सदन में बैठे हैं । हम तो पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं, व्यवस्था की बात कर रहे हैं । मैंने तो मांग की है और मैं मानता हूं कि सारा सदन इस बात का समर्थन करेगा कि नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल का एक स्पेशल सैशन होना चाहिये । जिसमें दल से ऊपर उठकर हमें अपने राष्ट्र का एक व्यवहार, रवैया, रुख क्या होना

चाहिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रति और उसमें हम मानते हैं कि यह जाति और संप्रदाय, ये दो कुष्ठ आज हमारे समाज को लगे हुए हैं । आप किसी भी अत्याचार को उठा कर देख लीजिए । कहने के लिए ज़मीन का मसला हो, एलीयनेशन ऑफ लैंड का मसला हो, लेबर का मसला हो, मिनिमम वेजेज़ का मसला हो मगर उसके पीछे क्या होगा । मैं उदाहरण देता हूं । यह जो चुण्डूर में हुआ है, इसमें कहा जाता है न तो कोई लैंड का मसला है, न लेबर का मसला है न तनख्वाह का मसला है । इसमें तो ऐसा लग रहा है कि चुण्डूर गांव के हरिजन भाई इज्ज़त और शान से रहना चाहते हैं । बराबर से रहना चाहते हैं । उन्होंने गुस्ताखी की है किसी ऊंची जाति के लड़के के मुकाबले में । उन्होंने बराबर शान से रहना चाहा है और यह भी पता चला है कि वहां, जो अभी अभी विश्वनाथ जी कह रहे थे कि सत्ता नहीं है, शक्ति नहीं है । यहां तो शक्ति है । वहां तो जो चुण्डूर मंडल प्रजा परिषद का अध्यक्ष है वह हरिजन है । लोकल जो बॉडी है उसका चेयरमैन उसका प्रेज़ीडेंट हरिजन है । सत्ता होते हुए यह क्यों हुआ ? इसमें दुर्भाग्यवश भावना जातीयता की है । जातीयता की भावना की वजह से यह नर-संहार हुआ है । एक हरिजन के बच्चे की इतनी हिम्मत हो गई कि वह सिनेमा हाउस में जाकर बराबर में पांव रख सके । श्रीमन्, मैं इस उदाहरण को ज्यादा नहीं दोहराउंगा । केवल दो मिनटों में इसको खत्म करूंगा और चाहूंगा कि मैं जो सुझाव पेश कर रहा हूं आदरणीय गृह मंत्री जी की सेवा में, उन पर बड़े विचार के साथ, धीरजता के साथ अमल किया जाएगा । इस गांव में, तमाम आंध्र प्रदेश के पत्रों ने लिखा है कि इस गांव में तीन महीने से निरंतर टेन्शन बढ़ती चली आ रही थी । एक महीने से इस गांव में 144 सेक्शन लगी हुई है । 7 घटनाएं हुई हैं एक के बाद दूसरी । हर घटना यह संकेत देती थी कि कभी भी यह गांव जल सकता है और इस गांव में जो पुलिस तैनात थी, मेरी सूचना यह है कि 40 कांस्टेबल और 7 सब इंस्पेक्टर थे ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी से निवेदन करके पूछ सकता हूँ कि उस गांव में, जिसकी आबादी बहुत थोड़ी है, 40 कांस्टेबल और 7 सब इंस्पेक्टर हों, फिर यह क्यों हुआ ? हो गया तो कौन ज़िम्मेदार है ? जब सेक्शन 144 एनफोर्स्ड हो गया तो फिर किस तरह से लोगों को मारा गया ? जैसे शिकारी किसी शिकार को निकालता है तो चारों तरफ घात लगाकर बैठे हुए शिकारी उसको मारते हैं । चुण्डूर से निकले और तीन गांव के लोगों ने घात लगाकर लोगों को मारा है । क्या यह सुनियोजित नहीं है ? मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ज्यूडीशियल इन्क्वायरी हो रही है । ज्यूडीशियल इन्क्वायरी एक बुरका है, हर मुर्दे की लाश पर डाल दिया जाता है । हमें कोई विश्वास नहीं है । हमें मालूम है कि तीन महीने के बाद वह ज्यूडीशियल इन्क्वायरी हमें क्या देने जा रही है । इसलिए मैं आपसे पहले यह निवेदन करने जा रहा हूं पूज्य गृह मंत्री जी से कि इतनी बड़ी फोर्स के होते हुए इतनी भारी तादाद में लोग मारे जाएं । दुख है कुछ रेड्डी भी मारे गए । हिंसा दोनों तरफ से बहुत हो रही है मगर क्या कर रही है पुलिस ? इस घटना के बाद तो डी०आई०जी० साहब वहां बैठे हुए थे, फिर वह रेड्डी कैसे मारे गए ? क्यों नहीं व्यवस्था हो पाई ? इसलिए यदि कोई सबसे पहला एक्शन होना चाहिए जिसका एक इलेक्ट्रिफाइंग इफेक्ट होगा तो देखिए कि पुलिस का स्टेट का जो अध्यक्ष है उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती ? मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा ट्रीटमेंट भी कभी कभी देना पड़ता है । आप ज़रा उसको सैक करके देखिए । पुलिस एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और पता चल जाएगा कि पुलिस में गफ़लत का क्या माने होता है । इस इंसीडेंट के बारे में मुझे ज्यादा नहीं कहना है ।

ज्यूडिशियल इन्क्वायरी हो रही है । हमारे मुख्य मंत्री जी जा चुके हैं । मैं विपक्ष के अपने मान्यवर सदस्यों से यह कहूंगा कि इसमें से पोलिटिकल माइलेज निकालने की कोशिश न करें । मैंने उस दिन भी उठकर यही कहा था । हमारे लोग इनडिविजिबल हैं । पीपल आर इनडिविजिबल । पार्टियां हम बनाते रहें, पार्टियां हम देश की सेवा के लिए बनाते हैं । इलेक्शन भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, मगर जब लोगों की बात आती है तो लोग अखंड हैं, लोगों में हम विभाजन न करें चाहे कांग्रेस के हैं, बी०जे०पी० के हैं या तीसरे के हैं । हां, अगर सक्रिय कार्यकर्ता कुछ ऐसा करें, वे लीड करें तो

डैफिनिटली हमें उसका नोटिस लेना चाहिये । खास कर, इस घटना में दोनों ही पक्षों के लोग मारे गये और वह भी पुलिस की निगरानी में । पुलिस ने कुछ देर तक तो चेज़ किया और जब वे किलिंग जोन में पहुंच गये तो पुलिस वापस आ गयी । क्या पुलिस को मालूम नहीं था, उसके पास एडवांस इन्फार्मेशन नहीं थी ? तीन महीने से यह कशाकशी चल रही थी और एक महीने से वहां सैक्शन 144 लगा हुआ था । क्या पुलिस के पास इतनी भी एडवांस इन्फार्मेशन नहीं थी । फिर पुलिस क्या करती है । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले में पुलिस के बड़े से बड़े आफिसर को सजा मिलनी चाहिये ताकि पूरे देश की पुलिस के सभी बड़े आफिसरों को पता चल जाए ।

इसके साथ ही एक सुझाव मैं यह दूंगा, वैसे जब नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल की मीटिंग चले तो उसमें ऐसे सुझाव आने चाहिये कि ऐसे मामलों में जिला अधिकारियों का क्या रोल होना चाहिये, जहां कहीं अत्याचार की घटना प्रकाश में आये । जैसे इससे पहले माइनौरिटीज़ के लिये 15 प्वाइंट प्रोग्राम निकला था, भले ही उस के ऊपर कार्यवाही पूरी नहीं हुई थी, मगर काफी उसका असर हुआ, उसी तरह से अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के ऊपर जब कोई अत्याचार हो तो नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल की तरफ से कोई निर्देश आयें और सरकार उनके ऊपर अपना कार्यक्रम बनाये—वैल फिक्स्ड रैस्पौंसिबिलिटी हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट औथौरिटीज़ और पुलिस कर्मचारियों की, सभी की फिक्स्ड रैस्पौंसिबिलिटी हो, तब जाकर मैं समझता हूं कि इसमें हम कुछ थोड़ी बहुत रुकावट पा सकते हैं ।

अभी मैंने जिक्र किया कि सिविल राइट्स के नीचे इक्विटल की परसेंटेज क्या थी और इसके साथ ही एट्रौसिटीज़ के नीचे भी क्या परसेंटेज रही, उसका भी थोड़ा सर्वेक्षण हुआ है । इसमें केवल एट्रौसिटीज़ के केसेज़ शामिल हैं । आजकल जो प्रक्रिया चल रही है राज्यों में, वह यह है कि यदि कोई कोर्ट या कचहरी भी पुलिस को डायरैक्ट करे कि इस मामले की इन्वैस्टीगेशन करो तो उसकी इन्वैस्टीगेशन नहीं होती है । यदि होती भी है तो बहुत ही निम्न स्तर के पदाधिकारियों को, जैसे हैड कान्स्टेबल को, ए०एस०आई० को भेजा जाता है और वापस कभी उसके बारे में रिपोर्ट नहीं आती । कुछ ऐसे केसेज़ हमारी नोटिस में आये हैं जिसमें राज्य सरकारों की ओर से या कचहरियों की ओर से मुकदमे चले और उनमें जो इक्विटल की मात्रा है, वह बहुत ही चिन्ताजनक है । आन्ध्र प्रदेश में 165 में से 102 केसेज़ में, जो एट्रौसिटीज़ के थे, इक्विटल हुई । इसके माने हैं कि 62 परसेंट । उसी तरह से तमिलनाडु में कुल एट्रौसिटीज़ के 455 केसेज़ हुए, जिनमें से 404 में इक्विटल हुई । ये सारे मामले एट्रौसिटीज़ के थे, माइन्ड इट, सिविल राइटस के नहीं बल्कि स्पेसिफिक केसेज़ ऑफ एट्रौसिटीज़ ऑन हरिजन्स, जिनमें कुल 75 परसेंट इक्विटल हुई । वैसे ही राजस्थान में कुल 220 केसेज़ हुए, जिनमें से 156 में इक्विटल हुई, जो 71 परसेंट आती है । जब यहां आज अत्याचारों के केसेज़ की बात हो रही है, मैं अपने गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हम यही चर्चा सुनते हैं लोक अदालतों की और बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप कोई ऐसा प्रावधान कर सकते हैं, कोई व्यवस्था जुटा सकते हैं कि जब इस एट्रौसिटीज़ एक्ट में, जो 1989 का है, गृह मंत्रालय को आदेश है, न सिर्फ यह कि वह सजा बढ़ा सकता है, जिन जुर्मों के लिये सी०आर०पी०सी० में कम सजा का प्रावधान है, अगर वही जुर्म एट्रौसिटीज़ के नीचे किये जायें तो उनकी सजा बहुत बढ़ सकती है । पहली बात यह है कि आज तक हमें यह जानकारी ही नहीं है कि इसमें भारत सरकार की ओर से क्या फालो-अप किया गया है, क्या मौनिटर किया गया है । एक खास बात इसमें यह भी है कि गृह मंत्रालय को यह अधिकार है कि वह स्पेशल कोर्टस की व्यवस्था कर सकता है । अभी यहां मैंने जितने भाषण सुने, उसमें सभी माननीय सदस्यों ने इस बात का बारबार जिक्र किया है और यह राष्ट्रीय मांग है कि जहां कहीं भी एट्रौसिटीज़ होती हैं वहां स्पेशल कोर्टस गठित की जानी चाहिये और वे स्पेशल कोर्टस एक निश्चित समय के अंदर उन केसेज़ का फैसला करें । भारत सरकार की ओर से हम जो मदद गरीबों के लिये करते हैं, उसमें फ्री लीगल ऐड भी मिलनी चाहिये । अच्छे से अच्छे वकील होने चाहिये । कोशिश यह होनी चाहिये कि प्रौसीक्यूशन जो है, उसका केस फेल न हो । ऐविडैंस के

लिये, हालत यह है, मुझे एक और भी सूचना मिली है, होना तो यह चाहिये कि जैसे ही कोई इस तरह की घटना घटती है, उसके तुरन्त बाद पुलिस आफिसर को वहां पहुंच कर ऐविडेंस को सम्भालना चाहिये। दुर्भाग्यवश ऐसे-ऐसे केसेस देखने को मिले हैं, जहां पुलिस ऑफिसर 24 घंटे तो क्या, 30 घंटे और कहीं-कहीं 76 घंटे तक पुलिस ऑफिसर नहीं पहुंचा। एफ०आई०आर० नहीं लिखी गई और एफ०आई०आर० लॉज करने में 2—3 महीने हो जाते हैं और बहुत से केसेस में तो साल-साल भर हो जाता है। इसीलिए दुबारा एटौसिटीज होती हैं। लोगों का हौसला बढ़ जाता है। आप हरिजन को मार दो, उसको मर्डर केस नहीं लिखा जाता है, बलवा लिखकर काम समाप्त कर दिया जाता है। सबसे आसान तरीका है, हरिजन को मार दो, उसको मर्डर नहीं लिखा जाएगा। सामूहिक एटोसिटीज कर दो, बलवा लिखकर रिपोर्ट हो जाएगी। आज सबसे आसान तरीका है हरिजन को सामूहिक रूप से मार दो, तो आपके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं लगता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेकर, गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं—वे बहुत अनुभवी हैं, जहां कहीं पर भी एटौसिटीज हों, वहां पर सीनियर पुलिस आफीसर होना चाहिए, ताकि वह डिफेंस को बचा सके। दूसरी बात यह है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम, जो डायरेक्शन आपने पहले दी हुई है, 30 दिन के अंदर-अंदर उसकी चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। मैंने अभी बड़ी तादाद में रिहाई की बात कही। उसके कुछ कारण भी बताए हैं और कुछ सुझाव भी दिए हैं। हरिजनों और अनुसूचित जातियों और आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं, इनकी मॉनिटरिंग होम मिनिस्ट्री में होनी चाहिए। वरना ये कैसेस ऐसे ही चलते जाएंगे। मैं, ऐसा तो नहीं मान सकता, जैसा मेरे अभी एक मित्र सदस्य ने कहा कि थाने में हरिजन, आदिवासी जाति से ही लोग थानेदार लगाए जाएं, मैं चाहूंगा कि उनकी कान्फीडेंशयल रिपोर्ट देखकर, हर थाने में एक एडीशनल एस०एच०ओ० लगाना चाहिए। वह केवल इस बात को ही फॉलो करे, उसके क्षेत्र में, उसके जोन में उसके एरिया में, हरिजन, आदिवासियों के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार होता है, या शोषण होता है, तो वह सिर्फ इसी को देखे। एक्सक्लूसिवली इसी काम के लिए एक ऑफीसर होना चाहिए। थाने के जो अन्य काम सभी प्रकार के होते हैं वह उन्हें नहीं कर सकता है।

सबसे बड़ी बात यह है कि जिन पुलिस ऑफीसरों को तैनात किया जाता है, उनको सी०आर०पी०सी० और आई०पी०सी० तो पढ़ाए जाते हैं, मगर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की समस्याएं क्या हैं, गरीबों के साथ दुर्व्यवहार क्यों होता है, उसकी ट्रेनिंग को भी इनकी ट्रेनिंग में शामिल किया जाए। जैसे हमारे मॉयनॉरिटीज में खास कर के इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि जब कभी किसी मायनॉरिटी का मसला आ जाए, तो किस प्रकार से केस को डील किया जाए, मोहल्ले में जाते वक्त आपको क्या-क्या एहतियात बरतनी चाहिए। इसी तरह जो राइट्स हैं, जो गांव में हरेक जाति के अपने-अपने राइट्स हैं, खास कर के हरिजनों के लिए, आदिवासियों के लिए जो विशेष प्रावधान हैं, उनकी विशेष व्यवस्था है, गांवों में, उसके बारे में पुलिस कर्मचारियों की ट्रेनिंग में ही उसको शामिल कर दिया जाना चाहिए।

सबसे बड़ी और दुख की बात यह है कि हमारे पास इस कमजोर वर्ग के ऊपर हो रहे तमाम जुल्मों के और खास कर के अत्याचारों के कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं हैं। जब कभी भारत सरकार की ओर से कोई प्रश्न के उत्तर के लिए पत्र लिखा जाता है, तो इनवैरिएबली जवाब यह आता है कि हमारे पास सूचना नहीं है। उसका कारण यह है कि न तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथोरिटीज और न ही एडमिनिस्ट्रेशन में इस प्रकार की कोई मॉनिटरिंग होती है, इसलिए स्टेटिस्टिक्स नहीं मिलते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एवं ट्राइब्स की रिपोर्ट जो पिछले साल अप्रैल माह में पेश हुई है, उस पर इस सदन में जरूर डिस्कशन कराया जाए। उसमें बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव आए हैं। बहुत ही अच्छा विश्लेषण है। इसमें उन्होंने बहुत से केसेस को स्टडी कर के लिखा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं । श्रीमान् विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने दो-तीन बातें कहीं हैं मैं उनकी जानकारी के लिए और रिकार्ड को स्टेट करने के लिए दो-तीन बातें कहूंगा । उन्होंने बहुत अच्छी बात कही—ब्यूरोक्रेसी में पूरा हिस्सा मिलना चाहिए । सन् 1989 में हमने एक पैनल बनाया था—आई०एस०एस० का उसमें हमने 9 आई०ए०एस० और आई०पी०एस० शे० कास्ट्स और शे० ट्राइब्स के आफीसर्स को एडीशनल सैक्रेटरी के पैनल के लिए एम्पैनल किया था । सिलैक्ट हो गए थे, पैनल में थे, पोस्टिंग होनी थी, प्लेसिंग होनी बाकी थी । दुर्भाग्यवश विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, हमारे देश के प्रधान मंत्री बन गए । वह पैनल काट कर 4 का कर दिया गया । अगर वे नौ के नौ प्लेस हो गए होते, अगर उस नौ के पैनल को इम्प्लीमेंट किया होता तो मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि भारत सरकार में कम से कम चार फुलफ्लैज्ड सैक्रेटरी होते । **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : मैं नहीं जानता कि आपके मन में क्या था क्या नहीं था लेकिन मैं इतना जानता हूं कि 22 साल के बाद यदि कोई पहला ऐडीशनल सैक्रेटरी हुआ तो उसका नाम माता प्रसाद था और उसको हमारी सरकार ने बनाया । हमने अपनी मिनिस्ट्री में ऐडीशनल सैक्रेटरी 22 साल के बाद बनाया ।

श्री बूटा सिंह : यह सच नहीं है, ऐडीशनल सैक्रेटरी पहले हो चुके हैं ।

[अनुवाद]

श्री करतार सिंह अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए । श्री फतेह सिंह अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए । श्री करतार सिंह 1974-75 में अतिरिक्त सचिव थे । श्री फतेह सिंह 1963-64 में गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे ।

[हिन्दी]

आपने तो कहा कि पहली बार हुआ । आज आपको सुनकर खुशी होगी कि राजीव गांधी को यह फक्र हासिल है कि सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं दो शैड्यूल कास्ट जज बैठे हैं ।

श्री राम विलास पासवान : राजीव गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में कोई भी ऐडीशनल सैक्रेटरी नहीं बन पाया । आप राजीव गांधी को मत घसीटिए । **(व्यवधान)** हमारी पहली गवर्नमैंट थी जिसमें हमने अपनी मिनिस्ट्री में ऐडीशनल सैक्रेटरी बनाया । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : वे तथ्य बता रहे हैं । आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : ये फैक्ट्स नहीं कह रहे हैं । हो सकता है कि सैक्रेटरी का जो पैनल बनाया था वह नहीं हुआ हो । **(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : जो सच है वह सच है । इन दो ही तो कमेटी में थे—प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर । हमने पैनल पास किया, पैनल बनाया । नौ का पैनल चार में कैसे हो गया ।

श्री राम विलास पासवान : यहां पर होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मैं चैलेंज करता हूं, आप पैनल करके बता दीजिए । **(व्यवधान)** आप होम मिनिस्टर से ऐश्योर करवा सकते हैं । ठीक है हमारी सरकार ने नहीं किया हो, हम अपनी गलती को मानते हैं । क्या होम मिनिस्टर नौ का पैनल लागू कर देंगे, ऐश्योरैंस दें ।

श्री बूटा सिंह : क्यों नहीं करेंगे ।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं पहले जानकारी लूंगा, यदि पैनल बना था तो जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे । **(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : मैं किसी भावना से नहीं कह रहा हूँ । श्री वी० पी० सिंह ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, मैं उसके ऊपर एक तथ्य पेश कर रहा हूं । इसी तरह से पंजाब में शैड्यूल कास्ट के 11 जूडीशियल आफिसर्स थे जो ऐडीशनल सैशन जज तक पहुंच गए । वे पंजाब में डिस्ट्रिक्ट में तैनात थे । उन 11 में से 10 को डिसमिस कर दिया ।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : उसमें आदिवासी कितने थे ?

श्री बूटा सिंह : आपको पता होना चाहिए कि पंजाब में आदिवासी बहुत थोड़े हैं । **(व्यवधान)** मैं किसी व्यक्ति या पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ । 10 को डिसमिस कर दिया और चार्जेस लगाए । जब वे डिस्ट्रिक्ट सैशन जज की कुर्सी के पास पहुँचे, दरवाजे तक पहुँचे तो सबका कैरियर बरबाद करके उनको घर भेज दिया गया । केवल एक बचा था जो डिस्ट्रिक्ट सैशन जज बना । उसको पंजाब के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिकमैंड करके भेजा । उसी तरह से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का तीन जजों का पैनल बना था । मैं तो यही कहूंगा कि दुर्भाग्यवश श्री वी० पी० सिंह ने उस पैनल में से दो को तो ले लिया मगर शैड्यूल कास्ट को छोड़ दिया । **(व्यवधान)**
क्योंकि उस बेचारे की सिफारिश कोई नहीं थी —**(व्यवधान)**—

श्री चन्द्रजीत यादव : 10 परसेंट खाली पूरा हुआ है—**(व्यवधान)**—

श्री बूटा सिंह : जिस आदमी ने यह कहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं । **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव : साढ़े 22 परसेंट पूरा होना चाहिये जबकि यह केवल 10 परसेंट पूरा हुआ है, आप उसे पूरा करें । हम सब इसमें आपके साथ हैं । आप स्पेशल रिक्रूटमेंट करिये ।

[अनुवाद]

विशेष भर्ती करिए और जो पद 42 वर्षों से भरे नहीं गए, उन्हें भरिए । हम सभी विशेष भर्ती के इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : इस समय होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं और तमाम सदस्य बैठे हुए हैं । हमने जिस समय प्रस्ताव को मूव किया था उस समय हमने कोशिश की कि इसका स्टैंडर्ड हाई रखा जाये और आरोप-प्रत्यारोप से बचा जाये । हमने कभी किसी सरकार पर हमला नहीं किया और न ही वी० पी० सिंह जी ने किसी सरकार पर हमला किया । जो वस्तु स्थिति है उसको रखा गया । इसमें ब्यूरोक्रेसी दोषी है । इतने परसेंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसके लिये हम सब दोषी हैं । यह कोई पार्टी या सरकार की बात नहीं है लेकिन जिस तरीके से मान लेते हैं कि पार्टी घुसनी भी नहीं चाहिये आप पार्टी को घुसा भी रहे हैं और सरकार को भी घुसा रहे हैं । माफ करिये सही जानकारी हम को भी है । हम को मालूम है कि पिछली सरकार ने 43 साल में क्या किया । यही मामला है तो हम एक-एक बखिया उधेड़ कर रख देंगे । हमारे पास भी पूरी फाइल है । —**(व्यवधान)**—

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, राजीव गांधी जी के समय में जो चीजें बन चुकी थीं, वे नहीं हुई । —**(व्यवधान)**—

श्री राम विलास पासवान : 43 साल में कांग्रेस ने जो कुकर्म किया है, उसका कारण है कि आन्ध्र प्रदेश जैसी घटना हो रही है। —**(व्यवधान)**—

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान निकोबार) : राम विलास पासवान को भी कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। यह भी याद रखो कि गांधी जी और बाबू जगजीवनराम जी आपके भी नेता थे —**(व्यवधान)**—

श्री सूरज मंडल : 40 साल में आपने क्या किया है? —**(व्यवधान)**—

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बोलने के लिये टाइम दे रहा हूँ, अभी आप बैठ जायें।

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, इसमें मेरा क्या कसूर है यदि कोई कहे कि जो 40 साल में नहीं हुआ, वह मैंने चार महीने में कर दिया। ऐसे-ऐसे इश्तहार दिल्ली में लगाये गये कि जो 40 साल में नहीं हुआ मैंने चार महीने में कर दिया। 40 साल बनाम चार महीने —**(व्यवधान)**—
यह सदन केवल सरमन सुनने के लिये नहीं है —**(व्यवधान)**—

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैरपुर) : आप अपनी बात करिये —**(व्यवधान)**—

श्री बूटा सिंह : क्यों नहीं कहें? यह सच्चाई अटल है कि गरीबों के उत्थान के लिये, हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान के लिये यदि किसी ने इस देश में मार्गदर्शन किया है, नींव रखी है तो कांग्रेस पार्टी ने रखी है।

श्री राम विलास पासवान : इसीलिये यह दुर्गति हुई है —**(व्यवधान)**—

अध्यक्ष महोदय : ऐसे कैसे चलेगा। आपको बोलना है तो मैं आपको चांस दूंगा। आप अपने भाषण में बोलिये।

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आज भी यह कहूंगा कि दृष्टिकोण जो कांग्रेस पार्टी का है, जो आदर्श कांग्रेस पार्टी के हैं, वे राष्ट्र के आदर्श हैं। वह खाली एक दल के आदर्श नहीं हैं। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने, शास्त्री जी ने, इन्दिरा जी ने, राजीव जी ने जो आदर्श निर्धारित किये, वह देश के आदर्श हैं, केवल उनको कांग्रेस पार्टी के आदर्श मान लेना और उसके ऊपर टिप्पणी करते जाना, वह भी उन महापुरुषों की ओर से, जिनका सारा जीवन कांग्रेस में लगा है, वह एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। यह प्रगति हुई तो किसकी वजह से? . . . .**(व्यवधान)** . . . आप मानते हैं कि यदि लैण्ड रिफार्म हो जाते, बहुत से प्रान्तों में हुए हैं, वैस्ट बंगाल में हुए हैं, वहां कोई एट्रासिटीज़ नहीं हो रही हैं . . .**(व्यवधान)** . . . यदि लैण्ड रिफार्म्स हो जाते, मुझे फिर किसी का नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाग गये थे, लैण्ड रिफार्म्स के वक्त में, चन्द्रजीत जी आप तो जानते हैं . . .

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पसुकरा) : आपकी जानकारी के लिए बताइये कि पश्चिम बंगाल में हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार नहीं हो रहे।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह : बहुगुणा जी के वक्त कांग्रेस छोड़कर कौन गया था? यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं देहात से आता हूँ और चन्द्रजीत जी खामोश बैठे हैं। लैण्ड रिफार्म्स एक मुद्दा है, जिस मुद्दे से हमारे अत्याचार बन्द हो सकते हैं।

लैण्ड रिफार्म्स आन्ध्र प्रदेश में नहीं हुए, जिम्मेदार हम भी हैं। मैं कब कहता हूं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। ऐसे-ऐसे नेता हैं, जिन्होंने अपनी जमीन बचाने के लिए क्या-क्या दुष्कर्म नहीं किये और मंत्री पद पर बैठकर नहीं किये। हम मानते हैं पर आज हमें किसी को यह सरमन देने की जरूरत नहीं। अगर लैण्ड रिफार्म्स एक सबसे बड़ा कारण है, यदि लैण्ड रिफार्म इस देश में हो जाय, आदिवासियों की जमीन उनको मिल जाय तो यह अत्याचार खत्म हो सकते हैं।

मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह खास करके यहां से, गृह मंत्रालय की ओर से जल्दी से जल्दी, मेरी मांग फिर वही है, इस सब्जैक्ट को, गरीबों की रक्षा को गृह मंत्रालय में लेकर, मैं केसरी जी का बहुत अच्छी तरह से प्रशंसक हूं, उन्होंने एक बहुत अच्छा तिलस्मी भाषण दिया और उनके विचार गरीबों के लिए हैं, बैकवर्ड क्लास के लिए हैं, मगर मैं समझता हूं कि वह भी इन्साफ नहीं कर पायेंगे, यदि उनके किसी प्रयास को भी राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो वह भी क्या कर लेंगे। इसलिए यह केवल गृह मंत्रालय ही यह कर सकता है। सबसे पहले यह विषय गृह मंत्रालय के पास होता था और इस विषय की सारी मोनेटरिंग गृह मंत्रालय करता था। अब भी तभी सुव्यवस्था हो सकती है वरना स्थिति हाथ से गुजर रही है, सिचुएशन खराब हो रही है....

श्री राम विलास पासवान : किसने चेंज किया था?

श्री झूटा सिंह : हमने किया था। आप ले लेते। हम तो चाहते हैं, यह प्रधान मंत्री को दे दें।

श्री राम विलास पासवान : पहले यह गृह मंत्रालय में था। यह गृह मंत्री थे तब कर दिया वेलफेयर में।

श्री झूटा सिंह : हमारा अनुभव है कि जब तक गृह मंत्रालय में यह नहीं होगा, तब तक इसपर कुछ नहीं होगा।

मैं अधिक समय न लेते हुए कहना चाहूंगा कि देश इस वक्त इस सदन की ओर देख रहा है, अगर इस सदन की ओर से केवल प्रस्तावना ही जायेगी तो लोग कहेंगे, फिर एक बार लोक सभा ने आंसू बहा दिये, फिर एक बार हमारे लोग मर गये, उन की ओर किसी ने देखा नहीं।

मैं एक उर्दू का शेर कहूंगा कि लोग यह भी कह देंगे कि—

"तसल्ली दी गई उनको कि जिन्हें दुश्वार था जीना,
अर्ज यह था कि उन्हें मरना भी दुश्वार हो जाता।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोनकर।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : समय तो कम हो रहा है।

श्री पीयूष तीरकी : सभी दल से लोग बोल चुके हैं, कम से कम हमको समय दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : आपको भी समय दिया जायेगा, सोमवार को भी डिस्कस करेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह कण्टीन्यू रहेगा, सर?

अध्यक्ष महोदय : कण्टीन्यू नहीं, आप 10 मिनट में बोल दीजिए। आपका टाइम चला गया है, आप 10 मिनट में बोल दीजिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अभी तो हमारे दल से केवल एक वक्ता बोले हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, एक आदमी कैसे ? पासवान जी बोले हैं और वी० पी० सिंह जी बोले हैं।

श्री राम विलास पासवान : हम तो बिना दल के हैं, मूवर का दल क्या होता है।

अध्यक्ष महोदय : श्याम लाल जी बोलिये। आप सोमवार के दिन बोलिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सब लोगों को बुलाया जायेगा। आप बैठ जाइये। मैं सब लोगों को एक दफा नहीं बुला सकता।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप एट्रासिटीज़ हम लोगों पर मत कीजिएगा, सर।

अध्यक्ष महोदय : सोनकर ने ऐसी बात नहीं कही तो सोनकर ही क्या।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम देख रहे हैं कि एट्रासिटीज़ नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री श्यामलाल कमल (बस्ती) : अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय महत्व की एक समस्या यानि हरिजनों पर अत्याचार पर मुग्ध प्रकाश डालना चाहता हूं। सदियों से हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं किन्तु इस देश की जनता को आशा थी कि बापूजी के इसमें दावल देने और हरिजनों के प्रति स्नेह और दिशा और नेतृत्व के बाद .... **(व्यवधान)** ....

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय (राबर्ट्सगंज) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सदन में कोरम नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति के लिये घंटी बजाई जाए। अब गणपूर्ति हो गई है। श्री श्याम लाल कमल अब अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री श्यामलाल कमल : मैं यह कह रहा था कि हरिजनों के प्रति बापूजी द्वारा व्यक्त किये गए स्नेह और देश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों में डा० भीम राव अम्बेडकर के नेतृत्व में पैदा हुई जागृति से स्वतंत्रता के पश्चात इन लोगों में आशाएं पैदा हुई थी। उन्होंने यह आशा की थी उनके विरूद्ध हो रहे उत्पीड़न को समाप्त किया जा सकेगा और इस देश के सच्चे नागरिक के रूप में उनकी स्वतंत्रता फिर से स्थापित की जा सकेगी। नागरिकता की यह गरिमा अब भी स्वप्न मात्र है और इस देश के लोग संविधान की उस भावना से एक नहीं हैं जिसका प्रतिपादन हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में किया था।

स्वतंत्रता के पश्चात भी हरिजनों पर अत्याचार बेरोक-टोक जारी है। यह एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है जिसके प्रति हम सभी चिंतित हैं। सभी दलों के उपस्थित सभी माननीय सदस्य इस मुद्दे पर इतने चिंतित है कि उन्होंने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के विरूद्ध होने वाले अत्याचारों को पूरी तरह समाप्त करने के लिये विशेष चर्चा कराने की मांग की है।

जिन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है, वे हैं—स्वतंत्रता के इन चालीस वर्षों के दौरान सरकार ने क्या किया है ? क्या उन्होंने उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया है ? क्या इन लोगों को उनके नागरिक अधिकार दिये गए है ? वास्तविकता तो यही है कि सरकार में तथा देश के संविधान में उनके विश्वास को पुर्नस्थापित करने के लिये कुछ भी ठोस उपाय नहीं किये गए हैं ।

यदि हम इन अत्याचारों के कारणों का विश्लेषण करें तो इस मामले को दो भागों में बांटना होगा । एक भाग है अशिक्षित एवं अर्धशिक्षित अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों के प्रति उच्च वर्ग के अशिक्षित एवं अर्धशिक्षित लोगों द्वारा किये गए अत्याचार । पहले भाग के संदर्भ में मेरे विचार तथा अनुभव के अनुसार इसका मुख्य कारण है उच्च वर्ग के लोग जो धनी और भूस्वामि हैं वे उन हरिजनों को शोषण करते हैं जिनकी संख्या पूरी जनसंख्या का 95 प्रतिशत है । उन्हें उनकी मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के बावजूद नहीं मिलती है । त्सुन्दुर गांव में स्थानीय मजदूरी 30 रुपये प्रतिदिन है लेकिन हरिजनों को इससे बहुत कम मिलता है यानि कि 15 रुपये प्रतिदिन पुरूष मजदुर को और 10 रुपये महिला मजदूर को मिलते हैं । विगत दो वर्षों से उनके पारस्परिक संबंधों के बीच यह संघर्ष का मुद्दा बना रहा है । मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं क्योंकि मैंने उस गांव का दौरा किया है और इस मामले की जांच की है, वहां के दोनों समुदाय के 500 से अधिक लोगों से मुलाकात की है और तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ।

महोदय, सामाजिक विषमता अत्यधिक है । आज भी यदि अनुसूचित जाति का कोई अधिकारी गांव में जाता है तो उच्च वर्ग के लोग अपने धातु के गिलासों में उन्हें पानी नहीं देते । मैं आभारी हूं कांच के गिलासों का अनुसूचित जाति के अधिकारीयों को पानी दिया जाता है और अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिये वे इन बातों को मुद्दा नहीं बनाते हैं । वे अपनी इन भावनाओं से न तो मुक्त हो पाते है और न समाज में हो रही अस्पृश्यता की घटनाओं के संबंध में ही कोई रिपोर्ट सरकार को देते हैं । यहां तक कि आज संसदीय चुनावों के दौरान मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है अनुसूचित जाति के संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों को अधिकारियों ने अपने गिलास में पानी नहीं दिया । ऐसे अवसरों के लिये वे अलग गिलास रखते है । इस प्रकार का भेदभाव किया जाता है । क्योंकि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को उनसे मत प्राप्त करना होता है इसलिये वे ऐसी सामाजिक अमद्रता के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते हैं ।

महोदय, एक मजदूर सूखी रोटी और नमक के साथ गुजारा कर ले सकता है परंतु सम्मान के बिना नहीं ।

[हिन्दी]

उनको मान-सम्मान चाहिये ।

[अनुवाद]

हम गरीब और कम पढ़े लिखे उन अनुसूचित जाति के लोगों, जो मजदूर वर्ग के हैं, को उचित सम्मान दिलाने में असमर्थ रहे हैं ।

7.00 म० प०

महोदय, मै आपको शिक्षित उच्चवर्ग के अधिकारियों का अपने चतुर्थ वर्गीय अनुसूचित जाति के कर्मचारियों प्रति क्या रवैय्या है यह बताना चाहता हूं । सफाई करनेवाले चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी होते हैं और उन्हें मिलाकर सरकार यह दावा करती है कि अनुसूचित जाति के लिये निर्धारित 18 प्रतिशत कोटा पूरा है । यदि हम सफाई कर्मचारी वर्ग को अलग कर दें तो सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिशत अधिक से अधिक पांच या छह रह जाएगा । ऐसा क्यों है ? इसका कारण यह है कि इन चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का उपयोग सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने निवास पर खाना बनाने, घर की सफाई करने और कपड़े धोने के लिये किया जाता है । चूंकि अनुसूचित जाति के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी उनके रसोई के बर्तनों और भोजन सामग्रियों को

नहीं छू सकते इसलिये उनकी नियुक्ति नहीं होती है । उच्च वर्ग के अधिकारी अपना निजी कार्य करवाने के लिये चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों में उच्च वर्ग के ही लोगों को नियुक्त करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप और कितना समय लेंगे ?

श्री श्यामलाल कमल : महोदय, मैं 15 मिनट का समय और लेना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : समय अब खत्म हो चुका है । आप सोमवार को बोल सकते हैं । सभा सोमवार, 19 अगस्त, 1991 को सुबह 11.00 बजे पुन: समवेत होने तक स्थगित होती है ।

7.02 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार 19 अगस्त, 1991/28 श्रावण 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

MGIPN—256 LSS/ND/91—21-7-92—225 Copies.